खण्ड-384, अंक-3
गुरूवार, 6 फाल्गुन, शक संवत् 1909
(25 फरवरी, 1988 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 384 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

1988

मूल्य : बिना महसूल null null, महसूल सहित null null |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल null null, महसूल सहित null null |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1
प्रश्नोत्तर	3–66
मथुरा जनपद के गोकुल विधान सभा क्षेत्र में नीलगायों से कृषि को हानि के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	67
जनपद आजमगढ़ के सराय मोहान से लसड़ा मार्ग को पक्का किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	67–68
गन्ना किसानों से कृषि निवेश की कटौती की धनराशि की वापसी के विषय में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	68
बलिया जनपद के अन्तर्गत विभागीय निर्माण इकाई सार्वजनिक निर्माण ईकाई सार्वजनिक निर्माण विभाग बलिया के अभियन्ताओं द्वारा सार्वजनिक धन की खुली लूट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	68–79
जनपद इटावा के चकर नगर में उप तहसील खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	79
निजी स्वामित्व में चल रही चीनी मिल पडरौना (देवरिया) के श्रमिकों में व्याप्त असन्तोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	79
गाजीपुर थाना मुहम्मदाबाद की पुलिस द्वारा मोहल्ला शाहिन्दा की मल्लाह जाति के घरों पर अवैध कब्जा किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	70
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	70–75
प्रदेश में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की सूचना की मांग विषयक दिनांक 24–2–88 के अल्पसूचित प्रश्न संख्या–1 के सम्बन्ध में मन्त्री द्वारा विपरीत उत्तर दिए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	75–76
श्री जयदीप सिंह बरार के कांग्रेस पार्टी से निष्कासन की घोषणा तथा उनका सदन से निलम्बित किए जाने के निर्णय पर पुर्नविचार करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	76–79
डाक्टर संजय सिंह तथा जयदीप सिंह बरार सदस्य विधान सभा को कांग्रेस (आई) विधान मंडल दल से निष्काशित किये जाने की सूचना ..	79–83
उत्तर प्रदेश नवम विधान सभा के प्रतिनिहित विधायन समिति का षष्ठ प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	83
उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का सप्तम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया	84
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं	84–117
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) .	117
नियम 51 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं	118–171
नस्थियां	172–180

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

वृहस्पतिबार दिनांक 25 फरवरी, 1988

विधान सभा की बैठक, सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे--

अकबर अहमद (डम्पी), श्री	नैनीताल	बेनी बाई, श्रीमती	झांसी
अजीजुर्रहमान, श्री	बिजनौर	भोला सिंह, श्री	इलाहाबाद
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती	मंगल देव, श्री	गोण्डा
अरविन्द तिवारी, श्री	जालौन	मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ, श्री	बस्ती
अवनीश कुमार सिंह, श्री	बदायूं	महाबीर सिंह, श्री	सहारनपुर
इकबाल अहमद, श्री	आजमगढ़	माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
कनक सिंह, श्री	गाजियाबाद	रमेश चन्द्र उर्फ रमेश यादव, श्री	एटा
कमलेश कुमार पाठक, श्री	इटावा	राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
कल्याण सिंह, श्री	अलीगढ़	राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़	राम नरेश यादव, श्री	मैनपुरी
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर	रामपाल सिंह एडवोकेट, श्री	गोण्डा
गंगा स्वरूप भटनागर, श्री	सीतापुर	राम सजीवन, श्री	बांदा
गोपाल राम दास, श्री	अल्मोड़ा	विलायती राम कत्याल, श्री	कानपुर
गोपीनाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव	वीरेन्द्र प्रताप शाही	गोरखपुर
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली	वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री	कानपुर	शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	बस्ती	शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
दूधनाथ, श्री	जौनपुर	शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	गोरखपुर
नरेन्द्र देव, श्री	मिर्जापुर	शैलेन्द्र कुमार, श्री	इलाहाबाद
नरेन्द्र सिंह, कुंवर	सहारनपुर	श्रीप्रकाश, श्री	आजमगढ़
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फरुखाबाद	संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
निर्भय पाल शर्मा, श्री	सहारनपुर	सखावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
पशुपति नाथ मेहरोत्रा, श्री	कानपुर	सतीश अजमानी, श्री	खीरी
पुष्कर सिंह, श्री	गढ़वाल	समरपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
प्रभुदयाल, प्रधान	मेरठ	सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़	सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
बहादुर सिंह, श्री	आगरा	हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
बाबू सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर	हरशरन सिंह, श्री	मेरठ
बालेश्वर, श्री	देवरिया	हरिशंकर तिवारी,	गोरखपुर
बुधपाल सिंह 'खुर्जेवाले, श्री	बुलन्दशहर	हरिश्चन्द्र हरीश जी, श्री	बस्ती

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

बृहस्पतिवार, दिनांक 25 फरवरी, 1988 ई0

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

आग्नेयास्त्रों के लाइसेंस दिये जाने पर प्रतिबंध

1 श्री सरदार सिंह,
श्री बदन सिंह,
श्री अब्दुल वहीद कुरैशी,
श्री अनुग्रह नारायण सिंह तथा
श्री गोपाल दास यादव–

क्या गृह मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में आयुध लायसेंस देना शासन ने विगत कई वर्षों से बंद कर रखा है ? यदि हां, तो उसका औचित्य क्या है ? क्या शासन अविलम्ब इस बन्दीकरण को समाप्त करने का कष्ट करेगा, जिससे जरूरत मन्द नागरिकों को लायसेन्स प्राप्त हो सके ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

प्रदेश में शांति एवं व्यवस्था को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सामान्य रूप से आग्नेयास्त्र लाइसेंस जारी करने पर दिसम्बर 1985 से रोक लगी हुई है परन्तु जिन्हें आग्नेयास्त्र रखना नितांत आवश्यक पाया जाता है, उन्हें प्रश्नगत रोक से छूट प्रदान कर लाइसेंस दिया जाता है। लोकहित में इस रोक को समाप्त करना उचित नहीं है।

श्री सरदार सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी दो दिन पहले महामहिम ने प्रदेश में शांति व्यवस्था की स्थिति की तारीफ की है । मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब प्रदेश में शांति और अमन है तो वह कौन-कौन से कारण हैं, जिनके कारण इस बन्दीकरण को सरकार समाप्त नहीं कर रही है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, आपने अभी स्वीकार भी किया और महामहिम राज्यपाल ने कहा भी था प्रदेश में शांति व्यवस्था और अमन है, यह भी एक कारण है कि लाइसेंस लिबरली नहीं दिये जा रहे हैं और खराब लोगों को नहीं दिये जा रहे हैं । कारण बहुत से हैं । अक्सर जब पी0 डब्लू0 डी0, सिंचाई, एक्साइज विभागों में ठेका उठता है तो लाइसेंसी बन्दूक लेकर लोग जो बैठते हैं और जोर जबर्दस्ती और गलत तरीके से लाइसेंसी बन्दूक का इस्तेमाल करके ठेका ले लेते हैं । ऐसे बहुत से मौके होते रहे हैं कि लोग ऐसा करते रहे हैं ।

श्री गोपाल दास यादव–

मान्यवर, माननीय मंत्रीजी ने प्रश्न का जो उत्तर दिया है, वह बहुत ही हास्यास्पद है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि क्या मा0 मंत्री जी ने लाइसेंस पर जो रोक लगा दी है, क्या उससे प्रदेश की शांति व्यवस्था की स्थिति में सुधार आया है ? इन्होंने यह भी उत्तर दिया है कि हम जिसको उचित समझते हैं और जिसको आवश्यक समझते हैं, उसको लाइसेंस देते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि इलाहाबाद में जितने लाइसेंस दिये गये हैं, वे सब उचित थे या उनमें कोई अपराधी भी है, यह बताने की कृपा करें ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, मा0 सदस्य ने जो कहा, सरकार और जिला प्रशासन अपने विवेक से पूरी छानबीन कराकर और उसके चरित्र का वेरीफिकेशन पुलिस द्वारा कराकर लाइसेंस दिया जाता है ।

श्री गोपाल दास यादव–

किसी अपराधी को लाइसेंस दिया गया या नहीं ?

श्री अध्यक्ष–

इस प्रश्न पर जिनके नाम हैं, मैं पहले उनको प्राथमिकता दे रहा हूं ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, मा0 मंत्रीजी ने उत्तर दिया कि उचित व्यक्ति को लाइसेंस दिया जाना नितांत आवश्यक है और उनको लाइसेंस दिये जायेंगे, मैं जानना चाहूंगा कि नितांत आवश्यकता वाले व्यक्ति को लाइसेंस देने का मानक क्या रखा गया है, क्या औचित्य रखा गया है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, मानक तो उसी आर्म्स एक्ट में पहले से था और आज भी है कि चरित्र का वेरीफिकेशन कराना, तहसीलदार से उनके स्टेटस की जानकारी लेना और एस0 डी0 एम0 आदि से वेरीफिकेशन कराना । आज कल 4 श्रेणी के लोगों को लाइसेंस देने में छूट दी जाती है (1) किसी मृतक के पास पहले से लाइसेंस हो तो उसके वारिसान को लाइसेंस मिल जाता है, (2) एम0 एल0 ए0, एम0 एल0 सी0 और एम0 पी0 को मिल जाता है, (3) कस्टम और सेन्ट्रल एक्साइज के आफिसर्स को और (4) ऐसे लोगों को जो बहुत ज्यादा वृद्धावस्था में हो गये हैं, अपाहिज हैं, बन्दूक नहीं चला सकते हैं, उनके वारिसान को गुणावगुण के आधार पर लाइसेंस देने में छूट दी जाती है।

श्री अब्दुल बहीद कुरेशी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में, मैं यह कहना चाहता हूं कि जनपद मेरठ में दौलतपुर और कौसाली में ट्यूबवेल्स पर किसानों की हत्यायें हुई, जनपद मेरठ में थाना दौराला में सकौती और उसके बाद टांडी में डकैती हुई विथ मर्डर, वहां से संबंधित लोगों के लिये एप्लीकेशंस फारवर्ड हुई माननीय गृह मंत्री जी को, लेकिन उन पर अमल नहीं हुआ, न लाइसेंस दिये गये । क्या ऐसे लोगों को माननीय मंत्री जी आवश्यक नहीं समझते हैं ? मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे लोगों को लाइसेंस दिये जायेंगे, उनकी एप्लीकेशंस भी फारवर्ड हुई है ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, इस तरह के केसेस में लाइसेंस दिये जायेंगे । माननीय सदस्य को अगर उसमें कोई कहीं दिक्कत महसूस हो रही है, तो वे कृपया मुझसे मिल लें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में नितांत आवश्यकता की बात कही, जिसके यहां कत्ल हो जाय, डकैती हो जाय, उनको लाइसेंस देंगे । लेकिन, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिनके यहां डकैती पड़ने की संभावना है, जिनके कत्ल होने की संभावना है और जो लोग इस संबंध में जिला प्रशासन के माध्यम से बराबर सूचना दे रहे हैं, क्या उनको लाइसेंस देने का कष्ट करेंगे ? दूसरे, मान्यवर इलाहाबाद जनपद में बहुत से ऐसे अपराधी लोगों को लाइसेंस दिए गये हैं जोकि एक या कत्ल के मुल्जिम ही नहीं है बल्कि वह उस संबंध में सजा भी काट चुके हैं । उनको गलत पते ले लाइसेंस दिये गये हैं । एक श्री कृष्णजीत शुक्ला, जे0 ई0 हैं यह अल्लापुर के रहने वाले हैं, इनके संबंध में रिपोर्ट भी है, शासन को भी अवगत कराया जा चुका है लेकिन फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई ?

श्री अध्यक्ष–

एक तरफ तो आप लाइसेंस दिलाने की बात कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप लाइसेंस कैंसिल कराने की बात कर रहे हैं। आपका जो प्रश्न है, उसके अनुसार प्रश्न कर लीजिये ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

श्री जय नारायण सिंह, कासमाबाद-गाजीपुर, इनको 2 कत्ल के जुल्म में सजा भी हुई है । बनारस में एक छात्र की हत्या के सिलसिले में भी इन पर आरोप था । लेकिन, अच्छी ठेकेदारी करते हैं । कर्नलगंज थाने से इनको लाइसेंस दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न करें । आप तो अपनी बात को लम्बा खींच रहे हैं । संक्षेप में प्रश्न करें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जिन लोगों के मैंने नाम गिनाये हैं, जो अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं . . .

श्री अध्यक्ष–

आपको जो प्रश्न करना है, संक्षेप में करें ।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, संक्षेप और इशारे में यह लोग समझते नहीं है माननीय मंत्री जी ने 4 कैटिगिरी बतायी थी, यह जो मैंने कृष्णजीत शुक्ला का नाम लिया ।

श्री अध्यक्ष–

आप संक्षेप में प्रश्न करें ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से माननीय अनुग्रह नारायण जी के इस प्रश्न का उत्तर दिलवा दें कि यह जो कृष्णजीत शुक्ला जे0 ई0 और जय नारायल सिंह का नाम लिया, जो कत्ल के जुल्म में सजा पा चुके हैं, माननीय मंत्री जी ने चार कैटिगरी बतायी थी कि इन-इन लोगों को लाइसेंस देते हैं, क्या यह दोनों लोग उन चार कैटिगरी में आते हैं जिस कारण उनका लाइसेंस अभी तक जारी है।

श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

मान्यवर, मैं यह जानना चाह रहा हूं कि जिन पुलिस अधिकारी ने इनको लाइसेंस जारी करने के लिये अपनी रिकमंडेशन दी और जिस अधिकारी ने लाइसेंस जारी किया है, उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, इसको हम दिखवा लेंगें और आवश्यक कार्यवाही करायेंगें, आप हमें बता दीजियेगा । जो विधायक जी को शिकायत है, वह मुझसे मिल लें ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी ने यह कहा कि जिस अधिकारी ने यह लाइसेन्स जारी किये हैं, शासनादेश होने के बावजूद, मैं पूछना चाहता हूं कि उसके खिलाफ यह क्या कार्यवाही करेंगे ? जो लोग आजीवन कारावास के बन्दी हैं, और जिनके नाम यहां पर बताये गये हैं श्री जय नरायन सिंह और श्री कृष्ण जी शुक्ला इसके अतिरिक्त इलाहाबाद में बहुत से और अपराधियों को लाइसेन्स दिये गये हैं, जैसे रंग बहादुर ग्राम पनासा, पुलिस स्टेशन करछना तथा राम किशोर, पुलिस स्टेशन करछना, इन लोगों को भी लाइसेन्स दिये गये हैं यह लोग भी आजीवन कारावास के बन्दी हैं । इस सब के बावजूद मंत्री जी यह कह रहे हैं कि हम इसको दिखवा लेंगे और कार्यवाही करेंगे । मंत्री जी बतायें कि उस अधिकारी के खिलाफ यह क्या कार्यवाही करेंगे, जिसने यह लाइसेन्स दिये हैं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने जिन लोगों के नाम बताये हैं और जिनके खिलाफ शिकायत की है, वह हमको लिखकर दे दें, मैं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करूंगा।

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

जो डाकूग्रस्त जिले हैं, उसमें कितनी वारदातें हुई हैं और उन वारदातों से अपनी रक्षा करने के लिए माननीय मंत्री जी ने कितने लाइसेन्स दिये हैं ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, मैं इसको दिखवा लूंगा ।

श्रीमती सुखदा मिश्रा–

मान्यवर, इसमें दिखलाने का कोई प्रश्न नहीं है । सिर्फ मंत्री जी यह आश्वासन दे दें कि जहां बारदातें हुई हैं, वह वहां पर लाइसेंस देंगें ।

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना जाहता हूं कि डाकुओं से, गुन्डों से और बदमाशों से सुरक्षा के लिये लाइसेंस दिये जाते हैं । अगर उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री [x x x] हो और छटांछटाया बदमाश हो, इस बात को एक परगनाधिकारी श्री बसंत लाल जिसका नाम है, ने अखबार में प्रकाशित कराया है कि उत्तर प्रदेश का गृह मंत्री [x x x] है, तो मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि . . .

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

यह नहीं लिखा जायेगा, आपका जो प्रश्न है वह पूंछें । आप किसी पर आरोप नहीं लगा सकते हैं ।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं । यह तो अखबार में दिया हुआ है मैं इसको आपको दे रहा हूं । मैं जानना चाहता हूं कि माननीय गृह मंत्री के जनपद उन्नाव में, जहां से यह आते हैं और मैं भी वहीं से आता हूं और [xxx] क्या वहां पर सुरक्षा के लिये भी लाइसेन्स देनें की कृपा करेंगे ?

(कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने पर शोर के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

अगर इसी तरीके से शोर होता रहा, तो मैं सदन को . . . मनोहर लाल जी आप बैठें कृपा करके बैठें ।

(अत्यधिक शोर होने पर)

आप लोग कृपा करके बैठ जायें । यह कोई तरीका नहीं है । जब आपको पुकारा जाय, तभी आप बोलें। यदि आप लोग ऐसी ही करेंगे तो मैं हाउस को स्थगित कर दूंगा चाहे हाउस चले या न चले । माननीय श्री मनोहर लाल जी आप प्रश्न करें । माननीय श्री अंचल जी आप कृपा करके बैठ जायं ।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि उन्नाव जनपद जो एक क्रिमनल जनपद है, जहां पर डकैती, राहजनी व कत्ल ज्यादा हो रहे हैं, वहां पर सुरक्षा की दृष्टि से लाइसेंस दिलवाने की कृपा करेंगे?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि गुण-दोष के आधार पर लाइसेंस दिये जा रहे हैं और दिये जायेंगे ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर में बड़ा विरोधाभास है। माननीय मंत्री जी नें मूल प्रश्न के उत्तर में बताया कि चार कैटेगरीज हैं, जिनके तहत लाइसेंस दिये जा रहे हैं । मेरा माननीय मंत्री जी से पहला प्रश्न यह है कि इलाहाबाद में, जिनके नाम माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी, माननीय श्री अनुग्रह नारायण सिंह जी व श्री गोपाल दास यादव जी नें बताया, उनको लाइसेंस इन चार कैटेगरीज के अतिरिक्त क्यों दिया गया? दूसरा प्रश्न यह है, हम लोगों के निवेदन को माननीय मंत्री जी स्वीकार भी कर रहे हैं कि किन्हीं ऐसी परिस्थितियों में लाइसेंस दिये जायेंगे, तो माननीय मंत्री जी ने उसके मानक क्या बनाये हैं ?

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, जब यह प्रश्न इलाहाबाद के माननीय सदस्य ने पूछा था, उसी समय मैंने उत्तर दिया था कि मैं इसे दिखवाऊंगा और इसकी जांच करवाऊंगा, जो भी दोषी मिलेगा, उसके खिलाफ कार्यवाही होगी ।

डा0 दिनेश जौहरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने वारिसान को लाइसेंस देने की बात कही । इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि वारिसान को लाइसेंस देने में जिला प्रशासन के यहां से बहुत देर लगती है। क्या माननीय मंत्री जी इसमें कोई समय सुनिश्चित करेंगे कि कैटेगरीज के अंदर तीन महीने के अन्दर माइसेंस दे दिये जायेंगे?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, यह प्रयास किया जायेगा कि लाइसेंस जल्दी से जल्दी दे दिया जाय । जितनी जल्दी वैरिफिकेशन हो जाता है, उतनी जल्दी लाईसेंस मिल जाता है ।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी के उत्तर के सम्बन्ध में, माननीय मंत्री जी ने बताया कि चार कैटेग्रीज के तहत लाइसेंस दिये जाते हैं, लेकिन इलाहाबाद में इन कैटेग्रीज के खिलाफ क्रिमनल लोगों को लाइसेंस दिये गये । इस पर माननीय मंत्री जी ने आश्वासन भी दे दिया। क्या माननीय मंत्री जी इस बात का भी आश्वासन देंगे कि जिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने और पुलिस सुपरिन्टेन्डेन्ट ने संस्तुति की है, क्या उनके खिलाफ भी आप कार्यवाही करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, मैंने पहले ही उत्तर दे दिया कि नियमानुसार निश्चितरूप से कार्यवाही होगी ।

श्री बदन सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि दिसम्बर, 1985 से हथियारों के लाइसेन्स पर रोक लगा दी गई है । पूरे प्रदेश में दिसम्बर 1985 से अवैध हथियार बनाने वाली फैक्टरियां बहुत ज्यादा हो गई हैं और गुण्डे लोग अवैध हथियार अपने पास रखते हैं और जिस आदमी को अपने जीवन का खतरा है, वह भी अपनी सुरक्षा हेतु अवैध हथियार रखने लग गया है । क्या माननीय मंत्री जी ऐसी स्थिति को देखते हुए कि गुण्डे लोग व जीवन रक्षा हेतु अवैध हथियार रखने वाले लोगों की संख्या बढ़ रही है, जो सामान्य रोक लाईसेन्स पर लगाई गई है, उसे खोलने की कृपा करेंगे ?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

पहले प्रश्नों के उत्तर में मैंने अभी निवेदन किया कि गुण-दोष के आधार पर लाइसेंस अब भी दिये जा रहे हैं और दिये जाते रहेंगे ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

एक ही प्रश्न पर 20 मिनट हो चुके हैं । आप लोग बैठें । अब हम अल्प-सूचित तारांकित प्रश्न संख्या–2 ले रहे हैं ।

(श्री शारदानन्द अंचल द्वारा बिना अनुमति खड़े होकर बोलने का प्रयत्न करने पर)

एक ही प्रश्न पर 20 मिनट मैंने दे दिये। दलों के नेताओं से परामर्श करके कार्यपद्धति तय हुई थी ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, आप गुस्सा क्यों हो रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

क्षमा करें, ऐसी कोई बात नहीं है ।

श्री शारदा नन्द अंचल–

मान्यवर, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता था ।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपा करके बैठें ।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, यह जो लाइसेंसों का मामला है, रोज कत्ल हो रहे हैं, गुण्डे अवैध हथियार लिये फिर रहे हैं । मैं आपसे ही पूछता हूं कि हम क्या करें । (सत्ता पक्ष को इंगित करते हुए [xxx] आप ही बता दें ।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया बैठें ।

विधायकों को भवन निर्माण हेतु दिये जाने वाली प्रति संदेय अग्रिम के संबंध में पुनर्विचार

**2–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि मा0 विधायकों को कर्ज पर मकान उपलब्ध कराने की व्यवस्था के संबंध में वे पुनर्विचार करेंगे ? क्या मंत्री जी को यह जानकारी है कि इस व्यवस्था से जनता में असंतोष है ?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

माननीय विधायकों को भवन निर्माण हेतु अथवा निर्दिष्ट संस्थाओं द्वारा निर्मित भवन को क्रय करने हेतु प्रतिसंदेय अग्रिम स्वीकृत किये जाने की सुविधा सम्यक विचारोपरान्त शासन द्वारा उपलब्ध करायी गयी है। अतः मामले में पुनर्विचार का प्रश्न नहीं उठता है । उक्त व्यवस्था से जनता में असन्तोष होने की कोई जानकारी शासन को नहीं है ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संदर्भ में मैं जानना चाहता हूं कि जब पहले से ही आवास की सुविधा माननीय विधायकों को उपलब्ध थी, तो फिर उसके अलावा

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

कर्ज देकर दूसरी आवासीय सुविधा देने की क्या आवश्यकता थी ?, मूल उत्तर में बताया गया है कि "उक्त व्यवस्था से जनता में असन्तोष होने की कोई जानकारी शासन को नहीं है", लेकिन हम लोग जब अपने क्षेत्र में जाते हैं तो जनता पूछती है कि सरकारी कर्जे से जीप ले ली है, अपना वेतन बढ़वा लिया है और मकान का कर्जा भी ले लिया है । मैं अपनी निजी जानकारी के आधार पर बता रहा हूं कि जनता में लाख रुपये से ऊपर के इस कर्जे को लेकर असंतोष है, क्या इस पर विचार करेंगे ?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, अधिनियम संख्या 22 सन् 1986 इसी माननीय सदन के सामने प्रस्तुत किया गया था, जिसके अंतर्गत अग्रिम देने का प्राविधान किया गया था । इस पर पुनर्विचार करने की कोई आवश्यकता नहीं है । जो अग्रिम धनराशि देने की सुविधा दी गयी, उसी के अंतर्गत शासन कार्यवाही कर रहा है ।

[नत्थी (ख) तारांकित प्रश्न 1 के पुकारे जाने पर]

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर, जीप का और मकान बनाने का ऋण तो दे दिया, लेकिन ऐसी भी स्थिति आयी कि जो माननीय सदस्य ऋण ले लिये हैं अकस्मात् किसी की मृत्यु हो जाती है, जैसे अभी श्रीमती सरोज वर्मा जी की मृत्यु हो गयी, उन्होंने भी ऋण लिया था, उस ऋण की वापसी के लिए यह हो रहा है कि उनकी जीप ले ली जाय नीलाम कर दी जाय और ऋण वापस ले लिया जाय, तो अगर किसी माननीय सदस्य ने ऋण लेकर मकान बना लिया तो क्या उसकी मृत्यु के बाद उसके बच्चों को सड़क पर खड़ा कर दिया जायेगा? क्या जिस दर से उस विधायक से ऋण की वापसी ली जा रही थी उसी दर से उसके वारिस से ऋण की वापसी लिये जाने की व्यवस्था करेंगे?

श्री हुकुम सिंह–

मान्यवर, अभी जो प्राविधान है कि 120 किश्तों में इसको वसूल किया जायेगा, वह वैसे ही है, शासन ने कोई अपने मन से प्राविधान बनाया नहीं है, जो भी प्राविधान नियमों में दिया हुआ है और वह इस सम्मानित सदन के सामने आया था, सारा विधेयक ही प्रस्तुत किया गया था सदन में और नियम बनाये गये थे और उसी नियम के अनुकूल हम काम कर रहे हैं । उन नियमों के प्रतिकूल जाने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री शारदा प्रताप–

मेरा प्रश्न यह नहीं था ।

श्री अध्यक्ष–

अब आगे चलिये ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958
के नियम 38 (2) के अंतर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

स्व0 श्री सुबराती पुत्र श्री हुसैनी के भूमि का मुआवजा

*1–श्री रामचन्द्र बख्श सिंह (अनुपस्थित)–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के पहले गुरुवार के लिये निर्धारित प्रश्नकर्ता द्वारा पूछे गए तारांकित प्रश्न संख्या-1 (नत्थी ग) के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नगत प्लाट पर से वर्ष 1979 में 12 फीट चौड़ी निकाली गयी सड़क जो आगे अवरुद्ध हो गयी है, में स्व0 श्री सुबराती पुत्र हुसैनी की कितने वर्ग फुट भूमि आई ? क्या उक्त 12 फुट चौड़ी सड़क में आई भूमि का मुआवजा वर्ष 1979 से अब तक स्व0 श्री सुबराती पुत्र हुसैनी के परिवार को दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि दिया जायेगा, तो कब तक ?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्रीमती पद्मा सेठ)–

प्रश्नगत प्लाट पर वर्ष 1979 में 12 फुट चौड़ी सड़क नहीं निकाली गई थी और न ही श्री सुबराती की भूमि इस प्रयोजन हेतु ली गई है। चूंकि श्री सुबराती की भूमि अधिग्रहण से मुक्त कर दी गई थी, अतः उन्हें मुवावजा दिये जाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद नैनीताल के फल उत्पादकों की ओलावृष्टि से हुई हानि एवं राहत

*2–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जनपद नैनीताल के रामगढ़ भवाली, नथुवाखान, श्यामखेत, हरतोला तथा मुक्तेश्वर के फल उत्पादकों की सेवों की फसल मई, 1987 की भीषण ओलावृष्टि से 75 प्रतिशत से भी अधिक नष्ट हो गयी थी ? क्या यह भी सही है कि उक्त फल उत्पादकों के पास जीवनयापन का इसके अतिरिक्त कोई साधन नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार इनको तुरन्त राहत देने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

कृषि मंत्री (चौधरी नरेन्द्र सिंह)–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

डा0 शिवानन्द नौटियाल–

मान्यवर, मेरे प्रश्न को आप ही देखने की कृपा करें कि यह प्रश्न 15-9-87 को दिया गया था और पूर्व अन्तरिम उत्तर देने की तिथि 31-12-87 थी और आज मंत्री जी कह रहे हैं कि ''सूचना एकत्र की जा रही है ।'' मान्यवर, मैं आपसे ही आग्रह करूंगा कि इतनी छोटी सूचना के लिये मंत्री जी को कितने वर्षों की अवधि चाहिये सूचना एकत्र करने के लिये ? मंत्री जी इसके लिये कितना समय और लेना उपयुक्त समझते हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मा0 सदस्य नौटियाल साहेब का कहना और उनकी जिज्ञासा ठीक है । मेरे पास जो सूचना थी वह पर्याप्त नहीं थी इसीलिये मैंने उत्तर दिया है कि "सूचना एकत्र की जा रही है ।"

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है । सन् 1987 में पर्वतीय क्षेत्रों में ओलावृष्टि हुई और मंत्री जी अभी तक सूचना ही एकत्र कर रहे हैं जबकि 1988 में फिर ओलावृष्टि से नुकसान हो गया है । मंत्री जी जानबूझ कर जनहित के प्रश्न को टाल रहे हैं जिसके कारण हम लोग अपने कर्तव्यों के पालन से वंचित हो रहे हैं । यह राजस्व विभाग और कृषि विभाग का काम है कि तत्काल उन्हें सूचना मिलनी चाहिए । मैं इस संबंध में आपसे संरक्षण चाहता हूं ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, इसमें टालने का कोई प्रश्न नहीं है । मैं सदन के सामने पूरी सूचना रखना चाहता हूं इसीलिये मैंने उत्तर में कहा है कि सूचना एकत्र की जा रही है ।

[गुरुवार, दिनांक 25 फरवरी, 1988 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न]

आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, फैजाबाद में द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में आरक्षण कोटा

*1–श्री हरदेव–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि आचार्य नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्व-विद्यालय कुमारगंज जनपद फैजाबाद के अंतर्गत प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणियों में (टेकनिकल को सम्मिलित करते हुये) अलग-अलग कुल कितने अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं ? उनमें से रोस्टर शासनादेश संख्या-15/28-73-रा0 एकी-13 दिनांक 26 फरवरी, 1976 एवं प्रोन्नति शा0 सं0 22/51/1982 कार्मिक-2 दिनांक 5 जुलाई, 1984 तथा शा0 सं0 22/21/1982-कार्मिक-2 दिनांक 31 दिसम्बर, 1984 के आधार पर 18 प्रतिशत एवं 2 प्रतिशत के आरक्षण के अनुसार प्रत्येक श्रेणियों में अलग-अलग कुल कितने अनुसूचित जाति/जनजाति के अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं ? क्या आरक्षण कोटा सभी श्रेणियों में पूरा है ? यदि नहीं, तो इसके लिए कौन लोग दोषी हैं ? उनके विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी और सभी श्रेणियों में आरक्षण कोटा कब तक पूरा कर दिया जायेगा ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय कुमारगंज, फैजाबाद में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणियों में (टेक्निकल को सम्मिलित करते हुए) कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या निम्नवत् है :–

श्रेणी	कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या
प्रथम	75
द्वितीय	189
तृतीय	440
चतुर्थ	465

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक वि0 वि0 अधिनियम, 1958 के अंतर्गत बनाये गये वि0 वि0 परिनियमों के अनुसार नियुक्तियां की जाती हैं । विश्वविद्यालय परिनियमों में अनुसूचित जाति/जनजाति अथवा अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का नियुक्तियों में आरक्षण की सुविधा दिये जाने का प्राविधान नहीं है । फिर भी उक्त श्रेणी के नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की संख्या प्रत्येक समूह में अलग-अलग निम्नवत् है :–

श्रेणी	अनुसूचित जाति	जनजाति
प्रथम	3	–
द्वितीय	2	–
तृतीय	21	–
चतुर्थ	57	2

चूंकि विश्वविद्यालय परिनियमों में नियुक्तियों में आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है, अतएव इसका प्रश्न ही नहीं उठता । परिनियमों में आरक्षण का प्राविधान कराने की कार्यवाही अलग से की जा रही है ।

श्री हरदेव–

क्या माननीय कृषि मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि हमारे संविधान में आरक्षण कोटा सरकारी सेवाओं के अलावा स्वायत्तशासी संस्थाओं निगमों, कृषि व अन्य विश्वविद्यालयों तथा प्राविधिक शिक्षा संस्थाओं आदि में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्ग में आरक्षण कोटा पूरा करने के लिए शासन ने समय समय पर शासनादेश जारी किए हैं तो इन शासनादेशों का अनुपालन/फैजाबाद कृषि विश्वविद्यालय में क्यों नहीं हो रहा है ? इसकी जानकारी में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मैंने इस संबंध में पहले भी निवेदन किया कि परिनियमों में यह आरक्षण व्यवस्था अब की जा रही है, परिनियमों में व्यवस्था न होने की वजह से फैजाबाद विश्वविद्यालय में आरक्षण कोटा पूरा नहीं हो सका। अब मान्यवर शीघ्र ही फैजाबाद विश्वविद्यालय में आरक्षण संबंधी व्यवस्था परिनियमों में करने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री शारदा नन्द अंचल–

माननीय मंत्री जी के उत्तर के संबंध में जैसा कि मा0 मंत्री जी ने कहा कि फैजाबाद विश्वविद्यालय में आरक्षण संबंधी सुविधा परिनियमों में नहीं थी, इसलिए वहां कोटा पूरा नहीं हो सका । जबकि माननीय प्रदेश सरकार ज्यादा से ज्यादा पैसा उसकी व्यवस्था में ही लगा रही है । विश्वविद्यालय फैजाबाद में यह आरक्षण संबंधी व्यवस्था कब तक पूरी हो जायेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

माननीय मैं इसी बात को दो बार पहले भी कह चुका हूं कि इस ओर आरक्षण संबंधी प्राविधान करने की कार्यवाही अलग से चल रही है और वह शीघ्र पूरी होगी ।

श्री गंगा प्रसाद वर्मा–

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो आरक्षण सुविधा हर विभाग में है, परन्तु विश्वविद्यालय, फैजाबाद में यह व्यवस्था लागू करने के लिए क्यों संकोच से काम ले रहे हैं । क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे आरक्षण संबंधी प्राविधान वहां पर लागू करने में और कितना समय लेंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

माननीय इसमें किसी प्रकार के संकोच की कोई बात नहीं है, इसमें हम प्राविधान करा रहे हैं और वह जल्दी हो जायेगा ।

प्रदेश के कतिपय क्षेत्र में रबी व खरीफ की फसलों की उत्पादन लागत को हटाने की योजना

*2–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पूर्वी पश्चिमी मध्य तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्रों में वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 की रबी में गेहूं चना मसूर तथा जौ एवं 1986 तथा 1987 खरीफ में धान की प्रति कुन्तल औसत उत्पादन लागत क्या क्या थी ? क्या इस लागत को घटाने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो क्या ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

प्रदेश के पूर्वी, पश्चिमी, मध्य तथा बुन्देलखण्ड क्षेत्रों के लिए अलग से प्रति कुन्तल औसत उत्पादन लागत के अनुमान उपलब्ध नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जो प्रश्न में आइटेम अनाज के दिए गये हैं इनके वर्ष 85-86 व 86-87 के उत्पादन के कोई भी आंकड़े क्या सरकार के पास उपलब्ध हैं, यदि हां तो वह क्या हैं और दूसरी बात यह कि इन खाद्यान्नों की उत्पादन लागत क्या है और इस लागत को घटाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? तो इस प्रश्न पर आपने यह उत्तर दिया है कि प्रश्न नहीं उठता है, जरा इसको स्पष्ट कर दीजिए कि इस ओर आप क्या करने जा रहे हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जहां तक उत्पादन लागत कम करने की बात है, यह बात कोई विचार की नहीं है, इसके लिए हम स्वयं ऐसे कई कार्य-क्रम चला रहे हैं, कई नई तकनीक का भी प्रयोग करने जा रहे हैं, इस प्रकार से प्रदेश को 12 जोन्स में बांटा गया है और प्रत्येक की क्लाइमेटिक स्थिति के हिसाब से खेतों की पैदाबार होगी । इसलिए कृषि विश्वविद्यालय इस काम में लगा हुआ है, और खासतौर से फर्टीलाइजर के बैलेन्स की और व अन्य नई तकनीक को इस्तेमाल में लाने के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और जहां तक सम्मानित सदस्य के प्रश्न का सवाल था वह दूसरे किस्म का सवाल था इसलिए उसमें इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि चन्द्र शेखर आजाद कृषि विश्विद्यालय के कृषि एवं अर्थ शास्त्र विभाग ने अध्ययन करके कृषि मूल्यों की लागत को निकालने के लिये कोई पुस्तिका प्रकाशित की है और कृषि विभाग को सुपुर्द की है । माननीय मंत्री जी 26 तारीख को एक सेमीनार का उद्घाटन करने के लिये वहां पर जा रहे हैं, तो मैं जानना चाहता हूं कि वर्ष 1985-86 और वर्ष 1986-87 की जो अध्ययन रिपोर्ट है, उसके अनुसार गेहूं और गन्ने की कास्ट आफ प्रोडक्शन क्या है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मेरे मित्र वर्मा जी बड़े विद्वान सदस्य हैं, इस बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है । बरार साहेब ने प्रश्न कुछ पूंछा है और उनकी मंशा कुछ है । उस मंशा को वह भी समझते हैं और मैं स्वयं भी समझता हूं । यह सपोर्ट प्राइस के सिलसिले में जानना चाहते हैं ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

नहीं, नहीं । मैं जो प्रश्न पूंछ रहा हूं उसका उत्तर माननीय मंत्री जी नहीं दे रहे हैं और मेरे ऊपर आक्षेप कर रहे हैं ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

यह मंशा नहीं है, केवल लागत मूल्य जानना चाहते हैं ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मैं आक्षेप नहीं कर रहा हूं, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता और होशियारी की बात कर रहा हूं कि उनका इरादा कुछ है और नजर दूसरी जगह पर है ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

आप शासन की मंशा को बता दें ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

इस सदन में कई बार यह बताया जा चुका है और माननीय सदस्य जानते हैं कि जो यहां जो सपोर्ट प्राइस हम लोग संस्तुति करते हैं वह गोपनीय रखी जाती है, उसकी जानकारी आम जनता को नहीं दी जाती है ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मेरा यह प्रश्न नहीं है ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

माननीय मंत्री जी उत्तर नहीं देना चाहते हैं ।

श्री अध्यक्ष–

बरार जी आप अपना प्रश्न कर लें ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मैंने तो सपोर्ट प्राइस का जिक्र ही नहीं किया है । जो लागत मूल्य है, उसको मंत्री जी बता दें। शासन की दृष्टि में इन अनाजों की लागत मूल्य क्या रहा है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जैसा पहले निवेदन किया कि बरार साहेब की मंशा यह है कि . . .

(व्यवधान के मध्य)

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

यह कहां पूछ रहे हैं ?

श्री जयदीप सिंह बरार–

यह उत्पादन लागत नहीं बता सकते हैं । यह सरकार क्या निर्णय कर सकती है ? समर्थन मूल्य तो यह बता ही नहीं सकते हैं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

श्रीमन् बरार साहेब ने सवाल किया है, वह स्पष्ट है । उसका उत्तर देने में क्या कठिनाई है, कितनी लागत लगी है । आप कह रहे हैं कि सपोर्ट प्राइस, सवाल कुछ है और बता कुछ रहे हैं । कितनी लागत आती है, यह बताने में मंत्री जी को क्या दिक्कत है । क्या यह गोपनीय है । क्या इसका आकलन नहीं किया गया है ? मैं चाहूंगा कि आप इसका उत्तर दिलावें। फिर यह लोग कहते हैं कि विपक्ष के लोग सवाल नहीं करने देते । मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इसका स्पष्ट जवाब दे दें कि कितनी लागत आती है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा और जैसा कि मैंने निवेदन किया कि सम्मानित सदस्य बरार साहब इस प्रश्न को पूछकर यह जानना चाहते हैं . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय कृषि मंत्री जी, आप सीधे-सीधे यह जवाब दे दें कि यह पोजीशन है ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैंने बहत ही स्पष्ट शब्दों में और बहुत ही नम्रता के साथ, इसमें कोई नाराजगी की बात नहीं है. . . (व्यवधान) । यह जो प्रश्न है उसके पीछे जो मूल मंशा है . . . (व्यवधान)

(श्री जयदीप सिंह बरार सहित कई सदस्यों के खड़े होकर एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष–

कृपया शांत रहें ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मेरी बात सुन लें . . . (व्यवधान)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, यह कोई टेढा मेढा सवाल भी नहीं है । इसमें हमें आपकी मदद की जरूरत है । आप मंत्री जी को निर्देशित कीजिये कि वह धान, गन्ना, गेहूं व चावल जो भी हो उसका लागत मूल्य क्या है ? इसको बता दें । बरार साहब क्या चाहते हैं ? यह अलग चीज है । शासन क्या चाहता है ? वह बता दें । आप सन् 85-86 के बारे में इतना बता दें किसानों का गेहूं, चावल, गन्ना जो भी हो, उसका लागत खर्चा कितना आया है ?, इधर-उधर क्यों जा रहे हैं ? या तो यह कहिये कि हम बताना नहीं चाहते हैं या आपको जानकारी नहीं है । हम नहीं समझते थे कि कृषि मंत्री जी इतने इंकम्पीटेन्ट होंगे । आप किसानों की सबसे ज्यादा हमदर्दी करने वाले इतनी अयोग्यता क्यों दिखा रहे हैं ? आप नहीं बताना चाहते हैं । आप किसानों के साथ लूट कर रहे हैं । रैली का भी तमाशा करते हैं, किसानों को धमकी देते हैं और इतना नहीं बता सकते कि उनके धान और गन्ने का कितना लागत कितना खर्चा आता है । अगर नहीं जानते हैं तो ऐसे अयोग्य मंत्रियों को मंत्रिमंडल में रहने की जरूरत नहीं है, उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मुलायम सिंह जी ने अयोग्यता की बात कही । पहले मैं उसका जवाब दे देना चाहता हूं । . . . (व्यवधान के मध्य) । मान्यवर, मैंने तो बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस बारे में सदन में कई बार चर्चा हो चुकी है . . . (शोर होने पर) । जरा धैर्य रखिये । मुझे पूरी बात कहने का मौका दें । आपके लिये तो हम अयोग्य हैं । मान्यवर, जहां तक लागत मूल्य का सवाल है, जैसा कि मैंने पहले आपसे निवेदन किया बरार साहब और हमारे कई मित्र कई बार इस प्रश्न को किसी न किसी रूप में लाकर जो गोपनीय बात है, उसको सामने लाना चाहते हैं । . . .

(व्यवधान)

श्री भगौती सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से स्पष्ट उत्तर दिला दें, यह स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि अनाजों की लागत क्या आती है ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय कृषि मंत्री जी आप स्पष्ट जबाब मेहरबानी करके दे दें, ताकि हम आगे बढ़ें ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, ऐसा नहीं है कि मैं किसी प्रश्न का उत्तर देने से कतराता हूं या मैं प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता हूं ऐसा नहीं है । मैं इस बात पर यकीन करता हूं कि सदन को ज्यादा से ज्यादा जानकारी दी जाय । मैं किसी बात को छुपाना नहीं चाहता हूं ।

श्री रघुबर दयाल शर्मा–

मान्यवर, फिर वह इस तरह से समय बर्बाद कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय कृषि मंत्री जी मैं इस प्रश्न को प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सुपुर्द करता हूं ।

आवास विकास परिषद् द्वारा चौड़ी सड़कों व पार्कों के किनारे बने भवनों की केवल नकद मूल्य पर दिये जाने पर आपत्ति

*3–श्री राजित प्रसाद यादव–

क्या आवास मंत्री को ज्ञात है कि उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा विभिन्न योजनाओं में चौड़ी सड़कों के किनारे के पार्कों के सामने स्थित, कार्नर के भवनों या भूखण्डों को केवल नकद मूल्य पर पंजीकृत व्यक्तियों को आवंटित किया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या परिषद् की योजनाओं से विस्थापित व्यक्तियों को इन भवनों/भूखण्डों को किश्त पर आवंटित करने के आदेश मंत्री जी देने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् भूखण्डों तथा भवनों के पंजीकरण एवं प्रदेशन संबंधी विनियम 1979 (संशोधन विनियम जून, 1986) के नियम–28 में आवास एवं विकास परिषद् द्वारा निर्मित भवनों/भूखण्डों को निर्धारित प्रतिशत तक नकद क्रय पद्धति पर प्रदिष्ट किये जाने का प्राविधान है । आवास एवं विकास परिषद् के अपने स्वयं के वित्तीय संशाधन नहीं हैं । भवनों के निर्माण कार्य एवं विकास कार्य को पूर्ण करने हेतु आवास एवं विकास परिषद् को बैंकों एवं अन्य संस्थाओं से ऋण प्राप्त करना पड़ता है । आवास एवं विकास परिषद् के वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ रखने हेतु तथा निर्धारित प्रतिशत तक सम्पत्ति नकद पर विक्रय करने के उद्देश्य को ध्यान में रखकर आवास एवं विकास परिषद् द्वारा नकद मूल्य पर चौड़ी सड़कों के किनारे के, पार्कों के सामने स्थित कार्नर के भवनों अथवा भूखण्डों को पंजीकृत व्यक्तियों को आवंटित किये जाने का प्राविधान रखा गया है ।

जी नहीं ।

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् भूखण्डों एवं भवनों के पंजीकरण एवं प्रदेशन संबंधी विनियम 1979 (संशोधित विनियम जून, 1986) के अन्तर्गत नकद मूल्य की सम्पत्ति को किश्त पर प्रदिष्ट किये जाने का प्राविधान नहीं है । परन्तु उक्त विनियम के नियम 28 (4) में नकद पर आवंटित सम्पत्ति को विशेष परिस्थितियों में आवंटी की कठिनाइयों को दृष्टि में रखते हुए विधिवत् शुल्क आदि जमा करने पर नकद से किश्त में विकल्प परिवर्तन का प्राविधान पहले से ही विद्यमान है ।

श्री राजित प्रसाद यादव–

मान्यवर, क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जिन किसानों की भूमि आवास योजनाओं में ली जाती है उनको 8-10 साल हो जाते हैं . . . .

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, आवाज नहीं आ रही है ।

श्री अध्यक्ष–

कृपया माइक पर बोले ताकि आपका प्रश्न सुना जा सके ।

श्री राजित प्रसाद यादव–

मान्यवर, क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जिन किसानों की भूमि आवास योजनाओं में ली जाती है उन्हें 8, 10 साल हो जाते हैं मुआवजा नहीं मिलता है । ऐसी स्थिति में वे कैसे नकद मूल्य पर भवन या भूखण्ड खरीद सकते हैं ?

अत: क्या आप नियमों में संशोधन करके विस्थापित लोगों को कार्नर के भूखण्ड आदि देने पर विचार करेंगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, जो विस्थापित लोग हैं उनके लिये सुविधायें दी हुई हैं । मान्यवर, जैसा कि कहा कि धन की उपलब्धता हमको जरूरी है चूंकि बैंकों से ऋण लेकर किसानों से यह भूखण्ड लेते हैं । इसलिये जो कार्नर के प्लाट रखे जाते हैं उनका पूरा पैसा लिया जाता है और जो गरीब लोग हैं उनको किश्तों पर हम भूखण्ड आवंटित कर सकें, अन्य कामों में जहां धन की जरूरत होती है वहां खर्च कर सकें एवं बैंकों के ऋण की अदायगी कर सकें । लेकिन जो विस्थापित लोग हैं उनको प्राथमिकता देते हैं और अगर कोई विस्थापित व्यक्ति भूखण्ड चाहता है और अपनी कोई विशेष परिस्थिति बताता है कि उसको कठिनाई है तो उसको किश्तों पर हम प्लाट देने पर विचार करते हैं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, जो विस्थापित किसान हैं उनको भवन और भूखण्ड किश्तों पर आवंटित करने पर मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि विचार करेंगे । मान्यवर, जिनकी खेती पर जीविका निर्भर है और उनकी जमीन ले ली जाती है तो ऐसे विस्थापित लोगों को भवन और भूखण्ड देने की सरकार की जो नीति है उसी तरह दुकानों को किश्तों पर विस्थापित लोगों को क्या सरकार आवंटित करने पर विचार करेगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

इस पर जरूर विचार कर लेंगे ।

श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, सरकार जिन किसानों की जमीन लेती है और उनका पैसा आप पर रहता है जो उनको 8-10 सालों में मिलता है । कार्नर प्लाट विस्थापित लोगों को आप नहीं देते हैं और कैश पर ही देते हैं, तो कैश तो पहले ही उनका आपके पास जमा है चूंकि उनकी जमीन लिया है, तो आपको कार्नर प्लाट देने में क्या परेशानी है ? कार्नर प्लाट देने चाहिए ।

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, जो कम्पेन्सेशन होता है वह उनको देते हैं, तो वह हमको दें प्लाट के एवज में ।

श्री राजेन्द्र सिंह–

इसका पूरा और सही उत्तर मंत्री जी नहीं दे पाए हैं । नहीं दे पाए, तो इसको आप या तो आप स्थगित कर दें या फिर इसका इनसे ठीक से और स्पष्ट उत्तर आप दिलायें। यह तो उत्तर देने में असमर्थ हैं। जब जमीन आपने किसान की ले ली तो पैसा आप पर हमारा ड्यू है, हम यह कहते हैं कि उस पैसे के एवज में किसान अपना कार्नर का प्लाट लेना चाहता है तो आपको इसमें क्या कठिनाई है । उसका पैसा तो आपके पास जमा ही है जो आपको देना है । आप कहते हैं कि कैश पर हम देते हैं, तो आप कैश पर दे दीजिए, हमारा पैसा काट लीजिए, वह तो आपके पास जमा है . . (व्यवधान) खान गुफरान जाहिदी जी ही बता दें यदि वह बताना चाहते हैं, वह अच्छी तरह बता सकते हैं । वह आवास विकास परिषद् के अध्यक्ष हैं, वह बता सकते हैं ।

(श्री फसीउर्रहमान द्वारा उत्तर देने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप उत्तर नहीं दे सकते हैं, आप बैठिये । आप कृपा करके बैठ जाइये ।

(व्यवधान)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

आप इस प्रश्न का समय बढ़ा दीजिए, जितना समय यह ले रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी आप राजेन्द्र सिंह के प्रश्न का उत्तर दे दें ।

श्रीमती पद्मा सेठ–

जो कम्पेन्सेशन देना है उसका अवार्ड होता है, वह हम उसको देते हैं । हमारे सामने कठिनाई है, हम जो बैंकर्स और दूसरे संस्थाओं से पैसा लेते हैं, हमको उसकी ऋण अदाएगी समय पर करनी पड़ती है । हम विस्थापितों को पूरी प्राथमिकता देते हैं, हमने हर उसमें कई सुविधाएं भी दी हुई हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब हम आगे बढ़ते हैं ।

(व्यवधान के मध्य)

माननीय मंत्री जी, राजेन्द्र सिंह जी के प्रश्न का स्पष्ट उत्तर दे दें, उनका सवाल है कि किसानों का भी आप पर पैसा होता है, तो आप उनके पैसे का कार्नर प्लाट उनको क्यों नहीं देती हैं ?

(मंत्री जी द्वारा उत्तर देने हेतु खड़े न होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीया मंत्री जी ।

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, हमने जवाब तो दे दिया । हमारे ऊपर बड़ी कठिनाई है, उनकी हमें पैसा देना होता है, जिनसे हम पैसा लेते हैं . . .

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

जो राजेन्द्र सिंह जी का सवाल आया है, उस पर कृपा करके आप विचार कर लें।

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां, विचार कर लेंगे ।

(व्यवधान)

सूखे से नष्ट अगैती आलू व सरसों की फसल के लिए क्षतिपूर्ति की मांग

*4–श्री सरदार सिंह–

क्या कृषि मंत्री की जानकारी है कि सरकार द्वारा बुआये गये अगैती आलू एवं सरसों की फसल अधिक तापमान के कारण पूरे प्रदेश में नष्ट हो गयी है जिससे किसान को भारी हानि उठानी पड़ी है ? यदि हां, तो सरकार क्षतिपूर्ति के लिये किसानों की क्या मदद कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

(तारांकित प्रश्न संख्या–4 उत्तर पढ़ने के उपरांत श्री राजित प्रसाद यादव के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

यादव जी आप बैठें अब मैं आगे बढ़ गया हूं ।

श्री राजित प्रसाद यादव–

मान्यवर, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया ।

(श्री राजित प्रसाद यादव द्वारा निरन्तर खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

यादव जी आप मेहरबानी करके बैठें अगर आप नहीं बैठेंगे तो मुझे आपसे सदन छोड़ने के लिये कहना पड़ेगा । आप जो बार-बार खड़े हो जाते हैं यह बुरी आदत है । इसको आप छोड़ें । श्री सरदार सिंह जी आप प्रश्न पूछें ।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, मंत्री जी कृषि के पंडित हैं, इन्होंने मान्यवर हर जिले में जाकर इस बात का प्रचार किया कि किसान सूखे से बचने के लिए अगैती आलू और सरसों की बुआई कर दें, किसानों ने इनकी बात मानकर अगैती आलू और सरसों बो दी और यह दोनों ही सड़ गये । किसान को तीन-तीन बार बुआई करनी पड़ी, जिससे किसान का बहुत नुकसान हुआ, तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आप इस पूरे प्रकरण की उच्च न्यायाधीश से जांच करा दें और जो किसानों का नुकसान हुआ है उसकी क्षति पूर्ति करें और जिन विशेषज्ञों ने यह राय दी उनके खिलाफ कार्यवाही करें ।

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, इस वर्ष वर्षा कम हुई । बहुत से खेत खाली थे लिहाजा यह राय किसानों को दी गयी कि अगैती आलू की खेती किसान करें और 10 अक्टूबर तक बुआई कर लें और बीस डिग्री सेल्सियस तक टेम्प्रेचर हो तो बुआयी करनी चाहिये । तो मान्यवर उसका नतीजा यह हुआ, 7 हजार हेक्टेयर में अगैती आलू की खेती होती थी, इस बार 36 हजार कुछ हेक्टेयर में अगैती आलू की खेती हुई।

और चार लाख टन के करीब अगैती आलू प्रदेश में पैदा हुआ और इसका असर यह हुआ कि किसानों को भी फायदा मिला और जो बाजार में त्राहि-त्राहि मचती थी वह भी नहीं हुई । हमारी सरकार ने इसमें दो करोड़ के लगभग रुपया खर्च किया ।

(व्यवधान)

जहां तक इनका दूसरा प्रश्न था कि सरसों बोने के लिये कहा गया तो इसमें ऐसा नहीं था । तोरिया बोने की राय किसानों को दी गयी थी । सरसों बोने की राय नहीं दी गयी। सरसों सितम्बर में नहीं बोई जाती है। किसानों को तोरिया बोने की राय दी गयी थी कि वह 15 सितम्बर तक तोरिया बोलें। मैं एक खुशी की बात यह बताना चाहता हूं कि सामान्यतः 90 हजार हेक्टेयर में तोरिया बोई जाती थी लेकिन इस वर्ष 4 लाख हेक्टेयर से अधिक तोरिया बोई गयी और उसके नतीजे बहुत अच्छे हैं ।कहीं कहीं पानी बरस जाने के कारण किसानों को कठिनाई आयी है । जहां पर जो राय टेम्प्रेचर आदि की दी गयी थी उसका पालन नहीं किया गया तो वहां पर थोड़ी कठिनाई आयी है । वैसे यह कार्यक्रम बहुत सफल रहा है और किसानों को बहुत लाभ हुआ है ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, क्या माननीय मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि अगैती आलू के लिये जो वायदा किया गया था कि जो किसान इसे बोयेंगे उनको अनुदान दिया जायगा तो सरकार ने इसके लिये कितना अनुदान निर्धारित किया था और उसमें से कितना बांटा गया ? क्या इस अनुदान की सरकारी अधिकारियों और कृषि विभाग के लोगों द्वारा खाये गये जाने की शिकायतें आयी हैं?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, ढाई करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया था जिसमें से 2 करोड़ 2 लाख रुपाो से अधिक किसानों को बांटा गया है। इस बारे में कुछ जिलों से शिकायतें मिली थीं तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है । 2 जिला उद्यान अधिकारियों को निलम्बित किया गया है। एक जिला उद्यान अधिकारी के विरुद्ध सतर्कता प्रकोष्ठ द्वारा जांच की जा रही है 15 अराजपत्रित कर्मचारियों को मुअत्तल किया गया है। एक जिला उद्यान अधिकारी के खिलाफ विभाग के जरिये जांच हो रही है। जिन लोगों ने इस सिलसिले में कोई गड़बड़ी की है और जो भी शिकायतें हमारे पास आयी हैं, जैसे कि मा0 बाबू राम जी ने मैनपुरी के बारे में शिकायत की थी और मा0 रघुबीर सिंह जी ने भी शिकायत की थी, तो उसकी जांच करायी जा रही है।

श्री जनार्दन प्रसाद अभ्भा–

मान्यवर, अनुदान की धनराशि जो बांटी गयी है उसके सम्बन्ध में शिकायतें देवरिया से भी आयी हैं और वे बहुत सटीक शिकायतें थी तो उस सम्बन्ध में क्या जांच करायी गयी और क्या कार्यवाही हुई है, यह मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जहां-जहां से शिकायतें आयी हैं उनकी जांच की जा रही है। मुझे स्मरण नहीं है, अगर देवरिया से शिकायत आयी होगी तो जैसा मैंने निर्देशित किया है कि जहां-जहां से शिकायतें आयें उनकी जांच की जाय । सम्मानित सदस्य अगर कुछ विशिष्ट शिकायत दे देंगे तो उसकी भी जांच करवा लेंगे ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अभी बताया था कि 2 करोड़ 2 लाख रुपया अनुदान के रूप में वितरित किया गया है। हमारी जानकारी है कि इसका आधा पैसा अधिकारियों ने खा लिया है। माननीय मंत्री जी ने यह भी बताया कि कुछ अधिकारियों को निलम्बित किया गया है और कुछ अधिकारियों के खिलाफ सतर्कता प्रकोष्ठ जांच कर रहा है। तो माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि कौन-कौन से जिला उद्यान अधिकारियों को निलम्बित किया गया है और किसके खिलाफ सतर्कता प्रकोष्ठ की जांच की जा रही है?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, वर्मा जी का यह कहना सत्य से परे है कि आधा रुपया अधिकारियों ने खा लिया है। यह जरूर है कि इस सम्बन्ध में कुछ जगहों से शिकायतें आयी हैं जिनकी जांच के आदेश दिये गये हैं और कार्यवाही की गयी है। जिला उद्यान अधिकारी मेरठ तथा जौनपुर को निलम्बित किया गया है । जिला उद्यान अधिकारी, मैनपुरी के खिलाफ सतर्कता प्रकोष्ठ के जरिये जांच हो रही है। बाराबंकी के सम्बन्ध में आपने शिकायत की है उसकी जांच हो रही है । जहां-जहां से शिकायतें आयी हैं उनकी जांच हो रही है।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

सरकार की गलत नीतियों के कारण किसानों को नुकसान हुआ है, इसलिए मैं अपने दल के साथ सदन का त्याग करता हूं।

(श्री शतरुद्र प्रकाश अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

(श्री जयदीप सिंह बरार भी सदन त्याग कर चले गये)

मई, जून, 1987 में हुए चिकित्सा अधिकारियों के साक्षात्कार में सम्मिलित आरक्षित जातियों के आरक्षित पदों की संख्या तथा चयन

*5–श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विगत मई और जून, 1987 में कितने अभ्यर्थियों ने चिकित्साधिकारी के पद हेतु साक्षात्कार दिया था ? उनमें से कितने पद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित थे ? क्या आरक्षित पदों पर समस्त अभ्यर्थियों का चयन कर लिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और शासन इस पर क्या कार्यवाही कर रहा है?

चिकित्सा एवं जन-स्वास्थ्य मंत्री (श्री लोकपति त्रिपाठी)–

शासन द्वारा लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश से एलोपैथिक चिकित्साधिकारियों के 2023 पदों को भरने के लिये निवेदन किया गया था। इनमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग के आरक्षण के लिए पदों की संख्या निम्नवत् है :—

संवर्ग	अनु0 जाति	अनु0 जनजाति	पिछड़ी जाति
मैदानी	291	33	243
पर्वतीय	73	8	60
योग	364	41	303

अप्रैल, मई, जून एवं जुलाई, 1987 में सभी वर्ग के 1579 अभ्यर्थी इन पदों के साक्षात्कार हेतु आयोग के समक्ष उपस्थित हुए। इस साक्षात्कार में अनुसूचित जाति के 136, अनुसूचित जनजाति के 4 एवं पिछड़े वर्ग के 103 अभ्यर्थी चयनित किये गये। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के आरक्षित शेष रिक्तियों को अगले चयन के लिए अग्रेनीत किया गया है। पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये शेष रिक्तियों को अगले चयन के लिए अग्रेनीत नहीं किया जाता है इसलिये वे रिक्तियां सामान्य अभ्यर्थियों से भरी जाने की कार्यवाही की गयी है।

आयुर्वेदिक एवं यूनानी तथा होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पद हेतु विगत मई और जून, 1987 में कोई साक्षात्कार नहीं लिया गया है।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

माननीय, माननीय मंत्री जी द्वारा मूल प्रश्न के एक अंश का उत्तर छूट गया है। क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कुल कितने लोग लोक सेवा आयोग के सामने साक्षात्कार हेतु उपस्थित हुए थे ? ये सब वांछित अर्हतायें रखते हैं, फिर भी शासन की नीति के अनुसार उनकी मैरिट को घटाकर उनका चयन आरक्षित पदों पर क्यों नहीं किया गया ? क्या 364 रिक्तियों (2023) में से, इसके अलावा पिछले सालों की अग्रनीत की गयी और भी रिक्तियां हैं, उनकी क्या संख्या है ? ये रिक्तियां पिछले साल और इस वर्ष को मिला कर कुल कितनी हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्रीमन्, 2023 पदों के लिए लोक सेवा आयोग ने कार्यक्रम निर्धारित किया था । इन 2023 पदों के विपरीत केवल 1584 व्यक्ति लोक सेवा आयोग के समक्ष साक्षात्कार हेतु उपस्थित हुए । इनमें 5 व्यक्ति साक्षात्कार हेतु अर्हत नहीं पाये गये । 1579 व्यक्ति साक्षात्कार हेतु अर्हत पाये गये । साक्षात्कार के उपरान्त 1541 लोगों की नियुक्ति की संस्तुति आ चुकी है, अभी 38 लोगों की सूचना आनी बाकी है।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी–

माननीय मंत्री जी एक इसका उत्तर नहीं आया है . . .

श्री अध्यक्ष–

माननीय विद्यार्थी जी मैंने इधर बुलाया है।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि यह सही है कि जो शिड्यूल कास्ट, शिड्यूल ट्राइब्स के लिए जो जगह है वह खाली है यहां यह समस्या भी अपनी जगह है कि बहुत से स्थान रिक्त होने की वजह से गांवों में जो अस्पताल हैं उनका फायदा आम जनता को नहीं पहुंच पाता है और यह एक बहुत बड़ा समाज और प्रदेश का नुकसान है तो कितना इस दरम्यान का रास्ता हो कि जनता को स्वास्थ्य का नुकसान भी न हो और इस कोटे का भी उल्लंघन न हो । क्या ऐसा हो सकता है कि 3 साल तक हम इन्तजार करें कोटे का, जो लोग, जो मैरिट आप बनाते हैं उस मैरिट पर नहीं आते हैं तो 3 साल का इन्तजार करने के बाद उन रिक्त स्थान को आप भर लें । आप रिक्त स्थानों का इंतजार कर रहे हैं और वह भर्ती नहीं हो पाती है इससे जो नुकसान हमारे प्रदेश को स्वास्थ्य का हो रहा है वह अपनी जगह बना हुआ है। क्या कोई बीच का रास्ता जिससे स्वास्थ्य का नुकसान न हो उसकी भी एक लिमिट मान लें । अगर इस मैरिट पर लोग नहीं आते हैं तो कब तक उसका इन्तजार करेंगे इस पर विचार करने का कष्ट करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

श्रीमन्, यह संविधान के अंतर्गत है खाली अनुसूचित जाति के नहीं सभी वर्गों में डाक्टर नहीं आये हैं। लोक सेवा आयोग में 2300 लोगों के लिए अध्याचन निकाला गया उसमें लगभग 1500 लोग ही आये । लगभग जो लोग आये वह भर लिये गये । यह जरूर है जो माननीय सदस्य ने कहा है कि अगर कोई स्थान रिक्त रह जाता है तो वह कितने दिनों तक रखा जायेगा आशा है कि 3 साल के अन्दर वह भर जायेगा ।

महानगर वाराणसी की महायोजना के सम्बन्ध में कतिपय जानकारी

*6–श्री शतरुद्र प्रकाश–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि महानगर वाराणसी की महा-योजना किस अधिनियम के अन्तर्गत बनायी गयी है और उसका कार्य काल कब तक का है? शासन ने उसे कब स्वीकृति दी थी तथा इस महायोजना का गजट नोटी-फिकेशन किस तारीख को किया गया ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

महानगर वाराणसी की महायोजना उत्तर प्रदेश (निर्माण कार्य विनियमन) अधि-नियम, 1958 के अंतर्गत बनायी गयी थी। इसका कार्यकाल वर्ष 1991 तक है।

वाराणसी की महायोजना की शासन द्वारा दिनांक 1-10-1973 को स्वीकृत प्रदान की गयी है। महायोजना को गजट में प्रकाशित किये जाने का प्राविधान नहीं है बल्कि इस महायोजना को नियमानुसार समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है।

श्री शतरूद्र प्रकाश–

मान्यवर, एक छोटा सा सवाल है । जो महायोजना तैयार की गयी है उसके बारे में 26 अप्रैल, 1972 को उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन 1960 में माननीय राज्यपाल महोदय ने संशोधन किया और यह किया कि एक महीना कम से कम आप-त्तियों के निस्तारण के लिए समय मिलना चाहिए । क्या यह सही है कि 10 मार्च, 1972 को अधिनियम बनते ही 14 दिन के अन्दर महानगर वाराणसी से यह योजना यहां पर आ गयी क्या बनारस से जो महायोजना यहां भेजी गयी ? क्या वह 10 क अधि-नियम के अनुसार बनायी गयी ? क्या इस सम्बन्ध में शासन ने कोई आपत्ति पत्र बनारस को भेजा है ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, इसके आपत्ति पत्र की कोई सूचना हमें नहीं है लेकिन वाराणसी महापालिका की योजना को उत्तर प्रदेश महापालिका 59 के अन्तर्गत बनाया गया था उसके बाद उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम 58 के लागू हो जाने के कारण महा योजना को उत्तर प्रदेश निर्माण कार्य विनियमन अधिनियम 58 के अन्तर्गत नियमानुसार कर दिया गया । मान्यवर, सब ने उस प्लान को जो पुराना बना था उसको एडाप्ट कर लिया है ।

श्री शतरूद्र प्रकाश–

मान्यवर, जो मैंने सवाल किया उसका उत्तर नहीं आया । नियम के अनुसार जो 10 क है उसके अनुसार बनाया नहीं गया है । मान्यवर, मेरा निवेदन है कि इस मास्टर पालिसी से बनारस का किसान बरबाद हो जायेगा । 750 रुपये बिस्वे के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है पांच रुपये वर्ग मीटर पर, तो मैं आपके जरिये से जानना चाहता हूं कि क्या मा0 मंत्री जी ऐसे मास्टर प्लान को, जिससे किसान बर्बाद हो गया है और भुखमरी के कगार पर पहुंच जायगा, ऐसे मास्टर प्लान को रद्द करने के बारे में क्या सरकार विचार करेगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मान्यवर, इसका परीक्षण हो रहा है, बहुत पुराना है, 1991 में समाप्त होगा । आप जैसा कह रहे हैं, इसके लिये हम विचार करेंगे ।

श्री मनोहर लाल–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि यह मामला केवल बनारस का ही नहीं है.

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ । (व्यवधान के मध्य)

श्री शतरुद्र प्रकाश–

यह मास्टर प्लान किसान विरोधी है, इसलिये मैं अपने दल के साथ एक मिनट के लिए सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री शतरूद्र प्रकाश अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

(अत्यधिक शोर होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैं कुछ सुन नहीं पा रहा हूं ।

एच0 सी0 एल0 से टी0 एल0 पी0 खादों का कोटा स्वीकृत करने के बारे में जानकारी

*7–डा0 शिवानन्द नौटियाल–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 में एच0 सी0 एल0 से टी0 एस0 पी0 खाद का कोटा कब से स्वीकृत है और वह प्रदेश के किन-किन क्षेत्रों अथवा गोदामों में सप्लाई किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या यह सही है कि इस प्रकार की खाद का कोटा प्रदेश को दिए जाने पर भी वह सीधे बम्बई की किसी फर्म को बेंच दी जाती है ? यदि हां, तो इसके लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

नोट :–तारांकित प्रश्न संख्या 6 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हुआ ।

स्वास्थ्य विभाग में संयुक्त निदेशक से अतिरिक्त निदेशक के पद पर हुई पदोन्नति में धांधली का मामला

*8–श्री कौशिक रमाशंकर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनकी जानकारी में है कि स्वास्थ्य विभाग में अभी हाल में संयुक्त निदेशक से अतिरिक्त निदेशक के पदों पर की गयी प्रोन्नतियों में विभाग द्वारा वरिष्ठता सूची को आधार नहीं बनाया गया है ? यदि हां, तो क्यों और प्रोन्नतियों में कौन से मापदण्ड रखे गये ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं ।

हाल में पी एम0 एच0 एस0 संयुक्त निदेशक ग्रेड से अपर निदेशक ग्रेड में प्रोन्नति के लिये पात्र अभ्यर्थियों की सूची वरिष्ठता के आधार पर तैयार की गयी थी । चयन का मापदण्ड "श्रेष्ठता" ही निर्धारित था । "श्रेष्ठता" के आधार ही पर उपयुक्त पाये गये अधिकारियों को प्रोन्नत किया गया ।

कृषि उपकरणों एवं खाद व बीजों की खरीद में 50 प्रतिशत ब्याज मुक्त अनुदान दिए जाने की मांग

*9–श्री हरेन्द्र सिंह–

क्या सरकार सूखे की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए किसानों को खाद बीज तथा अन्य कृषि उपकरणों की खरीद पर 50 प्रतिशत अनुदान देने की घोषणा कर ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने का कष्ट करेंगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी हरेन्द्र सिंह–

सूखा राहत कार्यों हेतु प्राप्त केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत लघु एवं सीमान्त कृषकों को 25 तथा 33 1/3 प्रतिशत की दर से समस्त उर्वरकों (एन0 पी0 के0) पर अनुदान अनुमन्य किया गया है । खाद, बीज और उर्वरकों पर ब्याज मुक्त ऋण देने की कोई योजना नहीं है ।

एल0 के0 एल0 कालोनी अलीगंज लखनऊ के संबंध में निर्माण व हस्तान्तरण की जानकारी

*10–श्री राम शरण दास–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एल0 के0 एस0 कालोनी अलीगंज का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ और निर्माण होकर कब पूर्ण हुआ तथा इस कालोनी को किस दिनांक तथा माह में राज्य सम्पत्ति विभाग ने कितनी धनराशि में खरीदा ? सभी सुविधाओं सहित राज्य सम्पत्ति विभाग को उक्त कालोनी कब हस्तान्तरित की गयी तथा हस्तान्तरित करने में कितना समय लगा ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

1–अलीगंज योजना के सेक्टर-के/एस में जो कालोनी राज्य सम्पत्ति विभाग को हस्तान्तरित की गई है उन भवनों का निर्माण माह फरवरी, 1984 में प्रारम्भ हुआ था, और माह अक्टूबर, 1984 में निर्माण पूर्ण हुआ था ।

2–उक्त कालोनी में 2 कमरे वाले 2 मंजिले भवनों को क्रय करने के लिए दिनांक 17/7/86 को रु0-52,60,445/-की धनराशि प्राप्त हुई ।

3–15 दिसम्बर, 1987 को राज्य सम्पत्ति विभाग के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग अनुरक्षण खण्ड-3 को हस्तान्तरित की गई ।

4–कालोनी को हस्तान्तरण करने में लगभग एक वर्ष पांच माह का समय लगा ।

परिवार कल्याण कर्मचारियों के विभिन्न संवर्गों के लिए निर्धारित नसबन्दी कोटा

*11–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि परिवार कल्याण कर्मचारियों के लिए नसबन्दी एवं अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ? यदि हां, तो किस सम्वर्ग के लिए कितना-कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इसका औचित्य क्या है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

परिवार कल्याण कर्मचारियों के लिए नसबन्दी एवं अन्य संबंधित कार्यक्रमों के लिए निदेशक परिवार कल्याण के संलग्न परिपत्र संख्या-प0क0/2/अति0 निदे0 (कैम्प) नीति/86–87/5570-69 दिनांक 19 सितम्बर, 1986 में संहत रूप से अंकित लक्ष्य निर्धारित हैं । इन लक्ष्यों के निर्धारण का यह औचित्य है कि इन उपलब्ध मानकों के आधार पर कार्य का मूल्यांकन किया जा सके ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 172-174 पर)

*12–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[3रे गुरुवार के लिए स्थगित]

लखनऊ नगर महापालिका की सीमा के अन्तर्गत आने वाले ग्रामों की समस्यायें एवं उनका निदान

*13–श्री शारदा प्रताप–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का कोई पत्र दिनांक 10 सितम्बर, 1987 जो लखनऊ शहर के चारों तरफ 10 कि0मी0 के क्षेत्र को लखनऊ नगर महापालिका की सीमा में सम्मिलित किये गये 80 गांवों के विकास एवं अन्य समस्याओं के संबंध में था प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो समस्याओं के निराकरण के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

80 ग्रामों में से 13 ग्रामों में मलिन बस्ती पर्यावरण सुधार योजना बनाई जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

*14–श्री राम चन्द्र बख्श सिंह–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

कृषि उत्पादों को अन्तर्जिला/अन्तर्प्रदेश के बाजारों में लाभकारी मूल्य दिलाने हेतु चुंगी से अधमुक्त करने पर विचार

*15–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विगत वर्ष में सूखे एवं अति-वृष्टि से प्रभावित प्रदेश के कृषकों को राहत पहुंचाने के उद्देश्य से उनके कृषि उत्पादों को जनपद/प्रदेश के बाहर के बाजारों में उपयोगी मूल्य दिलाने के उद्देश्य से चुंगी आदि की व्यवस्था को समाप्त किये जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन है? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो ऐसी जन-उपयोगी योजना बनाने में सरकार को क्या आपत्ति है?

श्रीमती पद्मा सेठ–

ऐसा कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन नहीं है। चुंगी नगर स्थानीय निकायों की आय का प्रमुख स्रोत है। स्थानीय निकायों की जर्जर आर्थिक स्थिति एवं बढ़ते हुए व्यय तथा दायित्वों को देखते हुए कृषि उत्पादों को चुंगी आदि से मुक्त किया जाना सम्भव नहीं है।

सिविल लाइन इलाहाबाद में सागरपेशा में रहने वाले हरिजनों को उजाड़ने की कार्यवाही

*16–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा इलाहाबाद सिविल लाइन सागरपेशा में रहने वाले हरिजनों को न उजाड़ने सम्बन्धी कोई पत्र दिनांकित 13-7-86 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो वह क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो मंत्री जी उसका पता लगाकर तत्काल कार्यवाही कराने का कष्ट करेंगे ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

सागर पेशा में रहने वाले हरिजनों को न उजाड़ने के संबंध में पत्र दिनांकित 13-7-86 शासन में अथवा नगर महापालिका में प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

*17–श्री राम सजीवन–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

*18–श्री लक्ष्मी नारायण–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

*19–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

[अगले गुरुवार के लिए स्थगित]

*20–श्री पूरन सिंह साहरा–

[3रे सोमवार में तारा0 प्र0 सं0 6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

अतारांकित प्रश्न

राजकीय कृषि बीज भण्डार बाल बुजुर्ग विकास खण्ड सरदार नगर जनपद गोरखपुर में कार्यरत सहायक कृषि निरीक्षक द्वारा कथित गबन के सम्बन्ध में कृत कार्यवाही

1–श्री सूर्य प्रताप शाही–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के सरदार नगर विकास खण्ड में स्थित राजकीय कृषि बीज भण्डार बाल बुजुर्ग पर कार्यरत वर्तमान सहायक कृषि निरीक्षक 10 वर्षों से वहीं एक ही स्थान पर कार्यरत हैं और उसने यू0 पी0 एग्रो गोरखपुर तथा कृषि वर्कशाप बेतालपुर से प्राप्त यंत्रों के मूल्य लगभग एक लाख छब्बीस हजार रुपये का गबन कर लिया है? यदि हां, तो उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि सम्पूर्ण प्रकरण की जांच कितनी अवधि के अन्दर करा कर उसे दण्डित करने का कष्ट करेंगे?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां। जून, 81 में इस कर्मचारी के स्थानान्तरण का आदेश किया गया था किन्तु उसने माननीय लोक सेवा अधिकरण से उस आदेश को स्थगित करा लिया है।

जांच से गबन का कोई मामला प्रकाश में नहीं आया।

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र हैसर बाजार, बस्ती के प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा वर्ष 1986-87 में किये गये नसबन्दी आपरेशन

2–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रा0 स्वा0 केन्द्र हैसर बाजार, बस्ती के प्रभारी चिकित्साधिकारी, डा0 आनन्द मोहन गुप्ता ने वर्ष 1986-87 में एवं 15-9-87 तक किन-किन प्रा0 स्वा0 केन्द्रों पर किसकी-किसकी नसबन्दी आपरेशन की है ? उनके नाम एवं पते क्या हैं तथा उनके प्रेरक कौन हैं? उन केसेज का मूत्र परीक्षण किसने किया है ? क्या उनकी पश्चातवर्ती सेवा की गयी है ? यदि हां, तो किसके द्वारा और उनमें से किसको कम्बल वितरित किया गया है? क्या नसबन्दी आपरेशन किये गये व्यक्तियों को इन्सेन्टिव मनी तथा प्रेरणा शुल्क जो दी गयी है वह प्रा0 स्वा0 केन्द्रों के कैश बुक में उसकी अलग-अलग प्रविष्टि की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सूचना एकत्र की जा रही है।

कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के विभिन्न कृषि फार्मों के श्रमिकों द्वारा की गई हड़ताल से धान की कटाई तथा गेहूं की बुवाई में हुई क्षति

3–श्री मित्रसेन–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि वि0 वि0 कुमारगंज, फैजाबाद के विभिन्न कृषि फार्मों तथा परिसर के श्रमिकों ने दिनांक 7 नवम्बर, 86 से हड़ताल कर दी थी जिससे वि0 वि0 की धान की फसल कटाई और गेहूं की बोवाई में भारी क्षति हुई थी ? यदि हां, तो श्रमिकों की मांगों को मानकर हड़ताल समाप्ति में कौन-कौन से प्रयास कब-कब किये गये थे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

नरेन्द्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के कृषि फार्म मुख्य परिसर के अतिरिक्त बालचन्दपुर, घाघराघाट, बहराइच, (जनपद बहराइच), तिसुही (जनपद मिर्जापुर), मसौधा इकाई-1, इकाई–2 एवं इकाई–3 जनपद फैजाबाद में स्थित है। केवल मुख्य परिसर में स्थित प्रक्षेत्रों पर कुछ श्रमिकों ने हड़ताल की थी । परन्तु मुख्य परिसर के प्रक्षेत्र को छोड़कर बाहर के प्रक्षेत्रों पर इनकी उपस्थिति सामान्य थी । मुख्य परिसर स्थित प्रक्षेत्रों पर धान के फसल की कटाई एवं गेहूं की बुआई में इससे क्षति नहीं हुई और न प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

जिन दैनिक श्रमिकों ने हड़ताल की उनकी मांगें दैनिक मजदूरी में वृद्धि, माह में 30 दिन की मजदूरी तथा दैनिक श्रमिकों को स्थाई किया जाना था, जो मांगें स्वीकार किये जाने योग्य न थी ।

इस सम्बन्ध में श्रमिकों, क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों, ग्राम प्रधानों एवं प्रतिनिधियों से समय-समय पर विचार विमर्श करके उन्हें समझाया जाता रहा है जिसके परिणामस्वरूप कुछ श्रमिकों को छोड़कर शेष सभी काम पर लौट आये हैं।

ग्राम बुकनापुर, थाना खोड़ारे, जिला गोण्डा के निवासी श्री केशव राम पाण्डेय की पत्नी का विषैले इंजेक्शन से हुई मृत्यु की जांच

4–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि श्री केशव राम पाण्डेय, निवासी बुकनापुर, थाना खोड़ारे, जिला गोण्डा की पत्नी की मृत्यु डा0 शकील अहमद कस्बा बभनान, जिला बस्ती द्वारा फर्जी व विषैले इंजेक्शन लगाने से हुई थी ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पूरे मामले की छानबीन कराकर दोषी डाक्टर की मान्यता भंग करने तथा मृतकों के आश्रितों को कोई आर्थिक सहायता देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

डाक्टर शकील अहमद प्राइवेट प्रैक्टिश्नर हैं जिनके इंजेक्शन लगाने के कुछ समय बाद श्री केशव राम पाण्डेय की पत्नी की मृत्यु हुई । उक्त मृत्यु पर श्री पाण्डेय द्वारा न तो रिपोर्ट ही की गयी तथा न ही लाश का पोस्टमार्टम कराया गया । अतः मृत्यु का वास्तविक कारण ज्ञात नहीं है। इस प्रकार के मामले में प्राइवेट प्रैक्टिश्नर्स के विरुद्ध कार्यवाही करने का कोई प्राविधान नहीं है। भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत ही शिकायतकर्ता द्वारा कोई कार्यवाही की जा सकती है। शेष प्रश्न नहीं उठता है।

नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज, फैजाबाद के श्रमिकों द्वारा अनिश्चित कालीन धरना एवं उनकी मुख्य मांगें

5–श्री मित्रसेन–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के श्रमिक दिनांक 14 दिसम्बर, 86 से लगातार अनिश्चित-कालीन धरना, जिलाधिकारी, फैजाबाद कार्यालय के समक्ष देते रहे हैं ? यदि हां, तो गिरफ्तार श्रमिकों की संख्या क्या है और उनकी मुख्य-मुख्य मांगें क्या थीं ? मांगों को न मानने का औचित्य क्या है तथा क्या वे सभी श्रमिक काम पर वापस ले लिये गये हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, कुमारगंज, फैजाबाद के श्रमिकों द्वारा जिलाधिकारी, फैजाबाद के कार्यालय के समक्ष दिनांक 4-12-86 से दिनांक 28-12-86 तक क्रमिक धरना दिया गया ।

विभिन्न तिथियों में कुल 108 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये । इनकी मुख्य मांगें निम्नलिखित हैं :—

1–दैनिक मजदूरी में वृद्धि ।

2–पूरे माह निरन्तर कार्य पर लगाये रखना ।

3–दैनिक मजदूरी पर रखे गये श्रमिकों को स्थायी किया जाना ।

उपरोक्त मुख्य मांगों की स्वीकृति नियमानुसार सम्भव न थी । जो श्रमिक काम पर आये उन्हें आवश्यकता एवं धन की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए काम पर लगा लिया गया है।

वेटेनरी विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय के तकनीकी स्टाफ, मथुरा द्वारा शासन को भेजे गये प्रतिवेदन पर कृत कार्यवाही

6–श्री सरदार सिंह–

क्या मुख्य मंत्री को एक अगस्त, 1987 को वेटेनरी विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय के तकनीकी स्टाफ मथुरा का प्रतिवेदन प्रश्नकर्ता की संस्तुति के साथ प्राप्त हुआ था जिसे पत्र सं0 एम0 वि0 को-3/14-73/आ/87 से सचिव, पशुधन को भेज दिया था ? यदि हां, तो प्रतिवेदन में मुख्य-मुख्य मांगें क्या थीं ? उन पर शासन में क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

प्रतिवेदन में डा0 जे0 एन0 द्विवेदी, अधिष्ठाता, पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय, मथुरा के विरुद्ध व्यक्तिगत एवं प्रशासनिक अक्षमता की शिकायतों की एक समिति का गठन करके जांच कराने की मांग की गई है।

प्रतिवेदन में उल्लिखित शिकायतों पर जांच के लिए कुलपति, चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कानपुर से कहा गया है और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा जांच की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता ।

7–कुंवर रेवती रमण सिंह–

[मा0 सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया]

अवकाश प्राप्त सी0 एम0 ओ0, डा0 जे0 एन0 श्रीवास्तव की पुत्री को कंसाइड अस्पताल के तत्कालीन ई0 एम0 ओ0 तथा एस0 एम0 ओ0 की लापरवाही से मौत की जांच

8–कुंवर रेवती रमण सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के एक अवकाश प्राप्त सी0 एम0 ओ0 डा0 जे0 एन0 श्रीवास्तव ने नवम्बर व दिसम्बर, 1985 में शासन एवं स्वास्थ्य व चिकित्सा विभाग, उत्तर प्रदेश को बार-बार प्रार्थना-पत्र देकर यह शिकायत की थी कि उनकी पुत्री के इलाज में अपराधिक गफलत करके कंसाईड अस्पताल, उन्नाव के तत्कालीन ई0 एम0 ओ0 ने उनको मौत के मुंह में पहुंचा दिया ? यदि हां, तो क्या उक्त दोष के लिए दोनों चिकित्सकों के विरुद्ध कार्यवाही न करके एस0 एम0 एस0 को प्रोन्नति देकर कानपुर जो उनका आवासीय नगर है, में नियुक्त किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उपरोक्त सन्दर्भ में प्रश्नकर्ता द्वारा एक पत्र पत्रांक 1445/ज0पा0/87, दिनांक 10-12-1987 मा0 मुख्य मंत्री, उ0 प्र0 शासन को दिया गया था ? यदि हां, तो पत्र तथा उसके साथ संलग्न प्रपत्रों पर शासन स्तर से क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां । सम्बन्धित मामले में माह नवम्बर तथा दिसम्बर, 1985 में वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक एवं ई0 एम0 ओ0 जिला अस्पताल, उन्नाव के विरुद्ध शिकायती पत्र प्राप्त हुए जिन की जांच के लिये अपर निदेशक, स्वास्थ्य सेवा को निर्देशित किया गया था । उनके रिटायर हो जाने के कारण यह जांच पूरी न हो सकी । अब इस मामले की जांच अन्य अधिकारी कर रहा है। कथित आरोपित चिकित्सको को कोई पदोन्नति नहीं दी गयी है । बल्कि उन्हें स्थानान्तरित किया गया है सरकारी अभिलेखों के अनुसार कानपुर इनका गृह जनपद नहीं है । माननीय मुख्य मंत्री जी को दिया गया पत्र दिनांक 10-12-87 भी शासन को प्राप्त हो चुका है जिस पर भी जांच करायी जा रही है ।

सरकारी गोदामों व प्राइवेट विक्रेताओं द्वारा बिक्री की जाने वाली यूरिया खाद के दामों में अन्तर

9–श्री नरेन्द्र पाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि गत वर्ष बिकने वाली यूरिया खाद के दामों में सरकारी गोदामों की अपेक्षा प्राइवेट बिक्रेताओं की दुकानों पर भारी अन्तर रहा था ? यदि हां, तो अन्तर के क्या कारण थे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

प्राइवेट बिक्रेताओं द्वारा उर्वरक का विक्रय मूल्य कम रखने का मुख्य कारण उर्वरक निर्माताओं द्वारा दिये जा रहे लाभांश को कम करके बेचना एवं आपसी स्पर्धा है।

भूतपूर्व राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के इलाज में शिथिलता बरते जाने की शिकायत

10–श्री जयदीप सिंह बरार–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 11 अक्टूबर, 1987 को जब भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति माननीय ज्ञानी जैल सिंह जी को बलिया के निकट दिल का दौरा पड़ा था तो जिला राजकीय चिकित्सालय में उनके उपचार में घोर शिथिलता बरते जाने की शिकायत प्रकाश में आयी थी ? क्या यह बात सही है कि जिस वार्ड में भूतपूर्व राष्ट्रपति जी को रखा गया था उसमें विद्युत फेल होने पर जनरेटर की सुविधा नहीं थी जबकि वही सुविधा मुख्य चिकित्साधिकारी के कार्यालय तथा घर पर चालू थी ? यदि हां, तो अब तक शासन ने किस-किस जिम्मेदार अधिकारी के खिलाफ क्या-क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं ।

11 अक्टूबर, 1987 को भूतपूर्व राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह को बलिया के निकट दिल का दौरा पड़ने पर उनका सावधानीपूर्वक तत्काल ठीक से उचित आवश्यक उपचार किया गया । जिस वार्ड में उनको रखा गया उसमें विद्युत फेल होने पर जनरेटर की समुचित व्यवस्था थी । अतः किसी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बस्ती के बांसी मेहदावल मार्ग पर स्थित जूनियर हाई स्कूल, बांसी के प्रांगण की भूमि को फर्जी पट्टे का किया जाना

11–श्री रिछपाल सिंह बंसल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बस्ती जनपद के बांसी टाउन एरिया में स्थित जूनियर हाई स्कूल बांसी जो बांसी विकास खण्ड कार्यालय के बगल एवं बांसी मेहदावल मार्ग पर स्थित है, के प्रांगण की खाली जमीन, पुराना/नया भवन एवं छात्रावास के सामने की खाली जमीन का कतिपय लोगों के नाम फर्जी पट्टा कर दिया गया है ? यदि हां, तो किन व्यक्तियों के नाम पट्टा किया गया है ? क्या इससे संबंधित शिकायतों की जांच की गयी है? यदि हां, तो जांच आख्या क्या है? क्या मंत्री जी सम्पूर्ण मामले की जांच कराने व अवैध पट्टा निरस्त कराने एवं उक्त जमीन की सुरक्षा

का समुचित प्रबन्ध करवाने का आदेश जिलाधिकारी, बस्ती को देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी नहीं । प्राप्त सूचना के अनुसार तहसील बांसी स्तर से कोई पट्टा नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां, शिकायतें प्राप्त होने पर जांच कराई गई जिससे यह पाया गया कि चकबन्दी से प्राप्त जिल्द बन्दोबस्त में संबंधित इन्दराज संदेहात्मक पाये गये । उसके आधार पर खतौनी दुरूस्ती के लिये तहसीलदार बांसी के न्यायालय में धारा 33/39 भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमें विचाराधीन है ।

मामला न्यायालय के विचाराधीन है, अतः सम्प्रति किसी प्रकार की कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

नगर पालिका खलीलाबाद, बस्ती को वर्ष 1986-87 व 1987-88 में नाली निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि

12–श्री रिछपाल सिंह बंसल–

जी हां ।

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका खलीलाबाद, जनपद बस्ती को वर्ष 86-87, 87-88 में नाली निर्माण हेतु कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी ? क्या नगरपालिका द्वारा उक्त बजट से नाली का निर्माण करवाया गया है यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

नगर पालिका खलीलाबाद (बस्ती) को वर्ष 1986-87 तथा 1987-88 में नाली निर्माण हेतु कोई धनराशि स्वीकृत नहीं की गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनवरी 1984 से दिसम्बर 1987 तक की स्वास्थ्य सलाहकार समिति की बैठकों के विवरण की जानकारी की मांग

13–श्री सुखपाल पाण्डे–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि स्वास्थ्य सलाहकार समिति की बैठक जनवरी, 1984 से दिसम्बर, 1987 तक कितनी बार हुई ? क्या स्वास्थ्य मंत्री उसका पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

केवल एक बैठक दिनांक 3 मई, 1984 को हुई थी । उक्त बैठक का कार्य-वृत्त मेरे कक्ष में देखा जा सकता है ।

भूतपूर्व मुख्य अभियन्ता आवास विकास परिषद् की वर्ष 1986 के आदेश का अधिशासी अभियन्ता नवसृजित खण्ड 16 द्वारा पालन न किये जाने के संबंध में जानकारी

14–श्री रणजीत सिंह तथा श्री अर्जुन सिंह यादव–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् के भू0 पू0 मुख्य अभियन्ता ने वर्ष 1986 में कोई इस आशय का आदेश किया था कि परिषद् के सभी निर्माण कार्य ठेकेदारों से ही कराये जायेंगे न कि परिषद् द्वारा ? यदि हां, तो क्या वर्तमान अधिशासी अभियन्ता नवसृजित खण्ड 16 द्वारा इसके विपरीत प्रथा से कार्य कराये जाने के प्रसंग में सरकार उनके विरुद्ध कोई प्रशासनिक कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् के भूतपूर्व मुख्य अभियन्ता द्वारा ऐसे कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं कि परिषद् के सभी निर्माण कार्य ठेकेदारों से ही कराये जायेंगे न कि परिषद् द्वारा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नगरपालिका, साण्डी, जिला हरदोई के कर्मचारियों के वेतन भुगतान का विवरण

15–श्री किशन लाल दिलेर तथा श्री परमाई लाल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई की नगरपालिका साण्डी के कर्मचारियों को वेतन कितने माह से नहीं मिल पा रहा है ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त नगरपालिका की आर्थिक स्थिति बड़ी दयनीय हो गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार वहां के कर्मचारियों के वेतन के भुगतान हेतु विशेष अनुदान प्रदान करने की कृपा करेगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जनपद हरदोई की नगरपालिका साण्डी में माह जनवरी, 88 तक सफाई कर्मचारियों को 3 माह तथा अन्य कर्मचारियों को 5 माह का वेतन नहीं मिला है ।

जी हां ।

मामला शासन के विचाराधीन है ।

हरदोई की नगर पालिका, साण्डी के मोहल्ला सैयदबाड़ा काजी टोला, ऊंचा टोला, मुंशीगंज की सड़कों की मरम्मत हेतु विशेष अनुदान की मांग

16–श्री किशन लाल दिलेर तथा
श्री परमाई लाल–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद हरदोई की नगरपालिका साण्डी के मोहल्ला सैयदबाड़ा टोला, ऊंचा टोला मुंशीगंज आदि मोहल्ले की अधिकांश सड़कें बीस वर्षों से अधिक पुरानी बनी हुई हैं जिन पर 4-5 फिट के गड्ढे हो गये हैं एवं नालियों के अभाव में घरों व नगरपालिका के नलों का पानी पूरी सड़कों पर बहता रहता है ? क्या शासन उक्त मुहल्लों की जनता को राहत प्रदान करने हेतु सड़कों व नालियों के निर्माण हेतु विशेष अनुदान स्वीकृत करने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

नगरपालिका, साण्डी जनपद हरदोई के मोहल्ला सैयदबाड़ा काजी टोला, मुंशीगंज आदि मोहल्ले गर्रा नदी के तट पर स्थित होने के कारण वर्षा ऋत में उसके कटाव से तथा सड़कों पर पानी भर जाने के कारण अधिकांश सड़कें व नालियां जर्जर अवस्था में हैं ।

उक्त मोहल्लों की सड़कों एवं नालियों की मरम्मत आदि किये जाने हेतु जिलाधिकारी, हरदोई को निर्देश दिये जा चुके हैं ।

किसी सड़क अथवा स्थान विशेष के लिए कोई भी विशेष सड़क अनुदान स्वीकृत नहीं किया जाता है ।

वित्तीय वर्ष 1986-87 में नगर पालिका खलीलाबाद, बस्ती में निर्मित व्यवसायिक दुकानों के निर्माण में हुई अनियमितता की उच्च स्तरीय जांच

17–श्री रिछपाल सिंह बंसल–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या नगरपालिका खलीलाबाद जनपद बस्ती द्वारा खलीलाबाद रेलवे स्टेशन के दक्षिण कुछ व्यवसायिक दुकानों का निर्माण 1986-87 में करवाया गया था ? यदि हां, तो क्या उक्त दुकानों का नक्शा एवं इस्टीमेट संबंधित अभियंता द्वारा स्वीकृत किया गया था ? क्या मंत्री जी उक्त दुकानों के निर्माण में की गयी अनियमितताओं की उच्च स्तरीय जांच कराने का कष्ट करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां । निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

जी हां ।

कोई अनियमितता नहीं बरती गयी है ।

18–श्री राज किशोर सिंह तथा

श्री नरेश पाल सिंह–

[1 ले शुक्रवार में अता0 प्र0 सं0 48 के अंतर्गत स्थानान्तरित]

आवास विकास परिषद द्वारा बनाये जाने वाले भवनों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री एवं आबंटियों की शिकायत के निराकरण हेतु समिति का गठन

19–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् के मकानों (विशेष तौर पर एल0 डब्लू0 एस0) में सामग्री प्रयोग की जांच अथवा अन्य आवंटियों की समस्याओं के निराकरण हेतु कोई समिति उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद् की बनायी गयी है ? यदि हां, तो उसके कौन -कौन सदस्य व कौन अध्यक्ष है ? क्या उक्त समिति ने विकास नगर कर्सी रोड के मकानों का निरीक्षण किया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो जांचोपरान्त क्या नतीजा प्रकाश में आया तथा तो कमियां हैं उसे दूर करने के क्या प्रयास किये जा रहे हैं?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी नहीं, ऐसी कोई समिति नहीं बनायी गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

परियोजना अधिकारी (कृषि), गोरखपुर के वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के संबंध में कृत कार्यवाही

20–श्री विष्णु देव तथा श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री संकठा प्रसाद यादव प्रान्तीय अध्यक्ष उ0 प्र0 पिछड़ा अनुसूचित, अल्प संख्यक समाज सुधार समिति ने कोई पत्र दिनांक 2-9-87 को परियोजना अधिकारी (कृषि) गोरखपुर के वित्तीय अनियमितता एवं भ्रष्टाचार से संबंधित दिया था यदि हां, तो श्री यादव की शिकायतें क्या-क्या हैं और उन शिकायतों पर क्या कार्यवाही को गयी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

मुख्य शिकायतें निम्नवत हैं:–

1–श्री बाबूराम, तत्कालीन परियोजना अधिकारी(कृषि) ने श्री रामचन्द्र परियोजना अधिकारी से मिलकर बागापार कृषि फार्म पर भूसे के गोदाम के बनवाने के ठेके में अनियमित रूप से 2-8-86 को लगभग 1 लाख 60 हजार रुपये का बिल बनवाकर कोषागार से पास करवाकर भुगतान कराया ।

2–श्री बाबूराम, तत्कालीन परियोजना अधिकारी द्वारा भुगतान उक्त पद से चार्ज देने के बाद कराया गया ।

3–गोदरेज इन्डस्ट्रीज कानपुर, और सायेना इन्डस्ट्रीज कानपुर दोनों कम्पनियों के मालिक एक ही व्यक्ति है तथा एक कम्पनी आपत्तिजनक गतिविधियों से माल सप्लाई करती है और दूसरी ठेका लेती है ।

4–श्री बाबूराम, तत्कालीन परियोजना अधिकारी द्वारा रुपये 4647.00 तथा रुपये 4124.36 के पेट्रोल का भुगतान भी 12-9-86 को चार्ज देने के उपरांत किया गया ।

शिकायतों पर जांच करायी जा रही है ।

21–श्री राम सागर–

(दूसरे सोमवार में अता0 प्र0 सं0134 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

लखनऊ नगर में स्थित ग्राम इस्माइलगंज में सड़कों आदि में खड़ंजा लगाये जाने की व्यवस्था

श्री जागन सिंह–

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ शहर की सीमा पर फैजाबाद रोड पर स्थित ग्राम इस्माइलगंज जो नगर महापालिका की सीमा में आता है,

के उत्तर में बहुत बड़ी संख्या में हरिजन एवं पिछड़े वर्ग के लोग आवाद हैं परन्तु उनके घर तक जाने वाले गलियारे की दशा अत्यन्त दयनीय होने के कारण वह अपने घर तक कोई वाहन आदि नहीं ले जा पाते हैं ? यदि हां, तो क्या उपयुक्त स्थान से हरिजन बस्ती तक खड़ंजा लगाने की व्यवस्था की जायेगी ताकि हजारों व्यक्तियों को असुविधा का सामना न करना पड़े ? यदि नहीं तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

ग्राम इस्माइलगंज, लखनऊ-फैजाबाद रोड पर स्थित है, जो नगर महापालिका की सीमान्तर्गत माह फरवरी, 1987 में आया है। चालू वित्तीय वर्ष में प्रश्नगत कार्य हेतु कोई प्राविधान नहीं है ।

23–डा0 शिवानन्द नौटियाल

(1 ले मंगलवार में अता0 प्र0 सं082 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

कबीर दास के जन्म स्थान लहरतारा वाराणसी के सुधार हेतु योजना

24–श्री शतरुद्र प्रकाश–

क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि महानगर वाराणसी में लहरतारा में महान साहित्यकार एवं समाज सुधारक कबीर के जन्म स्थान वाले मोहल्ले में सीवर जल निकासी बिजली गली आदि की मरम्मत के लिये प्रश्नकर्ता ने मा0 मुख्य मंत्री को दिनांक 30-12-87 को एक पत्र लिखा था ? यदि हां, तो सरकार ने उसपर अब तक क्या कार्यवाही की ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

प्रश्न गत मामले में योजना बनाने हेतु सर्वेक्षण की कार्यवाही की जा रही है ।

जिला उद्यान की योजनाओं के धन आहरण वितरण के अधिकृत अधिकारी

25–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्यान विभाग द्वारा उ0 प्र0 के समस्त जिलों में चलायी जा रही योजनाओं के लिए प्रस्तावित बजट के लिए आहरण वितरण का कार्य उप निदेशक उद्यान द्वारा अनियमित रूप से किया जाता है ? यदि नहीं, तो शासन द्वारा इस कार्य के लिए किस अधिकारी को अधिकृत किया गया है ? क्या यह सही है कि उप निदेशक उद्यान वाराणसी द्वारा मार्च 1987 में मंडल के समस्त जिलों मे उक्त कार्य को 25 मार्च 1987 के पूर्व सम्पन्न कर दिया गया ? क्या सरकार संबंधित उप निदेशक द्वारा नियोजित उपरोक्त अनाधिकृत कार्य की जांच कराकर उसे दंडित करने पर सरकार विचार करेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी नहीं ।

सम्बन्धित जनपद की जिला उद्यान अधिकारी तथा उप निदेशक उद्यान के कार्यालय के लिये उप निदेशक, उद्यान को आहरण एवं वितरण अधिकारी घोषित किया गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

वरिष्ठ चिकित्सालय अधीक्षक (महिला) से संयुक्त निदेशक के पद पर हुई पदोन्नति में अनियमितता

26–श्री कौशिक रमाशंकर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि चिकित्सा अनुभाग-3 के आदेश संख्या 5455/सेक/3/5-2 (25)/85 दिनांक 7 अगस्त, 1985 द्वारा वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक (महिला) की जो वरिष्ठता सूची तैयार कर के अनुमोदित हुई थी उसका दिनांक 25 मई, 1987 को होने वाली वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक (महिला) से संयुक्त निदेशक (महिला) के पद पर हुई पदोन्नति के चयन में सत्यता एवं न्याय संगतता से पालन नहीं किया गया, जिससे कई वरिष्ठ चिकित्सा अधीक्षक (महिला) पदोन्नति के लाभ से वंचित रह गयी ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि चयन में क्या प्रक्रिया अपनायी गयी है ? क्या सरकार अनुभव सेवा अवधि की सीमा को दिसम्बर, 1987 तक बढ़ाने का कष्ट करेगी जिससे वरिष्ठ एवं अनुभव वाली महिला वरिष्ठ चिकित्सक भी पदोन्नति का लाभ उठा सकें ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं । शासनादेश दिनांक 7-8-85 द्वारा पी0 एम0 एस0 (महिला) सीनियर ग्रेड से स्पेशल ग्रेड में तदर्थ रूप से प्रोन्नति के आदेश जारी किये गये हैं न कि वरिष्ठता सूची तैयार की गई है । दिनांक 25-5-87 के शासनादेश द्वारा पी0 एम0 एस0 (महिला) स्पेशल ग्रेड से संयुक्त निदेशक ग्रेड में प्रोन्नति के आदेश वरिष्ठता सूची के आधार पर किये गये थे । किन्तु चयन का मापदण्ड "श्रेष्ठता" रखा गया । चयन समिति द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार प्रोन्नति हेतु उपयुक्त पाये गये अधिकारियों को ही प्रोन्नति किया गया है। संयुक्त निदेशक ग्रेड में प्रोन्नति हेतु स्पेशल ग्रेड में निर्धारित सेवा अनुभव की अवधि 2 वर्ष की सीमा को बदलने का फिलहाल कोई विचार नहीं है क्योंकि चिकित्सा विभाग में सभी अधिकारियों में उच्च स्तर की दक्षता एवं कार्य कुशलता बनाए रखने हेतु सभी प्रोन्नति के पदों के लिये एक न्यूनतम सेवा अवधि निर्धारित की गई है और इसे प्रशासनिक व लोक हित में संशोधित करने का औचित्य नहीं है ।

सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण की चयन में की गई अनियमितताओं के संबंध में शिकायत एवं जांच की मांग

27–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कु0 मनजीत कौर का कोई आवेदन पत्र सत्र 1987 में सामान्य उपचारिका प्रशिक्षण के चयन में घोर अनियमितताओं के संबंध में माह जून 1987 के दूसरे सप्ताह में प्रश्नकर्ता द्वारा अग्रसारित प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच करायी गयी यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो उसकी जांच रिपोर्ट क्या रही तथा दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री लोक पति त्रिपाठी–

जी हां ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जांच के उपरान्त आरोप निराधार पाये गये, शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, लखनऊ में कार्यरत कतिपय दम्पत्ति के मकान किराया भत्ता लेने के सम्बन्ध में जानकारी

28–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय लखनऊ में वर्तमान समय में कार्यरत कितनी लेडी डाक्टर/सिस्टर ट्यूटर/सिस्टर तथा स्टाफ नर्स ऐसी हैं जो कि मय दम्पत्ति के मकान किराया भत्ते के रूप में सरकारी धन का आहरण कर रहे हैं अथवा सरकारी धन प्राप्त कर रहे हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां, राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय लखनऊ में दो लेडी डाक्टर तीन सिस्टर तथा दो स्टाफ नर्स ऐसी हैं जो कि मय दम्पत्ति मकान किराये भत्ते के रूप में सरकारी धन प्राप्त कर रहे हैं ।

जिला सहारनपुर के मुख्य खाद्य निरीक्षक के विरुद्ध चल रही जांचों की जानकारी

29–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह जानकारी है कि जनपद सहारनपुर में कार्यरत मुख्य खाद्य निरीक्षक के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधी मामलों की कौन-कौन सी जांच चल रही है? क्या उनके विरुद्ध दोष सिद्ध हो चुका है ? यदि हां, तो अब तक उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सहारनपुर में कार्यरत मुख्य खाद्य निरीक्षक का नाम श्री एम0 सी0 गर्ग है न कि श्री एस0 सी0 गर्ग । उनके विरुद्ध वर्तमान में कोई जांच नहीं चल रही है ।

30–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या यह सही है कि उक्त मुख्य खाद्य निरीक्षक के विरुद्ध विजीलेन्स जांच द्वारा यह सिफारिश की गयी है कि उक्त को निलम्बित कर दिया जाय और उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जाय ? यदि हां, तो अब तक मुअत्तल न करने का क्या कारण है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सतर्कता जांच के आधार पर उनके विरुद्ध केवल अभियोजन चलाये जाने की संस्तुति की गई है ।

31–श्री काशी सिंह ऐरी–

[3रे गुरुवार के लिए स्थगित]

आपर बाजार वाराणसी में सरकार द्वारा स्वीकृत पेयजल योजना के अन्तर्गत नलकूप एवं टैंक बनाने की योजना

32–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वाराणसी जनपद के आपर बाजार में सुलभ पेयजल के अन्तर्गत जल निगम द्वारा नलकूप एवं टैंक बनाये जाने की योजना विगत वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की गयी थी ? यदि हां, तो इसका निर्माण अब तक न कराये जाने का क्या औचित्य है ? क्या सरकार इसका निर्माण शीघ्र करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

शासन की वर्तमान नीति के अनुसार पाइप द्वारा पेयजल व्यवस्था उन्हीं समस्या ग्रस्त ग्रामों में प्रदान की जाती है जहां हैण्ड पम्प सफल नहीं है अथवा उनका जल पीने योग्य नहीं है ।

नसबन्दी कराने वाले व्यक्तियों को शासन द्वारा दी जाने वाली सुविधायें

33–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

क्या मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि राज्य सरकार द्वारा नसबन्दी आपरेशन के बाद नसबन्दी कराने वाले व्यक्ति को कम्बल तथा एक सौ चालीस रुपये तथा प्रेरक को चालीस रुपए किस फण्ड से दिये जाते हैं और क्यों दिये जाते हैं ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

परिवार कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक महिला/पुरुष नसबन्दी कराने पर लाभार्थी को क्षतिपूर्ति हेतु रु0 110 नकद दिया जाता है तथा यातायात पर 15 रु0 भोजन पर 10 रु0 एवं दवाओं पर 15 रु0 अतिरिक्त रूप से व्यय किया जाता है । यह समस्त व्यय आय-व्ययक के लेखाशीर्षक "2211-परिवार कल्याण-आयोजनागत-105-क्षतिपूर्ति-03-एवं 04-वैसेक्टामी एवं ट्यूबेक्टामी हेतु-33-अन्य व्यय" के अन्तर्गत किया जाता है । इसके अतिरिक्त इस कार्यक्रम को विशेष गति प्रदान करने के लिए कुछ विशेष प्रोत्साहन धनराशि जनपदों को आवंटित की जाती है जिसका उपयोग जिलाधिकारी/मुख्य चिकित्सा अधिकारी विवेकानुसार कार्यक्रम के हित में करते हैं । इसी पद से लाभार्थी को कम्बल इत्यादि पुरस्कार स्वरूप दिये जाते हैं ।

प्रेरक को उत्साह वर्धन हेतु पुरुष नसबन्दी प्रेरित करने पर रु0 40/- प्रतिकेस तथा महिला नसबन्दी प्रेरित करने पर रु0 25/- प्रतिकेस दिया जाता है ।

जिला उद्यान अधिकारी, बिजनौर के कार्यालय के कनिष्ठ लिपिक का स्थानान्तरण

34–श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि निदेशक, उद्यान एवं फल उपयोग उ0 प्र0 ने अपने पत्र दिनांक 24-11-87/पत्रांक 6829-33/स्था-3/स्थाना0 लखनऊ द्वारा व कार्यालय उद्यान अधिकारी बिजनौर के जिस कनिष्ठ लिपिक का स्थानान्तरण जिलाधिकारी बिजनौर के शिकायती टेलेक्स पर किया था उसका स्थानान्तरण शासन के निर्देश पर दिनांक 3-12-87 को रद्द करा दिया गया ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उक्त लिपिक द्वारा जिला उद्यान अधिकारी बिजनौर को जान से मार डालने की धमकी दी गयी जिसकी शिकायत उन्होंने दिनांक 2-1-88 को निदेशक उद्यान से अपने पत्रांक मीमो द्वारा की है ? यदि हां, तो क्या उक्त अधिकारी की सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

उस कनिष्ठ लिपिक के स्थानान्तरण को रद्द करने के लिये शासन से कोई निर्देश नहीं भेजे गये, वरन् कनिष्ठ लिपिक से प्राप्त आवेदन पत्र पर विचारोपरांत निदेशक, उद्यान एवं फल उपयोग, ने अपने आदेश दिनांक 31-12-87 द्वारा स्थानान्तरण को 30 जून, 1988 तक के लिये स्थगित कर दिया ।

जिला उद्यान अधिकारी, बिजनौर ने निदेशक, उद्यान एवं फल उपयोग ,को अपने पत्र दिनांक 2-1-88 में लिखा है कि उस कनिष्ठ लिपिक ने उसको जान माल का नुकसान पहुचाने की धमकी दी है ।

उक्त अधिकारी की सुरक्षा की व्यवस्था हेतु आवश्यक कार्यवाही करने के लिये जिलाधिकारी, बिजनौर से अनुरोध किया गया है ।

श्री राम सेवक विश्वकर्मा पैलानी जनपद बांदा के प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही

35–श्री राजित प्रसाद यादव–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 20 मई, 1987 के साथ संलग्न श्री राम सेवक विश्वकर्मा पैलानी, जनपद बांदा के प्रार्थना पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों तथा कार्यवाही कब की जायेगी?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

माननीय विधायक का कोई पत्र दिनांक 20 मई, 1987 शासन को प्राप्त नहीं हुआ । उनके एक अन्य दिनांक रहित पत्र के साथ श्री राम सेवक विश्वकर्मा, पैलानी जनपद बांदा का पत्र दिनांक 20 मई, 1987 प्राप्त हुआ था।

श्री विश्वकर्मा के पुत्र श्री लाल बाबू विश्वकर्मा की नियुक्ति नियम संगत एवं निर्धारित अर्हता न रखने के कारण समाप्त कर दी गयी थी । इनको नियमान्तर्गत पुनर्नियुक्ति दी जानी संभव नहीं है ।

भूमि विकास बैंक के सरसावां जिला सहारनपुर की शाखा प्रबन्धक द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार आदि के सम्बन्ध में भेजे गये शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

36–श्री राम शरण दास–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रबन्ध निदेशक, भूमि विकास बैंक लि0 उत्तर प्रदेश के कार्यालय में दिनांक 9-9-87 को शाखा प्रबन्धक भूमि विकास बैंक लि0 सरसावां जनपद सहारनपुर श्री गिरीश चन्द्र शर्मा के विरुद्ध अनेकों शिकायती पत्र उनके अभद्र व्यवहार तथा भ्रष्टाचार सम्बन्धी उक्त शाखा के अध्यक्ष श्री लहना सिंह द्वारा प्राप्त हुए है ? यदि हां, तो क्या शिकायतों की जांच कराई गयी तथा शिकायतें किन-किन के विरुद्ध थी और क्या-क्या थी और दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

सहकारिता मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)–

जी हां। शाखा प्रबन्धक श्री गिरीश चन्द्र शर्मा के आचरण के विरुद्ध श्री लहना सिंह द्वारा शिकायत की गयी। मुख्य शिकायतें कृषकों/बैंक कर्मचारियों के साथ अभद्र व्यवहार विशेष डीलर से इंजन क्रय करने पर बल देना एवं विलम्ब से ऋण भुगतान करना आदि थी, जिसकी जांच उप सामान्य प्रबन्धक द्वारा करायी गयी। जांच के समय

कुछ तत्वों द्वारा भीड़ एकत्र की गयी तथा यह प्रयास किया कि जांच का निर्णय शाखा प्रबन्धक की विरुद्ध ही हो। ऐसे वातावरण में निष्पक्ष जांच संभव नहीं थी परन्तु प्रारम्भिक जांच से यह स्पष्ट हुआ कि प्रशासनिक दृष्टि से श्री शर्मा का सरसावा शाखा पर बने रहना उचित नहीं है। अतः श्री शर्मा को वहां से स्थानान्तरित कर दिया गया है। विस्तृत जांच पूर्ण होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी ।

वर्ष 85-86 में स्वास्थ्य विभाग द्वारा उपहार स्वरूप देने के लिए 700 ब्रीफ केस खरीदने के सम्बन्ध में शिकायती पत्र पर कार्यवाही

37—श्री यदुनाथ सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को ज्ञात है कि वर्ष 85-86 में उनके विभाग ने उपहार स्वरूप देने के लिये 700 ब्रीफ केस खरीदे गये थे, जो खराब होने के कारण वापिस करके पुनः खरीदे गये थे और इस सम्बन्ध में उनको प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या 649 तारीख 30-12-85 को प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या इस सम्बन्ध में कोई जांच कराई गयी थी? यदि हां, तो जांच का क्या परिणाम रहा?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

वर्ष 1985-86 में विभाग द्वारा परिवार कल्याण की प्रचार सामग्री को वितरित करने के लिए 600 साधारण तथा 50 वी0 आई0 पी0 ब्रीफकेस खरीदे गये थे । इन ब्रीफकेसों की खरीदने के बारे में प्रश्नकर्ता का एक पत्र संख्या-649/लो0द0/85, दिनांक 27 दिसम्बर, 1985 शासन को प्राप्त हुआ था। उक्त पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं के बारे में जांच कराई गई। जांच के फलस्वरूप प्रश्नगत क्रय में कोई अनियमितता नहीं पाई गई।

उत्तर प्रदेश राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक की बिलग्राम (हरदोई) शाखा में अनियमितता के सम्बन्ध में शिकायत पर कृत कार्यवाही

38—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सहकारिता मंत्री कृपया बतायेंगे कि जुलाई 87 के पहले पखवारे में बिलग्राम जि0 हरदोई निवासी श्री एस0 के0 शर्मा का कोई इस आशय का पत्र प्रश्नकर्ता के उपरिपत्र के साथ मिला है कि उ0 प्र0 राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक शाखा बिलग्राम जिला हरदोई में भीषण अनियमितताएं व्याप्त है ? यदि हां तो मुख्य शिकायतें क्या हैं तथा अब तक की गयी कार्यवाही का विवरण क्या है?

श्री अरुण कुमार सिंह—

जी हां। शिकायती पत्र में भूमि विकास बैंक शाखा बिलग्राम के शाखा प्रबन्धक, शाखा आंकिक, सहायक फील्ड आफिसरों तथा विक्रेता फर्म मैसर्स भारत शक्ति सेल्स के के प्रोपराइटर द्वारा फर्जी पम्पसेट एवं बोरिंग को दर्शाकर धन निकाले जाने एवं बैंक को आर्थिक क्षति पहुंचायें जाने को मुख्य शिकायतें हैं।

शिकायती पत्र की जांच जिला प्रबन्धक, हरदोई से कराई गई। जांच में दोषी पाये गये व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

यू0 पी0 अरबन प्लानिंग एन्ड डेवेलपमेन्ट एक्ट 1973 की धारा 6 के क्रमानुसार विकास प्राधिकरण इलाहाबाद में सलाहकार समिति का गठन

39—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि यू0 पी0 अरबन प्लानिंग एण्ड डेवलपमेन्ट एक्ट 1973 की धारा 6 के अनुसार उ0 प्र0 के सभी विकास प्राधिकरणों में एक सलाहकार परिषद् के गठन किये जाने का प्राविधान है? यदि हां, तो इसका गठन इलाहाबाद विकास प्राधिकरण में न किये जाने के क्या कारण हैं? क्या वहां तत्काल इसके गठन कराने का कष्ट करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां। उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा 6(1) में यह प्राविधान है कि यदि राज्य सरकार ठीक समझे तो प्राधिकरण की महायोजना तैयार करने तथा अन्य विषयों में जो प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किये जायं, सलाह देने हेतु एक सलाहकार परिषद् गठित कर सकती है। राज्य सरकार द्वारा इलाहाबाद विकास प्राधिकरण में सलाहकार परिषद् के गठन का अभी तक औचित्य नहीं पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

अल्लापुर के हाशिमपुर इलाहाबाद के गेट को चौड़ा करने की योजना

40—श्री अनुग्रह नारायण सिंह—

क्या विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद शहर के अन्तर्गत अल्लापुर के हाशिमपुर रोड की ओर स्थित प्रवेश द्वार को चौड़ा करने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से और कब तक पूर्ण कर ली जायेगी ? यदि नहीं, तो क्या जनहित में तत्काल प्रवेश द्वार का विस्तार कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

परिवार कल्याण कार्यक्रम के कर्मचारियों की भांति अन्य विभागों के कर्मचारियों को पुरस्कृत करने की योजना

41—कुंवर रेवती रमण सिंह—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया यह बताने की कृपा करेंगे कि जब परिवार नियोजन कार्यक्रम में सभी विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों का सक्रिय योगदान लिया जाता है तो इस कार्यक्रम की उपलब्धता पर केवल स्वास्थ्य, परिवार नियोजन तथा राजस्व विभाग के उच्च अधिकारियों को ही राजकीय पुरस्कार क्यों प्रदान किये जाते हैं और अन्य विभागों के सराहनीय योगदान देने वाले अधिकारियों तथा कर्मचारियों को राजकीय पुरस्कार से क्यों वंचित रखा जाता है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

परिवार कल्याण कार्यक्रम के लक्ष्यों की उपलब्धता के आधार पर चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के अलावा अन्य विभागों के लिये भी पुरस्कार की योजना है ।

प्रदेश के प्रति व्यक्ति रोगोपचार पर होने वाले व्यय व रोगों के निवारण के उपाय

42—श्री हृदय नरायन दीक्षित—

क्या स्वास्थ्य मंत्री को यह जानकारी है कि उ0 प्र0 में गरीबों निर्धनों को सरकारी अस्पतालों में बाजार से दवाइयां खरीदने के पर्चे चिकित्सालय द्वारा लिख दिये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी कृपया यह बतायेंगे कि उ0 प्र0 में प्रति व्यक्ति रोगोपचार में कितना खर्च किया जाता है और प्रति व्यक्ति रोगों के रोकथाम पर कितना व्यय होता है ? क्या सरकार रोकथाम को अधिक गंभीरता से लेने की किसी योजना पर विचार कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं । शासन के स्पष्ट आदेश है कि अतिनिर्धन/निराश्रित रोगियों का निःशुल्क उपचार किया जाय ।

रोगोपचार पर प्रति व्यक्ति औसतन रुपये 14.64 और रोगों के रोकथाम पर औसतन रुपये 5.44 व्यय किया जाता है ।

जी नहीं । क्योंकि चालू योजनाएं पर्याप्त हैं ।

महिलाओं को चिकित्सा संबंधी प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के संबंध में विवरण

43—श्री राजित प्रसाद यादव—

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि महिलाओं को चिकित्सा संबंधी विशेष प्रकार का प्रशिक्षण देने के लिये वाराणसी में कोई प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का प्रस्ताव विचाराधीन है ? क्या इस प्रयोजन के लिये स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रशिक्षण केन्द्र खोलने के स्थान का चयन कर भूमि क्रय की जा चुकी है ? यदि हां, तो कितनी भूमि कितने मूल्य में और किस स्थान पर क्रय की गयी है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी—

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

44—श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)—

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

जनपद वाराणसी, उपनिदेशक उद्यान विभाग के विरुद्ध वर्ष 1984-85 में प्राप्त शिकायतों की संख्या तथा कार्यवाही

45—श्री सुरेन्द्र सिंह—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निदेशक उद्यान वाराणसी के विरुद्ध वर्ष 84-85 से नवम्बर 87 तक कितने शिकायती पत्र प्राप्त हुए तथा कितने पत्रों की जांच करायी गयी तथा कितने पत्रों की जांच चल रही है और उक्त जांच कब तक पूरी होगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

उपनिदेशक, उद्यान, वाराणसी के विरुद्ध कथित अवधि में कुल 10 शिकायती पत्र प्राप्त हुए । इन पत्रों में से छः शिकायती पत्रों की जांच कराई गयी तथा शेष चार शिकायती पत्रों पर जांच की कार्यवाही की जा रही है और यह जांच निकट भविष्य में पूरी हो जाने की आशा है ।

46–श्री नरेन्द्र पाल सिंह–

[उसी गुरुवार के लिए स्थगित]

जिला बांदा के चित्रकूट धाम में विद्युत व्यवस्था

47–श्री राम सजीवन–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/प्रभारी अधिकारी चित्रकूट धाम नगरपालिका करबी, बांदा ने 19-5-86 को जिलाधिकारी बांदा के द्वारा शासन को पत्र लिखकर धार्मिक एवं पर्यटन स्थल चित्रकूट धाम में प्रकाश व्यवस्था हेतु छः लाख रुपये के अनुदान की मांग की थी ? यदि हां, तो अभी तक पूरा अनुदान स्वीकृत न करने के क्या कारण है ? लाखों तीर्थयात्रियों को प्रकाश सुविधा प्रदान करने हेतु पूरा अनुदान कब तक स्वीकृत कर दिया जायगा ? क्या शासन को यह भी जानकारी है कि अमावस्या के मेला के अवसर पर लाखों यात्री रात्रि में कामदगिरी की परिक्रमा करते हैं जिसके लिए पूरे क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था जरूरी है ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

वित्तीय वर्ष 1986-87 के आय-व्ययक में मार्ग प्रकाश व्यवस्था की मद में कम धनराशि उपलब्ध होने के कारण कुछ ही स्थानीय निकायों को अनुदान स्वीकृत किया गया था । चालू वित्तीय वर्ष 1987-88 में प्रदेश की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण आय-व्ययक में प्राविधानित शेष धनराशि फ्रीज कर दी गई है, इसलिए नगरपालिका करबी को उक्त मद में अनुदान स्वीकृत करना संभव नहीं है ।

लखनऊ के इन्दिरा नगर कालोनी के भवन संख्या डी0 1444 के सामने से पोल के स्टे वायर हटाने की मांग

48–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री केवलानन्द बिष्ट को आवास विकास द्वारा आवंटित भवन संख्या डी-1444 (इन्दिरानगर) के सामने जो भूमि एक कमरे बनाने हेतु दी गई थी उस पर विद्युत पोल के स्टे वायर हटाने के संबंध में दो प्रार्थना पत्र दिनांक 7-5-86 तथा 20-9-86 उनके विभाग तथा मंत्री जी को प्राप्त हुए थे ? यदि हां, तो उस पर आज तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों तथा उन्हें कब तक हटवा दिया जायेगा ? क्या दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही भी की जायेगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

चूंकि विद्युत पोल के स्टे वायर हटाने का उत्तरदायित्व उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् का है, अत: श्री केवलानन्द विष्ट से प्राप्त प्रार्थना पत्र के आधार पर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा विद्युत परिषद् से अनुरोध किया गया है ।

इस कार्य का उत्तरदायित्व उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् का है ।

चूंकि उक्त कार्य विद्युत परिषद् से संबंधित है, अत: आवास विकास परिषद् के किसी कर्मचारी को दोषी मानकर उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता है ।

आवास विकास परिषद् के एल0 डब्लू0 एस0 के निर्मित मकानों में शौचालय/रसोई की समुचित व्यवस्था करने की मांग

49–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् के एल0 डब्लू0 एस0 के निर्मित मकानों में कहीं-कहीं शौचालय एवं रसोई घर पर टीन तथा कहीं-कहीं आर0 सी0 सी0 की छत बनाये जाने का क्या औचित्य है ? क्या मंत्री जी टीन वाले आवासों पर भी आर0 सी0 सी0 की छत बनवाने का कष्ट करेंगे ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा दुर्बल आय वर्ग के निर्मित भवनों के शौचालय एवं रसोई घर पर कहीं भी टीन की छत नहीं डाली गई है । कहीं-कहीं पर ए0 सी0 सी0 अथवा अन्य सामग्री की छतें निर्धारित मूल्य सीमा को बनाये रखने के उद्देश्य से डाली गई थी तथा इसी का मूल्य आवंटियों से लिया गया है ।

टीन की छतें डाली ही नहीं गई हैं, अत: उनके बदलने का प्रश्न नहीं उठता है।

इलाहाबाद, विकास प्राधिकरण द्वारा की जा रही भवन तथा भूमि विक्रय की नीलामी प्रथा समाप्त करने की मांग

50–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या विकास मंत्री को ज्ञात है कि नीलामी पद्धति सामंती पद्धति है और समाजवादी पद्धति भारतीय संविधान में स्वीकार करने के बावजूद इलाहाबाद विकास प्राधिकरण भवन तथा नीलामी पद्धति से विक्रय करते हैं ? यदि हां, तो क्या मा0 मंत्री इसको समाप्त कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

इलाहाबाद विकास प्राधिकरण द्वारा शासन के वर्तमान निर्देशों के अनुसार भवन एवं आवासीय भूखण्डों का निस्तारण नीलामी द्वारा नहीं किया जा रहा है बल्कि लाटरी द्वारा किया जा रहा है ।

51–श्री हरेन्द्र सिंह–

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

नगरपालिका कौसीकलां (मथुरा) द्वारा संचालित सिविल अस्पताल में अप्रशिक्षित फार्मा-... सिस्ट श्री रोहिताश मित्तल का स्थायीकरण

52–श्री सरदार सिंह–

क्या सरकार की जानकारी में है कि नगरपालिका कौसीकलां (मथुरा) द्वारा संचालित सिविल अस्पताल में अस्थायी एवं अप्रशिक्षित फार्मासिस्ट श्री रोहिताश मित्तल को दिनांक 1-6-87 को नियम विरुद्ध स्थायी कर दिया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या शासन वहां पर स्थायी एवं प्रशिक्षित फार्मासिस्ट की नियुक्ति करने की कृपा करेगा? यदि नहीं तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

श्री रोहिताश मित्तल को उत्तर प्रदेश लोक सेवा अधिकरण के आदेशानुसार सहायक निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, आगरा मण्डल, आगरा की सम्मति से स्थायी किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

लखनऊ विकास प्राधिकरण के प्लाट संख्या 995 सीतापुर रोड योजना फेज-2 लखनऊ के टाइप सी के लिए जमा धनराशि को अंकित करने में गड़बड़ी

53–श्री कनक सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में अभ्यर्थी श्री मुनव्वर इकबाल ने रजिस्ट्रेशन फार्म सं0 995 सीतापुर रोड योजना फेज-2 के अन्तर्गत सी टाइप प्लाट के लिए रु0 5,000/-जमा किये थे जो ई-टाइप वाली लिस्ट में 2000/- दिखाये गये हैं और उनका न तो लाटरी में नाम है और न ही धन वापिस किया जा रहा है? क्या मंत्री जी इसको प्लाट एलाट करने की कृपा करेंगे और इस घोटाले की सी0 आई0 डी0 से जांच करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

श्री मुनव्वर इकबाल, द्वारा सीतापुर योजना फेज-2 हेतु रु0 5,000/- जमा किये गये थे, लेकिन लिपिकीय त्रुटि के कारण उनका नाम रु0 2,000-00 वाले ई-टाइप लिस्ट में सम्मिलित हो गया, जिसका सुधार करके उनके प्रार्थना-पत्र दिनांक 22-7-87 के अनुसार सी-टाईप भूखण्ड संख्या सी-1/25 आवंटन शर्तों के आधार पर नियमानुसार आवंटित कर दिया गया है । श्री मुनव्वर इकबाल उक्त भूखण्ड हेतु दो किश्तें भी जमा कर चुके हैं ।

श्री मुनव्वर इकबाल की इच्छानुसार ही उन्हें भूखण्ड आवंटित किया गया है । अतः सी0 आई0 डी0 जांच कराने का औचित्य ही नहीं बनता ।

प्रशासक किसान सेवा सहकारी समिति लिमि0 अलीपुर जिला गाजियाबाद को पुनर्नियुक्ति

54–श्री कनक सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रशासक किसान सेवा सहकारी समिति लि0 अलीपुर जिला गाजियाबाद श्री राम मोहन को जिला सहायक निबन्धक गाजियाबाद ने गंभीर अनियमितताओं की जांच आख्या पर प्रशासक पद से वर्ष 1985-86 में हटा दिया था ? क्या यह सही है कि उक्त जिला सहायक निबन्धक ने पुनः एक वर्ष बाद उक्त

प्रशासक को पुनः अनियमित रूप से प्रशासक के पद पर वर्ष 1986 में नियुक्त कर दिया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि अपर निबन्धक विधि लखनऊ ने प्रशासक को अपने पत्र संख्या 1296 दिनांक 28 अगस्त, 1986 के द्वारा जिला सहायक निबन्धक गाजियाबाद को हटाने के आदेश दिये थे ? यदि हां, तो उस पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां, पुनः नियुक्ति 2 जून, 1986 को की गई ।

अपर निबन्धक (विधि) का सुझाव प्राप्त हुआ था, प्रशासक को कारण बताओ नोटिस दिया गया । उनके संतोषजनक स्पष्टीकरण के आधार पर उन्हें प्रशासक पद पर बने रहने दिया गया ।

ग्राम कटरा शहादतगंज ब्लाक उसावां परगना उसहैत, जिला बदायूं के काश्तकारों द्वारा विकास खण्ड के सहकारी समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार के विरुद्ध शिकायत

55–श्री राज किशोर सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री प्रश्नकर्ता के स्मृति पत्र दिनांक 26-9-87 व मूल पत्र दिनांक 23-6-87 जिसके साथ श्री राधेश्याम एडवोकेट बदायूं का पत्र दिनांक 23-5-87 व ग्राम कटरा शहादतगंज, ब्लाक उसावां परगना उसहैत, तहसील दातागंज जनपद बदायूं के उक्त ब्लाक की सहकारी समितियों में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में जिलाधिकारी बदायूं को संबोधित पत्र दिनांक 5-5-87 की प्रतिलिपि उनको प्रेषित की गई है, के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि उक्त पत्रों में उल्लिखित भ्रष्टाचार के आरोपों व सहकारी समिति के तत्कालीन सचिव जयपाल सिंह व वर्तमान सचिव रामाशंकर के आचरण की जांच की गयी ? यदि हां, तो जांच के परिणाम क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी हां, जांच की गयी, जांच के परिणाम से शिकायत कर्ताओं को अवगत करा दिया गया है ।

जल संस्थान एवं विकास प्राधिकरण वाराणसी द्वारा की जा रही अनियमितताएं

56–श्री राज किशोर सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा 14 का उल्लंघन एवं सचिव वाराणसी विकास प्राधिकरण सक्षम प्राधिकारी नगर भूमि सीमारोपण वाराणसी अध्यक्ष जल संस्थान वाराणसी के अराजी सं0 8/1 हुकुलगंज, वाराणसी के संबंध में निर्देशों की उपेक्षा तथा उक्त भूमि पर अनाधिकृत कब्जा करने वाले गिरोह द्वारा प्रस्तावित कंठनगर कालोनी के भूविन्यास के दिनांक 1-1-87 के निरस्तीकरण आदेश की अवहेलना कर जल संस्थान वाराणसी के महाप्रबन्धक ने प्रश्नगत सीलिंग की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों द्वारा बिछाई गई 4 इंच की पाइप में बिना मीटर लगाये नियम के विरुद्ध जल संयोजन दे दिया है? यदि हां, तो संदर्भित कीमती भूमि को बचाने के लिए अवैध दिया गया जल संयोजन निरस्त कर देने में शासन को क्या कठिनाई हो रही है?

श्रीमती पद्मा सेठ–

प्रश्नगत आराजी का भू-विन्यास दिनांक 8-8-84 को विकास प्राधिकरण वाराणसी द्वारा स्वीकृत किया गया था जो कि दिनांक 1-1-87 को विकास प्राधिकरण, वाराणसी द्वारा निरस्त किया गया था जबकि जल संस्थान, वाराणसी द्वारा दिनांक 3-9-85 को ही मीटरयुक्त 1/2 इंच का जल संयोजन नियमानुसार दिया गया था। इस प्रकार प्रश्नगत आराजी पर कोई भी अनधिकृत जल संयोजन जल संस्थान, वाराणसी द्वारा नहीं दिया गया था।

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 9-3-87 को दिये गये स्थगन आदेश के अनुपालन में प्रश्नगत जल संयोजन को निरस्त किया जाना सम्भव नहीं है।

डा0 गणेश कृष्ण जेटली संयुक्त चिकित्सालय अकबरपुर फैजाबाद में महिला डाक्टर की मांग

57–श्री अकबर हुसैन बाबर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि डा0 गणेश कृष्ण जेटली संयुक्त चिकित्सालय अकबरपुर, फैजाबाद में कितने दिनों से कोई महिला डाक्टर नहीं है? क्या सरकार इस अस्पताल में महिला डाक्टर की नियुक्ति कर रही है? यदि हां, तो कब तक?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

डा0 गणेश कृष्ण जेटली संयुक्त चिकित्सालय अकबरपुर फैजाबाद में सितम्बर 1987 से कोई महिला डाक्टर नहीं है। उक्त चिकित्सालय में अंशकालिक चिकित्साधिकारी (महिला) की तैनाती शीघ्र की जा रही है।

उप निदेशक कृषि मेरठ द्वारा सहायक कृषि निरीक्षक हापुड़ के विरुद्ध निदेशक कृषि विभाग से की गई शिकायत

58–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निदेशक कृषि मेरठ मंडल ने सहा0 कृषि निरीक्षक हापुड़ के विरुद्ध प्राइवेट डीलरों से मिलावटी खाद लेकर सरकारी गोदाम पर बेचने के बारे में माह जनवरी, फरवरी, 1987 में कृषि निदेशक लखनऊ को रिपोर्ट की थी जिसके आधार पर उनका ट्रान्सफर बहराइच जनपद में जून, 1987 में किया गया था? यदि हां, तो उस पर गंभीर अनियमितता के बावजूद उन्हें पुनः हापुड़ में ही रोकने का क्या कारण है? क्या शासन उक्त कर्मचारी के खिलाफ कोई सख्त कार्यवाही करने पर विचार कर रहा है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां।

उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियां । जांच में शिकायती बिन्दुओं की प्रमाणिकता न होने के कारण उक्त कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

मथुरा जनपद की मांट तहसील में उच्चीकृत अस्पताल में तैनात स्टाफ

59–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद की मांट तहसील में कोई उच्चीकृत अस्पताल है? यदि हां, तो कब से और उसमें कितने विभिन्न श्रेणी के स्टाफ की आवश्यकता है? वर्तमान में कितने डाक्टर व अन्य स्टाफ इसमें कार्यरत हैं? क्या शासन उक्त अस्पताल में निर्धारित पदों के अनुरूप स्टाफ की नियुक्ति करने पर विचार कर रहा है? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां, वर्ष 1982 से । सा0 स्वास्थ्य केन्द्र मांट (तत्कालीन उच्चीकृत प्रा0 स्वा0 केन्द्र) में निम्नलिखित स्टाफ आवश्यक एवं कार्यरत हैं :–

पदनाम	आवश्यक	कार्यरत
1–अधीक्षक	1	–
2–सर्जन	1	–
3–स्त्री रोग विशेषज्ञ	1	1
4–दन्त चिकित्सक	1	–
5–बालरोग विशेषज्ञ	1	–
6–स्टाफ नर्स	3	–
7–फार्मेसिस्ट	1	1
8–डेन्टल हाईजिनिस्ट	1	–
9–चतुर्थ श्रेणी कर्मी	7	7

रिक्त पदों पर शीघ्र तैनाती का प्रयास किया जा रहा है।

जल संस्थान कोटद्वार द्वारा क्षेत्र की जनता को अशुद्ध जल पिलाये जाने के सम्बन्ध में शासन को भेजी गई नोटिस और जांच की मांग

60–श्री शूरबीर सिंह सजवाण–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जल संस्थान प्रभाग कोटद्वार द्वारा कोटद्वार भावर की जनता को अशुद्ध पानी (बिना फिल्टर किया हुआ) पिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री जगमोहन भरद्वाज एडवोकेट द्वारा एक नोटिस दिनांक 20-1-88 को सचिव न्यायत्त शासन विभाग उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुआ था? यदि हां, तो शासन ने अब तक इस पर क्या कार्यवाही की है?, क्या सरकार कोटद्वार भावर में पानी के फिल्टर करने की व्यवस्था इसी वित्तीय वर्ष में करने पर विचार कर रही है?, यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार कोटद्वार भावर की जनता को पिलाये जाने वाले गन्दे पानी की जांच करायेगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां।

नोटिस आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु गढ़वाल जल संस्थान को भेजी गयी है।

जी नहीं।

वर्तमान में जल की आपूर्ति अन्य ग्रामीण पेयजल योजनाओं की तरह रफनिंग फिल्टर अथवा बोल्डर फिल्ड गैलरी के माध्यम से एवं पानी में ब्लीचिंग पाउडर मिलाने के उपरान्त की जाती है। सामान्य रूप से प्राकृतिक श्रोतों से लिया गया पानी गन्दा नहीं होता है। वह पानी रफनिंग फिल्टर एवं बोल्डर फिल्ड गैलरी से गुजरने के बाद काफी साफ हो जाता है। भाबर के कुछ क्षेत्र में मिशन नलकूप से पानी की आपूर्ति की जाती है जिसमें फिल्ट्रेशन की कोई आवश्यकता नहीं होती है।

जी हां।

61–श्री शूरवीर सिंह सजवाण–

[उत्तर गुरुवार के लिए स्थगित]

जनपद हरदोई के विकास खण्ड मल्लावां, माधोगंज, बिलग्राम में पेयजल व्यवस्था

62–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या ग्राम विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के विकास खण्ड मल्लावां माधोंगंज एवं बिलग्राम में पेयजल की सुविधा हेतु समस्त गांवों में हैण्ड पाइपों की व्यवस्था कराई गयी है ? यदि नहीं, तो कौन-कौन गांव इस से वंचित रखे गये हैं और इनमें कब तक व्यवस्था करा दी जायेगी ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी नहीं ।

सूची संलग्न है ।

अलाभान्वित ग्राम समस्याग्रस्त ग्रामों की सूची में नहीं है । शासन की वर्तमान नीति के अनुसार समस्याग्रस्त ग्रामों को वरीयता के आधार पर पेयजल सुविधा उपलब्ध कराई जानी है । अतः इनमें पेयजल की व्यवस्था किया जाना फिलहाल संभव नहीं है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 175 तर ।)

क्षेत्रीय मृद्रा परीक्षण प्रयोगशाला वाराणसी के निर्माण हेतु दी गयी धनराशि का प्रयोग

63–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या कृषि मंत्री जी को जानकारी है कि वाराणसी जिला अन्तर्गत स्थित क्षेत्रीय मृद्रा परीक्षण प्रयोगशाला भवन ब्लाक काशी विद्यापीठ के निर्माण हेतु सरकार द्वारा दी गयी धनराशि का आहरण विभाग के अधिकारियों द्वारा कर लिया गया है ? यदि हां, तो उक्त भवन के सम्पूर्ण निर्माण कार्य को अब तक पूरा न कराये जाने के लिये कौन अधिकारी जिम्मेदारी है ? क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने तथा प्रस्तावित निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा कराने पर विचार करेगी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

उक्त भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है जिसमें प्रयोगशाला स्थापित की जा चुकी है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

जनपद आगरा के ब्लाक अकोला के गहरकिला गहरखुर्द खेड़िया आदि ग्रामों को पेयजल की आपूर्ति

64–श्री बदन सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद आगरा के ब्लाक अकोला में स्थित ग्राम गहरकिला, गहरखुर्द खेड़िया आदि ग्रामों को पेयजल आपूर्ति हेतु प्रश्नकर्ता ने जिलाधिकारी आगरा को ग्राम समूह पेयजल योजना गहरकिला में चालू करने के लिए वर्ष 1987 में प्रस्तावित की है ? यदि हां, तो यह योजना अभी तक स्वीकृत कर कार्यान्वित करने का क्या कारण है ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

गहरकिला ग्राम की हैण्ड पम्प से तथा गहरखुर्द एवं खेड़िया ग्रामों को पाइप योजनाओं से पूर्व में ही लाभान्वित किया जा चुका है ।

प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल फतेहपुर सीकरी, आगरा में खारे पानी के स्थान पर मीठे पानी की आपूर्ति करने की मांग

65–श्री बदन सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद आगरा के प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान फतेहपुर सीकरी में पहाड पर बसी हुई इन्दिरा घाटी, रोजेताल, नई बस्ती और शिवपुरी आदि सभी बसे मुहल्लों में खारी पेयजल की आपूर्ति अपूर्ण मात्रा में की जा रही है ? यदि हां, तो शासन वहां मीठे पानी की पूर्ण आपूर्ति क्यों नहीं करा रहा है ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

वाराणसी महानगर के परगना शिवपुर में स्थित ग्राम सरसौड़ी तथा बलितपुर के कतिपय आराजी संख्या पर फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करके विक्रय किये जाने की शिकायत

66–श्री राजित प्रसाद यादव–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि वाराणसी महानगर के परगना-शिवपुर में स्थित ग्राम सरसौड़ी की आराजी संख्या 47, 48, 49, 50 जो नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1976 से प्रभावित थी, को फर्जी अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या 1317 व 1224 के आधार पर दिनांक 16-4-85 व 22-3-85 व 3-6-86 को अवैधानिक साधनों से विक्रय कर दिया गया ? यदि हां, तो इसके लिए कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी हैं और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां । किन्तु जिस अनापत्ति प्रमाण पत्रों के आधार पर निबंधन किया गया वे फर्जी थे ।

उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिये इस मामले की सी0 आई0 डी0 से जांच कराया जाना प्रस्तावित है । भू-धारकों के विरुद्ध नगर भूमि अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही प्रगति पर है । उनके द्वारा किये गये बैनामों को अकृत व शून्य माना गया है ।

67—श्री राजित प्रसाद यादव—

क्या नगर विकास मंत्री जी को यह मालूम है कि वाराणसी महानगर के परगना-शिवपुर के अन्तर्गत ग्राम-दौलतपुर की आराजी संख्या 1, 3, 4 रकबा लगभग 4 एकड़ नगर भूमि सीमारोपण अधिनियम 1976 से प्रभावित होने के बावजूद फर्जी ढंग से दिनांक 17-4-82 की अनापत्ति प्रमाणपत्र आदेश संख्या 26 के आधार पर दिनांक 30-4-84 को विक्रय हेतु निबंधित कर दी गयी ?यदि हां, तो इसके लिये कौन-कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती पद्मा सेठ—

जी हां । किन्तु जिस अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर विक्रय विलेख निबंधित हुआ वह फर्जी बनाया गया था ।

उत्तरदायित्व निर्धारित करने के लिये सी0 आई0 डी0 जांच प्रस्तावित है । भूधारक के विरुद्ध नगर भूमि अधिनियम के प्राविधानों की अन्तर्गत कार्यवाही प्रगति पर है । उसके द्वारा किये गये बैनामे को अकृत व शून्य माना गया है ।

फसल बीमा योजना के अन्तर्गत वर्ष 1986 व 1987 में रबी व खरीफ फसलों के लिए किसानों से ली गयी प्रीमियम किस्त

68—श्री जयदीप सिंह बरार—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खरीफ 1986 रबी 1986-87 तथा खरीफ 1987 में फसल बीमा योजना के अन्तर्गत प्रदेश की किसानों से प्रीमियम के तौर पर फसलानुसार कितनी-कितनी धनराशि ली गई तथा प्रत्येक फसल में कितनी धनराशि के क्लेम फाइल किए गये तथा प्रत्येक फसल पर कुल कितनी-कितनी धनराशि का भुगतान क्लेम के आधार पर किसानों को किया गया ? क्लेम भरवाने के लिए विभाग ने किसानों की क्या मदद की है ? क्या मंत्री जी फसल कटाई के 90 दिन की अन्दर सभी किसानों की क्या मदद की है ? क्या मंत्री जी फसल कटाई के 90 दिन के अन्दर सभी क्लेम निरस्तारित करवाने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह—

वर्ष तथा फसलें		किसानों से कुल एकत्र किया गया प्रीमियम (हजार रुपयों में)	किसानों को कुल दिया गया मुआविजा (हजार रुपयों में)
1		2	3
1986–87			
खरीफ	.. धान	7910.00	5918 87
	मक्का	261.00	3.97
	बाजरा	286.00	379.12
	उर्द	27.00	2.94
	मूंगफली	30.00	0.03
	सोयबीन	28.00	0.00

1		2	3
रबी	.. गेहूं	7274.54	1849.28
	चना	72.33	80.43
	मटर	10.46	0.87
	मसूर	10.87	0.04
	लाही-सरसों	36.07	53.03
1987–88			
खरीफ	.. धान	9209.12	अभी घोषित नहीं
	मक्का	449.32	हुआ।
	बाजरा	424.76	
	ऊर्द	94.23	
	मूंगफली	71.83	
	सोयाबीन	136.74	

योजना में किसानों को क्लेम भरने की आवश्यकता नहीं पड़ती है।

क्लेम को निस्तारण भारतीय साधारण बीमा निगम द्वारा किया जाता है।

इलाहाबाद महानगर के कस्बा अल्लापुर के सम्पूर्ण भवनों का विनियमितीकरण करने की मांग

69–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि सम्पूर्ण अल्लापुर इलाहाबाद में निर्मित भवनों के विनीयमितीकरण हेतु पत्रांक संख्या-एल0 एस0 जी0 डी0 लखनऊ-2018 ख/37-36 (3) 25/66 दिनांकित 5-6-71 व 1981 में नगर विकास विभाग से शासनादेश संख्या 3014/27-2-81 (38) (111) 25/66-81 जारी किया गया था ? यदि हां, तो इसके अनुसार सारे भवनों का विनियमितीकरण कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या अब उपरोक्त नीतियों के अनुसार तत्काल विनियमितीकरण की कार्यवाही की जायेगी ?यदि हां, तो कब तक ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

सूचना एकत्र की जा रही है।

इलाहाबाद महानगर के अल्लापुर रेलवे डाट के पुल को चौड़ा करने, रसूलाबाद घाट पर विद्युत शव दाह- गृह बनाने तथा जार्ज टाउन, टैगोर टाउन आदि में जल भराव समस्या

70–श्री अनुग्रह नारायण सिंह–

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा इलाहाबाद के अल्लापुर रेलवे डाट के पुल को चौड़ा करने, रसूलाबाद घाट पर विद्युत शव दाह-गृह बनवाने तथा जार्ज टाउन टैगोर टाउन, अल्लापुर, एल0 आई0 सी0 कालोनी आदि में जल भराव दूर कराने हेतु कोई ज्ञापन दिनांकित 31 दिसम्बर, 1987 को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या-क्या कार्यवाही की गई और कब तक कार्य पूरे हो जायेंगे? यदि नही, तो क्या सरकार तत्काल प्रभावी कार्य कराने का कष्ट करेगी?

श्रीमती पद्मा सेठ–

सूचना एकत्र की जा रही है।

मुख्य खाद्य निरीक्षक मेरठ द्वारा कालाधन जमा करने के विरुद्ध सतर्कता जांच की रिपोर्ट

71–श्री यदुनाथ सिंह–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 1987 के पहले गुरुवार के लिये निर्धारित अता0 प्रश्न सं0 16 के संदर्भ में क्या स्वास्थ्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि सर्तकता अधिष्ठान को जांच रपट का क्या परिणाम रहा ? जांच के दौरान मुख्य खाद्य निरीक्षक की तैनाती कहां-कहां पर रही, ये कब सेवा निवृत्त होंगे?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

सतर्कता अधिष्ठान की जांच का परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। उक्त मुख्य खाद्य निरीक्षक बराबर जनपद मुजफ्फरनगर में ही तैनात रहे हैं। वे दिनांक 30-11-1992 को सेवा निवृत्त होंगे ।

उर्सला चिकित्सालय कानपुर के संस्थापक के पुत्र द्वारा अस्पताल के नवनिर्माण के लिए धन उपलब्ध कराने की पहल

72–श्री मैनेजर सिंह–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उर्सला चिकित्सालय कानपुर की संस्थापक एवं स्वदेशी काटन मिल के पूर्व मालिक श्री हर्ष मैन के लड़के ने अपने पिता द्वारा स्थापित ट्रस्ट से उर्सला स्पताल कानपुर के पुनरोद्धार एवं नव निर्माण के लिए धन शासन को देने की पहल की है? यदि हां, तो सरकार धन प्राप्त करने के लिए क्या कार्यवाही कर रही है? क्या सरकार स्व0 हर्षमैन द्वारा स्थापित ट्रस्ट से उर्सला अस्पताल के विकास के लिये धन प्राप्त करने की पहल करेगी ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रश्न में उल्लिखित अस्पताल और उसके कंजुअल्टी वार्ड के मध्य एक ओवर हैड ब्रिज के निर्माणार्थ धन देने का प्रस्ताव हर्षमैन ट्रस्ट द्वारा किया गया था जो स्वीकार कर लिया गया है । ट्रस्ट द्वारा दी गयी धनराशि की पहली किश्त भी शासन को प्राप्त हो गयी है । प्रश्न नहीं उठता ।

तत्कालीन खाद्य निरीक्षक, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भोजीपुरा, जनपद बरेली के विरुद्ध भ्रष्टाचार की शिकायत

73–श्री कुशलपाल सिंह–

विधान सभा के तृतीय सत्र 1987 के पहले गुरुवार के लिए निर्धारित श्री अर्जुन सिंह यादव सदस्य, विधान सभा द्वारा पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0-59 के उत्तर के सम्बन्ध में क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री राजा राम का स्थानान्तरण सहारनपुर कर दिये जाने से उनके खिलाफ भ्रष्टाचार सम्बन्धी मामले की जांच को समाप्त कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी श्री राजा राम को तब तक कार्यभार नहीं ग्रहण करायेंगें जब तक जांच समाप्त न हो जायें?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी नहीं ।

जांच करा ली गई है । जांच में श्री राजा राम को दोषी पाया गया, अतः प्रश्न नहीं उठता ।

तहसील मुख्यालयों पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उच्चीकृत सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवर्तन

74–श्री हृदय नरायन दीक्षित–

क्या स्वास्थ्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासन की नीति सभी तहसील मुख्यालयों पर स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को उच्चीकृत सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में परिवर्तित करने की है ? यदि हां, तो क्या यह सच है कि इसी नीति के अन्तर्गत उन्नाव जिले की पुरवा तहसील की प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकरण के जिला योजना में किये गये प्रस्ताव वर्ष 1986–87 तथा 1987–88 के संदर्भ में प्रश्नकर्ता के पत्र माह नवम्बर, 1987 व 19 जनवरी, 1988 माननीय मंत्री जी को मिले हैं ?यदि हां, तो पूरे प्रकरण पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां ।

उल्लिखित पत्र प्राप्त हुए हैं, किन्तु परिव्यय के अभाव में उच्चीकरण की कार्यवाही संभव नहीं हो सकी ।

प्रश्नगत अस्पताल का उच्चीकरण अगले वर्ष की जिला योजना में सम्मिलित किये जाने तथा धन उपलब्ध कराये जाने पर ही संभव हो सकेगा ।

जिला चिकित्सालय देवरिया के चिकित्सा अधिकारी की लापरवाही से गोरख नामक व्यक्ति की मृत्यु

75–श्री रणजीत–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला चिकित्सालय देवरिया में संबंधित डाक्टर की लापरवाही के कारण दिनांक 19-3-1986 को श्री गोरख की मृत्यु हो जाने के संबंध में चिकित्सा अधिकारी देवरिया तथा उक्त डाक्टर के विरुद्ध कार्यवाही करने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 22-3-1986 प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

जी हां, उक्त पत्र में उल्लिखित बातों की अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर से जांच करायी जा रही है ।

कृषि यांत्रिक सहायक (वर्ग-2) देवरिया के विरुद्ध की गई जांच पर कार्यवाही

76–श्री रणजीत–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसी यांत्रिक सहायक (वर्ग-2) देवरिया के भ्रष्टाचार की जांच कराने के संबंध में कोई पत्र दिनांक 18-9-87 को सचिव कृषि विभाग उ0 प्र0 शासन को संबोधित, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक शासन की ओर से क्या कार्यवाही की गयी है ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां । पत्र की प्रतिलिपि कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, को पत्रोल्लिखित मामले में आवश्यक जांचोपरान्त समुचित कार्यवाही करने के लिए भेजी गयी है ।

उप कृषि निदेशक (प्रसार प्रशिक्षण) जनपद देवरिया के विरुद्ध भ्रष्टाचार संबंधित करायी गई जांच

77–श्री रणजीत–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप कृषि निदेशक (प्रसार प्रशिक्षण) जनपद देवरिया द्वारा किये गये भ्रष्टाचार की जांच के संबंध में प्रश्नकर्ता का कोई पत्र

दिनांक 12-10-87 उन्हें प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

जी हां ।

जांच करायी जा रही है ।

78–श्री अवधेश प्रसाद–

[3रे गुरुवार के लिए स्थगित]

टाउन एरिया काकोरी लखनऊ के विद्युतीकरण हेतु अनुदान स्वीकृत करने की मांग

79–श्री शारदा प्रताप–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टाउन एरिया काकोरी, लखनऊ के विद्युतीकरण एवं मार्ग प्रकाश तथा नालों के निर्माण के सम्बन्ध में अनुदान स्वीकृत करने हेतु अधोहस्ताक्षरी के पत्र दिनांक 14 सितम्बर,, 87 उन्हें प्राप्त हुए ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर विभाग द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

चालू वित्तीय वर्ष में इन मदों में अनुदान स्वीकृत करने के लिये धनराशि उपलब्ध न होने के कारण अनुदान स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं हो सका ।

गोरखपुर मेडिकल कालेज में डिप्लोमा कोर्स के लिये स्वीकृत सीटें

80–श्री राज बहादुर–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र0 के मेडिकल कालेजों को डिप्लोमा कोर्स के लिये 273 या 283 सीटें शासन द्वारा स्वीकृत करने के बावजूद गोरखपुर मेडिकल कालेज को निदेशक, स्वास्थ्य द्वारा एक भी सीट नहीं दी गयी है जिसके फलस्वरूप कई छात्रों को मेडिकल कालेज छोड़ना पड़ा है और मजबूरी वश कुछ छात्र मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर बिना स्टाइपेन्ड के डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या शासन गोरखपुर मेडिकल कालेज को डिप्लोमा कोर्स की सीटें आवंटित करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

प्रदेश में मेडिकल कालेजों में विभिन्न स्नातकोत्तर डिग्री व डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के लिये कुल 780 सीटें स्वीकृत हैं जिनमें से 420 सीटें द्विवर्षीय डिग्री पाठ्यक्रमों तथा 360 सीटें डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की हैं । उक्त 780 स्नातकोत्तर सीटों में से 24 स्नातकोत्तर डिग्री व डिप्लोमा सीटें मेडिकल कालेज गोरखपुर में हैं । शेष का प्रश्न नहीं उठता है ।

वित्तीय वर्ष 1984-85 से दिसम्बर 1987 तक उप निदेशक उद्यान वाराणसी मण्डल द्वारा प्राप्त आलू बीज एवं उसका वितरण

81–श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप निदेशक उद्यान को वाराणसी मण्डल में वर्ष 1984-85 से दिसम्बर 87 तक कुल कितना आलू बीज वर्षवार प्राप्त हुआ तथा कितना कृषकों में नकद मूल्य व उधार बिक्री किया गया तथा कुल कितनी क्षति वर्षवार हुई तथा क्षति के क्या कारण हैं ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

उप निदेशक, उद्यान, वाराणसी मंडल, ने संदर्भित वर्षों में विक्रय का कार्य नहीं किया ।

शेष प्रश्न नहीं उठता ।

मथुरा जनपद की छाता तहसील की समस्याओं के संबंध में कृत कार्यवाही

82–श्री लक्ष्मी नारायण–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि छाता क्षेत्र, मथुरा की समस्याओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता द्वारा उन्हें 12-1-88 को कोई पत्र दिया गया था ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु जिलाधिकारी, मथुरा को भेजा गया है।

टाउन एरिया शीशगढ़, जिला बरेली द्वारा लगाये जाने वाले करों का पुनर्निर्धारण और न्यायसंगत बनाने की मांग

83–श्री जयदीप सिंह वरार–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1987 में टाउन एरिया शीशगढ़, जिला बरेली में गृहकर तथा जलकर का पुनर्निर्धारण करते समय उक्त टाउन एरिया के वार्ड संख्या 4, 5 व 6 जिसमें कस्बे की सबसे गरीब आबादी निवास करती है, पर पुल कर इतना लगाया गया है जो उक्त कस्बे के वार्ड संख्या 1, 2, 3, 7, 8, 9 तथा 10 जिसमें कस्बे की तुलनात्मक दृष्टि से सम्पन्न आबादी रहती है, पर लगाये गये पुल कर से अधिक है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या मंत्री जी उक्त कर निर्धारण को निरस्त करके कर का पुनर्निर्धारण जो न्यायसंगत हो, कराने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

टाउन एरिया शीशगढ़ में गृहकर के पुनरीक्षण के समय वार्ड संख्या 4, 5, 6 में अनन्तिम रूप से कुल गृहकर रु0 24,409 तथा वार्ड संख्या–1, 2, 3, 7, 8, 9, 10 में रु0 63,312 लगाया गया है। इस प्रकार वार्ड संख्या 4, 5 व 6 में कुल गृहकर कम है। टाउन एरिया में जलकर आरोपित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता ।

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, लखनऊ में वर्तमान समय में कार्यरत सिस्टर ट्यूटरों के स्थानान्तरण की मांग

84–श्री राम आसरे वर्मा–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, लखनऊ में वर्तमान समय में कार्यरत कितनी सिस्टर ट्यूटर ऐसी हैं जिनका उसी अस्पताल में विभिन्न पदों पर अब तक का सेवाकाल 15 वर्षों से अधिक हो चुका है ? क्या स्थानान्तरण नीति विषयक शासनादेश के अन्तर्गत सम्बन्धित व्यक्तियों को अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय, लखनऊ में 2 सिस्टर ट्यूटर हैं जिनको उसी अस्पताल में विभिन्न पदों पर अब तक सेवाकाल 15 वर्षों से अधिक हो चुका है। विभाग के अन्तर्गत अन्य किसी कालेज में सिस्टर ट्यूटर के पद स्वीकृत नहीं हैं । अतः इनको अन्यत्र स्थानान्तरण करने का प्रश्न नहीं उठता है।

नगरीय क्षेत्र में जन्म व मृत्यु का पंजीकरण कार्य

85–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरीय क्षेत्र में जहां नगर महापालिका अथवा नगरपालिका व अन्य स्थानीय निकाय उपलब्ध हैं वहां जन्म मृत्यु का पंजीकरण करने का अधिकार किसको दिया गया है ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

प्रदेश की नगरमहापालिकाओं में जन्म मृत्यु का पंजीकरण करने का अधिकार उत्तर प्रदेश नगर महापालिका अधिनियम, 1959 की धारा–454 में मुख्य नगर अधिकारी को है ।

प्रदेश की नगरपालिकाओं एवं नोटीफाइड एरिया कमेटियों में उत्तर प्रदेश म्यूनिसिपल्टीज एक्ट, 1916 की धारा 7(के) के अन्तर्गत बोर्ड में अधिकार निहित है ।

टाउन एरिया कमेटियों में संयुक्त प्रान्त टाउन एरिया अधिनियम, 1915 के नियम 27(छ) के अन्तर्गत बोर्ड को है।

होम्योपैथिक शोध संस्थान, लखनऊ की स्थापना पर व्यय होने वाली धनराशि का विवरण

86–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या स्वास्थ्य मंत्री को जानकारी है कि केन्द्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान के निदेशक ने लखनऊ में होम्योपैथिक शोध संस्थानों की स्थापना करने की घोषणा की है ? यदि हां, तो उक्त संस्थान कब तक स्थापित कर दिया जायेगा और इस पर कितना धन खर्च करने की योजना है ?

श्री लोकपति त्रिपाठी–

केन्द्रीय होम्योपैथिक अनुसंधान परिषद् द्वारा लखनऊ में होम्योपैथिक शोध संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया है।

उक्त शोध संस्थान दिनांक 26 मई, 1987 से संचालित हो गया है। राज्य सरकार द्वारा संस्थान को केवल किराये का भवन उपलब्ध कराया गया है। किसी अन्य कार्य हेतु धनराशि व्यय नहीं की जानी है।

श्री रामजी लाल, सचिव, सहकारी संघ, बाजना, जनपद मथुरा द्वारा गेहूं के खरीद में सरकारी धन का गबन

87–श्री कुशल पाल सिंह–

क्या सहकारिता मंत्री को जानकारी है कि श्री राम जी लाल, सचिव, सहकारी संघ, बाजना, जनपद मथुरा ने वर्ष 82-83 से पी0 डी0 एस0 का मु0 15,000 तथा गेहूं खरीद का 5000/- कुल 20000 रु0 (बीस हजार) का गबन किया है जिसकी आपत्ति आडिट विभाग ने भी स्पेशल रिपोर्ट बनाकर दी थी जिसको अपर जिला सहकारी अधिकारी, मांट (मथुरा) ने दिनांक 17-9-86 को जिला सहायक निबन्धक, मथुरा को आवश्यक कार्यवाही हेतु दिया था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री अरुण कुमार सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं, बल्कि जिला अधिकारी, मथुरा की सम्बोधित माननीय विधायक जी का पत्र दिनांक 29-9-86 के साथ अपर जिला सहकारी अधिकारी, मांट के पत्र दिनांक 17-9-86 की फोटो प्रति जिला अधिकारी के पृष्ठांकन आदेश दिनांक 28-9-86, जांच हेतु दिनांक 14-10-86 को प्राप्त हुआ था।

माननीय विधायक जी के उपर्युक्त पत्र पर जांच करायी गयी । जांच अधिकारी/अपर जिला सहकारी अधिकारी, मांट ने जांच रिपोर्ट दिनांक 8-1-88 को दी, जिसमें श्री राम जी लाल, सचिव, सहकारी संघ, बाजना जनपद मथुरा को दोषी नहीं पाया । इसलिए कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता है ।

वित्तीय वर्ष 1985-86, 86-87 व 87-88 में मेरठ मण्डल के कृषि रक्षा रसायनों के गुणत्व परीक्षण में दण्डित किये गये विक्रेताओं की संख्या

88–श्री राजेन्द्र शर्मा–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि मेरठ मण्डल में कृषि रक्षा रसायनों के गुणत्व परीक्षण हेतु लिये गये नमूनों में से कितने प्रतिशत विक्रेता/डीलर वर्ष 85-86, 86-87 व 87-88 में सजा पाये व दण्डित किये गये ? क्या किसानों को कालातीत औषधियां इन प्रत्येक वर्षों में वितरित कराई गईं ? यदि हां, तो क्यों ?

चौधरी नरेन्द्र सिंह–

मेरठ मण्डल में कृषि रक्षा रसायनों के गुणात्मक परीक्षण हेतु वर्ष 85-86 में 236 नमूने, वर्ष 86-87 में 257, वर्ष 87-88 में अभी तक 182 नमूने लिये गये, जिनमें से वर्ष 85-86 में 42 नमूने, वर्ष 86-87 में 31 नमूने तथा वर्ष 87-88 में 33 नमूने अधोमानक पाये गये । न्यायालय में वर्ष 85-86 में 39, वर्ष 86-87 में 20, वर्ष 87-88 में 17 वाद दायर किये गये जिनमें से कुल 12 वादों पर न्यायालय द्वारा निर्णय सुनाया गया । इनके फलस्वरूप वर्ष 85-86 में 5, वर्ष 86-87 में 5 और वर्ष 87-88 में 6 विक्रेता/डीलर दण्डित हुए।

जी नहीं ।

निर्वाचन क्षेत्र गोकुल, मथुरा में पेयजल योजना में व्यय की गई धनराशि

89–श्री सरदार सिंह–

क्या नगर विकास मंत्री की जानकारी में है कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र गोकुल (मथुरा) में पेयजल हेतु कुछ टंकियों का निर्माण, कुछ इण्डिया मार्क-2 हैण्ड पाइप की स्थापना और सूखा राहत में कुछ साधारण हैण्ड पम्प की भी स्थापना हुई है ? यदि हां, तो वित्तीय वर्ष 1984-85 से वर्ष 1987-88 तक के हुए कार्यों का वर्ष एवं काम वाइज कुल व्यय विवरण माननीय मंत्री जी सदन के पटल पर रखने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

कराये गये कार्य एवं व्यय की गयी धनराशि का विवरण निम्न प्रकार है :—

वर्ष	कार्य	व्यय की गई धनराशि (लाख रु0 में)
1984-85	8 हैण्डपम्प	0.80
1985-86	10 ,,	1.00
1986-87	70 ,,	8.00
	9 टंकी	22.20
1987-88	138 हैण्डपम्प	14.00
	4 टंकी	10.30

प्रश्न नहीं उठता ।

बरेली महापालिका में कार्यरत मालियों की सेवाओं का अधिकारियों द्वारा कथित दुरुपयोग

90–डाक्टर दिनेश जौहरी–

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि बरेली महापालिका में नियुक्त अधिकांश मालियों से विभिन्न पार्कों (उद्यानों) में कार्य न कराकर अधिकारियों के घरों पर कार्य कराया जा रहा है जिसके कारण नगर के समस्त पार्क उजड़े पड़े हैं ? क्या मंत्री जी बरेली महापालिका में कार्यरत मालियों की नामवार एवं उनके कार्य स्थल की सूची सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

मालियों से अधिकारियों के घर पर कार्य नहीं लिया जा रहा है।

सूची संलग्न है।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 176-178 पर)

नगर महापालिका अस्पताल, गणेशगंज, लखनऊ को मिलने वाला वार्षिक अनुदान

91–श्री त्रियुगी नारायण मिश्र–

क्या स्वास्थ्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगर महापालिका अस्पताल, गणेशगंज, लखनऊ को प्रतिवर्ष कितना रु0 शासन द्वारा दवा आदि के लिए मिलता है ? उक्त अस्पताल में रोगियों को क्या-क्या सुविधायें दी जाती हैं ? क्या उक्त अस्पताल में मरीजों की भर्ती की भी सुविधा है ? यदि नहीं, तो क्यों और कब से उक्त अस्पताल में मरीजों की भर्ती की सुविधा बन्द की गयी है तथा किस कारण से ? क्या उक्त अस्पताल में काफी समय से कई कम्पाउन्डरों के पद भी रिक्त हैं ? यदि हां, तो उक्त पद पर नियुक्ति न करने के क्या कारण हैं ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

नगर महापालिका, लखनऊ द्वारा संचालित गणेशगंज डिस्पेंशरी को दवाओं आदि के लिए शासन से कोई भी धन प्राप्त नहीं होता है।

उक्त डिस्पेन्सरी में साधारण रोगों के उपचार की सुविधा उपलब्ध है।

मरीजों की भर्ती की व्यवस्था इस समय नहीं है। यह व्यवस्था लगभग 10 वर्ष पूर्व समाप्त कर दी गयी थी क्योंकि महापालिका अपने सीमित संसाधनों से इस पर आने वाला व्यय भार वहन करने में समर्थ नहीं थी।

कम्पाउन्डर के दो पद वर्तमान में रिक्त हैं क्योंकि इस समय शासन द्वारा नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है।

विधान सभा क्षेत्र सरोजनीनगर, लखनऊ में लगे सरकारी हैण्ड पाइपों का विवरण

92–श्री शारदा प्रताप–

क्या ग्राम्य विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र सरोजनीनगर, लखनऊ में विकास खण्ड सरोजनी-नगर, काकोरी, मोहनलालगंज में इण्डिया मार्क–2 के कितने हैण्ड पाइप एवं कुओं का निर्माण हुआ तथा हैण्ड पम्प किन-किन गांवों तथा किन लोगों के घरों के मध्य लगाये गये ? उनमें से कितने कार्यान्वित हैं तथा कितने खराब पड़े हैं ? क्या भविष्य में भी उक्त विकास खण्डों में इण्डिया मार्क–2 के हैण्ड पाइप एवं कुओं का निर्माण कराया जायगा ? यदि हां, तो किन-किन स्थानों पर ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती पद्मा सेठ–

जी हां ।

वर्ष 1987-88 में सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्ड सरोजनीनगर, काकोरी तथा मोहनलालगंज में क्रमशः 7, 5 तथा 5 इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प जिलाधिकारी से प्राप्त सूची के अनुसार लगाये गये हैं।

सूची–1 संलग्न है।

सभी हैण्डपम्प चालू हालत में हैं ।

जी हां ।

संलग्न सूची–2 के अनुसार।

प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 179-180 पर)

93–श्री राम सजीवन–

[दूसरे सोमवार में अता0 प्र0 सं0 139 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

राम शरण दास जी पहले सूर्य प्रताप शाही जी का व्यवस्था का प्रश्न आया, वह होगा । व्यवस्था का प्रश्न मैं नियम 301 और 300 के बाद लूंगा।

श्री राम शरण दास–

मेरा आइटम नम्बर-3 के संबंध में है ।

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के बाद लूंगा ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, मेरा प्रश्नों के बारे में व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष–

अब आप बैठें, मैं सुनूंगा ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मेरी नियम 300 के अन्तर्गत औचित्य के प्रश्न की सूचना है। आप बता दें कि कब सुनेंगे, मैं बैठ जाऊंगा ?

श्री अध्यक्ष–

आपकी सूचना मिली है। मैं उस पर आ रहा हूं। आपको क्यों घबराहट है?

श्री भगवती सिंह बिशारद–

मान्यवर, प्रश्नों के संबंध में एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं व्यवस्था का प्रश्न सुनूंगा इसके बाद, मैं कह तो रहा हूं कि 300 के बाद सुनूंगा।

मथुरा जनपद के गोकुल विधान सभा क्षेत्र में नील गायों से कृषि को हानि के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 में आज 25 सूचनाएं प्राप्त हुई थीं, जिसमें से 7 सूचनाएं शलाका द्वारा स्वीकार की गयी जो (1) श्री सरदार सिंह (2) श्री दीप नारायण (3) श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त (4) श्री मैनेजर सिंह (5) श्री गया प्रसाद वर्मा (6) श्री जनार्दन प्रसाद ओझा (7) श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर) की हैं ।

अगर आप लोग सहमत हों तो ये सूचनाएं पढ़ी हुई समझी जायं ।

(सदन की सहमति से सूचनाएं पढ़ी हुई मान ली गयीं)

*श्री सरदार सिंह–

[मान्यवर, मेरे निर्वाचन क्षेत्र गोकुल एवं मथुरा जनपद के अन्य भागों में नीलगायों का भारी जोर है। 100-100, 200-200 के समूह में ये गायें रात्रि एवं दिन के समय किसानों की हरी भरी लहराती हुई फसल को उजाड़ रही है । प्रदेश में पड़े भयंकर सूखे में किसान को खरीफ की फसल नहीं मिल पायी थी । किसान को रबी की इस फसल को आशा थी लेकिन यह जंगली गाय उसकी आशाओं पर पानी फेर रही हैं। जिला प्रशासन से बार-बार इसकी शिकायत की गयी लेकिन गायों को रोकने के लिये कोई कदम नहीं उठाया गया है। इन जंगली जानवरों के कारण किसानों की नींद हराम है। दिन रात वह अपनी फसल की रखवाली अपने बाल बच्चों को लेकर कर रहा है। इन गायों का शिकार निषिद्ध है। अतः किसान अपनी लाइसेंसी बन्दूकों अथवा अन्य हथियारों का प्रयोग नहीं कर सकता है। यदि अविलम्ब इस ओर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो यह नीलगायें किसानों को तबाह कर देंगी। मेरा सुझाव है कि आवारा पशुओं को जिस तरह मवेशी गृहों में रखा जाता है, उसी प्रकार इन जानवरों के लिए भी सरकार मवेशी गृह बनवाकर रखने की व्यवस्था करें।

अतः मैं आपके माध्यम से इस ज्वलन्त समस्या को सरकार एवं सम्मानित सदन के संज्ञान में लाते हुए शासन से उचित कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद आजमगढ़ के सराय मोहान से लसड़ा मार्ग को पक्का किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत रखना

*श्री दीप नारायण–

[मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से एक अति लोक महत्व के प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में आजमगढ़ जौनपुर मार्ग से सराय मोहान से लसड़ा मार्ग दूरी–13 कि0 मी0 छतवारा मेहनगर दूरी-16 कि0 मी0, छतवारा दवेइत रानी की सराय दूरी 3 कि0मी0 तथा रानी की सराय कोइलारी मार्ग दूरी-8 कि0मी0 काफी दिनों से खड़ंजा स्तर तक बन कर तैयार है, परन्तु लेपन का कार्य न होने से सारी ईंटें उखड़ गयी हैं। यात्रियों का पैदल चलना तथा शादी ब्याह में गाड़ियों का चलना दूभर हो गया है। साथ ही साथ रानी की सराय कोइलारी मार्ग पर आजमगढ़ रजवारा नहर पर पुल के अभाव में गाड़ी से यात्रा करना कठिन है। इस प्रकार इन सभी सड़कों के लेपन और पुल के न होने से जनता में काफी आक्रोश है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

नोट:–[. .] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

अतः आपके माध्यम से हम शासन से मांग करते हैं कि उपरोक्त सड़कों को लेपन स्तर तक का कार्य जनहित में पूरा कराने एवं रानी की सराय कोइलारी मार्ग के बीच नहर पर पुल तुरन्त बनवाने की कृपा करें ताकि जनता को तुरन्त लाभ मिल सके ।]

गन्ना किसानों से कृषि निवेश की कटौती की धनराशि की वापसी के विषय में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

[मान्यवर, वर्ष 1981–82 में गन्ना किसानों से कृषि निवेष हेतु 5 रुपया प्रति गाड़ी कटौती हुई। 1982-83 में 5 रुपया प्रति गाड़ी के अतिरिक्त पुराने गन्ने के बांड वालों से 5 रुपया प्रति क्विंटल कटौती हुई। 1983-84 में सहा बांड का 50 प्रतिशत कृषि निवेश में चला गया। 5 वर्ष बाद कटौती वापस होने के नियम के अनुसार 81-82 की कटौती वापस होनी है। परन्तु कटौती वापस नहीं हो रही है। हरगांव जिला सीतापुर, समिति द्वारा कुछ किसानों को वापसी में खाद जबरिया देने का प्रयास हुआ, वह भी 100 रुपया की दर की खाद 123,55 रुपये में। हरगांव सीतापुर समिति में दिसम्बर, 1987 तथा जनवरी, 1988 में राष्ट्रीय बचत के लिये कटौती हुई। मिल से रुपया समिति खाते में चला गया परन्तु बचत प्रमाण-पत्र अभी तक नहीं बन पाये। इस प्रकार किसान को मिलने वाला ब्याज मारा गया।

किसानों की कटौती का पैसा समिति द्वारा वापस न किये जाने से गन्ना किसानों का बड़ा अहित हो रहा है। अतएव अविलम्बनीय लोक महत्व की यह समस्या आपके माध्यम से शासन के संज्ञान में लाकर तुरन्त जांच कराने तथा नकद भुगतान कराने की मांग करता हूं ।

बलिया जनपद के अन्तर्गत विभागीय निर्माण इकाई सार्वजनिक निर्माण विभाग बलिया के अभियन्ताओं द्वारा सार्वजनिक धन की खुली लूट के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मैनेजर सिंह–

[मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से लोक महत्व के निम्न प्रश्न को माननीय सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं। बलिया जनपद अन्तर्गत विभागीय निर्माण इकाई सा0नि0 वि0, बलिया के विभागीय अभियन्ताओं द्वारा सार्वजनिक धन की खुली लूट की जा रही है । मार्गों के निर्माण के लिए ओ0बी0बी0 विरो गिट्टी एवं डाला गिट्टी की आपूर्ति में भयंकर चोरी की जा रही है । साठ प्रतिशत मात्रा में ही सामान की आपूर्ति कराकर शेष चालीस प्रतिशत सामान का धन ठेकेदार अभियन्ता, आपस में बांट रहे हैं । "आधा तोर आधा मोर" की कहावत चरितार्थ हो रही है । सड़कों के निर्माण फलस्वरूप आधी ही मिट्टी डाली जा रही है जिसकी जांच आसानी से टाली गई गिट्टी को मोटाई नाप-कर किया जा सकता है। चोरी से टेण्डर कराकर अपने अनुरूप ठेकेदारों से पांच प्रतिशत अग्रिम कमीशन लिया जा रहा है। लालगंज मुरली छपरा मार्ग का पूरा भुगतान दिखाकर धन हड़प किया गया है, जबकि अभी भी सड़क का निर्माण अधूरा है । दो नये निर्मित पुल 6 माह में ही बर्बाद हो गये हैं। जय प्रकाश नगर मार्ग-चांदपुर भगवान-

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट:–[. .]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

पुर मार्ग-रानीगंज इब्राहीमाबाद मार्ग गोन्हीया छपरा विशुनपुरा मार्ग उपरोक्त भ्रष्टाचार के उदाहरण हैं। यही नहीं गायघाट पनटून पुल पर चक्कर प्लेट चोरी से वहां की सहायक अभियंता एवं जू0 ई0 द्वारा बिक्रीकर दिया गया है और चौड़े चकरप्लेट को फाड़कर एक में दो बना दिया गया है जिसकी सत्यता स्वयं प्रमाणित है। ऐसे लोकमहत्व के प्रश्न को अविलम्ब माननीय सदन के संज्ञान में लाकर शासन से उचित कार्यवाही की मांग करता हूं]

जनपद इटावा के चकर नगर में उप तहसील खोले जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री गया प्रसाद वर्मा–

[महोदय, मैं आपका ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। इटावा जिले का ब्यारी चम्बल तथा यमुना नदी के बीहड़ों में बसा भयानक क्षेत्र जिसमें सिन्डौस लखपुरा चौरेला, विन्डवा कालेश्वर की गढ़ी'ा के अलावा 57 ग्राम सभाओं का औरैया तथा भरथना तहसील से सम्बन्ध है वर्षा गर्मी तथा जाड़ा तीनों ऋतुओं में यहां की जनता को भारी कष्ट उठाकर उक्त तहसीलों में अपने कार्य के लिए जाना पड़ता है। अत: ऐसी स्थिति में आपके माध्यम से मेरी सरकार से मांग है कि चकर नगर में उप तहसील खोलने के आदेश देने की कृपा करें जिससे जनता की परेशानी और असन्तोष रोका जा सके। तहसील खोलने की कार्यवाही के लिए जिलाधिकारी इटावा को सभी पत्रादि मंगाने के आदेश देने का कष्ट करें।

निजी स्वामित्व में चल रही चीनी मिल पडरौना (देवरिया) के श्रमिकों में व्याप्त असंतोष के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

[मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से अविलम्बनीय लोक महत्व के सुनिश्चित विषय की ओर आदरणीय सदन का ध्यान आकृष्ट कर रहा हूं। चीनी मिल पडरौना में कार्यरत मजदूरों के साथ मैनेजमेंट की तानाशाही के कारण मजदूरों में क्षोभ एवं असंतोष व्याप्त हो गया है। शासकीय नियमों की अवहेलना हो रही है। एवजी के मामले में सन् 1982–83 के शासनादेशों को अनदेखा किया जा रहा है। वेजबोर्ड के निर्देशों के विपरीत ठेकेदारी से काम लिया जा रहा है। अर्थों में कार्यरत अस्थाई मजदूरों को स्थाई नहीं किया जा रहा है। उन्हें फिटमेन्ट और परमानेन्सी नहीं की जा रही है। श्रमिक कानूनों का खुले आम उल्लंघन किया जा रहा है।

उक्त मांगों को लेकर गत 16 फरवरी, 88 से मिल गेट पर मजदूरों का क्रमिक अनशन चल रहा है। मैनेजमेंट पुलिस प्रशासन तथा असामाजिक तत्वों से सांठ-गांठ कर आन्दोलन को विफल करने में लगा हुआ है। इससे मजदूरों में उत्तेजना है। कभी भी भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिससे मिल का चलना बन्द हो सकता है और गन्ना किसानों के समक्ष एक भारी संकट उत्पन्न हो सकता है।

अत: सरकार से मांग है कि तत्काल हस्तक्षेप कर मजदूरों के न्याय संगत मांगों को दिलाने हेतु हस्तक्षेप करें, जिससे कि मजदूरों में व्याप्त असंतोष दूर हो सके।]

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट:– [ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

गाजीपुर जनपद के थाना मुहम्मदाबाद की पुलिस द्वारा मोहल्ला शानिन्दा की मल्लाह जाति के घरों पर अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर)–

[महोदय, नगरपालिका मोहम्मदाबाद, मोहल्ला शानिन्दा थाना मोहम्मदाबाद, जनपद गाजीपुर की बनवारी मल्लाह आदि के घरों पर मुहम्मदाबाद कोतवाली की पुलिस मोहम्मदाबाद पुलिस चौकी के इंचार्ज व सब इन्स्पेक्टर, 15-2-88 को एक समूह के रूप में षडयंत्र के तहत धावा बोल करके तथा मार पीट करके जबरदस्ती घर से सामान सड़क की पटरियों पर फेंक कर उनको बेघर करके उसमें पुलिस चौकी स्थापित किये हुए हैं। उक्त लोग (मल्लाह समुदाय) के 1959 से अपना निजी पक्का मकान बनाकर रह रहे हैं। पुलिस अत्याचार की सूचना डी0एम0, एस0पी0, एस0डी0एम0, मुहम्मदाबाद को लिखित सूचना दी जा चुकी है। दिनांक 17-2-88 को मोहम्मदाबाद की पुलिस के खिलाफ मुन्सिफ मजिस्ट्रेट मोहम्मदाबाद ने एक आदेश जारी करके पुलिस को मल्लाहों के घर से निकालने से मना किया तथा उनके सामानों को भी हटाने से मना कर दिया, इसके बावजूद भी पुलिस चौकी, पुलिस द्वारा अभी भी कायम की गयी है। निम्न व्यक्तियों को मकान से बेदखल किया गया है। श्री बनवारी राम, लाल जी राम, झगड़ूराम, रामजी राम, पुत्रगण श्री जीउतराम मल्लाह, सक्खिचन राम, बलिराम राम, अमींदराम, जवाहर राम पुत्रगण, राम लखन राम, आदि भी अपने परिवार के साथ सड़क की पटरियों पर जीवन यापन खाना बदोस की तरह कर रहे हैं। यह सभी व्यक्ति निर्बल वर्ग के असहाय व्यक्ति हैं।

अतः मान्यवर, से निवेदन है कि पुलिस के इस बर्बरतापूर्वक दमनात्मक कार्यवाही की जांच करके पुलिस कर्मचारियों को दोषी है उनके विरुद्ध उचित कार्यवाही करें, तथा उक्त स्थान से पुलिस चौकी अविलम्ब हटवाने का आदेश जारी करवाने का कष्ट करें जिससे असहाय गरीब मल्लाहों को उचित न्याय मिल सके, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा।]

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत 10 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। पहली सूचना श्री कौशिक रमाशंकर, श्री राम शरण दास जी, श्री बेनी प्रसाद वर्मा, श्री मनोहर लाल की है जो कांग्रेस रैली के बारे में है। इस विषय में नियम 56 में भी सूचना मिली है। उसी के साथ इस पर भी विचार किया जायगा।

***श्री मनोहर लाल–**

इसका कांग्रेस रैली से सम्बन्ध नहीं है। कांग्रेस रैली का नाम नहीं दिया गया है। औचित्य का यह जो प्रश्न था, उसमें कांग्रेस रैली से कोई मतलब नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

सूचना नम्बर 3 शारदा नन्द अंचल जी की है.. (व्यवधान) कृपा करके आप सब बैठें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोटः–[..]यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

श्री राम शरण दास–

आप इसको नियम 56 से क्यों जोड़ रहे हैं। इसमें संवैधानिक मामला है। उसमें संवैधानिक बिन्दु उठाया गया है। आप उसको सुन लीजिये। उसका नियम 56 से कोई मतलब नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

वह 300 के अन्तर्गत नहीं आता है।

सूचना नं0-3 जो श्री शारदानन्द अंचल की चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में है। यह मामला नियम 300 के अंतर्गत नहीं आता है।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, जो हम लोगों ने विषय उठाया है, उसे आप सेपरेट कीजिए नियम 56 के साथ मत जोड़िये। आप उस पर सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 के अन्तर्गत वह आता ही नहीं है।

श्री राम शरण दास–

आप सुनेंगे ही नहीं तो पता कैसे चलेगा कि आता है या नहीं ? आप कृपापूर्वक सुन तो लीजिये।

(श्री मनोहर लाल व श्री बेनी प्रसाद वर्मा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मनोहर लाल जी आप बैठें । वर्मा जी आप क्या कह रहे हैं ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, जो हम लोगों ने विषय दिया है उसे आप सुन लें, एक मिनट । मैं साबित कर दूंगा कि वह 300 में आता है।

श्री अध्यक्ष–

अब निर्णय दे देने के बाद आपको उस पर बोलने का मौका दूं तो यह कहां तक उचित होगा? आप बैठें।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

इतना महत्वपूर्ण विषय दिया है यह सूचना हमने आप को दे दी आपने उस पर सुना ही नहीं और फैसला दे दिया तो यह कहां तक उचित होगा? आप सुन लें फिर फैसला दे दें।

श्री अध्यक्ष–

आप उस रैली के बारे में कहना चाहते हैं, मैं नियम 56 में उसे सुन लूंगा। नियम 300 में वह नहीं आता है। औचित्य में आता ही नहीं।

चौथी सूचना श्री मैनेजर सिंह जी की थी भूतपूर्व सदस्यों के निधन की सूचना सम्य से सदन में न घोषित किये जाने के विषय में। इस पर मैं आवश्यक निर्देश कल शासन को दे चुका हूं।

श्री शारदानन्द अंचल–

मान्यवर, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगाकर वायदे के बावजूद इस सरकार ने बेरोजगारों के साथ अन्याय किया है।

श्री अध्यक्ष–

आप सब लोग बैठें। अंचल जी बैठें। मैं निर्णय दे चुका हूं। अगली सूचना श्री सरदार सिंह जी की ब्रिज कारपोरेशन निर्माण निगम हड़ताल के बारे में, वह नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है। अगली सूचना श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी जी की कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश के सम्बन्ध में थी। मैं आपकी भावनाओं का आदर करते हुए यह कहना चाहता हूं कि यह कोई परम्परा नहीं रही है कि जिन समिति की सिफारिश को सदन ने मान लिया हो उसके खिलाफ आप नियम 300 के अन्तर्गत कोई बात यहां पर उठायें। यह गलत परम्परा पड़ जायेगी। इसे मैं अस्वीकार करता हूं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मुझे आपका निर्णय शिरोधार्य है लेकिन मैं एक दूसरा निवेदन करना चाहता हूं। मान्यवर, आप पूरे सदन की गरिमा के प्रतीक हैं। आप हमारे अधिकारों के संरक्षणदाता हैं।

श्री अध्यक्ष–

क्या आज तक कोई ऐसी मिसाल है कि कार्यमंत्रणा समिति ने जो सिफारिश की हो, जो सदन में आयी हो, जिसे सदन ने स्वीकार किया हो, उस पर संशोधन लाया जाय। सदन के निर्णय के बावजूद आप ऐसे विषय को उठाना चाहते हैं।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, आप मेरा अनुरोध तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

श्री सूर्य प्रताप शाही जी ने प्रश्नों का उत्तर दिये जाने की प्रक्रिया के संबंध में सूचना दी है। श्री जयदीप सिंह बरार की सूचना के संबंध में मैं शासन को निर्देश देता हूं कि प्रश्नों का उत्तर समय के अन्दर 6 बजे तक उपलब्ध करा दिया जाय। माननीय सूर्य प्रताप शाही जी ने ही माननीय सदस्यों की गिरफ्तारी की सूचना सदन में समय पर न घोषित किये जाने के विषय में दी है। इस मामले में जांच कराकर मैं माननीय सदन को सूचित करूंगा।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

आप मान्यवर, मुझे सुन लें। मेरी महत्वपूर्ण सूचना है।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें। मैं माननीय सदस्य और सम्बन्धित माननीय मंत्री जी को 4 बजे कक्ष में बुला रहा हूं ताकि मामला हल किया जाय। सदन में मंत्री जो जवाब देंगे, उसको सही माना जायेगा।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, उसको सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी की सूचना में अगर आया है कि जैसे 10 लाइसेन्स दिये गये, परन्तु बाद में पता चला कि 11 लाइसेन्स दिये गये तो उसका संशोधन कर सकते हैं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, आप मेरी व्यवस्था सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

पहले श्री सूर्यप्रताप शाही की व्यवस्था सुन लूं, फिर आपकी भी व्यवस्था सुनूंगा । नियम 300 के अन्तर्गत सभी 10 सूचनायें अस्वीकार की गई ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, आप जबरदस्ती कर रहे हैं । आप हम लोगों के जो अधिकार हैं, उन पर अंकुश लगा रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपके अधिकारों की पूरी रक्षा कर रहा हूं ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

नियम 300 के अंतर्गत हमारा अधिकार है, 56 के अंतर्गत हमारा जो अधिकार है, उससे हमको वंचित कर रहे हैं । आप हमारा व्यवस्था का प्रश्न सुन लें अन्यथा आप हम लोगों के साथ अन्याय कर रहे हैं । आप पहले ही अन्याय कर चुके हैं, अब और अन्याय मत कीजिए ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय बेनी प्रसाद वर्मा जी आप बड़े पुराने सदस्य हैं और मैं आपका बड़ा आदर करता हूं । मैं आपको मौका दूंगा । आप कृपा करके बैठें । ऐसी बात नहीं होनी चाहिये आप तो बड़े सम्मानित सदस्य हैं ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, मैंने जो व्यवस्था का प्रश्न किया है वह प्रक्रिया नियमावली के नियम 29 और 32 के संबंध में है । मैं उसी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, आप पहले मेरी व्यवस्था सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

उस पर मैं अपना निर्णय पहले ही दे चुका हूं, आप बैठें । मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं, फिर भी आप बोले जा रहे हैं ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, आपने मेरी बात नहीं सुनी । आप मेरी बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

वह मैं निर्णय दे चुका हूं । मैं आपसे आखिरी बार कह रहा हूं, आप बैठ जायें । अब आप बिल्कुल खड़े न हों । यह किसी प्रकार मुनासिब नहीं है ।

(श्री जयदीप सिंह बरार के खड़े रहने पर)

यह पता नहीं किस दल में हैं ?

(हंसी)

नेता विरोधी दल (श्री सत्य पाल सिंह)–

मान्यवर, पहले यह बता दें कि यह किस दल में हैं ?

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं निवेदन कर रहा हूं कि आप मुझे सुन लें । यदि आप मुझे नहीं सुनते हैं तो मुझे सदन त्यागने के लिए कहें, तो मैं सदन त्याग दूंगा ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री बरार जी मैं फिर बड़े अदब के साथ आपसे अनुरोध कर रहा हूं । अब आप मुझे मजबूर न कीजिए । निर्णय होने के बाद, यदि मैं आपको सुनूं तो मुझे सबको सुनना पड़ेगा । श्री बेनी प्रसाद वर्मा जी को सुनना पड़ेगा, श्री राम शरण दास जी को सुनना पड़ेगा, श्री मैनेजर सिंह जी को सुनना पड़ेगा, लेकिन यह सम्भव नहीं है ।

(माननीय श्री जयदीप सिंह बरार के पुनः खड़े होने पर)

माननीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी, आपको अपना औचित्य का प्रश्न उठाना है, उठायें । यदि आप नहीं उठाते हैं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा ।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

आप पहले सदन को तो व्यवस्थित कीजिए ।

मान्यवर, मैंने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, उसके संबंध में मैं आपका ध्यान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम-29 (2) व नियम-32 की ओर आकर्षित करना चाहता हूं । इसमें विधान सभा में लगने वाले अल्प-सूचित प्रश्नों का उत्तर कैसे दिया जायेगा ? इसका उल्लेख है ।

(श्री जयदीप सिंह बरार के खड़े ही रहने पर)

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, मुझे खेद है कि एक माननीय सदस्य बराबर अनुशासनहीनता कर रहे हैं । उनको अनुशासनहीनता के कारण कांग्रेस विधान मण्डल दल से निष्कासित कर दिया गया है ।

(श्री जयदीप सिंह बरार के निरन्तर खड़े रहने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय श्री बरार जी, मुझे आपसे बड़े विनम्रतापूर्वक कहना पड़ेगा कि आप सदन छोड़ें ।

श्री जयदीप सिंह बरार–

मान्यवर, मैं चला जाऊंगा । आप मुझे सुनें ।

श्री अध्यक्ष–

आप कृपा करके सदन छोड़ें ।

(श्री जयदीप सिंह बरार सदन त्याग कर चले गये । तत्पश्चात डाक्टर संजय सिंह, श्री सुरेन्द्र सिंह (गाजीपुर), श्री वीरेन्द्र दीक्षित, मोहम्मद असलम, खां, श्री त्रिभुवन प्रसाद, कैप्टन बल्देव सिंह आदि सदस्य भी सदन त्याग कर चले गये)

प्रदेश में औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की सूचना की मांग विषयक दिनांक 24-2-88 के अल्पसूचित प्रश्न संख्या 1 के संबंध में मंत्री द्वारा विपरीत उत्तर दिये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

*श्री सूर्य प्रताप शाही–

तो मान्यवर, मैं आपका ध्यान नियम-29 (2) व नियम-32 की ओर आकर्षित कर रहा था, जिसमें अल्प सूचित प्रश्नों की व्यवस्था दी है । मान्यवर, कल 24-2-1988 को कार्य सूची में में अल्प सूचित प्रश्न संख्या-1 मेरा था । मैं नियमावली के नियम-29(2) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । जिसमें लिखा है "अध्यक्ष की आज्ञा प्राप्त हो जाने के उपरान्त प्रश्न की एक प्रतिलिपि संबंधित मंत्री को इस निवेदन के साथ भेज दी जायेगी कि वह सचिव को सूचित करें कि क्या वह प्रश्न का उत्तर अल्पसूचित प्रश्न के रूप में देने की स्थिति में है ।" अब आप इसी नियम के (3) पर देखें, उसमें लिखा है "यदि मंत्री अल्प सूचना पर उत्तर देने के लिये सहमत हों तो यह तत्काल या तदुपरान्त इतने शीघ्र कार्य-सूची में रख दिया जायेगा जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें ।" नियम-32 को भी आप देख लें । इसमें लिखा है "प्रश्नों के उत्तर के लिए जो दिन नियत किया गया हो उस दिन का उपवेशन आरम्भ होने के एक दिन पूर्व प्रश्नों के लिखित उत्तरों की प्रति सम्बद्ध सदस्य को उपलब्ध करा दी जायेगी । उत्तर सांबद्ध मंत्री द्वारा पढ़कर सुनाया जायेगा ।"

कल मेरा अल्प सूचित प्रश्न संख्या-1 था । उसका लिखित उत्तर मुझे परसों मिल गया और कल सदन के पटल पर भी वह आ गया लेकिन हमारे उद्योग राज्य मंत्री के भारसाधक मंत्री के रूप में काम कर रहे हैं श्री राम औतार दीक्षित जी, उन्होंने सदन में उत्तर दिया कि सूचना एकत्र की जा रही है । मान्यवर, क्या कोई मंत्री प्रक्रिया नियमावली में जो व्यवस्था दी गई है, उसके विपरीत उत्तर दे सकता है ? मुझे प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया, मंत्री जी कहते हैं कि सूचना एकत्र की जा रही है ।

यह एक प्रकार से सरासर लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली की हत्या है, जो सरकार द्वारा की गई है । मेरा दूसरा, प्रश्न यह है कि क्या लिखित उत्तर के विपरीत कोई मंत्री मौखिक रूप से उत्तर दे सकता है या लिखित उत्तर के विपरीत दूसरा उत्तर इस सदन के पटल पर पढ़ सकता है । मान्यवर, मैंने पूरे उत्तर प्रदेश विधान सभा के संसदीय इतिहास को पढ़ने की कोशिश की । मैंने देखा कि जो भी उत्तर सदन में पढ़ा जायगा, वह उत्तर वही होगा जो माननीय सदस्य को दिया गया है, कोई दूसरा उत्तर नहीं पढ़ा जायगा । माननीय उद्योग मंत्री ने ऐसा उत्तर देकर हम सदस्यों को अपने अधिकार से वंचित किया है । उत्तर प्रदेश के औद्योगिक स्वरूप के संबंध में प्रदेश में कैसे सरकार सातवीं पंचवर्षीय योजना में उद्योग लगाने जा रही है, इसके उत्तर से इस सदन को वंचित किया गया है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधान सभा कोई नाट्य मण्डली नहीं है और न हम उसके एक्टर हैं । जो संसदीय आचरण और व्यवहार माननीय मंत्रियों द्वारा हो रहा है और जनता की जानकारी में आ रहा है, उससे संसदीय लोकतंत्र को घोर निराशा हो रही है । [xxx] लेकिन मन्त्रीगण जैसा उत्तर दे रहे हैं, कभी आपने देखा है कि मन्त्रीगण कैसा उत्तर दे रहे हैं ? [xxx] मैं कहना चाहता हूं कि आप माननीय पुरुषोत्तम दास टण्डन की तरह बैठकर व्यवस्था दें ताकि हमें अपने प्रश्नों के सही उत्तर मिल सकें ।

एक अंतिम निवेदन करना चाहता हूं, मेरा जो कल सवाल लिया गया था, उसे एक सप्ताह के भीतर अल्पसूचित प्रश्न के रूप में रखकर फिर से सदन में लाने के आदेश दें जिससे सारे सदस्य उस पर अनुपूरक प्रश्नों के माध्यम से उत्तर ले सकें और जनता को बता सकें कि औद्योगिक पिछड़ेपन की जिम्मेदारी सरकार की और उस पक्ष में बैठे हुए लोगों की है ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, केवल एक बिन्दु की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि कल जो सदन में एक, अप्रत्याशित संसदीय मर्यादा का उल्लंघन हुआ है, उसका परिणाम यह हुआ है कि कल के प्रादेशिक समाचार में, मैंने रेडियो पर सुना था, माननीय राम अवतार दीक्षित के मुख से यह कहलाया गया है कि 7वीं पंचवर्षीय योजना में, जो जिले उद्योग की दृष्टि से पिछड़े हैं, वहां पर उद्योग लगाने की कार्यवाही की जायेगी । सदन में उत्तर दिया गया कि सूचना एकत्रित की जा रही है । आपने कहा कि सदन का उत्तर सही माना जायेगा, लेकिन जो सदन की मर्यादा का उल्लंघन हो रहा है । कल अप्रत्याशित व्यवहार सदन में किया गया, आप नियमावली को देख लें । नियमावली में इस व्यवस्था का अधिकार आपको दिया गया है । इसलिए आपसे अपेक्षा करता हूं कि कल जो अमर्यादित व्यवहार किया गया है, उसके लिये सरकार की शास्ति करें, भर्त्सना करें और सरकार से कहें कि भविष्य में ऐसा नहीं किया जाना चाहिये । इसी का परिणाम है कि संसदीय इन्सटीट्यूशन्स इर्रेलीवेण्ट होती चली जा रही हैं ।

श्री हुकुम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक नियमावली का प्रश्न है, यह बात स्पष्ट है कि नियमों के अंतर्गत उत्तर आना चाहिए था, उत्तर पहुंच गया और जो पहुंच गया वही यहां आना चाहिए था । मैं इससे अधिक न कहते हुए यही कहूंगा कि यह चूक है और इस पर खेद व्यक्त करता हूं ।

श्री जयदीप सिंह बरार को कांग्रेस पार्टी से निष्कासन की घोषणा तथा उनको सदन से निलम्बित किये जाने के निर्णय पर पुनर्विचार करने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है कि आपने बरार को सदन से एक दिन के निष्कासन का निर्णय सदन में लिया, आप चेयर से जो अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन

नोट :–[xxx] यह अंश मा0 अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

करते हैं, लेकिन आज सदन के अन्दर यह साबित हो गया है आपके निर्णय से कि सदन में सत्ता पक्ष से और विरोधी पक्ष से, आपका व्यवहार दोहरा है । जब जयदीप सिंह बरार पहले बोल रहे थे तो आप उन्हें सदन से निकाल देते तो और बात होती लेकिन जब तक वे कांग्रेस पार्टी के मेम्बर थे तब तक आपने उन्हें बोलने के लिए समय दिया लेकिन जब वे कांग्रेस पार्टी से निकाल दिये गये, विरोध पक्ष के हो गये तो आपने उन्हें बोलने नहीं दिया और सदन से निकाल दिया । यह गम्भीर मामला है कि अगर वे कांग्रेस में रहते तो चाहे कुछ भी करते रहते, कोई बात नहीं थी सत्ता पक्ष में बैठ कर कुछ भी करते रहो । मान्यवर, आपको हिम्मत करनी चाहिये कि जब वे सत्ता पक्ष में थे, तभी निकालना चाहिये था । लेकिन जब वे सत्ता पक्ष से हटाये गये उसके बाद आपने हिम्मत की, उन्हें सदन से निका-
लने की । मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने निर्णय पर पुनः विचार करके, मा0 जयदीप सिंह बरार का निष्कासन रद्द करें ।

*श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, अभी जैसा कि लोक दल (ब) के नेता ने कहा, मैं उनकी बात से अपने को सम्बद्ध करते हुए विचार व्यक्त करता हूं कि मा0 जयदीप सिंह बरार को संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने जो यहां उनको निष्कासित करने की घोषणा की है, वह सारे सदस्यों के विशेषाधिकार का हनन है । सदन के अन्दर कोई सदस्य अपनी बात की अभिव्यक्ति करे और उसके दल का पदाधिकारी सदन के अन्दर उसके बोलने पर उसे निष्कासित करा दे, यह कोई कांग्रेस विधान मंडल दल की बैठक नहीं है । यहां सदन की बैठक चल रही है । जहां हर सदस्य को, हमको वाक स्वातंत्र्य मिला हुआ है । विधान मण्डल दल की बैठक में व्हिप की स्वीकृति देखी जाती है कि जब तक वह स्वीकृति नहीं दे देता है, तब तक वह वोट नहीं दे सकता है । लेकिन सदन के अन्दर अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति में न कोई प्रधान मंत्री, न मुख्य मंत्री और न कोई मंत्री ही दण्ड दे कर रोक लगा सकता है । यहां पर सर्वोपरि आप हैं । हम यहां कोई अभिव्यक्ति करते हैं, उस पर दण्ड देने का अधिकार आपको है । आज जब मा0 बरार जी बोल रहे थे तो संसदीय कार्य राज्य मंत्री ने खड़े होकर एलान किया कि हमने जयदीप सिंह बरार को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया है । उनके निष्कासन की घोषणा क्या आप यहां पर करेंगे ?

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मैं तो केवल जानकारी देना चाहता था कि उनको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

यह एक तरह से धमकी है । यहां कोई सदस्य अपना विचार व्यक्त कर रहा हो और सत्ता पक्ष के मंत्री खड़े होकर उसे धमकी दें । मंत्री जी, निर्बाध रूप से अभिव्यक्ति पर बन्दिश लगा रहे हैं इससे जनतंत्र मजबूत नहीं होगा बल्कि और कमजोर होगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

*श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, यहां हम और आप, सब लोग संविधान और नियमों के तहत बैठे हुए हैं । अगर यहां पर संविधान और नियमों का और हमारे अधिकारों का हनन हो और आप खामोश रहें तो कैसे जनतंत्र की रक्षा हो सकती है ? दल-बदल विधेयक बन गया है और उसमें यह नियम है कि जब तक आपको सूचना न दी जाय कि अमुक सदस्य को पार्टी से निकाल दिया गया है, अभी तक आपको सूचना नहीं है और मा0 संसदीय कार्य मंत्री यहां सदन में संकेत करते हैं कि उनको मैंने दल से निकाल दिया है । यह बड़े दुःख की बात है और यह बात बड़े दुख की है, हम लोग आपका बड़ा आदर करते हैं, [xxx] वैसे विधान सभा का एक सदस्य होने के नाते तो दूसरी बात है, परन्तु जब आप इस कुर्सी पर होंगे तो जितना मान आप सत्ता पक्ष को देंगे उतना ही मान आपको विपक्ष को भी देना चाहिए

यहां पर आपके लिए दोनों बराबर हैं, [xxx] इसी तरह से मान्यवर, जब कांग्रेस रैली की बात पर हमने नियम 300 के अंतर्गत सूचना दी तो आपने कहा कि इसको हम 300 में नहीं बल्कि 56 में सुनेंगे, जबकि नियम 56 में हमने दूसरा एक मामला दे रखा था । जहां तक नियमों की बात है ।

(कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

चाहे वह सूचना नियम 300 के अंतर्गत आती हो या न आती हो ?

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

[xxx] (घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मा0 बेनी प्रसाद वर्मा जी जो भी बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

[xxx] (शोर)

मुख्य मंत्री (श्री बीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, जो माननीय सदस्य और विरोध पक्ष के नेतागण जब यह रैली के बारे में बात करते हैं, लेकिन यह लोग भी कई बार अपनी रैली कर चुके हैं और इन्होंने भी बसें ली हैं ।

(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

मैं खड़ा हुआ हूं आप लोग कृपया बैठ जायं । माननीय नेता सदन, मैं यह विषय नियम 56 में ले रहा हूं, तो जब यह आए उस वक्त इसे उठाएं, इसलिए आप सब से अनुरोध है कि यह उसी समय उठाएं । विशारद जी, आपको क्या कहना है ?

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया । *वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री भगवती सिंह विशारद–

माननीय अध्यक्ष जी, उन्नाव जनपद लव और कुश का जन्म स्थान रहा है ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय विशारद जी, आप तो ऐसे पुराने सदस्य हैं, यह इस विषय में नहीं हैं, नियमों के अंतर्गत समय से उठाएं ।

(घोर व्यवधान)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मा0 मुलायम सिंह जी ने जो बिन्दु उठाया है, मैं दुबारा उसी बात को दोहराना नहीं चाहता, परन्तु उस पर बल अवश्य देना चाहूंगा कि श्री जयदीप सिंह बरार के बारे में आप कृपा करके पुनर्विचार कर लें क्योंकि उन्होंने यहां पर कोई ऐसी बात नहीं कही है जो अमर्यादित हो या सदन की गरिमा के विपरीत हो । वैसे मान्यवर, सत्ता पक्ष के लोग तो जानबुझकर संसदीय परम्पराओं का उल्लंघन कर रहे हैं । मान्यवर, इस संबंध में दल-बदल नियम 3 (2) की ओर आपका कृपा पूर्वक ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, जिसमें स्पष्ट प्राविधान है, कि दल में लिये गये निर्णयों की सूचना कौन देगा ? यदि कांग्रेस पार्टी की ओर से आपके पास कोई सूचना इनके संबंध में पहले से नहीं आयी है अगर नहीं सूचित किया है तो अपने एद का दुरुपयोग किया है और आप पर दबाव डालने के लिए आपको भ्रमित करने के लिए ऐसा किया है । नियम 302 दल-बदल के तहत केवल दल के नेता को यह अधिकार है ।

नेता, विरोधी दल (श्री सत्य पाल सिंह)–

मान्यवर, अच्छा तो यह होता कि पहले आप विरोधी पक्ष के लोगों को सुन लेते, तो आप खड़े होने की तकलीफ करते ।

श्री अध्यक्ष–

गुप्त जी ने और सूर्य प्रताप शाही ने दूसरा प्रश्न उठाया है और मुलायम सिंह ने दूसरा प्रश्न उठा दिया ।

(व्यवधान)

डाक्टर संजय सिंह तथा श्री जयदीप सिंह बरार, सदस्य, विधान सभा को कांग्रेस (आई) विधान मंडल दल से निष्कासित किए जाने की सूचना

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको सूचना देता हूं । जब नेता सदन की ओर से सूचना आ चुकी है कि कांग्रेस से निकाले गये तो बस बात खत्म हो गयी ।

नेता विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

मुझे पता नहीं कि बरार साहब किस दल में हैं । संसदीय कार्य मंत्री ने कह दिया कि निकाल दिये गये (व्यवधान) मेरी पूरी बात कह लेने दीजिए । प्रश्न आज यह है कि बरार साहब ने संसदीय तरीके से सदन में अपनी बात उठायी, उन्होंने कोई अशोभनीय बात नहीं कही । वह संसदीय तरीके से अपनी बात रख रहे थे, आपने कहा पता नहीं किस दल में हैं ? तो श्री हुकुम सिंह ने कह दिया कि निकाल दिये गये ।

सदन में निकालने के लिये कह दिया, इस लिये मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि कौन-कौन लोग सत्ता पक्ष के हैं जिनको निकाल दिया गया । बरार साहेब का कोई कदम और कोई शब्द ऐसे नहीं थे जो संसदीय परम्पराओं के विपरीत थे, वह बड़ी सौम्यता से चले भी गये । आप उनके निष्कासन को वापस ले लें ।

*श्री राजेन्द्र सिंह–

मान्यवर, आपने कह दिया कि मेरे पास पत्र आ गया, नेता सदन का, तो मैं फिर आप से कहना चाहता हूं कि अगर पत्र आ गया तो आपकी पीठ से दोहरा मांप दण्ड अख्त्यार करने की बात की गयी है । मुझे जब निष्कासित किया गया था तो उसकी सूचना आप के पास आ गयी थी और आपने मुझे अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिये कहा था, मैंने अपनी बात आपके सामने रखी और उसके बाद आपने अपना निर्णय सुनाया । लेकिन आज आप सिर्फ यह कह रहे हैं कि निष्कासन का पत्र आ गया है । तो मान्यवर, दो निष्कासनों में आप दो तरह की बात कैसे कर रहे हैं ?

*श्री हुकुम सिंह–

चूंकि इस प्रकरण पर बहुत बल दिया जा रहा है इसलिये मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में कुछ तथ्य रखना चाहता हूं । आज सुबह हमारे विधान मंडल दल की बैठक हुई जिसमें नेता सदन और नेता पार्टी उपस्थित थे । उस बैठक में कुछ सदस्यों को उनकी अनुशासनहीनता के कारण दल से निकालने का निर्णय लिया गया । उसकी आपको जानकारी दी गई । . . . . . (व्यवधान) । मान्यवर, यह जिज्ञासा बार-बार आ रही है । नेता सदन और नेता पार्टी ने जो पत्र आपको लिखकर दिया है उसकी प्रति मेरे पास है मैं उसे पढ़ कर सुनाना चाहता हूं । उसमें लिखा है-"माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश विधान सभा, विधान भवन, लखनऊ । महोदय, डाक्टर संजय सिंह और श्री जयदीप सिंह बरार सदस्य विधान सभा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आई) पार्टी के टिकट पर क्रमश: (2) जिला सुल्तानपुर और 55-कावर जिला बरेली निर्वाचन क्षेत्रों से निर्वाचित हुये थे, उनको दल विरोधी कार्य के कारण उत्तर प्रदेश विधान मंडल कांग्रेस दल (आई) से निष्कासित कर दिया गया है । कृपया नियमानुसार आवश्यक कार्य-वाही करने का कष्ट करें ।" . . . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

अब काफी समय हो गया है । अभी नियम 56 लिये जाने हैं । कृपया बैठ जाय ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, अभी हुकुम सिंह जी ने एक फरमान पढ़कर सदन को सुनाया । मान्यवर, आप जानते हैं कि सदन में हर सदस्य चाहे वह पक्ष का हो या विपक्ष का हो, उसको अपनी बात कहने का अधिकार है । पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि जब बरार साहब खड़े होते हैं तो सत्ता पक्ष के लोग उन्हें बोलने नहीं देते हैं । अगर उनको निष्कासित किया गया था तो क्या उनको इस बात की नोटिस दी गई थी ? बिना नोटिस दिये हुये किसी सदस्य को निष्कासित नहीं किया जा सकता है । मान्यवर, इसकी सूचना बरार साहब को या डाक्टर संजय सिंह को किसी को नहीं दी गई । जब बरार

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

साहब खड़े हुये और आपने कहा कि वे किस दल में हैं, पता नहीं ? अगर उन्हें निलम्बित किया गया था तो क्या आपको सबेरे सूचना दे दी गई थी ? कदापि नहीं दी गई थी । उसके बाद हुकुम सिंह जी यहां पर ऐलान किये और अपना तानाशाही फरमान सदन में पढ़कर सुना दिये । यह बिलकुल अनैतिक है, गलत है, इसको वापस होना चाहिए । इसलिये मान्यवर, आप भी अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर लें और जो यहां पर बरार साहब का निलम्बन किया गया है, उसे वापस लें । उन्होंने यहां पर कोई ऐसी बात नहीं कही है जिसमें अनुशासनहीनता हो । सदन में वे अनुशासित रहते हैं और बड़ी बुद्धिमत्तापूर्वक काम करते हैं । हम लोग आशा करते हैं कि कोई भी सदस्य अपने अधिकार की सुरक्षा की बात सदन में उठायेगा तो आप उसको संरक्षण प्रदान करेंगे। आप इस सदन के अध्यक्ष हैं । मुझे उम्मीद है कि आप इनके इशारे पर कोई काम नहीं करेंगे । . . . (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया सब लोग बैठ जाएं । कुंवर रेवती रमण सिंह जी, आप उधर क्यों मुखातिब हैं । आप दल के नेता की हैसियत से बोल चुके हैं । सब एक साथ बोलेंगे तो कैसे काम चलेगा . . . . (व्यवधान) । आप अपने दल पर नियंत्रण रखें ।

(श्री राम गोविन्द चौधरी तथा श्री गौरी शंकर भइया के खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयास करने से व्यवधान)

*श्री गौरी शंकर भइया–

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है । एक मिनट मेरी बात सुन लें । उस पर आप व्यवस्था दें । माननीय अध्यक्ष जी, क्या किसी विधान मंडल दल की निजी कार्यवाही विधान सभा का अंग हो सकती है या नहीं ? यदि नहीं, इसी तरह की जो कार्यवाही नोट कराने की आज यहां पर कोशिश की गई है उसे आप कार्यवाही से निकालने का आदेश दे दें । . . . .

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग कृपा कर बैठ जायं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, [xxx]

श्री अध्यक्ष–

यह कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा । (व्यवधान) आप बोलते जाइये (व्यवधान) कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

[xxx]

श्री अध्यक्ष–

अब मैं मद 4 ले रहा हूं । (व्यवधान)

नोट :–[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, एक मिनट हमें इस पर सुन लें ।

श्री सत्यपाल सिंह–

माननीय बरार साहब के निष्कासन पर पुनर्विचार कर लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आप सब से कहना चाहता हूं माननीय सूर्य प्रताप शाही जी को मैंने बुलाया उनकी व्यवस्था सुनने के लिये और कई मर्तबा बरार जी से अनुरोध किया बड़ी नम्रता से पहले उनको सुन लूं । मुझे दुख होता है किसी को निकालने से खासतौर से जो हमारे साथी रहे हों (व्यवधान) मगर जब सदन को चलने नहीं दिया और माननीय सूर्य प्रताप शाही जी ने कहा मैं कैसे बोलूं पहले सदन व्यवस्थित तो हो तो आप ही बतायें मेरे लिये क्या चारा है ? जैसे मैंने आपसे कहा, मुझे दुख है । मुझे खुशी होगी अपने निष्कासन आदेश को वापस लेने में, बशर्ते कि वह भविष्य में फिर ऐसा नहीं करेंगे ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

नहीं करेंगे । उनको बुला तो लें । (व्यवधान)

डा0 संजय सिंह–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । नियम 110 के अन्तर्गत मान्यवर.....

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, कांग्रेस विधान मंडल दल से डा0 संजय सिंह और जयदीप सिंह बरार चूंकि निकाले जा चुके हैं इसलिये उन्हें आप निर्दलीय सदस्य के रूप में बैठने का निर्देश दें । (व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, एक मिनट सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

ओझा जी वह मामला खत्म हो गया । (व्यवधान) आप अपनी बात कह चुके हैं ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

दूसरा सवाल है । मैं समझता हूं कि आप इस आदरणीय सदन के अध्यक्ष हैं हम लोगों के मास्टर हैं, हम लोगों के गाइड हैं, मुदर्रिस हैं । यह किसी दूसरे को अधिकार नहीं है कि हमें बाहर करे और फिर बाहर से यहां लाये । अभी सत्ता पक्ष के एक माननीय सदस्य वाराणसी को मैंने देखा कि माननीय सदस्य सुल्तानपुर के पाण्डे जी को जबरदस्ती उठा कर बाहर ले जा रहे हैं मैंने दरवाजे पर देखा कि वह उनको धक्का देकर बाहर कर रहे हैं और वह अन्दर आ रहे हैं (व्यवधान) फिर उनको उठाकर लाबी में बैठा दिया । वह शराब पीकर आये थे जिसकी गंध यहां हमारे पास तक तो नहीं आई लेकिन उधर माननीय मुख्य मंत्री जी के पास आई थी । इस पर मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूं ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय ओझा जी, आप तो बुजुर्ग साथी हैं, बाल भी सफेद हो रहे हैं, अंदेशा है कि कहीं उनका असर आप पर भी न आ जाए ।

(व्यवधान)

आप एक व्यवस्था का प्रश्न उठा चुके और मैं उसको सुन चुका । अब कुछ न हीं ।

डा0 संजय सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से नियम....

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, इनको आपने कैसे बोलने की इजाजत दे दी ?

(कई सदस्यों द्वारा डा0 संजय सिंह के बोलने पर आपत्ति किये जाने पर)

श्री अध्यक्ष–

मेरे अधिकार पर आप हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं । कृपा करके आप बैठिये ।

(मेजों की थपथपाहट)

डा0 संजय सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं नियम 110 में, अभी हाल में राज्य सभा में, राज्य सभा के माननीय सभापति श्री शंकरदयाल शर्मा ने संसदीय परम्परा को मजबूत बनाने के लिए जो साहस दिखाया है, मैं चाहता हूं.....

(श्री नेक चन्द्र पाण्डेय के खड़े होकर जोर जोर से बोलने से घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मैं इजाजत नहीं देता हूं, आप बैठिये, उनकी बात सुनने दीजिए । संजय सिंह जी आप कृपा करके बैठिये । मैं शंकर दयाल शर्मा जी के बारे में इस सदन में उठाने की अनुमति नहीं देता हूं । अब आप कृपा करके बैठिये, हो गया ।

डा0 संजय सिंह–

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नियम 110 में माननीय सदस्य को कोई भी बात उठाने का अधिकार है । मुझे पूरा भरोसा है कि आप मुझे बोलने का मौका देंगे । डा0 साहब ने बड़े साहस और राजनैतिक कुशलता का परिचय दिया है । मैं चाहता हूं कि यह सदन उनके उस साहस के लिए उनको बधाई सन्देश भेजे ।

श्री अध्यक्ष–

आप बैठें । मद संख्या 4 ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

एक व्यवस्था का प्रश्न है मान्यवर । शंकर दयाल शर्मा जी ने बहुत ही साहस और उत्साह का परिचय दिया है, इसके लिए हमारा कर्तव्य है कि हमारा यह सदन उनके लिए बधाई सन्देश भेजे ।

(व्यवधान)

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का अष्टम् प्रतिवेदन†

काजी कलीमुर्रहमान–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का अष्टम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

†छापा नहीं गया ।

उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का सप्तम् प्रतिवेदन†

श्री काजी कलीमुर्रहमान–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश नवम् विधान सभा की प्रतिनिहित विधायन समिति का सप्तम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

अब मद सं0–9 ।

श्री राम शरण दास–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, आप सुन लीजिए । मैंने ऐसा कौन सा कार्य किया है कि आप मेरी बात सुन नहीं रहे हैं ? मेरी बात माननीय, सुनिये ।

श्री अध्यक्ष–

मैं नियम 56 ले रहा हूं ।

श्री राम शरण दास–

मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि जो बधाई संदेश का प्रस्ताव डा0 संजय सिंह जी ने पेश किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं और यह सारा सदन उसको पास करता है । डा0 शंकर दयाल शर्मा ने यह बहुत ही ऐतिहासिक कार्य किया है ।

ध्यान आकर्षण प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम 56 में 24 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं । पहली सूचना श्री शफीकुर्रहमान बर्क जी की दिनांक 16-2-88 को रज्जबपुर जिला मुरादाबाद में पुलिस व पी0 ए0 सी0 की गोलियों में लगभग 12 किसानों की मृत्यु के बारे में है और दूसरी सूचना श्री कौशिक रमा शंकर जी की भी इसी बारे में है । तीसरी सूचना से लेकर दसवीं सूचना तक जो सर्वश्री मुलायम सिंह यादव, बुनियाद हुसैन अंसारी, गया प्रसाद वर्मा, चौधरी महाराज सिंह, कुंवर रेवती रमण सिंह, विक्रमादित्य पाण्डेय, जनार्दन प्रसाद अश्का, राजेन्द्र कुमार गुप्त, राज किशोर सिंह, गोपाल दास यादव, अनुग्रह नारायण सिंह, मनोहर लाल, शतरुद्र प्रकाश और श्री मूल चन्द्र ने दी है वह-''सूत के मूल्यों में वृद्धि तथा हथकरघा निगम द्वारा कपड़ों के मूल्यों में वृद्धि न किये जाने से बुनकरों में उत्पन्न असंतोष'' के संबंध में है ।

सूचना नं0 11, 12 और 13 को सर्वश्री रवीन्द्र नाथ तिवारी, राम गोविन्द चौधरी और श्री हर्षवर्धन ने-''दिनांक 20-2-88 को लखनऊ में आयोजित कांग्रेस की रैली के संबंध में'' दिया है ।

सूचना नं0 14 को श्री राम शरण दास ने दिया है जो-''प्रदेश के लाखों गन्ना किसानों को उनके गन्ने की खरीद में गड़बड़ी तथा उचित कीमत न मिलने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में'' है ।

सूचना नं0 15, 16, 17, 18 को सर्वश्री रघुवर दयाल वर्मा, विजय सिंह राणा, हरेन्द्र सिंह, जयदीप सिंह बरार और श्री सूर्य प्रताप शाही ने दिया है जो-''मेरठ में भारतीय किसान यूनियन के धरने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में'' है ।

---

†छापा नहीं गया ।

सूचना नं0 19 को श्री बाबू राम यादव ने दिया है जो-''जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड करहल, बरनाहल, दराव, मदनपुर, खैरगढ़ में पानी के श्रोत सूख जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में'' है ।

सूचना नं0 20 को श्री शारदा प्रताप ने दिया है जो-''ग्राम शाहजादपुर, परगना मोहनलाल गंज जनपद लखनऊ के हरिजन श्री दयाराम और श्री रामदीन द्वारा 18-1-88 से किये जा रहा आमरण अनशन के संबंध में'' है।

सूचना नं0 21 को श्री अचल सिंह ने दिया है जो-''बन विभाग फतेहपुर द्वारा तहसील बिन्दकी में किसानों की खड़ी फसल को उजाड़कर उनकी जमीनों पर कबजा करने के संबंध में'' है ।

सूचना नं0 22 को श्री शारदानन्द अंचल ने दिया है जो-''बलिया जनपद में अपात्र व्यक्तियों की नसबन्दी किये जाने के संबंध में'' है ।

सूचना नं0 23 को श्री बदन सिंह ने दिया है जो-''आगरा की कमलानगर कालोनी में वैश्यावृत्ति के अड्डे पकड़े जाने के संबंध में'' है ।

सूचना नं0 24 को सर्वश्री भगौती सिंह, बेनी प्रसाद वर्मा, राम सागर और श्री फरीद महफूज किदवई ने दिया है जो-''लखनऊ-बाराबंकी में भीषण ओला वृष्टि से हुई किसानों की तबाही के संबंध में'' है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय कौशिक रमा शंकर जी बोलें ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न था, कि नियम 110 के अन्तर्गत प्रस्ताव आ गया है या तो वह प्रस्ताव स्वीकार हो या अस्वीकार तो आप इसमें व्यवस्था दे दें ।

श्री अध्यक्ष–

वह अस्वीकार हो गया है, उस पर निर्णय भी हो गया है ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

अब मैं नियम 56 पर बोलने जा रहा हूं ।

मान्यवर, कांग्रेस पार्टी की सरकार की किसान विरोधी नीति के कारण मुरादाबाद में 15/16 तारीख को जबरदस्त हादसा हो गया । निश्चित रूप से जो जानकारी अबतक प्राप्त हुई है उसमें 8 किसान तो मारे गये और अभी अनेक लोग एसे हैं जो लापता हैं, वह न अस्पताल में और न जेल में हैं एवं न घर ही पहुंचे हैं । कहा नहीं जा सकता कि उनके साथ क्या हुआ ? मान्यवर, किसान लोग अपनी मांगों को लेकर गन्ने की कीमतें बढ़ाने की मांग लेकर एवं दूसरी चीजों के दाम बढ़ाने को लेकर, बिजली की दरों को कम करने के संबंध में अपनी मांगों को रख रहे थे तो इस सरकार ने, जो दावा करती है कि वह किसान का हित चाहती है, लेकिन उसकी नीतियां किसान के हित के विपरीत हैं, उसने उन किसानों को गोलियों से भून डाला । मान्यवर, 15 तारीख को अतरासी पर गोली चली और 16 तारीख को रज्जबपुर में गोली चली... । और आज भी स्थिति मान्यवर यह है कि गजरौला, रज्जबपुर, जोया, अतरासी, अमरोहा में आतंक छाया हुआ

है । सभी स्थान पी0 ए0 सी0 की छावनी बन गयी है । ऐसी स्थिति में मान्यवर, जनपद में रहने वाले सभी लोगों का जीवन अस्त-व्यस्त और त्रस्त हो गया है, जिसके कारण जनता में जबरदस्त आक्रोश है । किसी भी समय और कोई विस्फोटक स्थिति पैदा हो सकती है । क्योंकि इस सरकार की जो नीतियां हैं और जो सरकार के तरीके हैं वह जनता के विरोधी के रूप में हैं । मान्यवर, 16 तारीख को रज्जबपुर में गोलियां चलाई गईं । अन्धाधुन्ध गोलियां पी0 ए0 सी0 की तरफ से चलाई गईं । गोलियां चलाने से पहले न आंसू गैस छोड़ी गई न लाठी-चार्ज ही हुआ सीधे गोलियां चला दी गईं। मरने वाले लोगों में से कई लोग ऐसे भी हैं जो कई फर्लांग की दूरी पर थे, लेकिन गोलियों का चलाना अन्धाधुन्ध तरीके से हुआ था जिसके कारण उनको गोलियां लग गईं । मान्यवर, 100 से अधिक लोगों को जेल में ठूंस रखा है इससे स्थिति और भी विस्फोटक हो सकती है । पूरे प्रदेश के किसानों ने तय किया है कि मुरादाबाद के किसानों के ऊपर जो गोली वर्षा की गई है उसमें घायलों की चिकित्सा यदि ठीक से नहीं की गई तो पूरे प्रदेश के किसान आन्दोलन में आ जाएंगे, उस वक्त स्थिति कितनी खराब हो जाएगी ? मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि मुरादाबाद में किसानों पर जो अत्याचार किया गया है उस पर सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा करायें ।

श्री अध्यक्ष–

जिनके नाम हैं उनको ही बुलवाया जाएगा । जहां बहुत से नाम हैं उसमें नेताओं को ही बुलवाया जाएगा ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

मान्यवर, 15-16 तारीख को रज्जबपुर जिला मुरादाबाद के अन्दर पुलिस ने और पी0 ए0 सी0 ने जुल्म ढाया और जो किसानों के ऊपर गोलियां बरसाईं उसकी मिसाल नहीं मिलती है । किसान सिर्फ मेरठ के किसान आन्दोलन के सिलसिले में प्रदर्शन कर रहे थे और उन्हीं किसानों की मांगों को लेकर गन्ने के मसले पर, बिजली के मसले पर और जो जरूरी जायज मांगें थीं उनको उठाने की कोशिश कर रहे थे । इस पर पुलिस ने जिस जालिमाना तरीके से गोलियां बरसाईं, जहां तक मेरी जानकारी है 12 आदमी मर गये । पचासों आदमी घायल हो गये । मान्यवर, एक दरगाह रसीद साहब की है उसके बराबर में मस्जिद है वहां पर पुलिस ने मस्जिद के अन्दर गोलियां बरसाईं । जो घायल थे उनको किसी ने पानी पिलाना चाहा तो उन पर भी गोलियां बरसाईं गईं । मुरादाबाद के अन्दर स्थिति बहुत गम्भीर है किसी भी वक्त हालात बिगड़ सकते हैं । जिला मुरादाबाद के ही नहीं मेरठ और पूरे प्रदेश के किसान इस जुल्म और बर्बरता से बे-इन्तिहां दुखी हैं और अब ऐसा माहौल हो गया है कि हालात किसी भी वक्त बिगड़ सकते हैं । मेरठ में लाखों किसान धरना दिए बैठे रहे लेकिन मुख्य मंत्री जी ने यह नहीं चाहा कि उनकी बात सुनते ।

(व्यवधान)

किसानों ने जब मांगें पूरी करने का विषय उठाया तो उनके साथ जुल्म किया गया इस बात की पब्लिक गवाह है । कितने ही किसान लापता हैं उनका अब तक पता नहीं है । जिन किसानों की मौतें हुई हैं उनके परिवारों को कम से कम 1 लाख रुपया मुआवजा दिया जाय और जो घायल हुये हैं उनकी सुरक्षा तथा उनकी दवा दारू, का इंतजाम कराया जाय । मैं यह भी मांग करता हूं कि आज की सदन की कार्यवाही

को रोककर इस मसले पर बहस करायी जाय । यह ऐसा गम्भीर मसला है जो पूरे उत्तर प्रदेश में एक चिंता का विषय बना हुआ है । किसानों के साथ जो जुल्म और ज्यादतियां हो रही हैं उस पर सरकार बयान दे और मैं इस बात की भी मांग करता हूं कि किसानों की जो मांगे हैं उनको पूरा किया जाय । इतने गम्भीर मसले पर सदन की कार्यवाही को रोककर बहस करायी जाय ।

श्री अध्यक्ष–

सूचना नं0 3, 4, 5, 6-8 जो सूत की कीमतों के बारे में है, उसमें आपका नाम है, मुलायम सिंह जी, आप नेता हैं, आप बोलें ।

श्री मुलायम सिंह यादव–

बड़ी कृपा हुई। अध्यक्ष महोदय, आज उत्तर प्रदेश में लाखों बुनकर मजदूर भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं और उनकी जो जायज मांगें है उनको लेकर उन्होंने आन्दोलन किया है और आज उनकी पिटाई हो रही है, उन पर लाठीचार्ज हो रहा है और उनको जेलों में बन्द किया जा रहा है । मैं आपको यह जानकारी देना चाहता हूं कि आज हजारों हजार बुनकर लखनऊ में प्रवेश कर गये हैं और कल जब हजारों लोग मुझसे मिले दारुल शफा में रात के 10-11 बजे तो वह भूखे थे । एक नेता यूसुफ बेग ने मुझसे कहा कि आज यह सारे लोग भूखे हैं, उस वक्त हमारी जेब में पैसे नहीं थे तो मैंने वायदा जरूर किया कि आज उनकी मदद खाने पीने की कुछ जरूर करुंगा । यह असलियत है । सूत की मंहगाई जो है वह सरकार की गलत नीतियों के कारण है । दूसरी बात है । कालीन उद्योग में काम करने वाले मजदूर हैं वह जब मजदूरी मांगते हैं तो उनकी लाठियों और डंडों से पिटाई की जाती है ।

यह शर्म की बात है । उनकी मांगों को दबाये जाने की कोशिश की जा रही है । आज यह आन्दोलन पूरे प्रदेश में फैल रहा है । चाहे बाराबंकी हो, चाहे सीतापुर हो, चाहे वाराणसी हो चाहे भदोही या मिर्जापुर हो, पूरा प्रदेश के बुनकर आज आन्दोलित हैं और हजारों लोग लखनऊ में प्रवेश कर गये हैं । इसलिये मेरा निवेदन है कि कालीन उद्योग में काम करने वाले जो लोग हैं उनकी मजदूरी बढ़ायी जाय । विदेशों को जो सूत भेज दिया गया है और जिसकी वजह से सूत की कीमतें बढ़ी हैं और बुनकरों के पेट पर जो आपने चोट की है, लात मारी है उनकी सरकार अपनी तरफ से सपोर्ट प्राइस दे और सूत सस्ता दे और जिन बुनकरों पर मुकदमें चल रहे हैं उनके मुकदमें वापस लिये जायं और जो बुनकर जेलों में बन्द हैं उनको रिहा किया जाय । अगर इन बातों को पूरा नहीं किया जाता है तो पूरे उत्तर प्रदेश में गम्भीर स्थिति पैदा हो जाएगी और फिर बुनकर अकेले नहीं रहेंगे उनकी लड़ाई में हम सब लोगों को हिस्सा लेना पड़ेगा जिससे प्रदेश में विस्फोटक स्थिति होगी । इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि इस गम्भीर मसले पर सदन की कार्यवाही को रोक कर चर्चा करायें ।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर ।)

श्री अध्यक्ष–

एक माननीय सदस्य एक दल से बोलेंगे ।

(श्री शतरुद्र प्रकाश को पुकारे जाने पर ।)

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आप जैसा चाहेंगे वैसे नियम बनायेंगे । औचित्य के प्रश्न पर आपने दो-दो को सुना । हम लोगों को भी सुनें ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, बनारस और मिर्जापुर में इस समय कालीन बुनकरों की हालत बहुत खराब है, पिछली 21 जनवरी से करीब 4-5 लाख बुनकर हड़ताल पर हैं और मैं कहना चाहूंगा कि पहली फरवरी से लेकर 4 फरवरी तक बनारस और मिर्जापुर की पुलिस ने बुनकरों के घरों में घुसकर जिस तरह से उनको मारा है, जिस तरह से उनकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया है, जिस तरह से उनके बच्चों को, वहां पर बुड्ढों को, निर्दोष लोगों को पीटा है और लूटने-पाटने का काम किया है, मैं आपके सामने कहना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी यहां बैठे हैं, पहली फरवरी को ग्राम नवादा के हजारों बुनकरों के सामने पुलिस पहुंच कर उनको मारने का काम करती है और वहां पर थाना भदोही में राममूर्ति सिंह, सब-इन्सपेक्टर हैं, वह अपने सारे दल-बल के साथ वहां के सारे के सारे बुनकरों की साइकिलों को उठवा कर ले जाते हैं।

मान्यवर, वहां पर मुन्नीराम, गड़रिया, भगेलू और तमाम लोग हैं, मेरा पास उनकी सूची है, उनको बुरी तरह से मारा-पीटा गया, बलऊ पासी का पैर तोड़ दिया गया, उसका खपरैल का घर तोड़ दिया गया और उसके घर को लूट लिया गया । इसी तरह से करीब 100 घरों को तोड़ दिया गया और लूट लिया गया । इसी तरह से मान्यवर, 3/4 फरवरी की रात को करीब 12-साढ़े 12 बजे मिर्जापुर के चार थानों के दरोगा और पी0 ए0 सी0 की मोटरें ग्राम महावलपुर में पहुंचती हैं, उसके रास्ते में जितने घर पड़ते हैं, उन सारे घरों को इन चारों थानों के दरोगा और पी0 ए0 सी0 के लोगों ने लूट लिया । माधोपुर, कटका, महाबलपुर, पिपरिया, लोहरापुर व गड़ौली के करीब 1500 घरों में घुस कर बहुत बड़े पैमाने पर लूट-पाट का काम किया गया ।

मान्यवर, निर्दोष बुनकरों के घरों में घुस कर दुर्व्यवहार किया गया । मान्यवर, दो-तीन महिलाओं के कपड़ों को पुलिस वालों ने फाड़ दिया है। मान्यवर, वहां पर बुनकरों की महिलाओं के साथ बलात्कार भी हुआ है। इस पूरे के पूरे प्रकरण की जांच कराई जानी चाहिए। पुलिस और पी0 ए0 सी0 ने बनारस और मिर्जापुर में आज तक अंग्रेजों के काल से लेकर आजादी के काल में गरीबों और बुनकरों के साथ इतना जुर्म नहीं किया गया, जितना कि श्री वीर बहादुर सिंह की सरकार द्वारा जुर्म किया गया है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की सरकार खामोशी अख्तियार किये हुए है। मान्यवर, वहां के व्यापारी करोड़पति हो गये हैं, लेकिन वहां का बुनकर जो है, उनको पेट भरने के लिए मजदूरी भी नहीं मिल रही है। मान्यवर, डेढ़ लाख बुनकर ज्ञानपुर तहसील के सामने धरना देते हुए बैठे हुए हैं और वहां का व्यापारी बुनकरों को माल देने के लिए तैयार नहीं है। मान्यवर, एस0 पी0 (आर0 ए0) रामदेव ने आज बुनकरों गरीबों और निर्दोष लोगों को मारने का काम किया है, उसको तत्काल बनारस से हटाया जाय, उस पर हत्या का मुकदमा चलाया जाय और न्यायिक जांच कराई जाय ।

मान्यवर, श्री बेचू राम ने माननीय गृह मंत्री जी का इस सम्बन्ध में ध्यान आकर्षित किया है और श्री राम नाथ सोनकर ने भी सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। मैं चाहता हूं कि यह सरकार दोषी पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा चलाये और उनके खिलाफ कार्यवाही करे।

(श्री बुनियाद हुसैन अंसारी के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री मुलायम सिंह यादव–

मान्यवर, मेरा निवेदन यह है कि इनको जरूर सुनें।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, आपसे जब बात हुई थी तो यह तय हुआ था कि एक दल के कम से कम 2 लोग बोलेंगे यह आपने स्वीकार किया था। यह बुनकरों की समस्या प्रदेश व्यापी है। इस प्रदेश व्यापी सवाल पर एक दल से कम से कम 2 आदमी बोलने का आग्रह करूंगा, इजाजत चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष–

मुझी को आप दबाते हैं।

कई रोज से आज पहला दिन होगा जो नियम 56 लाया गया और उसके बाद अभी राज्यपाल के अभिभाषण पर शुरुआत भी नहीं हुई है।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, आज चूंकि पहला दिन है यह प्रदेश व्यापी सवाल है।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह तय हुआ कि आज 2 को सुन लेंगे इसके बाद एक ही को सुना करेंगे।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, यह सरकार बारी-बारी से कभी किसानों के ऊपर, कभी छात्रों के उपर, कभी राज्य कर्मचारियों के ऊपर और अब मान्यवर, बुनकरों के ऊपर इस सरकार की गिद्ध दृष्टि लगी हुई है। मान्यवर, 21 जनवरी से बुनकर जाड़े पाले में ज्ञानपुर में पड़े हुए हैं। 21 जनवरी से आज मान्यवर, 25 फरवरी हो गयी है। 25 फरवरी तक सरकार की तरफ से कोई नुमाइन्दा वहां नहीं गया और लाखों की तादाद में वहां बुनकर हैं। उनकी मांग है कि आज से 10 साल पहले से उनकी मजदूरी का पुनरीक्षण नहीं हुआ है उनकी मजदूरी बढ़ायी जाय, उनको वही सुविधायें दी जायं जो कलकारखाने के मजदूरों की दी जा रही हैं।

मान्यवर, भदोही और मिर्जापुर से डेढ़ सौ करोड़ का कारपेट इक्सपोर्ट होता है और वहां बुनकरों को मजदूरी आज से 10 साल पहले की दी जा रही है उनकी चिकित्सा सुविधा नहीं दी जा रही है, उनको बोनस नहीं दिया जा रहा है। उनको कोई भी सुविधा जो कारखाने में काम करने वाले मजदूरों को है, वह सुविधा नहीं दी जा रही है। अभी जैसे मुरादाबाद में गोली चली है अगर यही स्थिति रही तो भदोही और मिर्जापुर में भी गोली चलने की नौबत आ जायेगी। इस सरकार का न तो कोई मंत्री और न नुमाइन्दा उन बुनकरों से जाकर मिला है। मैं आग्रह

करूंगा कि इस महत्वपूर्ण मामले में सदन की कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा करा दें और सरकार से इस पर तत्काल वक्तव्य दिलवा दें ।

(कई सदस्यों के बोलने के लिए खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

यह मान लिया कि एक दल से दो लोग बोलेंगे ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, यह सरकार पूंजीपतियों को बढ़ाने का काम कर रही है। जब भी किसान, मजदूर, गरीब दुकानदार और बुनकर अपनी मांगें लेकर शासन के सामने आते हैं तो सरकार उनकी मांगें सुनें, इसके बजाय उनको गोलियों से भूना जाता है । यही बात किसानों के बारे में हुई। आज बुनकरों की हालत यह है कि 60 लाख लोग भुखमरी की कगार पर पहुंच गये हैं इसका कारण क्या है जैसा कि मैंने कहा सरकार पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना चाहती है। मान्यवर, हमारे पास आंकड़े हैं उसके अनुसार पिछले वर्ष 11 हजार टन सूत का निर्यात किया गया था वहीं आज 30 हजार टन सूत का निर्यात किया जा चुका है। कुछ महीने पहले ही सूत तथा रेशम के धागे में बेतहाशा वृद्धि हो गयी है अभी तीन माह पहले जो बंडल 85 रुपये का मिलता था आज डेढ़ सौ रुपये का हो गया है जो रेशम धागा 660 रुपये से 730 रुपये प्रति किलो के बीच में था उसकी कीमत 800 रु0 से 1000 रु0 तक हो गयी है।

इसका परिणाम है कि बुनकर बर्बाद हो गया है। हमारे जनपद में जहां बड़ी संख्या में बुनकर अपना जीवन बड़ी मुश्किल से बिता रहे हैं यह हमारी निजी जानकारी है कि कितने ही बुनकर अपना कारोबार छोड़कर दूसरे जिलों में मजदूरी करने के लिये चले गये हैं आज मान्यवर, वह बेघरबार हो गये हैं। सरकार को चाहिए कि सरकार उनकी मांगों को स्वीकार करे और सूत का दाम 86 की कीमत पर लाये तथा सूत का निर्यात कम करे । मान्यवर, सबसे महत्वपूर्ण उनकी मांग है कि वह कर्ज से लदे हुए हैं जिसका कारण है कि एक जनता धोती का दाम 45 रु0 आता है और सरकार 39 रुपया देती है आप उनकी सब्सीडी बढ़ाइये । उनके ऊपर कर्जे माफ कीजिये, यह हमारे दल की मांग रही है। बुनकरों के, छोटे दुकानदारों के और अन्य लोगों के 20 हजार तक के कर्जे माफ कीजिये । आप दूसरे बड़े लोगों को 35 पैसे में बिजली देते हैं, बुनकरों को कम कीमत पर बिजली क्यों नहीं देते हैं ? इसलिए मेरी मांग है कि इनकी मांगों को सुनकर लखनऊ, गोरखपुर, सीतापुर, वाराणसी जहां भी ये खड़े होते हैं, सरकार उनकी आवाज को जुल्म लाठी और गोलियों से दबा देती है। उनको सहायता दिलायी जाय। आज पूरे प्रदेश का बुनकर आन्दोलित है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप हमारे इस प्रस्ताव को कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में स्वीकार कीजिये । आप शायद इस पर चर्चा करा दें, या वक्तव्य दिलवा दें, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। कार्य स्थगन प्रस्ताव हमारा एक संसदीय आयुध है सरकार को सेंसर करने का, हम चाहते हैं कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करके कार्य स्थगन प्रस्ताव के रूप में चर्चा कराने की कृपा करें ।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी–

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में लगभग 60 लाख बुनकर लोग भुखमरी का जीवन जी रहा है और 22 लाख हथकरघा और 4-5 लाख पावरलूम और कालीन उद्योग तबाह हो रहे हैं। उसकी जिम्मेदारी मान्यवर, इस सरकार की है। यह इस प्रकार की गलत नीतियों के कारण ऐसा हुआ है । मान्यवर, बुनकरों को राहत पहुंचाने के लिए 1972 में राम सहाय कमीशन बैठाया गया था । उसकी रिपोर्ट आए आज 15 साल हो गए, लेकिन राम सहाय कमीशन की रिपोर्ट आज तक लागू नहीं की गयी । आप उसकी अमलदरामद करा दें । अभी तक 1972 की राम सहाय कमीशन की रिपोर्ट की अमलदरामद नहीं की गयी है । उसमें कहा गया है कि जहां बुनकरों की संख्या ज्यादा है, वहां पर स्पिनिंग मिल लगाकर उनको सहायता दी जाय । । आज काटन विदेशों को निर्यात किया जा रहा है । इससे पूरे प्रदेश के बुनकरों में तबाही आ गयी है ।

पिछले 6 महीनों में सूत के दाम ड्योढ़े और 3 महीनों में दूने हो गए हैं । रेशम उद्योग की तबाही का कारण यह है कि विदेशों से रेशम नहीं आ रहा है । चाइना और कोरिया ने यह कह कर रेशम देने से मना कर दिया है कि वे केवल तैयार माल ही देंगे । दूसरी तरफ हमारी निकम्मी सरकार रा मैटीरियल यानी काटन यार्न का धागा विदेशों को भेज रही है । इसी के साथ-साथ भारत सरकार ने 20 हजार गाठें 20 परसेन्ट दाम कम करके नेशनल डेवलपमेन्ट हैण्डलूम कार्पोरेशन को दी है । वह सूत किसी बुनकर को नहीं दिया गया है । मैं चुनौती के साथ कहना चाहता हूं कि वह सस्ते दाम का सूत सरकार के द्वारा बुनकरों में नहीं बांटा गया है । सरकार का कहना है कि रुई कम पैदा हुई, तो विदेशों में माल क्यों भेजा जा रहा है ? अगर कमी है तो इस पर रोक क्यों नहीं लगाई जा रही है ?

दूसरी तरफ बुनकर जहां-जहां आन्दोलन कर रहे हैं, उन पर लाठी चार्ज किया जा रहा है । मैं गोरखपुर गया था, जो मुख्य मंत्री जी का गृह जनपद है । वहां पर ढाई हजार बुनकरों ने गिरफ्तारी दी, उन पर लाठीचार्ज किया गया । सात बुनकर जेलों में बन्द हैं । उन पर गुण्डा एक्ट लगाया गया है । क्या गुण्डा एक्ट इसीलिए है कि बुनकरों और दस्तकारों पर लगाया जाय ? इसी तरह से, उद्योग राज्य मंत्री श्री निसार अहमद अंसारी साहब बैठे हैं, मैं उनके यहां टाण्डा भी गया था । वहां पर 80 परसेंट पावरलूम बन्द हैं । उनके यहां खाने को नहीं है । दूसरी तरफ यह कहते हैं सूत में महंगाई आ गयी है । जरी जो कापर की होती है, उसका इस्तेमाल बनारस में होता है, उसका काम सरकार के नियंत्रण में होता है । पिछले 3 माह में उसके दाम 24-36 से बढ़कर 80 रुपये किलो हो गए । यह इनके निकम्मेपन के कारण हुआ है ।

इसी के साथ-साथ मान्यवर, सूखे में बहुत प्रचार किया गया कि किसानों की सहायता की जा रही है, सूखे से इस प्रदेश का बुनकर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है । उनको राहत पहुंचाने के लिए जिस प्रकार से किसानों को खाद पर सहायता के रूप में सबसिडी दी जाती है, उसी प्रकार से सरकार को बुनकरों के लिए कच्चे धागे पर सबसिडी के रूप में दाम कम करके दिया जाय । 1977 में जो जनता धोती तैयार होती थी, उसका इन्डेन्ट परसेन्ट कैश पेमेन्ट होता था । आज यह उधार पर कार्य हो

रहा है । 6 करोड़ रुपया यूपिका को देना है बुनकरों की जनता धोती का । मान्यवर, इस महत्वपूर्ण विषय पर दो घंटे चर्चा की मांग करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

अब हम उठते हैं भोजनावकाश के लिए । भोजनावकाश ढाई बजे तक रहेगा । भोजनावकाश पौने दो बजे से ढाई बजे तक के लिए होगा ।

(इस समय 1 बजकर 45 मिनट पर भोजनावकाश हेतु सदन 2 बजकर 30 मिनट तक के लिए स्थगित हो गया । 2 बजकर 30 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

श्री राज किशोर सिंह–

माननीय उपाध्याय महोदय, वाराणसी जनपद के भदोही में और उसके समीपवर्ती जिलों, मिर्जापुर, इलाहाबाद, जौनपुर के लाखों-लाख कालीन बुनकर अपनी मजदूरी के पुनरीक्षण के लिए मांग रहे हैं । उनकी मजदूरी बढ़ाने के लिए पिछले 10 वर्षों से सरकार ने कोई विचार नहीं किया है । इसलिए उन्होंने अपनी मजबूरी की बढ़ोत्तरी के लिए नोटिसें दी, लेकिन जब उनकी नोटिसों पर भी सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की तो उन्होंने 21 जनवरी से हड़ताल पर जाने का फैसला लिया और लाखों-लाख मजदूर भदोही और समीपवर्ती जिलों के आज हड़ताल पर हैं । इसके बाद 12 फरवरी को उन्होंने ए0डी0एम0 के आफिस के सामने धरना दिया, और उनका आन्दोलन जारी है । आज विधान भवन के सामने भी हजारों-हजार मजदूर धरना दे रहे हैं । उनकी मांगे न्यायोचित हैं । उनके आन्दोलन को दबाने के लिए निर्यातकों और मालिकों ने मिलकर गांव-गांव में तबाही मचा रखी है । नेबादा की पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और लूटा तथा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन तथा धरना दे रहे लोगों पर फायरिंग की, जिसमें चौथी नामक बुनकर की चोट लगी । पूरे गांव को गिरफ्तार कर लिया गया । भगेलू नामक एक प्रधान है, जो बड़ढा है, उसे भी जेल में रख दिया गया है । इन्होंने अपने पुलिस के जरिये कछवा थाना के कटका, गरोली, पिपरिया और महामलपुर में आधी रात को पी0 ए0 सी0 ने लूट पाट की और पूरे गांव के लोगों को पकड़ कर ले गई । आज मालिकों के साजिश की पुलिस का जुल्म वहां पर तेजी से चल रहा है । जब माननीय श्री सुनील शास्त्री जी श्रम राज्य मंत्री थे तो उन्होंने एक त्रि-दलीय कमेटी बनाई थी, किन्तु इस सरकार ने उसे समाप्त कर दिया है । जिसकी वजह से भी मजदूरों में आज अशान्ति है । भदोही का मामला बहुत विस्फोटक है । सरकार को इसमें फौरन हस्तक्षेप करना चाहिए और कोई सौल्यूशन निकालना चाहिए वरना स्थिति और भी भयंकर हो सकती है । क्योंकि मजदूर ने यह निर्णय ले लिया है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक वह आन्दोलन करते रहेंगे, भले ही उनके ऊपर कितने जुल्म कर दिये जायं । मैं चाहूंगा कि आप इस पर चर्चा करवायें ।

श्री उपाध्यक्ष–

मा0 विक्रमादित्य पाण्डेय जी.....

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, जब यह कार्यस्थगन का मामला चल रहा था तो माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि प्रत्येक दल के 2-2 आदमी को इस पर सुनूंगा । इसी शराफत में मैंने अपना नाम नहीं दिया ।

श्री उपाध्यक्ष–

यदि आपको सुनूंगा तो फिर सब को सुनना पड़ेगा । मैंने श्री विक्रमादित्य पाण्डेय जी को बुला लिया है, इसलिए आप कृपा करके बैठ जायं ।

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, आप मुझे 2 मिनट सुन लीजिए । मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर लूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आपको बोलने की इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री विक्रमादित्य पाण्डेय–

मान्यवर, 21 जनवरी से कालीन बुनकर हड़ताल पर हैं । 1 फरवरी को भदोही के पास नेवादा में 4/5 फरवरी की रात को कछवां में पुलिस ने जनतांत्रिक तरीके से आन्दोलन कर रहे मजदूरों पर गोलियां चलाईं । आप इस बात से अवगत हैं कि हमारा यह कालीन उद्योग है, यह विदेशी मुद्रा अर्जित करने वाला उद्योग है । प्रतिवर्ष 150 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा इस कालीन उद्योग से हमें प्राप्त होती है । सरकार के उपेक्षापूर्ण रवैये और गलत नीति के कारण कालीन उद्योग के बुनकर आन्दोलन करने के लिए बाध्य हो गये हैं । 1978 में न्यूनतम मजदूरी का कानून इन पर लागू किया गया । उसमें यह भी काम था कि 5 साल के बाद इनकी मजदूरी में संशोधन होता रहेगा। 1983 तक हमारे बुनकर इसकी प्रतीक्षा करते रहे कि नियमों के अन्तर्गत उनकी मजदूरी में संशोधन किया जायेगा, लेकिन जब उन्होंने इसमें किसी प्रकार की प्रगति नहीं देखी तो वह आन्दोलन पर आ गये ।

तत्कालीन श्रम मंत्री श्री सुनील शास्त्री जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई, लेकिन कोई सहयोग न मिलने के कारण वह मीटिंग बेकार चली गई । 1885 में इस सरकार ने एक तरफा निर्णय लेकर उनके वेतन में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर दी । जब हमारे मजदूर और किसान अपने हक के लिए आन्दोलन चलाते हैं तो यह सरकार उस पर ध्यान नहीं देती आज सरकार की साजिश व दबावपूर्ण नीति के कारण 1.50 लाख मजदूर बेकार हैं । उनकी मांग है कि अन्य उद्योगों की भांति उनको भी मजदूरी दी जाय । जिन लोगों ने उन पर गोलियां चलायी, उनके खिलाफ कार्यवाही की जाय । इसलिए मैं मांग करता हूं कि आज शेष सदन की कार्यवाही रोक कर इस पर चर्चा करवायी जाय ।

श्री मूल चन्द–

मान्यवर, यह भदोही और मिर्जापुर का मामला है । कालीन उद्योग एक ऐसा है, जिससे भदोही, बनारस, जौनपुर, गाजीपुर, इलाहाबाद जिलों के मजदूरों की रोजी रोटी चल रही है । 200 करोड़ रु0 की विदेशी मुद्रा सरकार को अर्जित होती है। मजदूरों की मजदूरी के संबंध में अभी पूर्व वक्ताओं ने ध्यान आकृष्ट करके सरकार को अवगत कराया। मैं एक बात कहना चाहता हूं कि 21 तारीख से कालीन मजदूर हड़ताल पर गये हैं, 30 तारीख को ए0 डी0 एम0 के यहां एक मीटिंग हुई, पचासों हजार में ज्यादा लोग थे, वैधानिक ढंग से हड़ताल के लिए ए0 डी0 एम0 ने आश्वासन भी दिया ।

1 तारीख को निवादा से डेढ़ किलोमीटर दूर रोड पर मोढ़ बाजार निवादा गुड़वां गांव में मजदूरों ने हड़ताल में चक्का जाम कर दिया । मालिकान की गाड़ी को रोक दिया । मालिकान की तरफ से पुलिस को खबर दी गई, पुलिस के लोग आये और आने पर मजदूरों को मारना-पीटना शुरू किया, लाठीचार्ज किया और उन्हें भगा दिया । इसके बाद मालिकान की गाड़ी वापस गयी । जब वह चले गये तो बाद में वे मजदूर फिर एकत्रित हुए हड़ताल का काम जारी रखने के लिए । फिर पुलिस वापस आयी और पुलिस ने कहा कि, "जब तुम लोगों को भगा दिया, तो तुम लोग साले फिर क्यों इकट्ठा हुए ?" पुलिस ने फिर मारना शुरू किया । पुलिस के लोगों ने फायरिंग किया, एक चौथी हरिजन को गोली लगी, एक पुलिस के आदमी को भी गोली लगी । लाठी चार्ज में पुलिस के लोग भी घायल हुए । गांव निवादा में जो निरपराध हैं, जिनसे कोई मतलब नहीं था, उनको भी मारा गया ।

भगेलू प्रधान तो भाग गया, बीसू हरिजन, जिसकी उम्र लगभग 70 वर्ष थी, उसका पैर तोड़ दिया गया । वह किसान या मजदूर या कालीन मजदूर नहीं था, न ही हड़ताल की थी, उसका पैर तोड़ा गया। गरीबों की खपरैल तोड़ी गयी । यहां तक कि गन्ना पेर कर खांड़ ठेले में लदी थी, उस ठेले को तोड़ दिया गया, चावल, आटे में मिट्टी का तेल मिला दिया गया, चारपाइयां तोड़ी गईं । छोटे-छोटे बच्चों को मारा गया, औरतों को मारा गया, वे निरपराध लोग थे । उनके ऊपर धारा 397, 353, 332, 307, 324, 504 और न जाने कितनी धारायें पुलिस ने लगायीं । जब मैंने सुना तो मैं गांव में गया, मैंने देखा कि वे हरवाहे मजदूर किस स्थिति में थे । पी0 ए0 सी0 के लोगों ने माधोपुर खुटका ग्राम के औरतों के साथ बलात्कार किया, ये देश के रक्षक वहां पर भक्षक बन गये । भदोही-निवादा के 8 लोगों के हाथ पैर तोड़ दिये गये ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठें ।

श्री मूल चन्द–

आठ हजार मजदूर यहां आकर बैठा हुआ है । मैं इस पर सदन व सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहना चाहता हूं कि इस पर आप विजिलेंस की जांच करायें ।

श्री लोकपति त्रिपाठी–

(श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री मूल चन्द–

इसकी पूरी जांच करायी जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आपका समय समाप्त हो गया । मैंने तिवारी जी को बुला लिया है ।

श्री मूल चन्द–

और फैजाबाद में जिन गरीबों के खिलाफ मुकदमें चलाये गये हैं, उन मुकदमों को वापस लिया जाय । जिस हरिजन का पैर तोड़ा गया है तो जिसने उसका पैर तोड़ा है उसके खिलाफ कार्यवाही हो, क्योंकि एक हरिजन का पैर तोड़ा गया है ?

श्री उपाध्यक्ष–

अब लिखा नहीं जायेगा ।

श्री मूल चन्द–

[x x x]

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मैंने बुनकरों के संबंध में काम रोको दिया था, आप प्रोसीडिंग देख लीजिए कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि हम आपको इस पर समय देंगे । बुनकर और बुनकर मजदूर दोनों अलग-अलग बातें हैं । माननीय पाण्डेय जी बुनकर मजदूर पर बोल रहे हैं और हमारा विषय बुनकर का है ।

श्री उपाध्यक्ष–

दोनों में कोई फर्क नहीं है । मैंने तिवारी जी को बुला लिया है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

बुनकर मजदूर और बुनकर में फर्क है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मा0 ओझा जी, बुनकर और बुनकर मजदूर दोनों एक ही हैं, इनमें फर्क नहीं है ।

श्री फजलुल बारी–

श्रीमन्, मेरी बात सुन लें, साफ हो जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने अब दूसरे को समय दे दिया है ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

समझिये तो श्रीमन्,

(व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष–

ओझा जी, आपको समय मिलेगा तब आप बोल लीजिएगा । इस समय मैं बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं ।

श्री फजलुल बारी–

मैं एक नई बात बतलाऊंगा, बात को रिपीट नहीं करूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह बजट सत्र है, हर दफे मौका मिलेगा । अभी राज्यपाल के अभिभाषण पर, जनरल चर्चा में और उद्योग विभाग का जब बजट आयेगा तब आपको मौका मिलेगा । काम रोको में आपका नाम नहीं है, मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

(घोर व्यवधान)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, जो मैंने औचित्य का प्रश्न उठाया है 20 फरवरी को जो कांग्रेस . . .

(व्यवधान)

नोट–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

श्रीमन्, मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि मैंने जिस मामले को काम रोको प्रस्ताव की शक्ल में दिया है, सम्भवतः मुझे कष्ट के साथ कहना पड़ रहा है कि उसे आपने देखा ही नहीं है । मुझे दो हफ्ते के लिए जेल में भेजा गया । बुनकर मजदूरों का मामला इससे बिलकुल अलग है । सारे प्रदेश के बुनकर ऋण लेकर अपना काम चलाते हैं पिछले चार महीने में 80 फीसदी सूत के दाम बढ़े हैं । आज बुनकर ईस्ट इण्डिया कम्पनी के बन्द हो जाने के बाद भी उसी तरह से त्रस्त हैं । [x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा । मा0 तिवारी जी आप बोलें ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

1984 के समय के स्तर पर सूत के दाम को किया जाय ।

नेता, विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

श्रीमन्, नियम 56 के तहत जो समस्या सदन में उठायी गयी है, मैं चाहता हूं कि इसे सदन को, सरकार को और आपको गम्भीरता से लेने चाहिए यह अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न है ।

श्री मूल चन्द–

श्रीमन्, नियम 56 के तहत जो समस्या सदन में उठायी गयी है . मैं चाहता हूं कि इसे सदन को , सरकार को और आपको गम्भीरता से लेने चाहिए यह अविलम्बनीय आन्दोलित हैं। इसमें तीन तरीके की समस्यायें हैं, पहली समस्या तो यह है कि इनको जो सूत मिलता था वर्ष 1986-87 में वह 92 रु0 में था, जिसे अब बढ़ा कर 175 रु0 में कर दिया गया है और इस सूत पर यह जो माल तैयार करते हैं मिलाकर उस पर 240 रु0 इनका खर्च आता है और माल तैयार होने पर जो इनकी आमदनी होती है, वह 190 रु0 की होती है, इस तरह से इन्हें बजाए लाभ होने के 50 रु0 की हानि ही हो रही है, इसलिए सारे बुनकर इस समस्या से बेहद परेशान हैं और भुखमरी की कगार पर आ गये हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

मा0 नेता विरोधी दल, मैं इसकी ग्राह्यता पर मा0 सदस्यों को सुन रहा हूं, निर्णय मैंने अभी दिया नहीं है, तो अभी,

श्री सत्यपाल सिंह–

हां मान्यवर, मैं इसी पर बल देने के लिए ही बोल रहा हूं। इस समय जितने भी काम करने वाले बुनकर हैं, उन सब की हालत बड़ी चिन्ताजनक हो चुकी है, 1978 के बाद से बेतहाशा महंगाई बढ़ी है, लेकिन इस भयंकर महंगाई बढ़ने के बावजूद, उनको जो मजदूरी, जो वेतन मिलता है, वह अपनी जगह जहां की तहां ही है और दूसरी तरफ जो एक्सपोर्ट करने वाले कारखाने हैं, उनके मालिकान हैं, वह दिन पर दिन कोठियां पर कोठियां बनवाते जा रहे हैं और इन गरीब श्रमिकों

नोट–[x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

की हालत बद स बदतर होती चली जा रही है, इन्हीं तीन मामलों को लेकर सारे प्रदेश के बुनकर आन्दोलन कर रहे हैं और सरकार इनकी इस सिलसिले की समस्याओं को भी शान्तिपूर्ण ढंग से सुनना नहीं चाहती और न ही धरना देने, देना चाहती है और दूसरी तरफ यह बड़े-बड़े कारखानें के मालिकान पुलिस वालों से मिलकर जैसा कि भाई मूलचन्द जी ने कहा कि थाना भदोही, निवाला और कछुवां के लोगों को मारा-पीटा, उनको बुरी तरह से बेइज्जत किया, उनकी औरतों के साथ बलात्कार किया गया और उनके घर लूटे और गिराये गये. इस तरह से पुलिस वहां पर निरंकुशता पर उतर आयी है, तो यह गहन समस्याएं इनकी हैं, लेकिन सरकार मात्र समस्या को टालने वाली बात का रुख अपना रही है और अपने विवेक से कोई काम करना नहीं चाह रही है और जहां तक हम लोग समझ रहे हैं सरकार इनकी समस्याओं को निपटाने के मूड में भी नहीं है। इसलिए मैं बल पूर्वक यह कहना चाहूंगा कि इनकी समस्याओं को गम्भीरता से लें ताकि कोई समुचित हल निकल सके ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि माननीय रवीन्द्र नाथ तिवारी जी, कोई दूसरा मसला जो इस समस्या से हटकर है, उठाना चाहते हैं और यह मामला बुनकरों से सम्बन्धित है, या पूरे प्रदेश के बुनकर इस समस्या को लेकर त्राहि-त्राहि कर रहे हैं और इस सम्बन्ध में सदन की परम्परा भी यही है कि जो मामला पहले से चल रहा हो, जब तक उसको सुन न लिया जाए और उस पर कोई निर्णय न हो जाए, तब तक कोई दूसरा मामला नहीं उठाना चाहिए इसलिए मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि पहले इस मामले को सुन लिया जाए और इस पर आपका निर्णय आ जाए, तभी दूसरा कोई मामला उठाया जाए। (शोर)

श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, मेरी भी पांच मिनट के लिए सुन लीजिए । जनवरी में इसी मसले को मैंने उठाया था तो संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह आश्वासन दिया था कि हाउस उठने के बाद मीटिंग की जायेगी, उसमें इस पर विचार होगा लेकिन मान्यवर, मैं उस दिन साढ़े सात बजे तक रहा और कोई उस दिन मीटिंग न हुई।

(व्यवधान के मध्य)

लघु उद्योग राज्य मंत्री (श्री निसार अहमद अंसारी)–

मान्यवर, जहां तक बुनकर भाइयों की समस्या का मसला है, उस सिलसिले में जितनी चिन्ता आप कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा हम लोग चिन्तित हैं।

(शोर होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

पहले माननीय मंत्री जी को सुन लीजिए, माननीय मंत्री जी बोल रहे हैं।

श्री निसार अहमद अंसारी–

मान्यवर, रुई का हमारे प्रदेश में उत्पादन नहीं है और इस रुई को यहां के मिल मालिकों को बाहर से मंगानी पड़ती है। सूखा पड़ जाने के कारण, आप सभी जानते हैं कि कपास के उत्पादन में काफी कमी आ गयी है और जितनी

भी कपास है, कोई भी बाहर नहीं जा रही है। यह गलत आरोप लगाया जा रहा है, बल्कि केन्द्रीय सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि अपने देश की आवश्यकताओं को देखते हुए बाहरी देशों से कपास मंगाई जाय, जिससे हमारी मिलें सुचारु रूप से चल सकें।

मान्यवर, यह प्रश्न उठाया गया है कि सूत की कमी है, मैं कहना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश में अपनी पूरी क्षमता भर सूत नहीं मिला, हैण्डलूम और पावरलूम इन्डस्ट्रीज जो कपड़े का उत्पादन करती थीं, उसमें उत्तर प्रदेश की मिलों में केवल 60 और 65 प्रतिशत की खपत थी । यह सही है कि सूत का दाम बढ़ गया है, जिससे हमारे बुनकर भाई परेशान हैं। मान्यवर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि जनवरी, 1987 और जनवरी, 1988 के पीरियड में कपास के दामों में कितनी वृद्धि हुई है। किसी-किसी में 103 और किसी में 100 प्रतिशत वृद्धि हुई है। मसलन चेक 34 आर0 जी0 एक कपास होती है, जिसका 4,129 रुपया दाम था और जनवरी, 1988 में उसका दाम 8,100 रुपया हो गया है।

(व्यवधान के मध्य)

इस तरह से और भी कपास हैं, जिनके दामों में वृद्धि हुई है और जब कपास से सूत बनाया जाता है, तो सूत के दामों में वृद्धि होती है। इस प्रकार से बुनकर भाइयों से परेशानी हो सकती है। बुनकर भाइयों के दो वर्ग हैं, एक तो वह जो जनता धोती तैयार करते हैं, मैं बताना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार को यह लिखा गया है कि अनुदान की राशि को बढ़ाया जाये, लेकिन अभी तक आदेश नहीं प्राप्त हुए हैं, लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी ने जनता धोती में 5 रुपया स्टेट लेविल पर बढ़ा दिये हैं, जो यू0 पी0-8 साढ़े 34 में ले रहे थे, उसको मुख्य मंत्री जी ने साढ़े उन्तालिस कर दिया है। मुख्य मंत्री जी ने यह भी व्यवस्था की है कि बुनकरों के जो बिचौलिये हैं, उनसे उनको छुटकारा मिल जाये और जो लूट और खसोट बिचौलिये करते हैं, उससे उनको छुटकारा मिल जाये, इसलिये यह किया गया है कि सीधे वह मिलों से सूत ले सकें । मिल के गेट पर रिलेल की दुकान खोली जाये और वह खोल दी गयी हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

इसको ग्राह्य क्यों न किया जाये, इस पर आप बोलें ।

(व्यवधान)

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, जो कालीन के बुनकरों की हालत हुई है, उसके विषय में माननीय मंत्री जी ने कुछ नहीं कहा है, सूत के दाम घटाने के बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने काटन को निर्यात किया है और कह रहे हैं कि काटन का आयात किया जायेगा । माननीय मुख्य मंत्री जी सदन को अवगत करायें, कि वह इस को गम्भीरता से ले रहे हैं। उनकी समस्याओं को गम्भीरता से ले रहे हैं या बुनकरों को थकानी वाली जो आपकी आदत है, उनके ऊपर लाठी चलायेंगे, उन्हें पिटवायेंगे अथवा

उनकी समस्याओं पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने की कोई बात आपके दिल और दिमाग में हो तो वह बता दें ।

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, यह बात सही है कि आज जो स्थिति बुनकरों के सामने पैदा हो गई है वह काफी गम्भीर है। मान्यवर, सूखा पड़ने से काटन एरिया में जितनी रुई पैदा होती थी, उसकी पैदावार कम हो गई और उससे रुई बहुत महंगी हो गई जिसमें 80–90 प्रतिशत तक उसके भाव बढ़ गये और उसी के अनुसार जो उसका धागा बनता था वह भी 70–80 प्रतिशत उसका भाव बढ़ गया । इस तरह से बुनकरों के सामने समस्या पैदा हो गई है। उसी के अनुसार जितना कपड़ा बनता था, वह नहीं बन रहा है। रुई कम होने से, उत्पादन कम होने से उसका भाव बढ़ गया.....

(शोर होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया आपस में बात न कीजिये ।

*मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, रुई महंगी होने से धागे का दाम भी बढ़ गया । इसके लिये प्रयास किये जा रहे हैं। मैं भारत सरकार के पास गया था। यह भी प्रयास किया जा रहा है कि रुई बाहर से मंगाकर बुनकरों को दी जाय । इसके अलावा यह प्रयास किया गया है कि जितनी हमारी कताई मिलें हैं, हर पांच-पांच बुनकरों की एक कमेटी बना दी है। जो सूत बनाने की लागत आती है उससे कम दर पर बुनकरों को दी जाय । कताई मिलें घाटे में चल रही हैं, यह आपको मालूम होना चाहिए । आप जब चाहें किसी कताई मिल में चले जायं, वे घाटे में चल रही हैं। यह हालत हो गई है। इसी प्रकार से जो टेक्सटाइल मिलें हैं जो कपड़ा बनाने वाली मिलें हैं वे पूरी क्षमता में नहीं चल रही हैं। उनके ऊपर भी इसका बड़ा असर पड़ा है, उनके बुनकरों के ऊपर इसका असर पड़ा है और लाखों बुनकर बेकार हो गये हैं। इस सम्बन्ध में भी हमने भारत सरकार से बात की है कोई रास्ता निकालने की । लेकिन यह इतनी बड़ी समस्या है कि इस पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इसके लिए कोई राजनैतिक बात लेकर धरना देने या डिमोंस्ट्रेशन करने से इस समस्या का समाधान नहीं होता । बुनकरों की समस्याओं को हल करने के लिये हमने एक हाई पावर कमेटी बनायी है उसमें हमारे उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री हैं, अन्य लोग हैं। वे तय करेंगे कि उनकी समस्याओं को हल करने के लिये क्या काम किये जा सकते हैं। वे बैठकर तय करें । उसमें उनके नुमाइन्दे भी हैं। इस प्रकार जो कुछ भी इस सम्बन्ध में सरकार से हो सकता है, हम पूरी कोशिश करेंगे ।

जहां तक यह बात कही गई कि हमारे यहां से सूत बाहर भेजने से वह महंगा हो गया है, ऐसी बात नहीं है। हमारे यहां सूत बहुत ज्यादा होता है, सूत की कमी नहीं है किन्तु सबसे बड़ी बात यह है कि जब धागा महंगा हो गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

ती वह बुनकरा की खरीद की क्षमता के बाहर हो गया है, महंगा हो गया है। इसलिए यह समस्या पैदा हो गयी है।

इसके अलावा दूसरी बात यह है कि बनारस के जो हमारे सिल्क में लगे लोग हैं उनकी भी कुछ समस्यायें हो गई हैं। हमें कर्नाटक से जो कच्चा रेशम मिलता था वह कम हो गया हैं चीन से उसे मंगाने की बात कही गई है। हमने भारत सरकार से इस बारे में कहा है कि ज्यादा से ज्यादा हमारे प्रदेश को दिया जाय । भारत सरकार ने वादा किया है और कहा है कि सिल्क वहां से आ रहा है उसे हम देंगे ताकि उनकी समस्या दूर हो सके ।

दूसरी बात भदोही की है वहां के मजदूरों की, कालीन मजदूरों की समस्या के बारे में हम देखेंगे । मजदूरी ठीक मिलनी चाहिये और जो लोग किसी की मजदूरी का शोषण करते हैं वह नहीं किया जायेगा । अगर कोई ज्यादती होती है, आप कहते हैं कि होती है तो हम देखेंगे उसकी जांच करवायेंगे जिस किसी की गलती पायी जायेगी हम उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे ।

श्री सत्यपाल सिंह–

माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि कपास कम हुई और वह निर्यात भी कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इस पर एक घंटे की चर्चा स्वीकार करता हूं और कार्य-स्थगन प्रस्ताव को नामंजूर करता हूं।

श्री सत्यपाल सिंह–

यह सरकार समस्या का हल नहीं करना चाहती है इसके विरोध में हम सदन का त्याग करते हैं।

(श्री सत्यपाल सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री मुलायम सिंह यादव–

हम भी इसके विरोध में सदन का त्याग करते हैं । यह सरकार बुनकरों की समस्या हल नहीं करना चाहती हैं इसलिये हमारा दल इस सदन का त्याग करता है।

(श्री मुलायम सिंह यादव भी अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

कुंवर रेवती रमण सिंह–

हमारा दल भी इसके विरोध में सदन त्याग करता है।

(कुंवर रेवती रमण सिंह अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये ।)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

हम भी मान्यवर, अपने दल के साथ सरकार की बुनकर विरोधी नीति के विरोध में सदन त्याग करते हैं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने समुदाय के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

(कई सदस्य एक साथ बोलने लगे और नारे लगाने लगे)

श्री कौशिक रमाशंकर–

हम भी अपने दल के साथ सदन त्याग करते हैं।

(श्री कौशिक रमाशंकर भी अपने समुदाय के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये।)

श्री फजलुल बारी–

सरकार की मजदूर विरोधी, बुनकर विरोधी नीति के विरोध में हम भी सदन त्याग करते हैं।

(श्री फजलुल बारी भी सदन त्याग कर चले गये)

(तदोपरान्त सम्पूर्ण विपक्ष ने सदन का त्याग किया)

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैंने भी काम रोको प्रस्ताव की सूचना दी है। 20 फरवरी को जो कांग्रेस पक्ष द्वारा लखनऊ में रैली आयोजित की गयी उसके संबंध में मैंने दिया है। सुबह जब आप उस आसन पर नहीं थे इस पर चर्चा हुई तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि यह लोग भी बहुत सारी रैलियां आयोजित कर चुके हैं इसलिये इसकी आलोचना नहीं होनी चाहिये। मैं इस बात को मानता हूं जब तक जनतंत्र रहेगा रैलियां, प्रदर्शन और धरना देने का अधिकार हर व्यक्ति को रहेगा। लेकिन उसके पीछे कुछ उद्देश्य होता है। हम जब रैली करते हैं तो भ्रष्टाचार और महगाई के खिलाफ आवाज उठाते हैं। मैं बताना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने, कांग्रेस ने जो रैली निकाली उसमें प्रधान मंत्री जी ने केवल दो घोषणाएं की एक तो यह कि हम बिजली का बकाया माफ नहीं करेंगे, गन्ने का दाम नहीं बढ़ायेंगे और दूसरा वीर बहादुर की सरकार बड़ा अच्छा काम कर रही है उसे नहीं हटायेंगे। किसान सूखे से और ओलावृष्टि से तबाह हो गया है उसको परेशान करेंगे। दूसरी तरफ आप संसाधनों की कमी होने की बात कह कर पुल बनाने से इनकार करते हो, सड़क बनाने से इनकार करते हों और दूसरी तरफ रैली में इतना रुपया अपव्यय करते हो जिसमें कम से कम एक दर्जन जिलों में विकास कार्य हो सकता है इसमें जो दुरुपयोग हुआ उसका हमें विरोध है।

(शोर होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

शांति बनाये रखें।

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मैं सुबह से ही नियमों के पालन की बात कर रहा हूं। यहां पर नेता सदन बैठे हैं मैं चाहूंगा कि वह अपने दल के लोगों को भी थोड़ा नियमों से अवगत करा दें, जनतांत्रिक व्यवस्थाओं और परम्पराओं से अवगत करायें। अगर आप हुड़दंग मचा कर, जनतांत्रिक परम्पराओं को तोड़ कर किसी की आवाज को बंद करना चाहेंगे तो वह नहीं होगा हमारी परेशानी यह है कि इन्होंने सारे कीर्तिमान तोड़ कर सारे प्रदेश के प्रशासन को कांग्रेस पार्टी के एक यूनिट में बदल दिया। उ0 प्र0 परिवहन निगम से इन्होंने शासकीय आदेश द्वारा 19 सौ बसें ले ली। शादी के मौके पर लोग परेशान हो

गये उनको साधन विहीन बना दिया। इस पर इनको शर्म आनी चाहिए। मेरा आरोप है कि इन्होंने अधिकारियों पर इंजीनियरों पर दबाव डाल कर उनसे पैसा वसूल कराया इस रैली के लिए। इसी तरह प्राइवेट बसों को जिन्होंने मैरिज पार्टी का अनुबन्ध किया था उन पर प्रशासन का दबाव डाल कर रैली में गाड़ी ले ली इस प्रकार लोगों को बड़ी परेशानी हुई (लाल बत्ती होने पर) मान्यवर, इस प्रकार लाल बत्ती करेंगे तो कैसे काम चलेगा अभी आपसे पहले माननीय अध्यक्ष जी ने सब को सुना, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ अगर कोई बात हो रही है और वह लाल बत्ती करे तो बात समझ में आती है । लेकिन आप को यह शोभा नहीं देता है । इस प्रकार होगा तो हम लोग कैसे संरक्षण पायेंगे । तो मेरा निवेदन है कि परिवहन निगम की 19 सौ बसें शासकीय आदेश द्वारा लायीं, तो मुख्य मंत्री जी की चुनौती स्वीकार करता हूं कि सारी पार्टियां जो रैली आयोजित करती हैं लेकिन आप बतायें कि कभी इस प्रकार का सरकुलर जारी हुआ है । इनके प्रबंध निदेशक, परिवहन कार्यालय से 16 फरवरी 1988 को परिपत्र जारी हुआ था जिसका कुछ अंश मैं मान्यवर, आपकी अनुमति से पढ़ना चाहता हूं । मान्यवर, आप पर और मुख्य मंत्री जी पर छोड़ता हूं कि बतायें कभी भी इस तरह का क्या परिपत्र जारी हुआ था परिवहन विभाग से ।

मान्यवर, सरकुलर में लिखा है कि दिनांक 20-2-88 को लखनऊ में 1900 बसों की व्यवस्था के संबंध में शासकीय माध्यम से सूचना प्राप्त हुई है एवं दिनांक 15-2-88 को पांच लाख का अग्रिम भी लखनऊ क्षेत्र में प्राप्त हो चुका है । (व्यवधान) मान्यवर, यदि यह परिवहन विभाग के सरकुलर को पढ़ने में आपत्ति करेंगे तो यह सदन नहीं चलेगा । यदि वह जानते हैं तो वही बता दें, कि किस नियम के तहत रैली में यह बसें लाई गयीं और इस पर बहस चला दें । यदि नियम होगा तो मैं इसको नहीं पढ़ूंगा और वर्जित होगा तो मैं सदन की सदस्यता से त्यागपत्र दे दूंगा । इसलिये मुख्य मंत्री जी आप इस असंसदीय परम्परा पर प्रतिबन्ध लगायें ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य शांति बनायें रखें और तिवारी जी को बोलने दें ।

[3 बजकर 10 मिनट]

श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

तो मैं पढ़ रहा था कि अग्रिम भी लखनऊ क्षेत्र में प्राप्त हो चुका है । यह बसें रायबरेली, सुल्तानपुर, लखनऊ, उन्नाव, कानपुर, बाराबंकी, सीतापुर एवं फैजाबाद में दिनांक 19-2-88 को सायंकाल 6 बजे तक उपलब्ध करायी जानी है ।

तद्नुसार आपके क्षेत्र के विभिन्न डिपोज से संलग्न सूचीनुसार उल्लिखित स्थानों पर निर्धारित संख्या में बसें उपलब्ध करायी जानी है। यह बसें संबंधित स्थानों पर दिनांक 19-2-88 की सायं 6 बजे तक पहुंचनी हैं।

कृपया उपरोक्त संख्या में बसें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें । यदि अपरिहार्य परिस्थितियों में संबंधित डिपो द्वारा दी जाने वाली बसों में किसी प्रकार की कमी होती है तो क्षेत्रीय प्रबंधक/सामान्य प्रबन्धक का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वह इस कमी को अपने क्षेत्र के अन्य डिपो द्वारा पूरी करायें तथा उपलब्ध करायी जाने वाली बसों की संख्या में किसी भी प्रकार की कमी नहीं होनी चाहिए ।

बसें संबंधित डिपो से बुक होकर ही निर्दिष्ट स्थानों पर जायेंगी और वापस भी बुक होकर लौटेंगी । आपके क्षेत्र द्वारा संबंधित स्थानों पर बसों के साथ एक वरिष्ठ तथा एक कनिष्ठ सुपरवाइजरी कर्मचारी भी तैनात किया जायेगा । यह सुपरवाइजरी कर्मचारी आपके यहां से चलने वाली प्रथम बस से इन स्थानों पर पहुंचेंगे तथा अपने-अपने स्थानों पर बसों का पूरा लेखा जोखा (जिसमें बस संख्या, चालक, परिचालक का नाम समय आदि) अपने पास रखेंगे तथा कार्य समाप्त होने के बाद बसों के वापस भेजने के बाद ही अपने क्षेत्र में वापस जायेंगे जिससे कि उनके क्षेत्रीय मुख्यालय पर पहुंचने पर पूर्ण लेखा जोखा तैयार कर सामान्य प्रबंधक-2, लखनऊ को बिल्स बनाने के लिए प्रेषित किया जाये। सामान्य प्रबंधक-2 लखनऊ सभी बसों का पूर्ण लेखा जोखा तैयार कर बिल उप प्रधान प्रबन्धक (विकास) को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित होंगे । इन सुपरवाइजरी कर्मचारियों का यह भी दायित्व होगा कि वे अपने तैनाती के स्थानों से प्रत्येक घंटे के बाद आने वाली गाड़ियों की सूची कैसरबाग या चारबाग डिपो के स्टेशन अधीक्षक के माध्यम से उप प्रधान प्रबन्धक (संचालन) को भिजवाते रहेंगे ।

यह बसें निर्दिष्ट स्थानों के संबंधित सहायक क्षेत्रीय प्रबंधकों की रिपोर्ट करेंगी तथा संबंधित सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक स्थानीय प्रशासन से सम्पर्क बनाये रहकर समयानुसार वाहनों की सही जगह पर उपलब्ध करायेंगे ।

संबंधित क्षेत्रीय प्रबंधक/सामान्य प्रबंधक अपने क्षेत्र में दिनांक 19 फरवरी की सुबह से 21 फरवरी की सायं तक कंट्रोल रूम की व्यवस्था कर राउंड दि क्लाक अधिकारियों की तैनाती कर इन टेलीफोन नम्बरों से उप प्रधान प्रबंधक (सं0) की विशेष वाहक द्वारा उपरोक्त व्यवस्था से अवगत कराना सुनिश्चित करें। इसके अतिरिक्त उक्त तिथियों में क्षेत्रीय प्रबंधक/सामान्य प्रबंधक अपने-अपने कार्यालयों में कंट्रोल रूम स्थापित कर कर्मचारियों की तैनाती रखेंगे तथा विशेषकर जहां पर "हाट लाईन" है वहां पर भी अधिकारियों को "राउंड दि क्लाक" तैनात कर दें । इन अधिकारियों के पास अद्यावधिक बसों की स्थिति की सूचना तथा आवश्यक सूचनायें प्रत्येक समय उपलब्ध होनी चाहिए । दिनाक 19-2-88 को 8 बजे प्रात: से प्रत्येक दो घंटे पर दूरभाष पर मुख्यालय से कंट्रोल रूम को बसों की संख्या सूचित करते रहेंगे एवं शाम 17 बजे के बाद प्रत्येक घंटे पर सूचित करेंगे । मुख्यालय के टेलीफोन नं0 43057/49822 पर कन्ट्रोल रूम की स्थापना दिनांक 19 फरवरी, 88 की सुबह 8 बजे से की गयी है । इसके अतिरिक्त संबंधित क्षेत्रीय प्रबन्धक, प्रबन्धक निदेशक के नम्बर 42243 पर या सामान्य प्रबन्धक, लखनऊ के नम्बर 44071 पर भी सूचना दे सकते हैं ।

इसके साथ सूची भी संलग्न है । मैं इसकी एक सूची आपके पास मान्यवर, भेज रहा हूं और आपकी आज्ञा से सदन के पटल पर इसे रखना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी अपनी अन्तारात्मा पर हाथ रखकर यह बतायें कि जो गड़बड़ी हुई, भ्रष्टाचार हुआ, वह हुआ और यह मानते कि यह प्रशासन का और सत्ता का खुला दुरुपयोग है दलीय हितों के लिए । मैं समझता हूं कि वह गांधीवादी हैं और गांधीवादी सिद्धान्तों में उनकी निष्ठा है तो उनको स्पष्ट मानना चाहिए कि यह गलती हुई है और भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी । वह इस गम्भीर गलती के लिए अपना खेद प्रकट

कर दें तो कोई बात नहीं है वरना यह एक गम्भीर मामला है सत्ता के दुरुपयोग का और इससे गम्भीर मामला कोई और हो नहीं सकता है । इस तरह से सत्ता के दुरुपयोग की छूट की जाएगी तो जनतंत्र का भविष्य बड़ा अन्धकारमय होगा । इसलिए आप सारे कार्य रोक कर इस पर चर्चा करायें, यह बड़ा गम्भीर मामला है वरना वह इसके लिए खेद प्रकाश कर दें तो इसमें आगे कोई बात नहीं है ।

(व्यवधान)

(श्री राम गोविन्द चौधरी और श्री सरदार सिंह के एक साथ बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठिये, मैंने सरदार सिंह जी को बुलाया है । आपका तो हो चुका है ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

आपके पहले माननीय अध्यक्ष ने इस बारे में कहा है कि एक सूचना पर दो लोगों को बुलाया जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

एक पार्टी से एक आदमी बोलेगा दो नहीं । किसी प्रश्न पर दो की व्यवस्था थी, किन्तु अब एक आदमी बोलेगा । अध्यक्ष जी अपनी व्यवस्था दे गये थे, उसको मैंने माना, लेकिन अब यह व्यवस्था चलेगी । सरदार सिंह जी बोलेंगे ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

नहीं, दो के बोलने की बात है और एक ही पार्टी के । आप पहले उनकी व्यवस्था देखिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

उन्होंने यह सिर्फ बुनकर वाले विषय पर व्यवस्था दी थी ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

नहीं, सब पर दी थी ।

श्री उपाध्यक्ष–

सब पर व्यवस्था नहीं हुई थी । सब पर व्यवस्था कभी नहीं होती है । मैं एक पर एक आदमी के ही बोलने की इजाजत दूंगा . . . (व्यवधान) बाद में आप बात करिये । सरदार सिंह जी ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

अध्यक्ष जी, व्यवस्था देकर गये हैं दो आदमी एक पर बोलेंगे, एक पार्टी के दो आदमी बोलेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह केवल उसके लिए व्यवस्था थी और अब वह खत्म हो गया है ।

(व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

देखिये आप व्यवस्थित ढंग से हाउस चलने देंगे तभी यह सदन चलेगा। यह सदन को व्यवस्थित करने के लिए ही यह व्यवस्था देकर गये हैं । अध्यक्ष ने यही व्यवस्था दिया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठिये ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मैं नहीं बैठूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आपको इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री कुंवर रेवती रमण सिंह–

(व्यवधान)

हम यहां पर इनका उपदेश सुनने के लिए नहीं आए हैं, आप इनको बैठाइये और चुप कराइये । यह बात आज के लिए अध्यक्ष ने कहा था कि आज पहला दिन है, आज हर प्रस्ताव पर हर पार्टी के दो-दो सदस्यों को सुन लेंगे । आपसे आग्रह है कि आप इसको कायम रखिये और आगे कल देखा जाएगा । आज तो आप उसको कायम रखिये ही । तो आज रख लीजिए कल देखा जाएगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

जो व्यवस्था अध्यक्ष जी ने दी थी वह बुनकरों के मसले पर दी थी केवल । और मान लीजिए दल के दो-दो आदमी बोलेंगे तो उसके बाद जिनके नाम नहीं हैं कामरीको प्रस्ताव में, उनको बुलवाना पड़ेगा ।

इसलिए मैं उस व्यवस्था को नहीं मानूंगा । एक दल के एक ही आदमी को बुलवाऊंगा ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, आप मुझे बुलवाइए ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

मान्यवर, आप मुझे पुकारें ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, अध्यक्ष जी ने आज के लिए कहा था अब मान्यवर, आपकी व्यवस्था यह है कि एक को ही बुलवायेंगे, लेकिन फिर भी मान्यवर, किसी-किसी विषय पर आप अपने विवेक से दो सदस्यों को भी बुलवा लें । श्री सरदार सिंह जी के बाद राम गोविन्द चौधरी जी को बुलवा लें ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

एडवांस बुकिंग हो रही है ।

विकलांगों का भी कोटा निर्धारित कर दें मैं विकलांग हूं ।

(हंसी)

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस रैली में अपने निजी हितों के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग किया है । मान्यवर, सरकारी कर्मचारी और पी0 ए0 सी0 के जवान जो ट्रेनिंग ले रहे थे उनको कांग्रेस सेवा दल की वर्दियां दी गई और उन्हें रैली में भेजा गया । (व्यवधान) रेडियों, टेलीविजन और सारे वाहनों का दुरुपयोग किया गया । जिलाधिकारी और एस0 एस0 पी0 ने तो इस तरह से काम किया जैसे कि वह कांग्रेस आई के कार्यकर्ता हों । उन्होंने अधिकारियों को चन्दा इकट्ठा करके के लिए प्रताड़ित किया पी0 डब्लू0 डी0 के अभियन्ताओं से चन्दा इकट्ठा करने को कहा गया । (व्यवधान) मान्यवर लोकतन्त्र में विरोध करने का सबका अधिकार है । नेता विरोधी दल ने कहा था कि हम 20 तारीख को रैली का विरोध करेंगे । प्रधानमंत्री को काले झंडे दिखायेंगे, तो मान्यवर, नेता विरोधी दल, डा0 संजय सिंह तथा तमाम नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया । दिवाकर विक्रम सिंह जी को गिरफ्तार किया गया। महिलाओं की बेइज्जती की गयी। हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा गया । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि दलीय हितों के लिए, अपने हितों के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए, अपनी छवि बनाने के लिए, सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया है । इस समय भंयकर सूखा चल रहा है और इस तरह से फिजूल खर्ची किया जा रहा है । मेरी यह मांग है कि इस विषय पर सदन की कार्यवाही को रोककर चर्चा कराने की कृपा करें ।

(श्री राम गोविन्द चौधरी के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

राम गोविन्द जी अभी आप बैठें ।

(व्यवधान)

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, हमारा प्रश्न नियम 300 में आया था तो उस समय अध्यक्ष जी ने रूलिंग दी थी कि नियम-56 में इसको जुड़वा देंगे, यह मामला तो उस वक्त उठने वाला था । मान्यवर, आप जब बैठा करें, तो पिछला देख तो लिया करें कि अध्यक्ष जी क्या कह गये हैं ?

(व्यवधान)

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, माननीय वर्मा जी ने माननीय राम शरण दास जी ने तथा मैंने औचित्य के प्रश्न के रूप में एक मामला उठाया था उसमें अध्यक्ष जी ने कहा था कि मैं इसको नियम 300 में स्वीकार नहीं कर रहा हूं नियम-56 में मौका दे दिया जायेगा, तो इसमें तो पहले ही निर्णय हो चुका है । यह नियम-300 का ही प्रश्न था, लेकिन इसमें अध्यक्ष जी ने अपनी व्यवस्था दे दी थी । मान्यवर, उसमें मेरा, मा0 बेनी प्रसाद वर्मा जी का और मा0 राम शरण दास जी का नाम था । हम लोगों को अवसर मिलना चाहिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

इस पर कितना समय लेंगे? आपका ही समय जा रहा है। विकल जी को बोलने दीजिये । आप बैठिये ।

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, इस रैली के संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सरकार ने अपने दलीय हितों के लिये यह रैली आयोजित की और जिस उद्देश्य से की उससे इनका किसान विरोधी चेहरा उजागर हो गया है । अभी तिवारी जी ने एक जी0 ओ0 का जिक्र किया है । मैं याद दिलाना चाहता हूं कि पिछले वर्ष 6 मार्च, 1987 को भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की मांगों को लेकर एक रैली लखनऊ में आयोजित की थी और उस समय इस सरकार ने एक जी0 ओ0 जारी किया था परन्तु उसमें रैली को हतोत्साहित करने के लिये निर्देश दिये गये थे सभी जिलों के अधिकारियों को कि रैली में किसानों को आने न दिया जाय और बसों के परमिट कैंसिल किये जायें, बसें, रद्द की जायं यह निदेश दिये गये और बसों को रद्द किया गया । दूसरी ओर आज एक किसान आंदोलन को दबाने के लिये, झुकाने के लिये और अपने दलीय हितों के लिये सत्ताधारी दल द्वारा एक रैली आयोजित की गयी जिसमें प्रधानमंत्री को बुलवाया गया ।

रैली में लोगों को लाने के लिये पूरे प्रदेश भर की बसों को इकट्ठा करने के आदेश जारी किये गये । मैं एक बात कहना चाहता हूं कि अगर एक आदमी एक बस का अपहरण कर ले तो उसको जेल भेज दिया जाता है लेकिन यहां तो सरकार ने पूरी की पूरी सरकार ने प्रदेश भर की बसों का अपहरण कर लिया, प्राइवेट बसों का अपहरण कर लिया, ट्रकों का अपहरण कर लिया लाखों लोगों को रैली में लाने के लिये क्या यह अवरोध नहीं है ? प्रदेश भर के बस स्टैंड वीरान हो गये, सड़कें सूनी हो गयीं, फिर भी रैली में लोग नहीं आये , 20 लाख लोगों को लाने का दावा किया गया लेकिन बसें खाली थीं और डेढ़ लाख, एक लाख लोग भी नहीं आ सके । इस प्रकार शर्मनाक, निर्लज्ज तरीके से सत्ता का दुरुपयोग किया गया । अभी तिवारी जी ने कहा कि अगर मुख्य मंत्री जी गांधी जी के अनुयायी हैं तो वह खेद प्रकाश करें तो सदन उन्हें माफ कर देगा वह चर्चा वापस ले लेंगे । लेकिन मैं नहीं समझता कि उनका इशारा किस गांधी की ओर था । एक गांधी बापू जी थे जिन राष्ट्रपिता का चित्र यहां लगा है जिन्होंने देश की आजादी के लिये स्वतंत्रता संग्राम लड़ा । अगर मुख्य मंत्री जी इनके अनुयायी हैं तो मुझे विश्वास है कि वह खेद प्रकाश करेंगे और यह सदन उनको माफ कर देगा । लेकिन अगर वे प्रधानमंत्री राजीव गांधी के अनुयायी हैं, मुझे लगता है कि तो बोफोर्स फेयर फैक्स कांड के उस नेता के अनुयायी मुख्य मंत्री जी खेद प्रकाश नहीं करेंगे । जिस तरीके से शर्मनाक काम इस रैली को आयोजित करने के लिये किया गया है उसकी कोई मिसाल नहीं है । अजमेर शरीफ जाने वाले हजारों जायरीन जो प्रदेश के कोने-कोने से जाना चाहते थे वह तड़पते रहे और अजमेर शरीफ न जा सके । विवाह शादी में जाने वाले हजारों लोग तड़पते रहे बिलबिलाते मारे-मारे फिरते हैं बीमार तो अपनी बीमारी से तड़पते रहे और बसों के अभाव में दम तोड़ते रहे । लेकिन अपने दलीय हितों

के लिये इस निर्लज्ज सरकार ने यह प्रदर्शन किया और सत्ता का दुरुपयोग किया । मैं आशा करता हूं कि आप इस पर चर्चा करायेंगे और सदन में इस पर चर्चा हो ताकि सरकार द्वारा आइंदा बसों का ऐसा इस्तेमाल न हो । इस प्रकार का निकृष्ट और निर्लज्ज दुर्पयोग सत्ता का न हो।

(श्री राम नाथ मुंशी के खड़े होने पर ।)

श्री उपाध्यक्ष–

पहले राम गोविन्द जी को बोल लेने दीजिये ।

*श्री राम गोविन्द चौधरी–

मैं आभारी हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया। श्रीमन्, मुख्य मंत्री जी ने कहा कि रैली विरोध पक्ष के लोग करते हैं । यह बात सही है, हम लोग रैली करते हैं लेकिन जनता से आने का आह्वान करते हैं और उनसे बस का किराया लेते हैं और अपना पैसा चन्दे के रूप में देते हैं । श्रीमन्, 19 सौ बसों को किस तरह से लाया गया यह देख लीजिये । लखनऊ में 90 बसें हैं जिसमें से 85 बसें ली गयीं, इलाहाबाद में 60 बसों में से 60 ले ली गयीं, इसी तरह से इलाहाबाद सिटी में 62 बसों में से 55 बसें ली गयीं और फैजाबाद में 62 बसों में से 60 बसें ली गयीं । कहने का मतलब यह है कि जितनी बसें थीं वह बसें रैली के लिये ली गयीं । श्रीमन् इस तरह के अनैतिक काम शासन पक्ष से हो रहा है और प्रदेश की जनता की गाढ़ी-कमाई का धन रैली के माध्यम से दुरुपयोग किया गया है और आवागमन के लिए उस दिन जनता को कठिनाई में डाल दिया गया था । मैं एक उदाहरण बलिया जनपद का दे रहा हूं ।

(व्यवधान)

बलिया जनपद में रैली में रोडवेज बसों के अलावा जितनी प्राइवेट बसें हैं, उनके मालिक को बुला कर जिलाधिकारी, एस0 पी0 और आर0 टी0 ओ0 ने कहा कि आप अपनी बस दे रहे हैं, तेल की व्यवस्था और खाने-पीने की व्यवस्था वे लोग स्वयं कर 15-15 रु0 खाने-पीने का भी खर्च दें । इस पर बस मालिकों ने यह कहा कि हम अपनी बस दे रहे हैं, तेल की व्यवस्था और खाने-पीने की व्यवस्था वे लोग स्वयं कर लें । इस पर अधिकारीगण रात की ही बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड की बलिया शहर के चारों तरफ शहर से चार-चार किलो मीटर दूर उनको खड़ा होने के लिए कह दिया गया और शहर में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है । इससे जनता की भी बहुत कठिनाई बढ़ गयी है, क्योंकि गांव से आने वाले आदमी चार रु0 भाड़ा देकर बस से पहले शहर में आते थे, अब चार रु0 में शहर के बाहर ही आ पाते हैं और शहर के अन्दर आने के लिए उनको 4-5 रु0 रिक्शा का किराया भी देना पड़ता है ।

इसलिए जनता को 4 रु0 की जगह अब 10-11 रु0 खर्च करना पड़ रहा है, जो गरीब जनता के लिए बड़ी मुश्किल की बात हो गयी है । इस तरह के अव्यवहारिक तथा दुर्भावना से ग्रसित अधिकारियों के कार्य को रोक कर पहले जहां बस, टैक्सी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

रुकती थी, वहां रोकने की व्यवस्था सरकार करावे । मान्यवर, बलिया के जिलाधिकारी और एस0 पी0 का कारनामा अन्यायपूर्ण है । श्रीमन् मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रदेश में इतना बड़ा सूखा पड़ा हुआ है, अपनी छबि की बनाने के लिए इन्होंने इस तरह की रैली आयोजित की ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री हरदेव–

राम गोविन्द चौधरी और इनके लोगों ने 15 तारीख की रैली में बलिया के अधिकारियों और इंजीनियरों से बन्दूक की नोक पर जबरदस्ती चन्दा वसूला ।

(घोर व्यवधान)

श्री राम गोविन्द चौधरी–

किसानों का यदि लगान का बकाया है या अन्य किसी प्रकार का बकाया है तो उसकी वसूली के लिए तरह-तरह के उत्पीड़न के कार्य सरकार करती है, परन्तु इसके पहले की गयी रैली पर ही करोड़ों रुपये का बकाया रोडवेज का सरकार पर है। इस बार की रैली का करोड़ों रुपये का अलग से बकाया हो गया । मान्यवर, केवल बलिया जनपद में ही कांग्रेस पार्टी पर रोडवेज का 20 लाख रु0 बकाया के रूप में शेष है। इस बार भी 80 बसों का बकाया पड़ा हुआ है, परन्तु उनकी वसूली का किसी प्रकार का अभियान नहीं चलाया जा रहा है। श्रीमन्, सरकार का इससे बड़ा जनता को धोखा देने वाला कोई दूसरा काम हो ही नहीं सकता । यह अत्यन्त ही जनहित और लोक महत्व का प्रश्न है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि या तो आप यह निर्देश दें कि सरकार रोडवेज की बकाया तुरन्त जमा करे, अन्यथा आज के सदन की शेष कार्यवाही को रोक करके इस विषय पर चर्चा करावें ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप बैठिये । यह कुछ नहीं लिखा जायेगा ।

श्री राम गोविन्द चौधरी–

[x x x]

श्री कौशिक रमा शंकर–

मान्यवर, मैं मानता हूं कि सत्ता रूढ़ दल को कांग्रेस पार्टी की रैली करने का अधिकार है ।

श्री शफीकुर्रहमान बर्क–

रजपुर जिला मुरादाबाद में 12 किसान मरे हैं, इस सिलसिले में माननीय मुख्य मंत्री अपना बयान दें और आप व्यवस्था दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

अध्यक्ष जी ने कह दिया था कि जिन्होंने 300 की सूचना दे दिया था, उन्हें भी मौका दिया जाय । अध्यक्ष जी का अधिकार है, उन्होंने जो आज्ञा दी हुई है, उसका पालन करना होगा ।

(श्री हरेन्द्र सिंह, श्री सरदार सिंह तथा अन्य कई सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने से व्यवधान)

नोट:–[xxx] यह अंश मा0 उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैं व्यवस्था चाहता हूं कि काम रोको प्रस्ताव पर एक ही दिन में 2 बार बोल सकेगें ?

श्री उपाध्यक्ष–

नहीं बोल सकेंगे लेकिन अध्यक्ष जी ने कह दिया था (व्यवधान) अध्यक्ष जी की व्यवस्था है उसको चैलेन्ज नहीं कर सकते ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, मैं यह मानता हूं कि सत्तारूढ़ दल को अपनी रैली करने का अधिकार है यद्यपि जो लोग सत्ता में रहते हैं उनकी रैली नहीं बोलनी चाहिए, उनका काम बोलना चाहिए । बड़े दुर्भाग्य की बात है कि कांग्रेस पार्टी का जिस तरह काम चल रहा है वह मजदूर विरोधी है, जन विरोधी है । मान्यवर, फिर भी अगर इन्होंने ऐसा किया जिसकी जरूरत नहीं थी, रैली निकालने की क्या मेजारिटी में हैं जब मेजारिटी में हैं तो सरकार तो है ही हम उस संबंध में कुछ नहीं कहते ।

(व्यवधान के मध्य)

मान्यवर, किन्तु कहना यह है कि प्रश्न इस बात का है कि क्या इन्होंने जितनी आचार संहिताएं कर्मचारियों के लिए अधिकारियों के लिए बनी हुई हैं जो शासन के लिए आचार संहिता है उनका उल्लंघन इनको करना चाहिए था ? मान्यवर, मेरा आरोप यह है कि जितनी भी आचार संहिता हैं अधिकारियों और कर्मचारियों को कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जो किसी दल के हित में पड़ता हो । निश्चित रूप से ऐसे शासनादेश और ऐसे मौखिक आदेश इस शासन की तरफ से किये गये जिसके कारण अधिकारियों कर्मचारियों ने इस रैली में ऐसा ही काम किया जैसे कि वह कांग्रेस दल के कार्यकर्ता रहें हों । यह बहुत ही शर्मनाक बात है । मान्यवर, आप इस बात को देखें कि हमारा जो परिवहन विभाग है वह घाटे में जा रहा है । कांग्रेस पार्टी के ऊपर इस निगम का पिछला एक करोड़ रुपये से अधिक बाकी है और उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी को निगम की बसें मुहैया की गयी । हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह बस ले । लेकिन उसका जो रेट निर्धारित है 4 रु0 प्रति कि0 मी0 का वह न देकर 90 पैसे के हिसाब से पेमेन्ट किया गया है। क्या यह पक्षपात नहीं है? यह दलीय हित के लिए निगम की बसों का दुरुपयोग नहीं है ? मान्यवर, जितनी भी लोकतांत्रिक परम्पराएं हैं वह टूटी हैं । इतना ही नहीं 120 टेलीवीजन खरीदे गये हैं वह कहां गये और किस आधार पर वह खरीदे गये जो 120 टेलीवीजन रैली के दर्शन के लिए खरीदे गये थे, यद्यपि उनमें कुछ आया नहीं लेकिन वह 120 टेलीवीजन कहां चले गये ।

(शोर होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

आपस में बात न करें, शांत रहें । यह ठीक नहीं है ।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, इनको शर्म नहीं आती, यह हंस रहे हैं इससे ज्यादा शर्म की बात और क्या हो सकती है ? तो मान्यवर, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से आपकी ओर से भी यह बात होनी चाहिए कि यह जो प्रस्ताव आया है नियम 56 के अंतर्गत, सारे काम को रोककर इस पर चर्चा करानी चाहिए । ये सारी लोकतांत्रिक परम्पराएं और आचार-संहिताओं को तोड़ रहे हैं दलीय हितों के लिए शाहजहांपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बुलन्दशहर से 100 आदमी भी नहीं आये ।

(व्यवधान)

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, मा0 तिवारी जी ने सभी महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रकाश डाल दिया। अब मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि प्रदेश में नियम और कानून नहीं रहेगा तो न आप रहेंगे, न हम रहेंगे। इसलिए हमारी आपकी सबसे प्रिय चीज नियमों और कानून का पालन होना चाहिए । श्रीमन्, यह जो रैली हुई, इसमें नियम, कानून, परम्परा और संविधान को तोड़ कर रख दिया गया। गवर्नमेन्ट सर्वेन्ट कान्डक्ट रूल आपने ही बनाया है। उसके नियम 5 के तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी किसी भी दल को लाभ पहुंचाने का काम नहीं कर सकता । लेकिन आपके निर्देशों पर, चाहे लिखित हों या मौखिक, परिवहन निगम के प्रधान प्रबन्धक ने जो आदेश दिया और प्रदेश की कुल 6000 बसों में से 1900 बसें 5 लाख रुपया जमा करके बाजाब्ता की गयीं, जबकि 1.5 करोड़ रुपया कांग्रेस पार्टी पर निगम का पहले से ही बकाया है और जबकि 4 रुपये प्रति किलोमीटर से कम खर्च नहीं आता है, लेकिन पुरानी दरों पर 90 पैसे प्रति किलोमीटर की दर पर बसें उपलब्ध कराई गयीं, आप क्या हमको भी उस रेट पर बसें दिलवा सकते हैं? लेकिन मुख्य मंत्री जी यह नहीं समझते कि विपक्ष और सत्तापक्ष में क्या अन्तर होता है। विपक्ष के लोग बोलकर काम करते हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों का काम बोलता है। आपका काम है ही नहीं, इसलिए रैली करके हल्ला मचाते हैं। हम आपको चुनौती देते हैं और आज त्याग-पत्र देने के लिए तैयार हैं, हमारे सभी सदस्य त्याग-पत्र दे देंगे, आप आज विधान सभा को भंग कर दीजिये, आप दोबारा चुनकर वापस लौट कर आने वाले नहीं हैं।

आज जो लोग आपके बैठे हैं, इनमें से 1/10 भी लौटकर वापस नहीं आ पायेंगे । यह रैली कैसे हुई ? गोरखपुर की बसें बाराबंकी आयीं, बुलन्दशहर की बसें बाराबंकी आयीं, शाहजहांपुर की बसें बाराबंकी आयीं और पुलिस के लोगों ने डण्डा लेकर लोगों को बसों पर बैठाया । फिर भी 15–20 से ज्यादा लोग एक बस में नहीं आये। बाराबंकी के एक गांव में पुलिस के लोग गये और गांव के लोगों से कहा कि सबको बसों में चलना है। गांव के लोग गांव छोड़कर भाग गये । एक लड़का है ज्ञान सिंह, वह उसी गांव में रह गया, उसको पुलिस द्वारा मारा पीटा गया । इस तरह से नियम तोड़कर जो रैली की गयी यह लोकतंत्र को समाप्त करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन यह हमारे आपके दोनों के लिये

एक खतरा है । इस रैली के लिये लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार को पेट्रोल पम्प पर बैठाया गया । लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार ने प्राइवेट बसों को रोक कर, ट्रकों को रोक कर उनको बाराबंकी से 15-15 लीटर डीजल की पर्ची काट कर दी गयी । लेखपाल, कानूनगो और तहसीलदार से कोई पार्टी काम नहीं ले सकती । आप मेरी बात को गलत साबित कर दीजिये तो मैं इसी समय इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं। इसमें सुपरिन्टेन्डेन्ट आफ पुलिस से और दरोगा से काम लिया गया । यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मसला है।

आप इस पर चर्चा करायें । मुख्य मंत्री जी एक गरीब घर से आये हैं, एक गरीब घर के बेटे हैं, मुझे खुशी है कि एक गरीब घर का बेटा मुख्य मंत्री बना है, आज हमारा यह संविधान न होता तो आज आप भी यहां पर न होते । इसलिए गरीब लोगों को संविधान की रक्षा करने का ज्यादा दायित्व है। आप को खेद प्रकाश करना चाहिये । आपको स्वयं महसूस करना चाहिए कि इस प्रकार का काम नहीं होना चाहिए ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, कांग्रेस पार्टी एक दल भी है और सरकार भी है और इन्होंने इससे पहले भी रैली की होंगी। लेकिन, इस समय जितनी बड़ी निर्लज्जता और जितनी बड़ी क्रूरता का परिचय वर्तमान मुख्य मंत्री और सरकार ने दिया है उतनी बड़ी क्रूरता कभी नहीं हुई। बसों के अभाव में अजमेर शरीफ के उर्स में जाने वाले बीसियों लोग रह गये, तमाम लोग बरातों में नहीं पहुंच पाये । सारी की सारी बसें 19 तारीख को ही इन्होंने कैप्चर कर लीं। विरोध पक्ष जो रैली करता है उसका आशय यह होता है कि हमें सरकार को जगाना है हमें सरकार के संज्ञान में कोई बात लानी है। इन्होंने प्रदेश के विकास के लिये रैली नहीं की । विरोध पक्ष को तो जगाने के लिए इन्होंने फतेहगढ़ भेज दिया । हमें फतेहगढ़ जेल भेज दिया गया । हमने यह कहां पर कहा था कि हम काले झण्डे दिखायेंगे । मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री ने 9 तारीख से लेकर 20 तारीख तक आधा दर्जन बार जेलों में भिजवाया है।

इन्होंने प्रदेश के विकास के सन्दर्भ में रैली नहीं बुलायी थी बल्कि कुर्सी पर जमे रहने के लिए रैली बुलायी थी कि आप बड़े भारी लोकप्रिय हैं। मान्यवर, मैंने अखबारों में पढ़ा, लोगों ने मुझे बताया कि जितने लोग यह रैली में चाहते थे, वे जब नहीं आये तो 18 रु0 प्रतिदिन वाले मजदूर किराये पर वहां गये । बेहतर होता माननीय मुख्य मंत्री जी उनकी मजदूरी की अदायगी करवा दीजिये । मान्यवर, कहीं पर तो अगर विरोध पक्ष की ओर से कोई रैली होती है तो बसों के परमिट तक कैंसिल कर दिये जाते हैं । बी0 जे0 पी0 के नेता माननीय कल्याण सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी की लखनऊ रैली के सन्दर्भ में सदन में शासन की ओर से जारी वह परिपत्र भी दिखाये थे जिसमें हतोत्साहित किये जाने की बात थी बसों के परमिट कैंसिल करने की बात थी। लेकिन, एक यह कांग्रेस पार्टी है, जिसके ऊपर पहले से ही परिवहन निगम का एक करोड़ सत्ताइस लाख रु0 बकाया है उसके बावजूद

भी बसें उपलब्ध हो जाती हैं। इनके कलक्टर, कप्तान बैठकर जबरिया प्राइवेट बस मालिकों को बाध्य करते हैं बसें भेजने के लिये । सरकार ने प्राइवेट बसों को जबरिया बुलवाया, चाहे उसमें 10–5 ही लोग बैठकर आये हों।

शासन और सरकार आपके हाथ में है, जिसका आप दुरुपयोग कर रहे हैं । उ0 प्र0 में प्रधान मंत्री को बुलाकर आपने सिवाय प्रदेश की जनता को ताड़ना दिलवाने के और क्या दिलवाया ? उन्होंने तो कह दिया कि गन्ने के दाम नहीं बढ़ेंगे, बिजली के बकाया बिल किसानों के माफ नहीं होंगे । आपने प्रदेश की जनता को ताड़ना दिलाने के लिये माननीय प्रधान मंत्री को बुलाया । इस सूखे के समय सत्ता का दुरुपयोग करके, आपने डीजल की बरबादी की जितने पैसे की बरबादी की है और जनता के साथ जो खिलवाड़ किया है, उसके लिये केवल क्षमा मांग लेने से ही काम नहीं चलेगा । आपने तो उस कुर्सी पर जमे रहने के लिए माननीय प्रधान मंत्री से मोहर लगवा ली, अब आप में अगर भेजा बाकी है तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए ।

परिवहन राज्य मंत्री (श्री राम नाथ मुंशी)–

मान्यवर, माननीय सदस्य तिवारी जी एवं अन्य मा0 सदस्यों ने जनतंत्र में रैली की चिन्ता को स्वयं स्वीकार किया है। इसके साथ ही माननीय तिवारी जी को अन्य सामने बैठे साथियों को बसों के बारे में जो भ्रम हुआ है, उसका मैं निराकरण करना चाहता हूं। बसों के लिए कांग्रेस पार्टी ने परिवहन निगम में पैसा जमा किया और निगम ने बसों की व्यवस्था की । मान्यवर, मैं यह भी बताना चाहता हूं कि शादी ब्याह, अजमेर शरीफ के उर्स में किसी प्रकार के बस के परमिट में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं डाली गयी । जब जिसे जितनी जरूरत हुई उसे उतना परमिट मिला। इस तरह की कोई शिकायत हमारे पास नहीं आयी कि शादी ब्याह या अजमेर शरीफ के उर्स में जाने में किसी को कोई बाधा हुई। मान्यवर, यह सुविधा हरेक को प्राप्त है कि आवश्यक (टैक्स) किराया जमा करके बस को जहां चाहें ले जाय । अभी माननीय वर्मा जी ने गन्ने की बात उठायी ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

अब गन्ने की बात कहां से बीच में आ गयी । आप तो बसों पर बोल रहे थे ।

श्री राम नाथ मुंशी–

गन्ने का प्रसंग बीच में आया था, इसलिए मैंने उस पर कहना चाहा ।

श्री उपाध्यक्ष–

रैली की मिठास के लिये गन्ना बीच में आ गया ।

श्री राम नाथ मुंशी–

मान्यवर, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि 1978 में इन्होंने किसानों का गन्ना खेतों में जलते रहने दिया उसे तीन रु0 क्विंटल भी नहीं खरीदा । लेकिन हम लोग लगातार गन्ने के मूल्य में वृद्धि करते जा रहे हैं और करोड़ों-करोड़ों क्विंटल गन्ना किसानों के खेतों से निकालकर उन्हें गन्ना मिलों तक पहुंचवा रहे हैं। मान्यवर, इस प्रसंग में जो बातें यहां पर आयी थीं, उनका मैंने निराकरण करना चाहा । मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य मेरे उत्तर से आश्वस्त हुए होंगे और इस विवाद को समाप्त करेंगे ।

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

मान्यवर, जनतंत्र में हर पार्टी को पूरा अधिकार है कि वह अपनी रैली करे, प्रदर्शन करे और हर पार्टी करती भी है। अभी कुछ दिनों पूर्व विपक्षी पार्टियों ने कई रैलियां लखनऊ के अन्दर किया, उसी प्रकार कांग्रेस पार्टी ने भी अपनी रैली की और उसको करने का पूरा अधिकार था। मान्यवर, जहां तक पद और सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप कई माननीय सदस्यों ने लगाया। इस संबंध में मैं बताना चाहता हूं कि जैसे भी नियम और कानून के अन्दर काम हो सकता था, उसी के अन्तर्गत काम किया गया है और किसी प्रकार के पद और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग नहीं किया गया है। माननीय सदस्य इस तरह के जो आरोप लगा रहे हैं, वह बिलकुल सही नहीं है। ऐसे समय में इस तरह के सवाल उठाने से आप किसी पार्टी के प्रति न्याय नहीं कर रहे हैं। अगर आप हमको इस तरह से रोकने की कोशिश करेंगे तो आपके सामने भी दिक्कत आ सकती है। आप लोगों को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। हर काम नियमों के अन्दर हुआ है और पद तथा सरकारी मशीनरी का कहीं भी किसी भी स्तर पर दुरुपयोग नहीं किया गया है।

(मेजों की थपथपाहट)

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, इन्होंने सत्ता का दुरुपयोग किया है, इसलिए मैं और मेरा दल सदन का परित्याग करता है।

(नेता विरोधी दल अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैं भी अपने दल के साथ सदन छोड़ता हूं।

(श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त अपने समुदाय के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, मेरा मुरादाबाद के सम्बन्ध में प्रश्न था, उसका क्या हुआ ?

श्री उपाध्यक्ष–

आप आसन ग्रहण करें। मुरादाबाद की घटना पर सुबह चर्चा हो चुकी है, आप बैठिये। मंत्री जी, आप मुरादाबाद की घटना पर कुछ कहना चाहते हैं।

*गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)–

मान्यवर, हमारे कुछ माननीय सदस्यों कौशिक जी, और बर्क जी ने दिल्ली–मुरादाबाद मार्ग पर 15-16 फरवरी की घटना के बारे में बड़े हितैषी होने की दुहाई दी है। मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज पिछले 40 सालों में जो कुछ किसानों के लिए किया गया है, उसकी बदौलत आज किसान पहले से कहीं ज्यादा सम्पन्न और खुशहाल है। अगर आप लोग गांव के रहने वाले हैं और किसान हैं तो आप खुद देखें कि आज किसान पहले से आगे बढ़े हैं। किसानों ने आज

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बहुत तरक्की की है। क्योंकि हमने उनके लिए नई-नई स्कीमें, नये-नये प्रोग्राम जैसे आई0 आर0 डी0, फ्री बोरिंग की सुविधा, एन0 आर0 ई0 पी0 आदि बनाये हैं और गन्ने का मूल्य 12 से 16-22-25 और आज 27 रुपये कर दिया है। आपकी बातों के जवाब में ही मैं यह बात कह रहा हूं। मेरे कहने का मतलब यह है कि हम ही किसान के हितैषी हैं और यह लोग किसान विरोधी हैं, किसान के दुश्मन हैं। हम किसानों का हित चाहते हैं। मान्यवर, जहां तक 15-16 तारीख की घटना की बात है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने यहां पर जो तथ्य रखे हैं, वह सत्य से बिल्कुल परे हैं। मान्यवर, बड़े अदब के साथ इस सम्मानित सदन को बताना चाहता हूं कि वहां पर जो किसान आन्दोलन कर रहे हैं, वह हिंसक हो गये थे वे इतने हिंसात्मक हो गये कि बसें जलाने लगे, सड़कें काट दी, पुलिया तोड़ दी, पुल तोड़ दिये, रास्ता रोक दिया गया, जो लोग शादी-ब्याह में जा रहे थे, उन्हें बहुत दिक्कत होने लगी, पुलिस पर उग्र आन्दोलन-कारियों ने पथराव किया, जिसमें 38 पुलिस कर्मी घायल हो गये, जिसमें एस0 ओ0 हसनपुर व क्षेत्राधिकारी, हसनपुर को चोटें आ गईं, ऐसे हालत को देखते हुए यातायात को सुगम बनाने के लिए जिला प्रशासन ने व पुलिस ने आवश्यक समझा और मजबूरी में पुलिस को गोली चलानी पड़ी, जिसमें दो व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। यह कहना था कि सैकड़ों घायल हो गये और काफी तादाद में लोग मारे गये, सत्य से परे है। 12 आदमियों को चोटें आयीं। 6 आदमियों का इलाज अमरोहा अस्पताल में कराया गया और जो उनके तीमारदार थे, वे उन्हें अस्पताल से ले गये।

श्री कौशिक रमाशंकर–

मान्यवर, 8 आदमी मारे गये, मैं उनका नाम तक बता सकता हूं, पते सहित।

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, यह सत्य से परे है। दो आदमी मरे। उनका पोस्टमार्टम किया गया। 8 की बात जो कही जा रही है, वह सही नहीं है। हमने वहां पर शान्ति-व्यवस्था कायम करने की पूरी कोशिश की। पूरी स्थिति वहां पर नियंत्रण में है। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी इसमें कर दिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इसे वक्तव्य के लिए स्वीकार करता हूं।

माननीय श्री राम शरण दास जी आपने नियम-56 में जो सूचना दी थी, उसे नियम-51 के साथ जोड़ दिया गया है। इस पर चर्चा नहीं होगी। शेष सभी सूचनाओं को मैं अस्वीकार करता हूं।

(सर्वश्री कन्हक सिंह, अर्जुन सिंह यादव, भगवान दीन कुशवाहा, कुशलपाल सिंह, रिछपाल सिंह बंसल, विजय सिंह राणा, शारदा प्रताप, हरेन्द्र सिंह, शारदा नन्द अंचल, लक्ष्मी नारायण, मूलचन्द्र, बदन सिंह व राम सागर आदि अन्य सदस्य सदन के फ्लोर पर आ गये तथा श्री भगौती सिंह एक पोस्टर दिखाने लगे जिससे सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपा करके आप लोग बैठ जायं ।

(व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष–

मद संख्या-10, माननीय गुफरान जाहिदी प्रस्ताव पेश करें ।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि "यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए, जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 23 फरवरी, 1988 को दिया है, कृतज्ञता पूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है ।"

(पुनः वे सब सदस्य सदन के फ्लोर पर आकर बैठ गये तथा नारे लगाने लगे)

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय नेता, विरोधी दल । इन लोगों को बैठाइए ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, आपको पता है कि यह सरकार सदन चलाने के पक्ष में बहुत कम रहती है । इसी कारण बहुत कम दिन सदन चलता है । विधायकों के क्षेत्र की अनेक महत्व-पूर्ण समस्यायें हैं, माननीय सदस्यों ने पेश की, आपने निरस्त कर दीं । यह सदस्य जो आये हैं, जनता के प्रति जवाबदेह हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

ये पहले अपनी सीटों पर तो बैठें ।

(सदन के फ्लोर पर बैठे हुए सदस्य नारे लगाते रहे ।)

श्री उपाध्यक्ष–

आप लोग आसन ग्रहण करें ।

श्री बेनी प्रसाद वर्मा–

मान्यवर, इतनी देर से सदन अव्यवस्थित है, इतनी देर में तो आप सुन लेते ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने सारी सूचनाओं को अग्राह्य कर दिया है, अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा । अब आप लोग आसन ग्रहण करें । मैं सबको नहीं सुन सकता ।

श्री शारदा प्रताप–

38 दिन से शाहजादपुर के दो आदमी आमरण अनशन पर हैं, पुलिस बराबर उनको अस्पताल ले जाती है, उनको ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आपको राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा करने का अवसर मिलेगा । आप अभि-भाषण पर, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर सब बातें कह सकते हैं । हर चीज ग्राह्यता पर नहीं सुनी जा सकती है । मैं इसे अग्राह्य कर चुका हूं, अब मैं किसी को नहीं सुनूंगा ।

श्री शारदा प्रताप–

विधान सभा के सामने जो काश्तकार लोग बैठे हैं, उनमें से दो आदमी मरने वाले हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आग्रह्य कर चुका हूं, सबको नहीं सुनूंगा ।

श्री शारदा प्रताप–

किसानों का मामला है, आपको सुनना पड़ेगा ।

श्री सत्यपाल सिंह–

यह सदन में क्या अकेले एक आदमी की बात सुनी जा रही है ?

श्री उपाध्यक्ष–

आप ही बतलाइये कि मैं क्या करूं ?

श्री सत्यपाल सिंह–

कोई रास्ता निकालिये न । आप सुन नहीं रहे हैं बड़ी गम्भीर समस्या है । सदन व्यवस्थित नहीं है और आप एक आदमी से बात किये जा रहे हैं । आप पहले सदन को व्यवस्थित कराइये । आप अकेले एक सदस्य से बात कर रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष–

मैं कह रहा हूं कि अभी राज्यपाल के अभिभाषण पर और जनरल एडमिनिस्ट्रेशन पर आप बोल सकते हैं ।

श्री हृदय नरायन दीक्षित–

बहुत अहम सवाल है कि लहलहाती फसल पर वन विभाग कब्जा कर रहा है ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं 15 मिनट के लिये सदन को स्थगित करता हूं ।

(इस समय 4 बजकर 8 मिनट पर सदन की कार्यवाही 15 मिनट के लिए स्थगित कर दी गयी । 4 बजकर 23 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को सूचित किया कि मा0 उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 4 बजकर 30 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है । 4 बजकर 30 मिनट पर डिप्टी मार्शल ने सदन को पुनः सूचित किया कि मा0 उपाध्यक्ष ने सदन का स्थगन 4 बजकर 45 मिनट तक के लिए और बढ़ा दिया है । 4 बजकर 45 मिनट पर उपाध्यक्ष के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई ।)

एक सदस्य–

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

व्यवस्था कल होगी।

(श्री खान गुफरान जाहिदी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री शारदा नन्द अंचल–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। हम सब लोगों ने नियम 56 के अन्तर्गत अपने क्षेत्र और जिलों की समस्याओं के बारे में लिखकर दिया था ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब व्यवस्था कल होगी। जो बात हुई है, वह यहां बताने की नहीं है।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि हाउस व्यवस्थित हुआ और मुझे आपने बोलने का मौका दिया। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जिसकी प्रति-लिपि बंट चुकी है और जिसे हम सब लोगों ने देख लिया है उसके सम्बन्ध में एक बात यह जरूर कहना चाहूंगा कि हम लोग यहां पर चुनकर आते हैं और संविधान के अन्तर्गत प्रतिनिधित्व करने का जो हमें अधिकार दिया है वही अधिकार संविधान के तहत विरोध पक्ष को भी मिला हुआ है। हमें अपना विरोध प्रकट करने का या पक्ष करने का पूरा अधिकार है। एक परम्परा, एक कन्वेन्शन सा बन गया है और यह कन्वेशन चला आ रहा है। मैं समझता हूं कि यदि यह नहीं होगा तो उस रोज वह खबर बनेगी। अफसोस यह है कि बहुत मर्तवे हममें से कुछ लोग यह तय कर लेते हैं जो हमें अधिकार मिले हैं वह उनको नहीं मिले हैं । संविधान की हिफाजद में हम यहां आकर बैठते हैं और उसको कभी-कभी तोड़ देते हैं जब हम उस पर बोलने के लिये आते हैं। महामहिम का अभिभाषण एक दस्तावेज है कांस्टीट्यूशन के तहत यह उनका दायित्व है कि जो सरकार है उसके क्या कार्य हैं, आगे उसका क्या कार्य होगा राज्यपाल इसे फिलोसॉफिकल, इकोनॉमिक और शोसल डाक्यूमेंट के रूप में लेकर आता है और उसके अनुरूप यदि सरकार का अच्छा काम होता है तो उसकी हम तारीफ करते हैं और विपक्ष उसकी कार्य में जो कमी होती है उसके बारे में अपनी राय देता है । राज्यपाल को उनके संवैधानिक कार्य में रूकावट डालना असंवैधानिक कार्य की परिधि में आता है ।

आज कार्य-स्थगन के नाम पर मुखतलिफ मसले उठाये गये। सबसे पहले अभि-भाषण में ला एन्ड आर्डर की बात की गई है । उसके बाद किसी बात पर बल दिया गया है तो वह है कृषि। एग्रिकल्चर पर बहुत बल दिया गया है। उसके बारे में यह बताया गया गया कि इतना सूखा पड़ने के बावजूद इतनी परेशानियों के बावजूद सूरतेहाल सामने यह आई कि खरीफ की फसल के दौरान प्रदेश को 355 करोड़ रुपये का लास सूखे से हुआ। इसके लिए दो ही रास्ते इस सरकार की पास थे जिसका नेतृत्व वीर बहादुर सिंह कर रहे हैं संविधान के अनुसार यहां पर राहतकार्य कामयाबी से चलाये जा रहे हैं सूखे से प्रभावित इलाके का क्षेत्रफल काफी बड़ा है। . . . (व्यवधान)। मान्यवर, एक रास्ता यह था कि फसलों को बचाने का प्रयास किया जाय और दूसरा यह कि फसलों को ठीक से खाद और पानी पहुंचे। ठीक से बिजली पहुंचे, दूसरी सहूलियतें पहुंचे और जो ऋण किसानों पर है, जो फसल ठीक नहीं हो रही है उसके लिये उनको सुविधायें दी जायं, लगान माफ कर दिया जाये, बच्चों को किताबें मुफत दी जायं। मान्यवर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को पढ़ने के बाद यह बात साफ जाहिर होती है कि हमारी सरकार हमारी पार्टी की सरकार ने इस सम्बन्ध में भरपूर प्रयास किया और उसी का परिणाम है कि हम 70 फीसदी फसल को बचाने में कामयाब हो गये। यह आंकड़े इस बात को बताते हैं। इसके विरोध में यह कहा जा सकता है कि भाई ऐसा नहीं है। तो इस पर हम कहना चाहते हैं कि फिर यह 82 लाख मीट्रिक टन जो गल्ला प्राप्त हुआ वह इसका प्रमाण है। हमने इस प्रकार 70 फीसदी बचा लिया। हम अपने टारगेट को पूरा करने का प्रयत्न कर रहे हैं कि रबी की फसल में दो लाख मी0 टन का टारगेट हम सूखे के बावजूद पूरा कर लेंगे . . .

श्री कौशिक रमा शंकर–

वह कहां है?

श्री खान गुफरान जाहिदी–

माननीय कौशिक जी ने अच्छा सवाल किया है कि यह कहा है? यह 82 लाख टन गल्ला जो पैदा हुआ मेरे अनुमान से वह आपकी यहां हमारे यहां या गोदामों में है।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

किस जगह वह रखा है?

श्री खान गुफरान जाहिदी–

आपने जो कहा कि किस जगह रखा है वह फिरोजाबाद में भी आगरा में भी है, कानपुर में भी है फतेहपुर में भी है सब जगह है आपको राशन कार्ड से मिलता है।

मान्यवर, मैं अर्ज कर रहा था कि इसके अन्दर जो उल्लेख है उसको देखने से पता चलता है कि हमने क्या किया है (व्यवधान) हमने पिछले साल जो काम किया, मार्च, 88 तक हमने क्या-क्या कार्य किए उनका जिक्र इसमें है । काश्तकारों को जो हमने बिजली दी 10 पैसे के रेट से जिस पर 80 पैसा से 85 पैसा तक लागत आती है उस तरह 300 करोड़ रुपया कृषि के नाम पर नुकसान में गया । (व्यवधान) शहरों और कस्बों को आपस में ठकराने की बात नहीं होनी चाहिए । सारे काम जो हुए हैं चाहे वह सड़कों के काम हों या नहरों के हों 80 फीसदी पैसा बजट का हम देहातों की तरफ लगा रहे हैं । कृषि के बारे में यह कहना कि कुछ नहीं हुआ, ठीक नहीं है । बिल्कुल गलत है । मगर यू0 पी0 में किसानों का आन्दोलन हुआ, एक हंगामा क्रियेट (पैदा) हो गया । मैं नाम नहीं लूंगा जिसको आपने नेता बना दिया । एक लाबी है बड़े किसानों की जो छोटे किसानों के पीछे पड़े हुए हैं । जो सहायता मारजिनल किसानों को छोटे किसानों को और उसके बाद उनसे बड़े किसानों को दी है वह उसे नहीं लेने देना चाहते हैं ।

श्री राम शरण दास–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आपने जिक्र किया और कहा मैं नाम नहीं लूंगा उसे बड़ा नेता बना दिया है । आप भी गए थे नाक रगड़ कर माननीय मुख्य मंत्री जी गए थे सिसौली में आपको पसीना आ गया था ।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मैं तो आपकी तारीफ कर रहा हूं उसमें आप नहीं गये थे । आप इसलिये नहीं गये थे कि आपके पास तीन सौ चार सौ बीघे का फार्म नहीं है । (व्यवधान) आपने उसे नेता नहीं बनाया तो उसकी हिमायत में आप मुख्य मंत्री जी के घेराव में क्यों बैठे ? यह हमने नहीं आपने किया है । इस तरह की बात क्यों करते हैं कि कौन वहां गया? सरकार का काम है कि किसी जगह कुछ लोग आंदोलित हों या कोई मसला उत्पन्न हो या कोई कठिनाई हो तो सरकार का प्रतिनिधि वहां जाय या उसका कोई रेप्रेजेंटिव जाये और बात करे । सही मांगें हों तो उन पर विचार किया जाय और नाजायज मांग हो या प्रेसर टेकनिक का कोई मामला हो तो उसको न माना जाये । मान्यवर, कोई यह कहे कि बिजली बिल न दिये जायं, टैक्स न दिये जाय आबपासी न दी जाय इस तरह

का कोई काम करता है तो क्या यह संवैधानिक है, इसलिये इस तरह की बात न मानी जाये । मान्यवर, उद: फैसला यह लिया गया और सरकार ने साफ कह दिया कि वह सुविधायें दे रही हैं, 54 करोड़ रुपये की राहत दी जा रही है, उनको फर्टीलाइजर दिया गया, ऋण दिये गये और शार्ट टर्म लोन को लांग टर्म लोन में बदल दिया गया,, बीज में सब्सिडी दी गयी, निशुल्क 65 हजार बोरिंग का लक्ष्य कर दिया गया, सरकार का काम यह था कि जितनी सुविधायें काश्तकारों को दी जानी चाहिए थीं वह दी गयीं ।

मान्यवर, आपने देखा कि विपक्ष किस-किस चीज पर लड़ाई लड़ रहा है, कभी मेरठ, कभी रैली के सवाल पर । रैली का इतना बड़ा रेला हुआ, वहां जनसमूह इतना बड़ा आया कि कोई रास्ता नहीं दिखाई पड़ा । लाखों लोग अपनी व्यवस्था से, अपनी गाड़ियों से यहां आये और लखनऊ में जन समुन्दर से आ गया । वह विपक्ष जो अपने को समझता था कि हम किसानों के हिमायती हैं वह उस समुन्दर में बह गये । यह वही बौखलाहट थी जिसके नतीजे में इनका विरोध आपके सामने आया है ।

श्री मैनेजर सिंह–

मैं व्यवस्था चाहता हूं कि हमारे विरोध पक्ष के सदस्यों को यह समझा दें कि ख्वामख्वाह नाराज हो रहे हैं, जाहिदी साहेब तो हमारे मित्र हैं, वह अपनी बात कहते हैं बल्कि सरकार की बात कहते हैं, हम जब उधर होंगे तो उन्हीं से धन्यवाद का प्रस्ताव रखवायेंगे, यह तो वकील हैं ।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, मैनेजर सिंह जी ने जो बात कहीं है उसके बारे में कहता हूं कि आपकी संगत जल्दी छूट गयी अच्छा हुआ । दूसरी बात यह है कि मैं जनमत तेज रफ्तारी के साथ हूं । जहां रफ्तार है मैं वहां हूं । मान्यवर, प्रगति में यदि आज कोई विरोध हो तो वह ठीक बात नहीं है । विरोध पक्ष को विरोध करना है तो वह जनतांत्रिक आधार पर करें जिसका कि आपको हक मिला है । यदि विरोध का उद्देश्य यही कि आंदोलन बने तो वह मुनासिब बात नहीं है । मान्यवर, मेरा कहना है कि इनका यह अधिकार है कि यह विरोध करें और यह भी अधिकार है कि जनता में यदि कोई आंदोलन हो तो उसका प्रतिनिधित्व यहां करें । जब आदमी समझता है कि जिसकी जायज मांगें हैं मगर जब आंदोलन हाथ से निकलने लगे और जब आंदोलन अमन कानून तोड़ने की पोजीशन में पहुंच जायं, जब हम अपने संवैधानिक अधिकारों को इस्तेमाल करते -करते हद से बाहर हो जायं और आन्दोलन हिंसा का रूप धारण कर ले उस आन्दोलन को रोकने की सबको कोशिश करना चाहिए । यदि ऐसा नहीं होता है तो डेमोक्रेसी का अन्त हो जाता है । इसलिए यह देखना आवश्यक है कि जो लोग आन्दोलन चलाते हैं, उस आन्दोलन का क्या रूप हो, किस हद तक हम जम्हूरियत के पक्ष को मजबूत करेंगे और किस हद तक वह उसके आगे निकल जाएगा । हमारे कुछ नये सदस्य हैं वह ऐसी बात कह सकते हैं । उनसे मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मैं उनको थोड़े थोड़े शब्दों में बताना चाहता हूं, हमने जितने बड़े-बड़े काम किये, जो साहसिक कदम उठाए उन्हें आप देखें । सिंचाई में पिछले 36 वर्षों में करीब 5193 करोड़ रुपये का हमारा संभावित व्यय है और उसकी तुलना में केवल वर्ष 86-87 में ही

हमारी सरकार द्वारा इस पर 2356 करोड़ रुपये व्यय किये गये हैं : इसी प्रकार राजकीय नलकूप तथा अन्य छोटी सिंचाई योजनाओं पर इस वर्ष लगभग 840 करोड़ रुपये व्यय किये हैं । लघु और सीमान्त किसानों को नलकूप बोरिंग, पम्प सेट और रहट आदि के लिए ऋण के तौर पर क्रमशः एक चौथाई और एक तिहाई अनुदान की व्यवस्था सरकार द्वारा की गई है । मान्यवर, गरीब और बहुत गरीब किसान को फ्री बोरिंग के लिए 3 हजार, 4 हजार रुपया और हरिजन किसानों के हेतु 5 हजार रुपये तक अनुदिया गया है । आज तक किसी सरकार ने इतना बड़ा अनुदान निशुल्क बोरिंग में नहीं किया है । यह नई दिशा कांग्रेस की इस सरकार ने ही दिखाई है । आजकल तमाम नये-नये मोर्चे बन गये हैं । क्रान्तिकारी मोर्चा बन गया है, संयुक्त मोर्चा बन गया है और भी कई मोर्चे बन गये हैं या गठबन्धन हो रहे हैं । किन्तु कांग्रेस वह संस्था है, वह पार्टी है, जो आजादी के पहले देश की आजादी के लिए लड़ी, जिसने बलिदानों की एक मिसाल पेश की है । कांग्रस का उद्देश्य है प्रजातंत्र, कांग्रेस का लक्ष्य है समाजवाद और जम्हूरियत को बचाना उसका उद्देश्य है । कांग्रेस के सामने यह सब मोर्चे टूट जायेंगे "व्यवधान"

(व्यवधान होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

आप उनकी बात सुनिये, जब वक्त आए तब बोल लीजियेगा ।

श्री खान युफयन जादिदी–

मैं सारे लोगों से यह कहना चाहता हूं . . .

(व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष–

आप इनको अपनी बात समाप्त करने दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री खान गुफरान जाहिदी–

हमें विपक्षी दलों से कोई एतराज नहीं है । हमें एतराज है मीर जाफर और जयचन्द जैसे लोगों से । आपसे हमें कोई एतराज न था और न है । आप विपक्ष के हैं और विपक्ष के नाम पर जीतकर यहां आए हैं । हमें एतराज उनसे है जो कान्सटीट्यूशनली यहां पर ठीक बैठे हैं, किन्तु मारेली यहां पर ठीक नहीं नजर आते हैं । उनमें नैतिकता होती तो वह यहां आज न होते । इनका कुछ कहने का हक नहीं । (व्यवधान) माय्यवर, बहुत ही तेज तीर लगा है निशाने पर : हमें तो अफसोस यह है कि हमारे छोटे-छोटे कार्यकर्ताओं को विपक्ष के बड़े-बड़े नेता अपना नेता बना लेते हैं । हैरत हमें इस बात पर है कि हमारे जो छोटे नेता निकलते हैं, आपके बड़े नेता बन जाते हैं, अजीब तरीका बन गया है ।

(व्यवधान)

श्री सैयद अली अशरफी–

मैं इतनी देर से कह रहा हूं आप सुन नहीं रहे हैं । मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, आप सुनिये ।

(श्री सैयद अली अशरफी सदन के फ्लोर पर आकर बोलने लगे)

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का सवाल है, क्या आप व्यवस्था नहीं देंगे ?

श्री उपाध्यक्ष–

एक आदमी बैठ जाएगा तब व्यवस्था का सवाल उठेगा, बीच में कोई व्यवस्था का सवाल नहीं उठेगा ।

(अत्यधिक शोर होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

यह तरीका अच्छा नहीं है, आप स्थान ग्रहण कीजिए ।

(श्री कौशिक रमाशंकर के प्रयास से श्री सैयद अली अशरफी अपने स्थान पर वापस चले गये।)

(कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

जब एक सदस्य बोल रहे हों तो व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है । जाहिदी जी आप अपना भाषण जारी रखें । राणाजी आप बैठें । यह कोई तरीका नहीं है । जब आपका नाम आयेगा तो आप बोल लीजिएगा ।

श्री सैयद अली अशरफी–

आप सदस्यों के संरक्षण के लिए बैठे हैं आप क्यों नहीं व्यवस्था सुन रहे हैं ?

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री उपाध्यक्ष–

आप सब बैठें । व्यवस्था तो आप सबको बनानी है अगर आप व्यवस्था नहीं बनायेंगे, तो सदन कैसे चलेगा ? आप सब लोग बैठें ।

(कुछ सदस्यों के पुनः खड़े होने पर)

सब लोग खड़े हो जायेंगे तो कैसे काम चलेगा ? राणा जी आप बहुत वरिष्ट सदस्य हैं आप तो जानते हैं जब तक जाहिदी खड़े हैं मैं कैसे बुलवा सकता हूं ? कुशवाहा जी आप बैठ जाएं ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

मान्यवर, एक आदमी का रुपया पैसा [x x x दिया] इस पर व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

जो पीठ पर छूरा भांक रहे हैं उनको क्या कहा जाए ?

(घोर व्यवधान)

नोट–[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री उपाध्यक्ष–

व्यवस्था के नाम पर अव्यवस्था नहीं हो सकती है मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं । आप लोग आसन ग्रहण करें कुछ नहीं लिखा जाएगा ।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, किसी भी देश या प्रदेश को तरक्की के लिए यह जरूरी है कि रिसोर्सेज ज्यादा से ज्यादा पैदा किये जायं ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, यह कितना समय और लेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं दिखवा रहा हूं ।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, यह कहा जाय कि पहाड़ पर किसी बड़े पत्थर को ले जाना है तो किसी भी प्रदेश की तरक्की का काम, प्रगति के काम पहाड़ पर पत्थर को ले जाने जैसा ही है क्योंकि बहुत से अवरोध हैं और रिसोर्सेज की भी कमी है । पत्थर को पहाड़ पर ले जाना मुश्किल है लेकिन वहां से उसको गिरा देना कोई मुश्किल काम नहीं है । अगर वह विपक्ष का रोल हो तो प्रगति नहीं हो सकती । अगर किसी चीज को आंदोलन का रूप देकर भारतवर्ष में बंद रखें तो प्रगति नहीं होगी । एक दिन की बन्दी से जी0 एन0 पी0 (ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन) का उसका कितना नुकसान होता है, आप में बड़े-बड़े विशेषज्ञ बैठे हैं वह जानते हैं कि कितना नुकसान होता है । इसका अन्दाजा आप नहीं कर रहे अगर एक दिन केवल कानपुर बंद होता है तो यह अनुमान लगाया गया है कि 3 करोड़ रुपये के प्राफिट का नुकसान होता है इसके टर्न-ओवर का आप अन्दाजा लगा लें कि कितना होगा ?

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

कर्नाटक बंगाल आदि में आप ही बंद करवाते हैं ।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, प्रदेश में सूखा पड़ा है । सूखा है तो वह आपके घर में है और मेरे घर में भी है । आपके घर जब सूरज की रोशनी कम आ रही है तो मेरे भी घर कम जायेगी । अगर प्रगति का यही वसूल देखा जाये तो जितने भी स्पीड ब्रेकर्स हैं, रुकावटें हैं उनको हम सबको मिलकर दूर करना होगा । अगर मानव दिवस सृजित नहीं होंगे तो तरक्की के काम नहीं होंगे । एक दिन की स्ट्राइक, एक दिन का कर्फ्यू एक दिन का बंद करोड़ों रुपयों का नुकसान पहुंचाता है और मजदूर एक वक्त की रोटी से भी बंचित हो जाता है । ऐसी स्थिति में कोई ऐसा कार्य जिससे देश की प्रगति में या प्रदेश की प्रगति में अवरोध पड़े, अगर अपोजीशन का रोल ऐसा है, मैं नहीं कहता की रोल ऐसा है ही लेकिन अगर ऐसा रोल है तो यह संविधान के खिलाफ है और इससे जो लक्ष्य हैं उनको नहीं हासिल किया जा सकता । मैं मुलायम सिंह जी की तारीफ करूंगा कि उन्होंने मेरठ के उस नेता के खिलाफ जो वह अपने घर चले गये बयान दिया है । यह जो मामला था वह हमारा ही सवाल नहीं है आपका भी है, अगर विपक्ष कोई आंदोलन बढ़ाये, वायलेंस करे तो फिर न हमारी आवाज सुनी जायेगी न आपकी सुनी जायगी और डेमोक्रेसी की जगह माबोक्रेसी अपना काम करने लगेगी ।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर यहां पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर चर्चा हो रही है लेकिन मान्यवर, राज्यपाल की कितनी महत्ता दी जा रही है कि एक भी कैबिनेट मंत्री यहां पर मौजूद नहीं है इसी से अन्दाजा लगा लीजिए कि इस भाषण को सरकार कितनी गंभीरता से ले रही है ? यहां पर कबीना स्तर के मंत्रियों को रहना चाहिए, मुख्य मंत्री जी भी मौजूद नहीं है ।

श्री पूरन सिंह माहरा–

नेता विरोधी दल तो हैं ही यहां पर।

श्री उपाध्यक्ष–

अभी नेता विरोधी दल का भाषण होगा, तो माननीय मुख्य मंत्री आ जायेंगे और कैबिनेट स्तर के मंत्रिगण भी आ जायेंगे ।

माननीय जाहिदी साहब, आप अभी और कितना समय लेंगे ?

श्री खान गुफरान जाहिदी–

अभी 45 मिनट मान्यवर हुए हैं । मान्यवर, मैं कम से कम समय में अपनी बात कहने की कोशिश करूंगा । मैं अपनी बात आधे घंटे के अन्दर भी हो सकता है कह दूं । मैं मान्यवर, यह बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है, जिसका नेतृत्व माननीय बीर बहादुर सिंह जी कर रहे हैं । वे सूखे से निपटने के लिए बड़े-बड़े काम किये हैं (व्यवधान)

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

मान्यवर, ये 302 के मुलजिम हैं, इनके ऊपर कत्ल का मुकदमा चलाया जाना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मैं इस भाषण की प्रतिलिपि उन तमाम साथियों के पास भेज दूंगा, जिन्होंने छूरा भोंकने का काम किया है। सूखे की स्थिति से निपटने के लिए 143 करोड़ रुपया सेन्टर से लाया गया । मान्यवर, हमने दिए जाने वाले अनुदान की तादाद को बढ़वाया, मान्यवर, हमारी पार्टी ने चौमुखी विकास के कार्य किये हैं मान्यवर, मेरी सरकार ने यह नहीं किया कि पी0डब्लू0डी0 का बजट काट दिया जाय, टेक्निकल एजूकेशन का बजट काट दिया जाय या टूरिज्म का बजट काट दिया जाय, मान्यवर, हमने अपनी कमर कसकर जहां कहीं भी हो सकता था, सूखे की स्थिति को संभालने का प्रयास किया । हां एक बात आती है रैली की क्या जरूरत थी रैली की । मान्यवर, कोई आंदोलन होता है, तो विपक्ष के साथी लोग रैली करते हैं । जैसे कौशिक जी ने कहा रैली का अधिकार हमको और आपको दोनों को है । अगर आपको हमारी कमियों को बताने का अधिकार है, तो क्या हमारी सरकार को अपनी उपलब्धियों को बताने का अधिकार नहीं है ? हम लोगों की, हमारी सरकार की, हमारी कांग्रेस पार्टी की रैली करके अपनी उपलब्धियों को बताने का अधिकार है । जो कुछ हमने कहा

और जो कुछ हम कर रहे हैं, उसको रैली की शक्ल में जाकर बताने में कोई हरज नहीं है । मान्यवर, हमने 380 ब्लाकों में मिनी इण्डस्ट्रियल स्टेट्स बनायें । मान्यवर, यह नया सिलसिला शुरू किया गया । हमारा यह उद्देश्य है कि इण्डस्ट्रीज बढ़ाई जायें । आजकल यह बात हो रही है कि एग्रीकल्चर टैक्स लगा दिया जाय । मैं खुले लब्जों में नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन कई लोगों ने ऐसा कहा है हमारी सरकार इस तरह का कोई टैक्स नहीं लगा रही है । हर जगह, हर तबके में कुछ ऐसे लोग होते हैं, जो वतन दोस्त होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं , जिनके वेस्टेड इंटरेस्ट होते हैं, तो वे अलग हो जाते हैं , तो यह टकराव पहले भी जारी था और आज तक जारी है। इस टकराव को तोड़ने की आवश्यकता मुझे भी है और आपको भी है इसलिए कि जब आप ऐसा नहीं करेंगे तो जिन लोगों ने जिनकी जमीदारियां तोड़ी गयीं जिन ताल्लुकेदारों ने साजिश करने की ठान ली है कि प्रगति में रुकावट पैदा की जाय ।

(श्री भगवान दीन कुशवाहा के बोलने से व्यवधान)

श्री खान गुफरान जाहिदी–

ऐसे लोगों की तादात कम है लेकिन वैसे लोगों की तादात आज भी मौजूद है जो कमजोर होकर एक साजिश करते हैं कोई बड़ी साजिश करते हैं यह सरमायेदारों की साजिश की है । गरीबों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाये जाने के काम में आप भी इंटरेस्टेड है और हम भी इंटरेस्टेड हैं, वह काम आप भी करेंगे और हम भी कर रहे हैं । यह गरीबी की रेखा से लोगों को ऊपर उठाने का वक्त था वह काम हमने किया अगर न किया होता तो 20 सूत्री कार्यक्रम में जिसका खास मकसद यह है कि 80 फीसदी लोगों को फायदा पहुंचाया जाय, देहात में 80 फीसदी खर्च किया जाय जहां ज्यादा लोग हैं तो आपने देखा कि पूरे क्षेत्र में इन तमाम दिक्कतों के बावजूद मेरा प्रदेश 20 सूत्री कार्यक्रम में नं0-1 मुकाम पर आया है और फिर दुबारा नं0-1 में आने जा रहा है। यह वही प्रदेश है जो इससे पहले कभी नं0 1 पर नहीं आया था इससे पहले बहुत पीछे था वह अब तेजी से आगे निकल रहा है । सूखे के बावजूद एजूकेशन में अब 19 तहसीलों को छोड़कर सभी तहसीलों में बालिका विद्यालय कायम कर दिये गये हैं । तकनीकी शिक्षा में भी वृद्धि की गयी है । टेक्निकल एजूकेशन बोर्ड के अध्यक्ष लाल प्रताप सिंह जी बने हैं। हमारा उद्देश्य है कि खासतौर से टेक्निकली लोगों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाय (व्यवधान) अब मैं ला एण्ड आर्डर के बारे में 2 बातें कहना चाहता हूं ।

श्री मैनेजर सिंह–

बहुत खराब है ।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

बात यह है कि हम सबको अपने गिरेबान में झांककर देखना होगा मैं एक लेजिस्लेचर की हैसियत से यह कह रहा हूं, तब यह मालूम होगा ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

मान्यवर, यह 302 के मुल्जिम हैं ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री खान गुफ़रान जाहिदी–

जब धर्म को राजनीति से मिला दिया गया तब पंजाब हो या और कोई मुकाम हो जब जब धर्म को राजनीति में मिलाने की कोशिश की गयी और जब की गयी तो हमेशा इसी तरह से टकराव पैदा होता है या हंगामा होता है । जैसा कि हाल के फसादों से हुआ ।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

सूखा राहत का पैसा कहां चला गया यह टेलीवीजन वगैरा खरीदा गया, कहां गया ?

श्री खान गुफ़रान जाहिदी–

मान्यवर मैं अपने समय के अन्दर भाषण खत्म करूंगा और आप की कही बात को भी ध्यान में रखूंगा और दस मिनट पहले खत्म करूंगा। मान्यवर, मै आपकी अनुमति से एक बात और कहना चाहता हूं जब जब विपक्ष में कई पार्टियां हों और एक पार्टी की सत्ता हो तो पार्टियों का मुकाबला पर्सनालिटी और प्रोग्राम पर होना चाहिए । इत्तिफाक से प्रोग्राम भी है और पर्सनालिटी भी है हमारी पार्टी के पास । विपक्ष में ऐसी कोई चीज नहीं है ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

मान्यवर यह बतायें कि सूखा राहत का पैसा कहां चला गया ?

(व्यवधान के मध्य)

श्री खान गुफ़रान जाहिदी–

जब देखते हैं कि प्रोग्राम में रुकावट पैदा हो रही है (व्यवधान) भ्रष्टाचार निचले स्तर पर पहुंच रहा है या कहीं कहीं ऊंचाई पर भी है, वह पूर्णतः खत्म नहीं हुआ है । हम उससे आंख बंद नहीं कर सके । मान्यवर जब हम देखते हैं कि कुछ.. (व्यवधान) . . मान्यवर, मा0 सदस्यों का नशा ज्यादा बढ़ता जा रहा है, इस पर रोक लगायें काली चीज नशा बढ़ाती है । मान्यवर, जब इन्होंने देखा कि प्रोग्राम में कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती और फिर कोई कमी हो तभी बतायी जायेगी । प्रोग्राम अच्छा नहीं है तो आल्टरनेट प्रोग्राम रखा जायगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें कमी बतायी जाय। यह क्या तरीका बन गया है, पिछली असेम्बली को देख लें, या पार्लियामेंट को देख लें, या कहीं की असेम्बली को देख लें, एक चीज यह देखने में आ रही है कि जब प्रोग्राम पर कुछ नहीं कह पाते तो शिकायत को खत्म करने के लिए शिकायत को बिगाड़ने की कोशिश की जाती है और समझने लगते हैं कि इस तरह उन्होंने सरकार को पालिसी और प्रोग्राम को खत्म कर दिया है । उसका कारण यह है कि . .कई सदस्यों के बोलने पर . मान्यवर, व्यवस्था करें ।

श्री उपाध्यक्ष–

कुशवाहा जी, आप बैठें । आपका नम्बर आये तो बोलियेगा ।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, कैरेक्टर एसेसिनेशन किया जाता है । गुफरान जाहिदी कोई बात करते हैं, तो सुनना चाहिए । मा0 नेता विरोधी दल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि मा0 सदस्य थोड़ा सा मौका दें तो मैं अपनी बात जल्दी से खत्म करूं । मान्यवर, ये कैरेक्टर एसेसिनेशन करते हैं । हमारे समाज में एक दर्दनाक बात यह है कि, आपको बुरा नहीं लगना चाहिए, समाज में यह है कि अगर एक्स बुरा है तो जनता में, समाज में यह परम्परा बन गयी है कि एक्स या गुफरान जाहिदी बुरा है, तो कहते हैं कि सारे पठान बुरे हैं। यहां तक कि सारा मुसलमान बुरा है । इस्लाम बुरा है । मान्यवर, शख्सा को किसी जमात, मजहब से जोड़कर पूरी पार्टी से जोड़कर आलोचना से पूरी पार्टी बुरी नहीं हो सकती, अगर कोई हमारा भाई बुरा है, कोई आदमी किसी भी मजहब का बुरा हो सकता है, लेकिन उसको व्यक्तिगत बात मानकर कहा जाय, वह अपना जबाब देगा ।

आज जो टकराव हो रहा है, चन्द लोग अपराधी हो जाते हैं तो समाज में पूरी पार्टी को उसके साथ जोड़ दिया जाता है। वह पार्टी और वह वर्ग चाहे कितना ही अच्छा क्यों न हो , मान्यवर, आज हमारे प्रोग्राम पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते तो किसी शख्सियत को पकड़ लेते हैं। कोई एक व्यक्ति कोई अपराध कर ले तो क्या पूरी पार्टी दोषी हो जायगी । मैं आपके माध्यम से पूरे विपक्ष से कह देना चाहता हूं कि उनकी किसी व्यक्ति की कैरेक्टर एसेसिनेशन की कोशिश नाकामयाब होगी । एक का कैरेक्टर एसेसिनेशन करके पूरी पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं तो यह झूठ का पुलिन्दा नहीं चलेगा । एक व्यक्ति पर झूठा इल्जाम लगाकर पूरी पार्टी को बदनाम नहीं कर पायेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

जाहिदी साहब समाप्त करें ।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, मेरा कहना यह है कि पिछली बार भी हमने असेम्बली में देखा कि हमारे एक साथी का कैरेक्टर एसेसिनेशन शुरू कर दिया गया । कभी हमारे एक वजीरे आला को कहना शुरू कर दिया गया । यदि ऐसा नहीं है तो वह उसका जबाब देगा, लेकिन पार्टी के प्रोग्राम के बारे में इनके पास ऐसी कोई चीज नहीं है । ये इस प्रकार की गलत परम्परा पड़ रही है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय जाहिदी साहब अब आप समाप्त करें । अभी माननीय जयनारायण शर्मा को भी बोलना है।

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

मान्यवर, यह बता दें इनके कमरे में लाश किस व्यक्ति की बरामद हुई थी? उसका पैसा किसने खाया था ? इन्दिरा गांधी का पुतला किसने जलाया था ? मान्यवर, इनसे स्पष्टीकरण दिला दें।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, इस तरह की बात गलत है।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य शान्ति बनाये रखें ।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल ने यह जो दस्तावेज दिया है, हमारी सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो कार्य हैं, उनका इसमें उल्लेख किया गया है।

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

मान्यवर, यह तो मर्डर करके आ गये थे, इनको जेल में जाना चाहिये ।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, यह बार-बार व्यवधान डाल रहे हैं, मैं इनके खिलाफ विशेषाधिकार की नोटिस दे दूंगा ।

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

मान्यवर, इनको जेल में जाना चाहिए ।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, यह कहीं अस्पताल न चले जायं । मैं माननीय नेता विरोधी दल से कहूंगा कि इन्हें शान्त करवायें । यह गलत बातें कर रहे हैं और लगातार व्यवधान डाल रहे हैं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि इस सूखे में इस सरकार ने बहुत ही युद्धस्तर पर कार्य किये और जनता को तमाम राहत पहुंचायी ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मैं आभार प्रकट करता हूं और साथ ही साथ माननीय सदस्यों से निवेदन करता हूं कि इस अभिभाषण की चर्चा में जरूर हिस्सा लें। इसमें जो सरकार की ओर से किये गये प्रशासनिक कार्यों का उल्लेख है, उनकी प्रशंसा करें । अगर कहीं कोई कमियां हैं तो उसको भी देखें। मान्यवर, हमारी सरकार ने सूखे में जो कार्य किया है वह प्रशंसनीय है। माननीय वीर बहादुर सिंह जी ने इस सूखे से लड़ने के लिये जो कार्य किये हैं, मैं उनकी भरपूर हिमायत करता हूं। धन्यवाद।

श्री भगवान दीन कुशवाहा–

मान्यवर, इन्होंने अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया ।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मैं माननीय नेता विरोधी दल और अन्य सामने बैठे माननीय नेताओं से कहूंगा कि वे देख रहे थे कि किस तरह से माननीय सदस्य लगातार व्यवधान उपस्थित करते रहे । जब वे लोग बोलते हैं तो मैं इधर के माननीय सदस्यों को टोका टोकी करने पर रोकता रहता हूं । यह हमेशा इस तरह से बात करते हैं, करेक्टर एसिसनेशन की बात करते हैं। इनको गुस्सा करने का या कोई बात कहने का अधिकार है लेकिन मौका मिलने पर कहें । बीच में व्यवधान क्यों डालते हैं ?

*श्री जय नारायण शर्मा–

श्रीमन्, माननीय खान गुफरान जाहिदी साहब ने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो आज यहां धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं ।

(श्री भगवान दीन कुशवाहा के खड़े होने पर व्यवधान)

माननीय जाहिदी साहब आप तो वटवृक्ष हैं, आप तो इन्हें सिखाते हैं। आप कृपा करके इनसे प्रभावित न हों । आपको शासन करना है, इनको यहां बैठना है। यद्यपि उत्तर प्रदेश विकास के परिप्रेक्ष्य में बहुमुखी प्रगति की ओर है, लेकिन इस सदी का भयंकरतम सूखा विकास के पल्लवन को लील गया है। मैं उस संदर्भ में निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरीके से सूखे का प्रभाव उत्तर प्रदेश में और उसके पड़ोसी प्रदेशों में हुआ, उत्तर प्रदेश की सरकार की मैं बधाई का पात्र इस दृष्टि से मानता हूं कि तुलनात्मक दृष्टि से देखें तो यहां की सरकार ने किसान जगत की, उसकी फसल की इस भयंकरतम स्थिति में 70 प्रतिशत रक्षा की है। मान्यवर, इस सदन में सम्मानित लोग आते हैं, चन्दबरदाई भाटो और ढोलक पीटने वालों का यहां कोई स्थान नहीं है। यहां जम्हूरियत की हिफाजत करने वाले लोग आते हैं । लेकिन अभी जाहिदी साहब के भाषण के समय जो स्थिति हुई, यह दुख का विषय है कि इतने गिरे हुए स्तर के लोग भी यहां पर मौजूद हैं। जहां जम्हूरियत की हिफाजत की बातें की जाती हों, लोगों के कल्याण की बातें की जाती हों, वहां इतने गिरे हुए स्तर की बातें करते हुए किसी को देखकर बड़ा आश्चर्य होता है । मान्यवर, यह सब जानते हैं और कई ऐसे व्यक्ति हैं जो विद्वान हैं, दूरदर्शी हैं, बुजुर्ग हैं, उन्हें विधान सभा और संसद में भेजना आवश्यक है, इसलिये उनको भेज दिया जाता है। यह लोग उनसे कुछ सीख सकते हैं। आज इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है कि इनके सीनियर और बड़े बुजुर्ग यहां पर बैठे हैं, और उनके अधीनस्थ इस तरह की यहां पर बात करें, चर्चा करें और उनके बड़े शान्त बैठे रहें? इस बात को मैं बड़ा दुखद मानता हूं। श्रीमन्, मैं कह रहा था कि इस तरह से उत्तर प्रदेश की सरकार ने सूखे का सामना किया । उन्होंने कृषि निवेश और सिंचाई की बेहतर उपलब्धियां देकर 70 फीसदी यहां की फसलों की हिफाजत की। उन्होंने सारी फसलों की ही हिफाजत की, बल्कि किसान और किसानों की जमीन पर काम करने वाले खेतिहर मजदूर, जो सर्वहारा है, उपेक्षित है, उसकी भी हिफाजत की है। मान्यवर, आज उनका लगान माफ किया गया, जो ऋण वसूली थी, उसको अक्टूबर, 1988 तक स्थगित किया है।

(कई सदस्यों के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

जब आपका नम्बर आयेगा, तो आप लोग भी अपनी बात कह दीजियेगा । अभी आप लोग बैठें व शान्त रहें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जय नारायण शर्मा–

तो मान्यवर, मैं कह रहा था कि अक्टूबर, 1988 तक के लिये ऋणों की वसूली को रोक दिया गया है और उन्होंने जो सूखा प्रभावित क्षेत्र हैं, उनको सुविधायें दी। अगर आज मान्यवर, यह व्यवधान डालकर हमको सिखाना चाहते हैं, तो यह चीजें कल इनके सामने भी आ सकती हैं। श्रीमन्, मैं तो भाषण की प्रति बंटवाने के सन्दर्भ में एक निवेदन करना चाहता हूं कि वह सिंहगर्जन, सिंहनाद था। राजीव गांधी, इन्दिरा गांधी जी की कृपा से, आज भी वह इस को देखना चाहते हैं, तो मेरठ की धरती पर उतर आयें, मैं आपको भी देख लूंगा। मैंने उस व्यक्ति के खिलाफ चुनाव लड़ा था, जिसका नाम मन्जूर अहमद था आज वह आपके बीच में बैठे हैं। मैं केवल बातचीत के चौवे छक्के नहीं उड़ाता, मैं तो सैन्चुरी मारता हूं.....

(कई माननीय सदस्यों के फिर व्यवधान करने पर)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री जय नारायण शर्मा–

तो श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा था कि अभी आने वाले 5 जुमलों के बाद यह पता चल जायेगा कि झूठ कहां छिपा है ? श्रीमन्, हमनें खाद्यान्न के दाम पिछले वर्ष की अपेक्षा बढ़ाये और गन्ने की कीमत भी बढ़ाई है...

श्री खान गुफरान जाहिदी–

मान्यवर, एक व्यवस्था का सवाल है..

श्री उपाध्यक्ष–

कोई व्यवस्था का सवाल बीच में नहीं उठाया जा सकता।

श्री जय नारायण शर्मा–

मान्यवर, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ना के दाम बढ़ाये। आज हिन्दुस्तान में अन्य सूबों की तुलना में उत्तर प्रदेश सरकार गन्ना का दाम ज्यादा दे रही है। कई लोग अखबार के माध्यम से प्रकाशित करते हैं कि उनके सूबे में गन्ने का दाम 32 रुपए है, यह एक झूठ है। एक हाथ से 32 रुपये देते हैं तो दूसरे हाथ से 3 रुपए काट लेते हैं। हरियाणा में गन्ने का दाम 32 रुपये क्विंटल है वह भी एक खास किस्म का गन्ना है जिसे सी0 ओ0 जी0–64 कहते हैं। हमारे जनपद मेरठ में दोराला व मवाना में भी सी0 ओ0 जी0–64 के दाम 32 रुपये है और गन्ना के दाम हरियाणा में 28 रुपये प्रति क्विंटल है। जो वह सी0 ओ0 जी0–64 के लिए 32 रुपये दे रहे हैं उसमें कैरेज के 3 रुपये काट लेते हैं और जो 28 रुपए का है, उसमें भी वह 3 रुपये काट लेते हैं, इस प्रकार देखा जाय तो 32 रुपये वाले की कीमत 29 रुपये हुई और 28 रुपये वाले गन्ने की कीमत 25 रुपये हुई, जबकि हमारे यहां 32 रुपये वाले गन्ने की कीमत 31.50 पैसे है और दूसरा गन्ना 27 रुपये क्विंटल है। हमारे यहां रिकवरी केवल 1.00 है, इसके बावजूद भी हम गन्ने का मूल्य अन्य सूबों से ज्यादा दे रहे हैं।

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, जब व्यवस्था का प्रश्न उठता है तो उनको बैठने की जरूरत नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष–

भाषण के बीच में व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठ सकता है ?

श्री शतरुद्र प्रकाश–

मान्यवर, कोई घटना हो जाय या कोई आक्षेप हो जाय तो व्यवस्था का प्रश्न उठाया जा सकता है। यह माननीय सदस्य का अधिकार भी है। इससे उसको रोका भी नहीं जा सकता है। आप भले ही उसे अस्वीकार कर दें।

श्री राम शरण दास–

मान्यवर, संसदीय कार्य मंत्री श्री हुकुम सिंह जी बैठे हुए हैं। उनका और मेरा डिवीजन एक ही है। तीनों के यहां गन्ना एक ही दाम पर बिकता है। हुकुम सिंह जी बता दें कि कौन से मिल में गन्ना 32 रुपए क्विन्टल बिक रहा है। पंडित जी को यह झूठ नहीं बोलनी चाहिए, वह तो गन्ना बेचते भी नहीं हैं।

श्री जयनारायण शर्मा–

मान्यवर, माननीय श्री राम शरण जी का मैं बड़ा अदब करता हूं। वे बुजुर्ग माननीय सदस्य हैं। मैं चाहूंगा कि वह यहां पर माननीय सदस्य ही रहें, कोई ज्योतिषी का काम न करें। मैं क्या करता हूं ? क्या बेचता हूं ? इसकी उनको बहुत कम जानकारी है। मैं निवेदन करूं कि हमारे यहां दारोला व मवाना चीनी मिल में गन्ने का दाम 32 रुपए क्विन्टल मिलता है। चूंकि हमारे यहां गन्ना कम है। अभी भी वहां पर कोई गन्ना ले जाय तो उसे 32 रुपए क्विन्टल गन्ने का दाम मिल जायेगा।

[5 बजकर 45 मिनट]

एक बात और कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने मेरे ख्याल में दो बड़ी उपलब्धियां इस बार हासिल की हैं। मैं आपका ध्यान सन् 1978 की तरफ ले जाना चाहता हूं। कुछ लोग इतने भाग्यवान हैं कि कुछ की पहचान गरीबों के मसीहा के रूप में होती है, बुद्धिजीवियों के मसीहा के रूप में होती है, कुछ की किसानों के मसीहा के रूप में होती है। आज वह स्वर्ग में हैं। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार और उस जमाने में क्या अन्तर है। वर्ष 1978 में 3 लाख हेक्टेयर में गन्ना कम बोया गया था आज के परिप्रेक्ष्य में। इसके बावजूद आज जो उत्तर प्रदेश में गन्ना पैदा हुआ है भयंकर सूखे के बावजूद भी उत्तर प्रदेश में गन्ने का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास में इतनी बड़ी मात्रा में गन्ना पैदा नहीं हुआ। 1978 में किसान के खड़े गन्ने में आग लगा दी गयी थी, उसे फूंक दिया गया था।

किसान कहता था कि, "गन्ना पांच अगोला छः, बोलो चरण सिंह की जै।" ये जानते हैं कि जो किसानों के मसीहा कहलाते हैं उन्हीं के जमाने में गन्ने में आग लगायी गयी थी। चाहे पब्लिक सेक्टर की मिलें हों या प्राइवेट सेक्टर की मिलें

हों, इस वर्ष किसानों के गन्ने में आग नहीं लगने दी जायगी और उसे पेरा जायगा चाहे उसकी रिकवरी 3 प्रतिशत तक ही क्यों न पहुंच जाय और चाहे मिलों को मई, जून, और जुलाई तक ही क्यों न चलाना पड़े लेकिन किसान का गन्ना पेरा जायेगा । ये दो बड़ी उपलब्धियां उत्तर प्रदेश की सरकार ने माननीय श्री वीर बहादुर सिंह के नेतृत्व में प्राप्त की हैं इनको देखते हुए आप श्री वीर बहादुर सिंह को किसानों का मसीहा न कहें लेकिन किसानों का हितैषी तो कहें । मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसानों का हितैषी कोई है तो वह है जो आज उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री है ।

कुछ लोगों ने कहा, मुझे खुशी है, माननीय मुख्य मंत्री जी भी यहां तशरीफ रखते हैं, लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री शायद राजनीति के गावस्कर हैं क्योंकि गावस्कर ने जो रिकार्ड बनाये हैं, कोई उतने रिकार्ड नहीं बना पाया। उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री ने जो रिकार्ड बनाये हैं कोई किसानों का मसीहा भी उतने रिकार्ड नहीं बना सकता । उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री कभी:कभी लगता है गोगिया पाशा हैं, पी0 सी0 सरकार हैं ।

किस तरह से 2800 करोड़ रु0 राजस्व में आता है, केवल सेलरी में 2600 करोड़ रु0 चला जाता है, केवल 2 अरब रु0 उत्तर प्रदेश के विकास के लिये शेष बचता है । 30 करोड़ रु0 प्रति माह राजस्व परिषद् को नुकसान हो रहा है, जिसका अर्थ हुआ 3 अरब 60 करोड़ रु0 प्रति वर्ष । पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्राइवेट सेक्टर की मिलों में डेढ़ अरब रु0 का नुकसान हो चुका है, पब्लिक सेक्टर में भी एक अरब रु0 का नुकसान हो चुका है । आप दाखें किस तरह उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री इसको प्रगति के रास्ते पर ले जा रहे हैं। कहां से पैसा इकट्ठा करके प्रदेश को शक्ति प्रदान कर रहे हैं ? अगर आप हरियाणा को देखें बिजली के मामले में ही एक यहां पर बिजली थरमल की विद्युत 80 प्रतिशत है और शेष 20 प्रतिशत पन बिजली है जबकि हरियाणा में पन बिजली अधिक है और थरमल की पावर कम है। वहां का किसान मात्र 4 घण्टे बिजली पाता है जबकि उत्तर प्रदेश का किसान 10–12 घण्टे बिजली प्राप्त करता है। तमाम इण्डस्ट्रियल एरिया जो कि दिल्ली से लगा हुआ है, फरीदाबाद और नोयडा के कुछ लोग यह कहते हैं कि मैं वीर बहादुर की धरती पर उद्योग करूंगा । आप लोग सच्चाई से पलायन कर रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

शर्मा जी आपका समय समाप्त हो गया, आप अब बैठिये।

श्री जय नारायण शर्मा–

मैं खान गुफरान जाहिदी द्वारा रखे गये प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । धन्यवाद ।

नेता, विरोधी दल (श्री सत्यपाल सिंह)–

माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय गुफरान जाहिदी साहब ने जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा जिसके समर्थन में माननीय सदस्य अभी बोल रहे थे, उनको मैंने सुना । महा-महिम राज्यपाल के अभिभाषण के सम्बन्ध में जो मैंने संशोधन रखा है, उसको प्रस्तुत करते हुए मैं इस धन्यवाद के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं।

माननीय शर्मा जी से मुझे इसलिए शिकायत है कि वह इस सदन में पहली बार चुन कर आये हैं और अपने वाक्‌चातुर्य से सदन को मोहित करने का प्रयत्न उन्होंने किया, लेकिन माननीय जाहिदी साहेब से एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जिस समय इन्होंने भाषण देना शुरू किया, ये सत्ता के मद में मदान्ध हो गये । एकदम से मजाक करना और मखौल उड़ाना शुरू कर दिया कि हमारे प्रदेश में जनमोर्चा और क्या-क्या मोर्चा है, इन्होंने जनमोर्चा को बहुत नजरअन्दाज करने की कोशिश की क्योंकि आपको अपनी ताकत का घमण्ड है। मुझे आपके माध्यम से आपसे कहना है कि इतिहास साक्षी है कि रावण की मौत के लिये यहां राम पैदा हुए, कंस की मौत के लिये यहां पर कृष्ण का जन्म हुआ और इस कांग्रेस के कुशासन की मौत के लिये राष्ट्रीय मोर्चा का, जनमोर्चा का जन्म हुआ है। यह राष्ट्रीय मोर्चा जिसका कि आप मखौल उड़ा रहे हैं यह कांग्रेस के ताबूत पर कील ठोंकेगा, इसे आप जान लीजिये ।

महामहिम राज्यपाल महोदय ने जो अपना अभिभाषण दिया, यह परम्परागत भी नहीं है, औचित्यपूर्ण भी नहीं है। बिना औचित्य के और बिना परम्परा के उसे आकर सदन के पटल पर पटका और वापस हो लिये । हमको उत्तर प्रदेश की सरकार से भरोसा था कि महामहिम राज्यपाल अपनी शासन की नीतियों का वर्णन करेंगे जो कि इस पुस्तक में हमें कहीं नहीं मिला । मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि जब वे अपना जवाब दें तो इंगित करें कि प्रदेश की बेरोजगारी, बेवजह बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार, गिरती हुई कानून व्यवस्था के विषय में कोई भी बात महामहिम राज्यपाल ने अपनी सरकार के माध्यम से जिसका कहीं वर्णन नहीं किया है, इस संबंध में वह जरूर प्रकाश डालें ।

महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में सबसे पहले सूखा के विषय को लिया है और इसके माध्यम से उन्होंने साबित करने का प्रयास किया है यह कह करके कि "मेरी सरकार ने इस भीषण सूखे से उत्पन्न समस्याओं से जन साधारण को विशेषकर समाज के निर्बल वर्गों को, सहायता देने के लिये अनेक प्रयास किये हैं और राहत कार्यक्रम बड़ी तेजी के साथ चलाये जा रहे हैं।"

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल, अपनी बात शुरू करने से पहले आप अपने संशोधन को प्रस्तुत कर दीजिए ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, मैं संशोधन प्रस्तुत करता हूं कि प्रस्ताव के अन्त में निम्नलिखित जोड़ दिया जाए–"किन्तु खेद है कि श्री राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में निम्न अभि0 तथ्यों के संबंध में कोई उल्लेख नहीं किया:–

1–प्रदेश के किसानों के साथ हो रहे घोर अन्याय एवं उपेक्षा के संबंध में ।

2–प्रदेश के लगभग डेढ़ करोड़ कपड़ा एवं कालीन बुनकरों की आर्थिक स्थिति सुधारने के संबन्ध में ।

3–प्रदेश में बढ़ती हुई बेतहाशा महंगाई पर नियंत्रण लगाने में विफलता के संबंध में ।

4–प्रदेश में आये दिन बढ़ती हुई बेतहाशा बेरोजगारी के संबंध में ।

5–प्रदेश के राजनीतिज्ञों एवं नौकरशाही में व्याप्त भ्रष्टाचार के संबंध में ।

6–मेरठ में किसानों द्वारा चलाये गये 25 दिनों के धरने के बावजूद किसानों की कोई मांगे न माने जाने के संबंध में ।

7–मुरादाबाद के ग्राम रज्जबपुर थाना रज्जबपुर के लगभग एक दर्जन किसानों की बर्बर पुलिस द्वारा हत्या तथा दर्जनों लोगों के पकड़े जाने की न्यायिक जांच कराने तथा मृतकों को राहत दिलाये जाने के लिए कुछ भी न करने के संबंध में।

8–छात्रों की त्रिवर्षीय डिग्री कोर्स किये जाने के संबंध में तथा अवध विश्वविद्यालय की लखनऊ में खोले जाने के संबंध में ।

9–प्रदेश में बढ़ती हुयी साम्प्रदायिक भावना को समाप्त करने के संबंध में ।

10–शताब्दी के भयंकरतम सूखे में प्रदेश सरकार द्वारा कोई भी कारगर राहत प्रदान न किये जाने के संबंध में ।

11–प्रदेश में बढ़ते हुए पुलिस उत्पीड़न के संबंध में तथा जनता की रिपोर्ट न लिखे जाने के संबंध में ।

12–प्रदेश में लखनऊ के आस-पास भयंकर ओलावृष्टि से किसानों की बर्बादी के बावजूद कोई राहत न दिए जाने के संबंध में ।

13–अनधिकृत रूप से अवैधानिक जलकर व गृहकर की वसूलयाबी को स्वायत्तशासी संस्थाओं के चुनाव होने तक स्थगित न करने के संबंध में ।

14–जेलों में पिछले बीसों वर्षों से निरुद्ध, अतिवृद्ध, विकलांग, अंधे, बीमार, बंदियों को रिहाई एवं उपेक्षा के संबंध में ।

15–गंगाघाट कानपुर में गंगा को घाटों के समीप लाने में सरकार की लापरवाही के संबंध में ।

16–प्रदेश में बिगड़ती हुई शिक्षा व विशेषकर प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा के संबंध में ।

17–प्रदेश के पिछड़ेपन को दूर करने के संबंध में ।

18–20 तारीख को आयोजित की गयी कांग्रेस की रैली में सरकारी साधनों, वाहनों व सरकार तन्त्र के दुरुपयोग के संबंध में ।

19–पिछड़े वर्गों के आरक्षण हेतु मण्डल कमीशन की रिपोर्ट लागू करने अनुसूचित जातियों/विमुक्त जातियों को आरक्षण प्रदान करने के संबंध में ।

20–गन्ने को कीमत का सही भुगतान न किये जाने के संबंध में तथा गन्ने की कीमत बढ़ाई जाने के संबंध में ।

21–प्रदेश कर्मचारियों को केन्द्र, कर्मचारियों के समान वेतन देने के संबंध में ।''

मान्यवर, मैं कह रहा था कि उन्होंने अपने अभिभाषण में सूखे से बात शुरू की है और हमने सूखे पर यह-यह राहत प्रदान की और बाढ़ पर यह-यह किया। जबकि मान्यवर, हर वर्ष प्रदेश के अन्दर सूखे एवं बाढ़ पर सामान्यतया 4.5 अरब रुपयों का नुकसान होता चला आ रहा है और इस वास्तविकता को सरकार ने स्वयं भी स्वीकारा है। और पिछले वर्ष जो सूखा पड़ा उससे प्रदेश को 35 से 40 अरब रुपयों तक का नुकसान हुआ और इस पर जनता को राहत देने के लिए आपने केन्द्र सरकार से 14 सौ करोड़ रुपयों की सहायता मांगी, इसी सिलसिले की मांगें और भी प्रदेश से आयीं, दूसरों के मुकाबले में इसी प्रदेश को कम मिला मांगा तो की थी 14 सौ करोड़ की परन्तु मिला आपको केवल 141 करोड़ रु0। इससे बढ़ कर यह वीर बहादुर सिंह की सरकार की विफलता और क्या होगी? (शोर) और इस 141 करोड़ रु0 में से आपने 93 करोड़ 3 लाख, 61 हजार रु0 तो आपने आवंटित किये सिंचाई विभाग के लिए, व खेतिहर मजदूरों की राहत के लिए रु0 20 करोड़ किसानों की सब्सीडी पर 800 करोड़, तथा पेय-जल के लिए 97 करोड़।

मान्यवर, यह आंकड़े मैं अपनी ओर से नहीं प्रस्तुत कर रहा हूं आपकी सरकार के द्वारा 21 दिसम्बर, 1987 में रिपोर्ट प्रकाशित हुयी है, उसके आधार पर ही प्रस्तुत कर रहा हूं और जो रु0 आपने इन मदों के लिए दिया वह पर्याप्त नहीं है, इसका एक उदाहरण पेय जल के संबंध में दूंगा जिसमें आपने केवल 1 करोड़, 20 लाख रु0 दिया है। इन मदों के लिए दिया वह पर्याप्त नहीं है इसका एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं अभी हाल में चित्रकूट का मेला हुआ जिसमें काफी भक्त-गण आए हुए थे, उसमें दो घंटे तक कोई पानी की व्यवस्था नहीं हो सकी इससे बढ़कर मान्यवर निकम्मेपन की बात और क्या हो सकती है। दूसरी बात आप कह रहे हैं कि हम खेतिहर मजदूरों के लिए बहुत कर रहे हैं और इनके लिए और इस मद में इतने करोड़ रु0 खर्च कर रहे हैं जबकि मान्यवर, लगभग 1 करोड़ की संख्या हमारे यहां के सीमान्त कृषकों व लघु कृषकों की है, जिनमें लघु कृषकों की हालत दिन पर दिन गिरती ही जा रही है क्योंकि उनकी उत्पादन लागत उनकी आमदनी से बढ़ती जा रही है। इस प्रदेश में श्रीमन् 58 लाख तक खेतिहर मजदूर हैं और आज इन 58 लाख की रोटी रोजी का कोई साधन नहीं है, वह सूखे की भयंकर स्थिति से पीड़ित हैं, यह बड़े चिंता का विषय है, श्रीमान् कि आज खेतिहर मजदूर इस स्थिति में आ गया है। उसे साधन मुहैया कराने के नाम पर सरकार ने प्रतिदिन यहां पर रोजगार के साधन देने के लिये कोशिश की बात कही जा रही है। मुख्य सचिव की रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रदेश के अन्दर 79 लाख 47 हजार मानव दिवस सृजित किये गये हैं, लेकिन मान्यवर डेढ़ करोड़ खेतिहर मजदूर हैं। इस प्रकार से डेढ़ करोड़ मजदूरों को प्रतिदिन काम देना चाहिए। आपने उस मजदूर के लिए कुछ नहीं किया है। कोई राहत आप नहीं दे पाये हैं, जिस पर इतना बड़ा संकट आया है। इनकी सरकार के जमाने में जो बजट था, उसके अन्तर्गत 26 लाख 29 लाख का प्रावि-धान किया गया था कि विकास के कार्यों पर खर्च किया जायेगा, लेकिन सरकार ने सूखे के नाम पर 4 अरब की कटौती कर दी और 22 अरब में बजट को सीमित कर दिया है। 7वीं पंचवर्षीय योजना का यह तीसरा साल चल रहा है और आज तक 60 प्रति-शत धन खर्च हो जाना चाहिये था, लेकिन 7वीं योजना का तीसरा साल समाप्त होने को है, और आप केवल 55 प्रतिशत ही खर्च कर पाये हैं।

आप 1988-89 का बजट पेश कर रहे हैं, और उसमें 30 अरब से कम का प्रावधान किया गया है, तो इस कारण से आप 7वीं योजना के लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पायेंगे ।

मान्यवर, उसके लिये यह आवश्यक है कि सूखे के नाम पर जो कटौती की गयी है, भीषण कटौती की गयी है, वह आर्थिक सेवाओं में, बिजली और सिंचाई पर की गयी है और यह कटौती 22 प्रतिशत है और आप दावा कर रहे हैं, कि आप सारे प्रदेश को विकास की ओर ले जा रहे हैं । मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आप विकास के नाम पर विनाश की ओर ले जा रहे हैं । आप कह रहे हैं कि सूखे से युद्ध स्तर पर निबटा जा रहा है ।

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि आप का सारा स्टाफ, कर्मचारी और अधिकारी नसबन्दी के नाम में लगे हुये हैं । इसका कारण यह है कि आप ने उनको लालच दे रखा है और प्रोत्साहन के रूप में आप उनको गाड़ी देंगे कार देंगे, टी0 वी देंगे, इसलिये नसबन्दी के नाम पर सूखे के धन का दुरुपयोग हो रहा है । जो लोग बेसहारा हैं उन लोगों को धन देने के लिये आवंटित किया गया था, वह धन नसबन्दी कराने के लिये प्रयोग कर रहे हैं । मैंने अपने जिले के एस0 डी0 एम0 से पूछा मई, जून और दिसम्बर में कितने केसेज हुये और कितना पैसा दिया गया और जब दोनों की लिस्ट मांगी गयी तो यह मालूम हुआ कि जिन जिन लोगों की नसबन्दी हुई है, उन्हीं को सूखा राहत दी गयी है । आप उन अधिकारियों और कर्मचारियों को मजबूर कर रहे हैं । वह सूखे की राशि को बांटे या नसबंदी का जो लक्ष्य है, उसको पूरा करें । ऐसी स्थिति में मान्यवर हो यह रहा है कि नसबन्दी के आंकड़े फर्जी दिखाये जा रहे हैं ।

मान्यवर, मैं ललितपुर गया था, वहां पर एक मामला मेरे सामने ऐसा आया कि 18 साल के लड़के की नसबन्दी कर दी गयी और जिसकी शादी भी नहीं हुई थी, पुलिस ने पकड़ कर उसकी नसबन्दी कर दी । मान्यवर, कानपुर में पतारा ब्लाक है, जहां पर 600 नसबन्दी के केसेज कराकर देना है । 600 नसबन्दियों के अगेंस्ट आपके डिप्टी सी0 एम0 ओ0 ने 2600 नसबन्दी करके आपसे बहुत बड़ा पारितोषिक लिया है । मैंने पिछले सत्र में एक लिस्ट आपको पेश की थी । उसमें पतारा ब्लाक के 250 लोगों का नाम था । लेकिन उस गांव का कहीं कोई नाम नहीं दिया गया । इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि आपका ध्यान सूखे पर नहीं है, परिवार नियोजन पर है और वह भी फर्जी है । सही मायने में आप वहां के लोगों के लिये कुछ नहीं कर रहे हैं। सब फर्जी काम हो रहे हैं । आपने अल्प बचत योजना को बढ़ाने की काफी कोशिश की किन्तु वह भी घाटे पर चला रहे हैं । उसका घाटा आपने पिछले वर्षों के मुकाबले और बढ़ा दिया है । आप छोटे-छोटे लोगों से अल्प बचत का पैसा लेते हैं । इस वर्ष आपने दुगना कर दिया है । वह कैसे वसूल होगा । लोग सूखे से प्रभावित हैं। उनके पास कोई धन नहीं है कि वह अल्प बचत योजना के अन्तर्गत योगदान कर सकें । जो आपके अधिकारी और कर्मचारी हैं अगर वह बन्दूक का लाइसेन्स लेने आते हैं या कोई सस्ते गल्ले की दुकान के लिये आते हैं तो आप उस पर टैक्स लगा लेते हैं और उसे फिक्स्ड डिपोजिट में डालकर इस अल्प बचत योजना को सफल बनाने का काम

कर रहे हैं । इस तरह से पूरे प्रदेश की सूखे से पीड़ित जनता के सामने आज एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है ।

मान्यवर, मुझे यह भी जानकारी मिली है कि हमारे प्रदेश के अन्दर 141 करोड़ की जो सहायता दी गई वह भी सम्भवत: आपको इन-एडवान्स या नकद नहीं दी गई बल्कि आपसे कहा गया है कि इतना रुपया सहायता के रूप में हम आपको देंगे और आप अपने बजट से अपने हिसाब से इसे खर्च कर लें आपको बाद में मिल जायेगा । इस तरह से जून में आपके मुख्य सचिव की रिपोर्ट के अनुसार केवल 22 फीसदी ही खर्च हो पाया । आप इसकी वाहवाही लूट रहे हैं । आज सुबह ही आप बोल रहे थे और वह डंका पीट रहे थे कि हमने सूखे से प्रभावित लोगों के लिये इतने काम किये हैं । एक आदमी भी यह कहने वाला नहीं है कि सूखे के नाम पर उसे एक पैसा भी मिला हो या राहत मिली हो ।

मान्यवर, हमारे प्रदेश के अन्दर जो गांव हैं उनकी संख्या 98,868 है जिसमें 55 जिले प्रभावित हैं । 57 जिलों में केवल 2 जिले ही छूटा हैं । इनमें 98,868 गांव सूखे से प्रभावित हैं और इनके अन्दर कुल मिलाकर आपकी जो योजना चल रही है वह केवल 5371 योजनायें चल रही हैं । इतने गांवों में केवल 5371 योजनायें चल रही हैं ।

आप हिसाब लगा लें इन योजनाओं के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी कितने लोगों का भला करेंगे, कितने लोग लाभान्वित होंगे । यही इस बात का प्रतीक है कि आप कितनी राहत उन लोगों को दे पा रहे हैं । आप आंकड़ों की खेती करने में खूब माहिर हैं, बहादुर हैं और फर्जी आंकड़ों से यह साबित करने की कोशिश करते हैं कि आप कितनी राहत दे रहें हैं । मान्यवर, प्रदेश के अन्दर जो खरीफ की फसल का कुल क्षेत्रफल है वह 1,19,47,000 हेक्टेयर है जिसमें 46 लाख 62 हजार हेक्टियर बोया नहीं गया था 55 लाख 67 हजार हैक्टियर लोगों की फसल प्रभावित हुई । इतना बड़ा नुकसान हमारे प्रदेश के अन्दर हुआ है । हमारे जो गन्ना किसान थे, आपके जो विशेषज्ञ थे उन्होंने सूखे के नाम पर पाया कि 25 प्रतिशत गन्ना कम हुआ, तब आपका कर्तव्य था कि जो गन्ने की परम्परागत कीमत बढ़ाई वह कोई विशेष नहीं बढ़ाई । गन्ने की कीमत बढ़ाने के लिये कम से कम 25 फीसदी नुकसान को ध्यान में रखना चाहिये गन्ने की कीमत 31, 32 रुपये से कम नहीं होती है । माननीय शर्मा जी खड़े होकर कहे कोई लगान माफ नहीं हुई । जो आपने 250 करोड़ रुपया सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़ाने में खर्च कर दिया इसी तरह बिजली के भाव कम करने में बर्दास्त कर लिया लेकिन उत्तर प्रदेश के किसानों ने अपने रेवेन्यू माफ के लिए मांग की जो सूखे से पीड़ित हैं जिसमें मात्र 12 करोड़ रुपया आता है उसके लिये आप तैयार नहीं है । उसमें आपने कहा कि वसूलयाबी नहीं कर रहे हैं, उसमें वसूली में सख्ती नहीं करेंगे । हमारे पास ऐसे प्रमाण हैं सत्ता पक्ष के लोगों के पास भी होंगे वह एहसास कर रहे हैं विपक्ष के लोग भी एहसास कर रहे हैं सूखा पीड़ित जनता से वसूलयाबी मुलतवी नहीं हो रही है, आपके अधिकारी वसूलयाबी कर रहे हैं, इसी तरह बच्चों की फीस माफ नहीं हुई है । किसानों की मांग है कि उनसे सिंचाई की वसूलयाबी न की जाय । अगर आप यह सब करते तो उनकी असली मदद होती । लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है क्योंकि उसमें कमीशनबाजी

नहीं चलती है । अगर लगान माफ कर देते, बच्चों की फीस माफ कर देते, सिंचाई की वसूलयाबी नहीं करते तो इससे सूखा पीड़ित किसानों की प्रत्यक्षरूप से मदद होती । लेकिन आप इन कामों के पक्ष में नहीं है क्योंकि उसमें कमीशनबाजी अच्छी नहीं होती है । आपके अधिकारी जिस काम में कमीशनबाजी अच्छी होती है उसमें ज्यादा रुचि रखते हैं इसलिये सूखा पीड़ित जनता की कोई राहत नहीं मिल पा रही है ।

मान्यवर, हमारे प्रदेश में 40 साल की आजादी के बाद भी पैदावार अन्य राज्यों के मुकाबले अच्छी नहीं है । आप दावा कर रहे हैं दो करोड़ टन खाद्यान भण्डार का तो वह कहां है । आप आज उसके खत्म होने की सीमा पर आ चुके हैं, खाद्यान भंडार खाली होने को है उसमें आप पूरा नहीं कर रहे हैं । आज आप बिलकुल सीमा रेखा पर आ गये हैं । इसका मुख्या कारण क्या है इस पर सोचें इसमें कहीं न कहीं आपकी नीति में कमजोरी है । 40 वर्षों की आजादी के बाद भी हम अन्य प्रदेशों से पीछे हैं प्रति व्यक्ति आय में 1 राष्ट्रीय आय में 1950 में हमारा उत्तर प्रदेश की आय राज्यों से अधिक थी । हमारे पास आंकड़े हैं लेटैस्ट आंकड़े हमें नहीं मिल पाये राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय में हम पीछे होते गये हैं । सन् 50 में हमारे प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय से 12 रु0 अधिक थी आज जो हमारे पास आंकड़े हैं उसको मैं बताना चाहता हूं उसमें उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 1313 है अन्य राज्यों की इस प्रकार है –

आंध्र प्रदेश 1536, आसाम 1380, बिहार 995, गुजरात 2111, हरियाणा 2581, जम्मू काश्मीर 1630, कर्नाटक 1458, केरल 1312, महाराष्ट्र 2519, उड़ीसा 1308, पंजाब 3122, राजस्थान 1417, पश्चिम बंगाल 1595, उत्तर प्रदेश जिसका मैंने बताया 1313 उसमें हम जो हैं उसमें बिहार 995 और उड़ीसा 1308 हैं । केवल यही दो राज्य हमसे पीछे हैं ।

इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश विकास की दृष्टि से भी बहुत पीछे है उसका भी हमारे पास सबूत है । माननीय मुखराम जो इनके केन्द्र के मंत्री हैं उन्होंने 12 मार्च को पार्लियामेंट में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा है 1985 के आंकड़ों के आधार पर हमारे देश में 26 करोड़ 10 लाख लोग गरीबी की रेखा से नीचे हैं । इस प्रकार सबसे ज्यादा गरीबी आपके प्रदेश के अन्दर है क्योंकि 2600 करोड़ 10 लाख लोगों में 5 करोड़ 30 लाख लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं । इसके विपरीत बिहार में 3.65 करोड़, हरियाणा में 3.1 करोड़, महाराष्ट्र में 2.92 करोड़, पंजाब में 24.4 लाख, राजस्थान में 1.26 करोड़ और पश्चिमी बंगाल में 2.25 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे हैं । इस तरह से साबित होता है कि हमारा प्रदेश प्रति व्यक्ति आय में पीछे हैं और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग हमारे प्रदेश में ज्यादा हैं । मान्यवर, शिक्षा के नाम पर बिहार को छोड़कर हमारा प्रदेश सबसे पीछे है । भारत के प्रधान मंत्री जब यहां आये थे तो उन्होंने घोषणा किया कि हमारा प्रदेश हर क्षेत्र में तरक्की कर रहा है वर्तमान सरकार के नेतृत्व में । तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि हमारा प्रदेश किस क्षेत्र में तरक्की कर रहा है, इसको अवश्य बतायें ? आंकड़े ही न दें कि 61 फीसदी सिंचाई का टारगेट प्राप्त कर लिया है बल्कि शिक्षा के क्षेत्र में क्या तरक्की किया इसको अवश्य बतायें ।

मान्यवर, इन तमाम मसलों के संबंध में मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में ढूंढने की कोशिश किया लेकिन इनके संबंध में कुछ नहीं मिला कि राज्य सरकार इस नीति पर चल रही है । मान्यवर पिछड़ेपन के कई कारण बताये गये है । इस संबंध में कुछ लोग कहते है कि हमारे प्रदेश का पिछड़ापन इसलिये है कि इस प्रदेश की आबादी बहुत ज्यादा है । प्रश्न यह पैदा होता है कि प्रदेश की आंवादी बढ़ रही है तो किस प्रदेश से बढ़ रही है, किससे ज्यादा बढ़ रही है । मान्यवर, प्रदेश की आवादी बड़ी है तो प्रदेश भी तो बड़ा है इसलिये आबादी यहां की बड़ी है । देखना है कि प्रति व्यक्ति आय, प्रति हेक्टेयर पैदावार और प्रति किलोमीटर वर्ग में हमारे प्रदेश में जो घनत्व आबादी का है उससे ज्यादा क्या दूसरे प्रदेशों में है । ऐसे उदाहरण मौजूद है जहां दूसरे प्रदेश में आबादी का घनत्व हमसे ज्यादा है लेकिन फिर भी वहां पर इतना पिछड़ापन नहीं है, इतनी गरीबी नहीं है जितनी हमारे प्रदेश में है । इसलिये यह कहना कि हमारे प्रदेश की आबादी अधिक है इसलिये पिछड़ापन है यह कारण सही नही हो सकता है और मुख्य कारण यह नहीं है । मान्यवर, आप सहारा लेते है कि केन्द्र सरकार से हमें समुचित सहायता नहीं प्राप्त होती है जितनी कि अन्य प्रदेशों को मिलती है । मैं कहना चाहूंगा कि यदि समुचित सहायता नहीं मिलती है तो आपको विपक्ष का सहयोग लेना चाहिए । आपकी विफलता का यह भी परिचायक है कि आप प्रदेश के लिए केन्द्र सरकार से अब तक समुचित सहायता नहीं प्राप्त कर सके । सूखे में भी समुचित सहायता नहीं ले पाये है ।

मैं आंकड़ों के माध्यम से साबित करूंगा कि आपकी छठी पंचवर्षीय योजना जो समाप्त हो चुकी है उसमें आप देखें कि कितनी केन्द्रीय सहायता आपको मिली अन्य प्रदेशों की तुलना में । मान्यवर, यू0 पी0 के लिये 4302 करोड़ रुपये, आन्ध्र प्रदेश के लिये 5404 करोड़, मध्य प्रदेश के लिये 4710 करोड़, बिहार के लिये 4162 करोड़, महाराष्ट्र के लिये 4901 करोड़ रुपये मिले । इस प्रकार छठी पंचवर्षीय योजना में यू0 पी0 की अपेक्षा अन्य राज्यों को अधिक सहायता मिली है लेकिन हमारे प्रदेश को नहीं मिली है ।

इसलिये बताया जाता है कि यहां पिछड़ापन और गरीबी है चूंकि केन्द्र से सहायता नहीं प्राप्त कर पाये । तो यह सही है कि पिछड़ेपन का यह भी एक कारण है । लेकिन मूल कारण पर जब तक आप चिन्तन नहीं करेंगे, जिससे पिछड़ापन है कि आजादी के 40 वर्षों बाद भी आजतक पिछड़ापन है, तबतक इसका निदान नहीं कर पायेंगे और गरीबी यहां से नहीं समाप्त कर पायेंगे । इसलिये इसको समाप्त करने के लिये हमारे राष्ट्रीय नेता चौधरी चरण सिंह ने जो आपको एक आर्थिक चिंतन दिया, आर्थिक नीति दी इस प्रदेश और देश के लिये भले सत्ता में या हमारे दल में रहकर आर्थिक नीति दी लेकिन उनकी आर्थिक नीति जो है उससे हर व्यक्ति को सहमत होना पड़ता है और हर सही व्यक्ति यह महसूस करता है इनका जो मौलिक चिन्तन था, वह सही मायनों में देश की विकास की ओर ले जाने वाला था और इस देश की आवश्यकता के अनुसार वही एक सही कहना था । हमारे शर्मा जी ने अपने भाषण में अभी मुख्यमंत्री जी को किसानों का मसीहा बताया, किन्तु मैं कहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री जी आप किसानों और मजदूरों के पक्के दुश्मन है । आप उनके हित की बात नहीं सोचते है, आप

केवल पूंजीपतियों के हक और हित की बात सोचते हैं । किसानों का मसीहा कहलाने का अगर किसी को हक है तो वह केवल चौधरी चरण सिंह जी को है, किसी और को यह हक नहीं है ।

(कई सदस्यों द्वारा गन्ना के संबंध में पूछने पर)

गन्ने पर भी आऊंगा जो कहना है कह लीजिए । यह हक चौधरी जी को है जो धरती के पुत्र हैं, जो कि वास्तव में किसानों के मसीहा हो गये हैं न कि बीर बहादुर सिंह जी को यह हक़ हो सकता है । भले ही इनके मन में उनका मसीहा बनने की इच्छा हो, कोई तमन्ना हो, लेकिन जो इनकी नीतियां हैं वह उनका कोई हित नहीं कर पाती हैं । हमें बड़ी खुशी होगी कि यदि आप यह बताएंगे कि आपने प्रदेश के किसानों को सूखे से पीड़ित किसानों की सहायता करने के लिए क्या-क्या कार्य कर पा रहे हैं । खास कर चौधरी साहब ने कहा है कि हमारे प्रदेश का विकास तभी होगा जबकि हम इसके सही कारणों का पता लगा लें और उन्होंने कहा है कि हमारे नेता केवल नारा लगाना जानते हैं, नारा लगाना चाहते हैं और उस पर चुनाव जीतना चाहते हैं । उत्तर प्रदेश के चुनाव तो आपने जीते हैं और जीतते रहे हैं, लेकिन इससे उत्तर प्रदेश की धरती का विकास नहीं हो सकता है । इसके लिए तो आपको मौलिक चिंतन करना पड़ेगा ।

चौधरी साहब ने कहा था कि अबतक सारी दुनियां इस बात का विश्वास करती है कि जब तक किसी देश और प्रदेश की खेती की पैदावार नहीं बढ़ेगी वह देश और प्रदेश विकसित नहीं हो सकता है । खेती की पैदावार बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक है । इसके लिए एक फारमूला उन्होंने बनाया था कि प्रति हेक्टर या प्रति एकड़ खेती की पैदावार अच्छी तब होगी जब उस पर काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या कम होगी । इसके लिए उन्होंने बताया था कि हमारे लिए जो सबसे बड़ा विकास शील देश अमेरिका है, सन् 1950 में वहां पर केवल 100 पर 13 आदमी खेती पर काम करते थे, जो हमारे मुल्क हिन्दुस्तान से कई गुना रइंस देश है । उनका यह प्रतिशत घटते-घटते आज वहां पर केवल 5 प्रतिशत आदमी खेती में काम करते हैं और उनकी आमदनी और उनके देश की आमदनी बेतहाशा बढ़ी है । यह हमारा सिद्धान्त नहीं, चौधरी चरण सिंह का सिद्धान्त था ।

अब हमारा देश आजाद हुआ, हमारे देश में 70 फीसदी आदमी प्रत्यक्ष रूप से खेती पर काम करते थे, 10 प्रतिशत आदमी अप्रत्यक्ष रूप से यानि खेती पर मुनस्सर चीजों पर काम करते थे और 20 फीसदी आदमी एसे थे जो खेती से अलग काम किया करते थे । हमारे देश के लीडरों ने इसे और तेज कर दिया और देश में उन्होंने इस बात पर बल दिया, उद्योगपतियों से कहा, गिद्यार्थियों से कहा, व्यापारियों से कहा, छोटे-छोटे धन्धे करने वालों से कहा कि खेती पर आओ, खेती करो, उससे बहुत ज्यादा मुनाफा है । उनको खेती करने के लिए नेताओं द्वारा तरह-तरह से उकसाया गया । उसका नतीजा यह हुआ कि हमारे दाश में खेती की उपज प्रति एकड़ नहीं बढ़ी, लोगों की संख्या उस पर बेतहाशा बढ़ी । वह जो चिन्तना चौधरी साहब ने दिया था वह उल्टा हो गया और प्रदेश में जो तरक्की होनी चाहिए थी, वह नहीं हुई है । उन्होंने कहा था

जापान एक छोटा मुल्क है, उसमें पांचवा हमारे देश का हिस्सा है, उसमें खेती पर काम करने वाले बहुत लोग हैं । लेकिन जापान ने जितनी बड़ी तरक्की की उतनी तरक्की हमारा हिन्दुस्तान नहीं कर पाया । हमारे देश के कर्णधारों ने देश के आजाद होने के बाद सबसे बड़ा बल दिया बड़े-बड़े उद्योगों के ऊपर । चौधरी साहब ने छोटे-छोटे उद्योग धन्धों पर बल दिया है । खेती अच्छी होगी तो रा मैटीरियल अच्छा मिलेगा । आज देश कपास के लिए दुखी है आपका बुनकर दुखी है । जब बड़ी इण्डस्ट्री को चलाने के लिए रा-मैटीरियल मिल सकेगा तो खेती भी अच्छी होगी और इससे किसानों की स्थिति भी अच्छी होगी । जो भी बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्री से पैदा होगा उसका विक्रय अच्छी तरह से होगा । लेकिन हमारे प्रदेश के अन्दर बड़ी-बड़ी इन्डस्ट्री तो लगाई गई लेकिन खेती पर बल नहीं दिया गया, क्योंकि चमक-दमक इन्डस्ट्री की होती है । जो स्पेक्टेकुलर चीजें हैं वह तो इण्डस्ट्री से दिखेंगी, खेती में तो चमक-दमक होती नहीं है इसलिए खेती की तरफ से ध्यान हटा दिया गया ।

जबकि चौधरी साहब का कहना था कि बड़े-बड़े उद्योगों को न लगाकर छोटे-छोटे उद्योग लगाये जाएं तो बेरोजगारी की समस्या का भी समाधान हो सकता है और जो हमारे देश का हमारी सरकार का बहुत सारा धन बड़े-बड़े उद्योगों में लग जाता है वह नहीं लगेगा । उन्होंने कहा था कि जब देश आजाद हुआ तो बड़े उद्योगों से आय 16.4 थी उसके बाद वह 16.9 हो गयी और अब मान्यवर, बड़े उद्योगों से आय 20 परसेन्ट से ज्यादा नहीं है । बड़े-बड़े उद्योगों से लाभ पाना चाहते हैं तो यह नहीं हो सकता है । मैं भरोसा करता था, मैं सोचता था कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कुछ इस तरह की बात लिखी होगी जिससे मालूम होगा कि प्रदेश का विकास किस तरह से हो सकता है, लेकिन उन्होंने यह सब न कहकर कहीं बता दिया कि यूद्ध स्तर पर हमारी सरकार यह कार्य कर रही है कहीं पर उन्होंने कह दिया कि पीली-भीत में कारखाना खोल दिया गया है । इस तरह की छोटी-छोटी बातें उन्होंने अपने अभिभाषण में लिख दीं ।

उन्होंने देश के विकास में गति प्रदान करने की कोशिश नहीं की । मान्यवर, महात्मा गांधी ने यहां तक कहा था कि जो केमिकल फर्टीलाइजर है उनके स्थान पर गोबर की खाद इस्तेमाल करनी चाहिए । उस समय जवाहर लाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि "इज इट ए काउ डंम एज" । आपके प्रदेश के पास पैसा नहीं है और आप दूसरी जगह से कर्जा लेते हैं । आप कर्जा लेने के बाद देश को कैसे सही रख सकेंगे । हमारे देश में जन्म लेने वाला हर शिशु 2100 रु0 कर्जदार होता है । आपने दूसरे देशों से इतना कर्जा ले रखा है, जिसकी वजह से देश आगे नहीं बढ़ रहा है । आपने पुरानी परम्पराओं को पीछे छोड़ दिया है ।

मान्यवर, ह्यूमन फैक्टर के बारे में चौधरी साहब ने विशेष बल दिया है और उस संबंध में खासकर पंजाब का उदाहरण दिया है । चौधरी साहब कहते हैं कि पंजाब में विकास की दर प्रति व्यक्ति सबसे ज्यादा है । उतनी विकास दर हमारे प्रदेश में नहीं है । उन्होंने जापान की बात कही है कि वहां पर जो ह्यूमन फैक्टर

है, जो व्यक्ति विशेष है वह ज्यादा मेहनत करता है, परिश्रमी है। हमारे देश और हमारे प्रदेश में विकास की दर उतनी नहीं है क्योंकि हमारे यहां ह्यूमन फैक्टर इतना परिश्रमी नहीं है जिसका अंजाम है कि प्रदेश तरक्की नहीं कर रहा है । मान्यवर, इसी तरह से चौधरी साहब ने खेती की उत्पादकता को बढ़ाने पर बल दिया है । उन्होंने इस बात पर बल दिया है खेती पर जितने कम लोग इन्वाल्व होंगे उतना ही विकास प्रदेश का जल्दी होगा । छोटे-छोटे उद्योग धंधों पर उन्होंने विशेष रूप से बल दिया और गोबर की खाद जैसी चीजों पर उन्होंने बल दिया जो हमारे प्रदेश की स्थिति के मुताबिक हैं । मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं । प्राइमरी एजूकेशन पर भी चौधरी साहब ने बहुत बल दिया है ।

एक बात इस संबंध में मैं और कहना चाहूंगा कि अवध विश्वविद्यालय से, लखनऊ विश्वविद्यालय से जितने भी महाविद्यालय एफीलियेटेड थे वह अवध विश्व-विद्यालय फैजाबाद से एटेच कर दिये गये हैं । वहां पर 3 वर्ष का डिग्री कोर्स हो गया है । मैं समझता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी, मंत्रीगण और माननीय विधायक गण इस कठिनाई को नहीं समझ पा रहे हैं । सूखे का समय गरीब किसान अपने लड़के को कैसे पढ़ा रहा है यह वही जान सकता है आपने कोर्स 2 के बजाय 3 वर्ष करके उसके ऊपर कितना भार बढ़ा दिया है । इससे उसको क्या लाभ मिला है सिवाय इसके कि आपने उस पर एक वजन लाद दिया है और एक साल के बहुमूल्य समय को बर्बाद कर दिया । यह आपने कैसी व्यवस्था बनायी है और कैसी नीति बनायी है । मैं आपके माध्यम से मांग करूंगा कि आप इस पर पुनर्विचार करें और लखनऊ विश्वविद्यालय के जितने महाविद्यालयों को अवध विश्वविद्यालय से एफीलिएट किया है उनको लखनऊ विश्वविद्यालय से पुनः अटेच करें ताकि जो विद्यार्थी हैं उनको फैजाबाद और दूसरी जगहों पर न जाना पड़े और तीन साल का डिग्री कोर्स न अपनाना पड़े ।

मुख्य मंत्री (श्री वीर बहादुर सिंह)–

आपकी बगल में जो बैठे हैं वह इसके बारे में जानते हैं ।

श्री सत्यपाल सिंह–

हमारी बगल में कुशवाहा जी बैठे हैं, उनमें कुछ सुनना चाहते हों तो सुनवा दूं ।

श्री भगवानदीन कुशवाहा–

आप हमारे यहां घोषणा कर आये थे कि तहसील खोली जायगी लेकिन आज तक नहीं खोली गयी है ।

श्री सत्यपाल सिंह–

चौधरी साहब ने जापान का उदाहरण दिया था कि जापान ने प्राइमरी एजूकेशन में बहुत तरक्की की है । चौधरी साहब इस मान्यता के थे कि जिस देश और प्रदेश की प्राइमरी एजूकेशन अच्छी होगी, हालांकि आपको यह सुनकर अजीब लगेगा, जिस देश और प्रदेश की प्राइमरी एजूकेशन अच्छी होगी उस देश के अन्दर गरीबी हो नहीं सकती है । हमारे प्रदेश के अन्दर प्राइमरी एजूकेशन की हालत बदतर है ।

प्रधानमंत्री यहां बेगम हजरत महल पार्क में आकर कह जाते हैं कि 200 नवोदय विद्यालय खोलेंगे और उनकी पालिसी को कार्यान्वित करने के लिये प्रदेश में 19 नवोदय विद्यालय खोले गए हैं उनमें आपके बच्चे और देहरादून में आपके बच्चे पढ़ सकते हैं लेकिन हमारे जैसे लोग बच्चों को नवोदय विद्यालय में पढ़ा नहीं सकते ।

श्री वीर बहादुर सिंह–

आपके बच्चे भी बाहर पढ़ते हैं ।

श्री सत्यपाल सिंह–

देहात के बच्चों का नवोदय विद्यालयों से कोई वास्ता नहीं है । आज प्रदेश के अन्दर सबसे ज्यादा जरूरत अच्छी प्राइमरी शिक्षा देने की है । आपने विश्वविद्यालय कायम किया है अच्छी बात है चौधरी साहब कहते थे कि विश्वविद्यालय कायम होना अच्छी बात है, शिक्षा बढ़ेगी । लेकिन विश्वविद्यालय किसी पालीटिकल एरपज, राजनीतिक कारण से कायम नहीं होना चाहिये और वास्तविक आवश्यकता के आधार पर कायम होना चाहिये तभी हित होगा अन्यथा प्रदेश का हित नहीं होगा । आज शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है । विद्यालयों में छात्र पढ़ना नहीं चाहते हैं और कोई उन्हें पढ़ाना नहीं चाहता है । जिस भावना की शिक्षा में आवश्यकता थी उसमें आज कोई विकास नहीं हो रहा है जिससे शिक्षा का स्तर गिर रहा है । और हमारे प्राइमरी एजूकेशन की स्थिति इतनी खराब हो गयी है कि आज हमारे कई हजार विद्यालय एसे हैं, जहां पर ब्लैक बोर्ड नहीं है, बच्चों को बैठने के लिए टाट-पट्टी नहीं है । लेकिन यह सरकार उन प्राइमरी स्कूलों की हालत सुधारने के लिए कोई ध्यान नहीं दे रही है, बल्कि 5 हजार प्राइमरी स्कूल तो एसे हैं प्रदेश के अन्दर जो कि बिल्कुल जीर्ण-शीर्ण अवस्था में चल रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय नेता विरोधी दल, आप आज समाप्त करना चाहते हैं या कल जारी रखेंगे ?

श्री सत्यपाल सिंह–

इसे मान्यवर, कल जारी रखेंगे, लेकिन 7 बजे तक और बोल लूं, ताकि कुछ काम आज ही निपट जाय ।

मान्यवर, हमारे प्रदेश के अन्दर जूनियर बेसिक शिक्षा के लिए वर्ष 1985-86 के तहत संस्थायें हैं 73 हजार, शिक्षक हैं 255 हजार, विद्यार्थी (बालक) हैं 7960 हजार, बालिकायें हैं 4013 हजार । सीनियर बेसिक शिक्षा के लिए वर्ष 1985-86 के तहत संस्थायें हैं 15 हजार, शिक्षक हैं 75 हजार, विद्यार्थी (बालक) हैं 1677 हजार, बालिकाएं हैं–549 हजार । उच्चतर माध्यमिक शिक्षा के लिए संस्थायें हैं– 6 हजार, शिक्षक हैं–122 हजार, विद्यार्थी (बालक) हैं–3276 हजार, बालिकाएं हैं–1048 हजार । ये आंकड़े हमने इसलिए दिये हैं कि इनमें कुछ संस्थायें एसी हैं जो कि बिलकुल जरजर अवस्था में हैं, उनको सुधार करना अत्यन्त आवश्यक है । ये इक्कीसवीं सदी में घुसने की बात कर रहे हैं । ये प्राइमरी एजूकेशन पर कोई बल नहीं दे रहे हैं ।

जिस प्रदेश के अन्दर आंकड़े यह बता रहे हैं कि प्रदेश के अन्दर 27 फीसदी केवल पढ़े-लिखे लोग हैं, इसको दूर करने की कोई कोशिश नहीं की गयी । जहां तक दोहरी शिक्षा व्यवस्था की बात है, बड़े-बड़े अफसरों, बड़े-बड़े पूंजीपतियों के बच्चे देहरादून, लामार्टीनियर आदि स्कूलों में पढ़ रहे हैं । 80 फीसदी जनता देहातों में रहती है और उसमें भी 60 फीसदी लोग ऐसे हैं, जिनके पास कोई सहारा नहीं है, यह सरकार उनकी किसी भी प्रकार से तरक्की के लिए कुछ नहीं कर रही है, जिसका अंजाम यह हो रहा है कि हमारे प्रदेश के अन्दर जो भी प्राइमरी स्कूल हैं, उनमें केवल 27 फीसदी बालक ही रहते हैं जिनमें केवल 5 फीसदी ही पढ़ पाते हैं । इस तरह से मान्यवर, आप देखें कि शिक्षा की कितनी दुर्दशा हो रही है । जहां पर दोहरी शिक्षा व्यवस्था चल रही है, पढ़ाने वाले मास्टर साहब स्कूल में आते ही नहीं हैं, स्कूलों में छत नहीं है, दूसरी तरफ अंग्रेजी विद्यालय हैं और आप कहते हैं कि कम्पेटीशन होगा, तो इस तरह से माननीय मुख्य मंत्री जी आपके बच्चे का मुकाबिला हो सकता है, जबकि आपके बच्चे देहरादून में पढ़ रहे हैं । नहीं मुकाबला हो सकता है वहां की शिक्षा में और यहां की शिक्षा में बड़ा फर्क है और इस प्रदेश के अन्दर तक आरक्षण करना होगा जब तक आप समान शिक्षा व्यवस्था नहीं करते हैं । समान शिक्षा व्यवस्था पर चौधरी साहब ने बल दिया था उनकी बातों को आपको मानना चाहिए । अगर राज्यपाल महोदय ने कुछ बाते लिखी होती कि उन्होंने शिक्षा व्यवस्था की दुर्दशा को देखा और इस पर विचार किया है । आप देख लीजिए जो प्राइमरी स्कूल है इसमें महसूस किया होगा कि करीब करीब 4500 ऐसे विद्यालय हैं जो अनुदान सूची में नहीं आये हैं, आप शिक्षा का विकास कर रहे है, ग्रान्ट इन एड पर कोई विद्यालय नहीं ले रहे हैं हमारे बर्क साहब बैठे हुए हैं इनका सम्भल में एक डिग्री कालेज है उसका 84 से इनडाउमेन्ट जमा है महात्मा गांधी डिग्री कालेज में हिन्दी और उर्दू दोनों में । 84 के बाद से परमीशन नहीं दे पाये कि यह हिन्दी और उर्दू की कलासेज खोल लें । ग्रान्ट इन एड पर खाता ही बन्द कर रखा है । आप किसी को नए कलासेज खोलने का मौका नहीं दे रहे हैं जबकि सारी चीजें पूरी कर रहे हैं । आपके जूनियर हाई स्कूल के टीचर्स कहते हैं कि हमारा पैसा बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से भुगतान होना चाहिए ।

हरिजनों के लिए जो विद्यालय चलाए जा रहा है ऐसे करीब-करीब आपके प्रदेश के अन्दर काफी विद्यालय हैं और इन विद्यालयों के अन्दर करीब 900 ऐसे विद्यालय है जिनका पिछले 3 सालों से अनुदान बन्द कर रखा गया है । इसके अलावा लड़कियों की शिक्षा की सुविधा नहीं दे रहे । न बच्चों की फीस माफ कर रहे है न हरिजनों व उसके शिक्षकों को सुविधा दे रहे हैं । इस तरह से शिक्षा के जग में माननीय मुख्य मंत्री जी आपका कार्यकाल एक काला युग है जो कोई राहत नहीं दे रहे हैं ।

श्री वीर बहादुर सिंह–

आपका जैकेट काला है इसलिए काला दिखलाई देता है ।

श्री सत्य पाल सिंह–

हमारा जैकेट ही काला है लेकिन हमारा दिल काला नहीं है आपका दिल काला है इसलिए इस प्रदेश की यह हालत हो रही है ।

श्री उपाध्यक्ष–

किस-किस का काला देख लिया है । (हंसी)

श्री सत्य पाल सिंह–

मान्यवर, मुख्य मंत्री का ही देख लिया है । मान्यवर, पूरे अभिभाषण के अन्दर महंगाई का कोई तस्किरा नहीं किया गया है जबकि आप भी महसूस कर रहे होंगे कि महंगाई बढ़ी है । इसके लिए मैं आपकी सरकार को ही दोषी नहीं कहता हूं यह ऐसी बात है जिसके लिए हमारी केन्द्र सरकार भी दोषी है । अभी मधु दण्डवते ने बलिया में कहा था कि बजट आने के पहले ही दाम बढ़ गए । 2000 रुपए प्रति टन खाद्य तेलों के दाम बढ़ गए, लेवी चीनी के दाम 25 पैसे प्रति किलो और कोयले के दाम 28 रुपए प्रति टन बढ़े हैं और एक रुपया पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए । यह केन्द्र सरकार ने बढ़ाए हैं । यह कहा था कि शादी के पहले ही बच्चा पैदा हो गया (हंसी) यह मैंने नहीं कहा यह मधु दण्डवते ने कहा । शकर के, तेल के खाद्य तेल के दाम बढ़े हैं, इस प्रदेश की हर उपभोक्ता वस्तु के दाम बढ़े हैं । जिसकी वजह से सामान्य नागरिक त्रस्त है । इसके लिए जितनी भी निन्दा की जाय कम है । पेट्रोल के दाम जो हमारे प्रधान मंत्री राजीव गांधी हैं ने 3 साल में 3 बार दाम बढ़ा दिए पहले 20 पैसे प्रति लीटर फिर 54 पैसे बढ़ाया, बड़ा शोरगुल हुआ तो 11 पैसे कम कर दिया और अबकी बार सबसे ज्यादा एक रुपया बढ़ा दिया । दुनिया में सब जगह पेट्रोल के दाम घटे हैं तो आपके यहां दाम बढ़े हैं । इससे बड़ी शर्म की बात और क्या हो सकती है । हमारे देश में जितनी महंगाई पेट्रोल और डीजल में बढ़ रही है, दूसरे किसी मुल्क में इतने दाम इसके नहीं बढ़े हैं ।

आज मैंने अखबार में पढ़ा परिवहन विभाग का भी किराया बढ़ने जा रहा है ।। अगर पेट्रौल और डीजल के दामा बढ़ेंगे तो किराया तो बढ़ेगा ही बसों का । केन्द्र सरकार क्या कर रही है । अपने ताबूत में आखिरी कील ठोक रही है । आज रेलवे का दाम बढ़ा है । फर्स्ट क्लास को छोड़ दिया और सेकेण्ड क्लास को ठीक दिया । प्लेटफार्म टिकट एक रुपये से बढ़ाकर ढेढ़ रुपया कर दिया । स्टैम्प के दाम बढ़ा दिये । जहां-जहां गुन्जाइश थी, वैसे तो गुन्जाइश है ही नहीं, बगैर गुन्जाइश के अपनी आखिरी मौत के लिए ये एलार्म बजा रहे हैं । इतना जघन्य काम ये जनता के ऊपर करते जा रहे हैं । आप इन चीजों की ओर ध्यान दें । क्या हालत कर दी है । मैं आजादी से पहले के सन् 40 से 45 के बीच के कुछ आंकड़े दे रहा हूं । उस समय गन्ना तीन आने मन था, चीनी थी 3 आने सेर, किदवई फार्मूला के हिसाब से, गेहूं एक रुपए का बारह सेर, चावल एक रुपए का आठ सेर, देशी घी एक रुपये का दो सेर . . .

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

ये पैदा होने से पहले की बात कर रहे हैं ।

श्री सत्य पाल सिंह–

सन् 40-45 में सोना 30 रुपए तोला था और आज . . . .

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

मजदूरी क्या थी, यह भी बता दें ।

श्री सत्य पाल सिंह–

मान्यवर. अब आप सन् 50 से 88 के बीच के दाम देख लें । सन् 50 में गेहूं था आठ आने सेर और सन् 88 में है 3 रुपए प्रति किलो । चावल सन् 50 में था 10 आने सेर और अब है 6 रुपए किलो । दूध था 3 आने सेर जो अब 6 रुपए प्रति किलो हो गया है। चीनी 12 आने सेर थी जो अब खुले बाजार में 6.50 रुपए प्रति किलो हो गयी है । दाल जो 12 आने प्रति सेर थी वह अब 11-12 रुपए प्रति किलो हो गयी है सरसों का तेल 32 रुपए प्रति किलो हो गया है, लाल मिर्च 2 रुपए सेर थी जो अब 20 रुपए किलो हो गयी है । देसी घी जो 3.50 रुपए सेर था, वह अब 65 रुपए किलो हो गया है। नमक 2 आने सेर था जो अब 2.50 रुपए प्रति किलो हो गया है । इस प्रकार जो भाव बढ़ रहे हैं, इसका अंजाम है कि गेहूं का मूल्य 20 गुना बढ़ गया है और किसान के प्रयोग में आने वाली चीजों की कितनी कीमतें बढ़ी हैं । किसान जो उत्पादन करता है उसके उपयोग में आने वाली चीजों की कीमतें उससे कहीं ज्यादा बढ़ी हैं । येहूं का मूल्य बढ़कर 20 गुना, चावल का मूल्य 22 गुना, देशी घी का मूल्य बढ़कर 100 गुना, सोने का मूल्य बढ़कर 125 गुना हो गया है । सोने का मूल्य तो जैसा कि मैंने बताया कि 40-45 में 30 रुपये तोला था, वही सोना 10 साल पहले 640 रुपए का 10 ग्राम था, जो 87 जनवरी में 2400 रुपए का 10 ग्राम हो गया और दिसम्बर में इसी सोने के दाम बढ़कर 3900 रुपये का 10 ग्राम हो गया। ये दाम आपके कार्यकाल में बढ़े हैं। 87–88 में सोने का भाव बेइंतहा बढ़ा है, आपके कार्यकाल में बढ़ा है, कोई चैक नहीं हो पा रहा है। पिछले सालों के अन्दर जो आपका कार्यकाल रहा है, आपके मुख्य मंत्रित्व काल में सरसों के तेल के दाम 16 रु0 किलो से बढ़कर 32 रु0 किलो पहुंच गए हैं।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी–

22-23 रु0 किलो हैं ।

श्री सत्य पाल सिंह–

रिफाइन्ड तेल 27 रु0 किलो से बढ़कर 41 रु0 किलो हो गया है । वनस्पति घी 20-25 रु0 प्रति किलो से बढ़कर 30 रु0 प्रति किलो हो गया । लहसुन 16 रु0 किलो से बढ़कर 40 रु0 किलो हो गया है । प्याज 2 रु0 किलो से बढ़कर 4.50 रु0 किलो हो गया है । दाल अरहर 6.50 रु0 प्रति किलो से बढ़कर 12 रु0 प्रति किलो हो गयी है । चावल 4 रु0 किलो से बढ़कर 7 रु0 हो गया है । देशी घी 30 रु0 से बढ़कर 65 रु0 प्रति किलो हो गया है । इस रिकार्ड तोड़ महंगाई का अंदाजा शायद आपको महसूस नहीं होगा, माननीय सदस्यों को महसूस नहीं होगा लेकिन आगे होली का अवसर आ रहा है केवल किसान ही परेशान नहीं है बल्कि कर्मचारी वर्ग

भी दुखी हैं और परेशान हैं कि इस होली में अपने बाल-बच्चों के छोटे-मोटे कपड़ों का इन्तजाम वह कैसे कर सकेगा । इस रिकार्ड तोड़ महंगाई से प्रदेश का हर नागरिक बुरी तरह से प्रभावित है ।

इस महंगाई से किसान, नागरिक, देहाती क्षेत्र का नागरिक, शहरी क्षेत्र का नागरिक, कर्मचारी बेइन्तहा दुखी हैं । लेकिन, हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस रिकार्ड तोड़ महंगाई का अपने अभिभाषण में कहीं कोई जिक्र नहीं किया । कीमत बांधो नीति के तहत कोई कदम न माननीय मुख्य मंत्री जी आपने बताया और न आपके महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में बताया । कीमतें भस्मासुर की तरह बढ़ रही हैं, इनकी वजह से आप देश-प्रदेश की किसी भी समस्या का समाधान करने में सक्षम नहीं हो पायेंगे । इसके लिए जरूरी है कि आप कीमतों पर ध्यान दें । आपने कहा कि सूखे की वजह से महंगाई पर असर पड़ गया । मान्यवर, सूखे की वजह से कोई फौरन ही असर नहीं पड़ जाता है । खरीफ की फसल कटी दिसम्बर, जनवरी में लेकिन आपकी कीमतें तो निरन्तर बढ़ती ही जा रही हैं । सूखे से पहले और सूखे के बाद लगातार आपकी कीमतें बढ़ी हैं । मुख्य रूप से आपका जो व्यापारी वर्ग है, पूंजीपति वर्ग है, जिसका समर्थक हम आपको बताते हैं वह आपका समर्थक वर्ग निरन्तर आवश्यक चीजों की कालाबाजारी करने में जुटा हुआ है, इन सारी चीजों की चोरबाजारी कर रहा है । परिणाम यह हो रहा है कि इस महंगाई पर कोई भी कन्ट्रोल आपका नहीं हो पा रहा है ।

आज चावल, मैदा, घी, चीनी, दाल सबके दाम बेतहाशा बढ़े हुए हैं । सब्जियों के दाम भी आप देख लें आपके कार्यकाल में कितने बेतहाशा बढ़े हैं। आलू जो 2 रु0 किलो था 4.50 रु0 किलो हो गया है । परवल 2 रु0 किलो से बढ़कर 5.50 रु0 किलो हो गया है । शिमला मिर्च 8 रु0 किलो हो गया है । करेला 4 रु0 किलो हो गया है । टमाटर 87 में आपका 10 रु0 किलो बिका । आपके जमाने में हर चीज की कीमत बेतहाशा बढ़ी है । इस कीमत के बढ़ने के साथ-साथ आपके रुपये की क्रय शक्ति भी बहुत कम है । आप अगर 1960 को आधार वर्ष इस संबंध में मानें कि अगर 1960 में रु0 की क्रय शक्ति 100 पैसा थी तो 1970 में यह घटकर 84 पैसा रह गयी, 1975 में 54 पैसा रह गयी । 1980 में 26 पैसा रह गयी । 1981 में जब हमारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 400 को पार कर गया तो यह क्रय शक्ति 23 पैसा रह गयी । जब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 1983 में 532 पहुंच गया तो एक रुपया की कीमत 19 पैसे रह गयी । अभी यह क्रय शक्ति और घटेगी ।

1985 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 608 था तो क्रय शक्ति 16 पैसे रह गयी । 1987 में जब उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 736 तक पहुंचा, उस समय रुपये की कीमत 14 पैसे हो गयी और अगस्त, 87 में वह और भी घट गयी और 13.6 पैसे हो गयी। उसके बाद आज फरवरी, 1988 चल रहा है, और अब यह 12 पैसे से भी कम हो जायेगी। यह हालत आपने और आपकी नीतियों ने रुपए के अवमूल्यन की कर दी है। आज रुपये की कीमत बेतहाशा घटी है, यह हमारे उत्तर प्रदेश के लिए बड़े शर्म और दुर्भाग्य की बात है। इस प्रकार की समस्या के लिए आपने कोई समाधान नहीं बताया। अब मान्यवर, आज की बात के आखिर में एक बात और कहना चाहता हूं क्योंकि आज

उस पर थोड़ी चर्चा हो चुकी है, इसलिए मुझे ज्यादा टिटेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज बुनकरों की समस्या है।

मैं भी आज विधान सभा के गेट पर गया था। उन बुनकरों की तीन तरह की समस्यायें हैं। उसमें कुछ श्रमिकों की समस्यायें हैं, कुछ बुनकरों की समस्यायें हैं। बुनकरों की समस्या के लिये मुझे कहना है कि ग्राम जलालपुर में एक मीटिंग हो रही थी, वहां उत्तर प्रदेश के सभी बुनकरों की सभा थी, उस समय बुनकरों में बड़ा रोष था, आपकी नीतियों की वजह से वह भुखमरी के कगार पर पहुंच गये हैं। मान्यवर, एक तरफ यह कहते हैं कि सूखे की वजह से कपास का दाम ज्यादा हो गया। अगर कपास कम पैदा हुई तो फिर आप उसका निर्यात क्यों कर रहे हैं। सुबह आपके मंत्री जी ने जवाब में बताया कि अब हम कपास का आयात कर रहे हैं।

तो मान्यवर, यह कैसी दोहरी नीति है एक तरफ आप कपास का निर्यात कर रहे हैं और दूसरी तरफ कपास का आयात कर रहे हैं। मान्यवर, मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, जिससे उन बुनकरों की समस्या मालूम होगी दिसम्बर, 1986 में एक बुनकर को जो एक गठ्ठर सूत का 92 रुपये में मिलता था, वही उसको गठ्ठर आज 150 रुपये में मिल रहा है। उसमें भी 30 रुपये उसकी रंगाई में चले जाते हैं, लगभग 50 रुपये बुनाई में खर्च हो जाते हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 230 रुपये खर्च करके वह माल बनाते हैं और उनको उसकी कीमत मिलती है केवल 190 रुपये। इस प्रकार आप समझ लें कि 230 रुपये खर्च करने के बाद उसको मिलते हैं केवल 190 रुपये। उसका अन्जाम यह हुआ है कि खासकर गोरखपुर में बुनकर जो थे, उनमें इतना रोष था, जिसकी कोई इन्तहा नहीं। वह बहुत दुखी थे। सारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में आज बुनकरों के पास कालीन बनाने का काम है, लेकिन उनकी तरफ आपने कोई ध्यान नहीं दिया। इसी प्रकार से मान्यवर, जो रेशम का सवाल है, और जो उसके काम करने वाले लोग हैं उनके सभी पावरलूम, हैण्डलूम बन्द पड़े हुए हैं। मान्यवर, रेशम खरीदने वालों से सेल्स टैक्स ले लिया जाता है इस तरह से जो रेशम का माल तैयार होता है, उस पर सेल्सटैक्स का वजन भी बढ़ जाता है।

तीसरी समस्या जो है, वह भदोही, गोपीगंज आदि जगहों के कालीन का एक्सपोर्ट करने वाले लोगों की है, वह लोग 200 करोड़ रुपये का प्रतिवर्ष एक्सपोर्ट करते हैं और इन कालीनों को बनाने वाले, जो लाखों श्रमिक हैं, वह 21 जनवरी से हड़ताल कर रहे हैं और धरना दे रहे हैं और अपना शान्तिपूर्ण जुलूस निकाल रहे हैं। उनको भी आपने पुलिस के सहारे पिटवा दिया है, उनकी समस्या पर आपको विचार करना चाहिए। आपने थकाने वाली पालीटिक्स अख्तियार कर रखी है और आप उन्हें थका रहे हैं। जब हमारे शिक्षकों और कर्मचारी भाइयों ने हड़ताल की, तो आपने उनको दो महीनों तक थकाया। जब अस्पतालों में काम बन्द हो गया, सड़कों और गलियों में कूड़ों का ढेर लग गया, संडासों में बदबू आने लगी और सब

काम बिल्कुल बन्द हो गया, उनकी सब कुछ पैरालाइज हो गया और तब आपने उनकी मांगों को मानने का वायदा किया । इसी तरह से सिनेमा मालिकों को भी आपने थकाया । जब सिनेमा मालिक भाग खड़े हुए, तब तक आप तसल्ली से बैठे रहे । आज आप उन गरीब बुनकरों के साथ भी वही व्यवहार कर रहे हैं जो आज उत्तर प्रदेश के 60 लाख बुनकर हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी आप भी पूर्वांचल के रहने वाले हैं। कल आपको भी उनके बीच वोट मांगने के लिए जाना पड़ेगा। आज बुनकर अपनी रोजी-रोटी के लिए दुखी है। वह रो रहा है और आज उसे दो टाइम की रोटी मुहैय्या नहीं हो पा रही है। आप बना रहे हैं बुनकर बन्धु पता नहीं यह दीन बन्धु क्या है और कहां बनेगी । यह आपके राज्यपाल महोदय ने अपने भाषण में कहा है कि हम बुनकर बन्धु बना रहे हैं और अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहायता ले रहे हैं कि किस तरह से बुनकरों की समस्याओं को हल किया जाय । हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिये अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठनों से सहयोग लेकर कल्याणकारी योजनायें तैयार की जायेंगी । न मालूम ये योजनायें कब तैयार होंगीं । जिन लोगों की वजह से आपको माननीय मुख्य मंत्री जी कुर्सी मिली है। मैं यह नहीं कहता कि आप अपने प्रधान मंत्री का सम्मान न करिये आप करिये, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी सदैव यह ध्यान रखिये कि यह कुर्सी हमेशा के लिए आपकी नहीं है। यह कुर्सी एक न एक दिन आपको त्यागनी होगी । इसलिए आप 60 लाख बुनकरों के दिमाग में ऐसी भावना पैदा न कीजिए, जिससे आपका नाम उत्तर प्रदेश के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जाय । आपने बुनकरों की समस्याओं का समाधान नहीं किया अपितु उन्हें कटवाते रहे, लुटवाते रहे और पिटवाते रहे।

बुनकरों की डिमान्ड क्या है ? मैं आपको माननीय मुख्य मंत्री जी एक विकल्प देता हूं। बुनकरों को जो सूत आप देते हैं, उसके दाम कम कर दीजिए और जो घाटा है, उसे सब्सिडाइज कर दीजिए । जो जनता धोती वह बनाते हैं उसके दाम इस सीमा तक कर दीजिए जिससे बुनकरों के परिवारजनों का गुजर-बसर हो सके। बुनकरों को जो सूत आप आज दे रहे हैं, वह उस किस्म का नहीं है, जो बुनकरों के इस्तेमाल में आ सके । यह सूत वहीं बनता है, जहां बुनकर रहते हैं, लेकिन सूत डाइरेक्टर इन्डस्ट्री के माध्यम से दूसरे राज्यों को चला जाता है । जहां इस सूत की मिलें लगायी गई हैं, उन मिलों के माध्यम से गरीब बुनकरों को कोई लाभ नहीं हो पा रहा है। यहां तक कि बहुत से बुनकरों ने अपने उद्योग को चलाने के लिए कर्जा लिया था, लेकिन सूत न मिल पाने के कारण आज उनके ऊपर उस कर्जे का ब्याज भी चढ़ता जा रहा है। आज उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गयी है, इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी उन बुनकरों की आर्थिक स्थिति को देखते हुए उनके कर्जे माफ कर दीजिए। यदि आप ऐसा करेंगे तो प्रदेश की जनता महसूस करेगी कि उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री गरीब वर्ग के लोगों के लिए कुछ कर रहा है। इन आंकड़ों की खेती से कुछ होने वाला नहीं है।

यह जो आपका अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन है या फिर आपका जो यह बुनकर बन्धु है, इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपको इसमें स्वयं कुछ करना होगा, कुछ इसमें सोचना पड़ेगा । जैसे ज्ञानपुर आदि का मैंने आपको उदाहरण दिया ।

वहां पर बुनकर शान्तिपूर्वक तरीके से आन्दोलन कर रहे हैं लेकिन आपके जो बड़े-बड़े एक्सपोर्टर हैं, वह एस0 ओ0 व पुलिस से मिलकर उन गरीबों को पिटवाते हैं।

अभी जैसा श्री मूल चन्द्र ने नवादा व पिपरिया का उदाहरण दिया । वहां पर आपने पुलिस से लाठी चार्ज करवा दिया । बस्ती जिले में पुलिस ने ज्यादती की, लेकिन आपने कह दिया हमारी पुलिस पाकसाफ है, लेकिन जब सी0 आई0 डी0 ने जांच की तो हम सही पाये गये और आप गलत । करैहना में पुलिस ने हत्या की। माया त्यागी काण्ड से आप भी अवगत हैं। चौधरी साहब जी ने भी कहा कि वहां पर एक महिला की बेइज्जती की गई है। वहां पर हत्या की गई, लेकिन आपकी सरकार ने इसे माना नहीं । बाद में उसी जज ने यह साबित किया और 4 लोगों को फांसी दी और 6 को आजन्म कारावास दिया ।

[7 बजकर 5 मिनट]

हमारा कहना यह है कि जो हमारी बात है, इस समय नहीं मानेंगे नवादा और पिपरिया की बात । असल बात यह है कि पुलिस ने वहां महिलाओं के साथ बलात्कार किया है, 8 लोगों की टांगें तोड़ दी गयी हैं, तमाम घरों को बरबाद कर दिया गया है। बजाय इसके कि आपकी सरकार से बुनकर राहत पाते, वह तमाम मुकदमों में लद गये हैं। मैं आपसे विशेषकर आग्रह करूंगा कि दम तोड़ते हुए पांच हजार बुनकर जो आपके दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं, उनको सुनिये और उनकी समस्याओं का समाधान करिये ताकि 60 लाख बुनकर आन्दोलित न हों। मुख्य मंत्री जी की सरकार में आन्दोलनों की तो एक बाढ़ जैसी आ गयी है। शिक्षक आन्दोलन कर रहे हैं, किसान आन्दोलन कर रहे हैं, बुनकर आन्दोलन कर रहे हैं, सभी आन्दोलन कर रहे हैं, लेकिन आप चुपचाप बैठ जाते हैं।

आप समझते हैं कि मेरठ के आन्दोलन को दबा दिया लेकिन ऐसा नहीं है, वहां के लोगों की भावनाओं पर आपने कुठाराघात किया है, उनकी जायज मांगों को न मानने की बात कही है। मैं कहना चाहता हूं कि इसके दुष्परिणाम आपकी सरकार को भुगतने होंगे, जोकि उत्तर प्रदेश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं होगा। इसके साथ ही माननीय मुख्य मंत्री जी आपसे फिर आग्रह कर रहा हूं, केवल अभिभाषण के नाते नहीं, कि कम से कम उन बुनकरों की समस्याओं के सम्बन्ध में विचार करें ।

एक बात और कहना चाहता हूं कि शायद बेरोजगारी के मुद्दे पर महामहिम राज्यपाल कुछ बोलें हम यह अपेक्षा कर रहे थे, लेकिन बेरोजगारी के मुद्दे पर भी उन्होंने चुप्पी साध ली । यह भी नहीं बताया कि छोटे उद्योगों के माध्यम से या अन्य किसी माध्यम से वे इस समस्या के निवारण के लिए कोई उपाय करेंगे । इसमें हमें बड़ी निराशा हुई । आपको पता है कि बेरोजगारी की हालत क्या है। वर्ष 1947 में 3 से 4 लाख पढ़े-लिखे बेरोजगार थे, 1956 में 9 लाख हो गये। यह संख्या हर वर्ष घटने के स्थान पर बढ़ती ही गयी । वर्ष 1961 में 13 लाख,

1966 में 21 लाख, 1968 में 23 लाख, 1969 में 24 से 25 लाख बेरोजगार हो गये । अब 1987 में आपको पता है कि कितने बेरोजगार हैं ? 1987 में बेरोजगारों की यह संख्या बढ़कर 32 लाख 26 हजार हो गयी है। इस बेरोजगारी को दूर करने के लिये अगर हमारे राज्यपाल महोदय ने या उनको कुशल सरकार ने एक शब्द भी कहा हो, तो जब आप जवाब दें उस समय बता दें ।

बढ़ती हुई मंहगाई और भ्रष्टाचार के लिए कोई बात कही हो, तो वह भी बता दें। सारे हिन्दुस्तान में अगर कोई प्रदेश है तो पश्चिम बंगाल है, जहां पर कि हमारे प्रदेश से ज्यादा बेरोजगार हैं। वहां पर बेरोजगारों की संख्या 43 लाख 43 हजार है। इसके अलावा अन्य प्रदेशों में से बिहार में 29 लाख 49 हजार, महाराष्ट्र में 28 लाख 45 हजार, केरल में 27 लाख 42 हजार, आन्ध्र प्रदेश में 25 लाख 46 हजार, तमिलनाडु में 24 लाख 59 हजार तथा मध्य प्रदेश में 17 लाख 89 हजार बेरोजगार हैं। इस प्रकार सारे प्रदेशों में बेरोजगारी हमारे प्रदेश से कम है । इस महान विभीषिका को दूर करने के लिये महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ भी नहीं कहा गया है। प्रधान मंत्री ने कहा है कि कम्प्यूटर लगाया जाय । इससे क्या होगा ? 100 लोगों को आप बेकार करेंगे और एक कम्प्यूटर काम करेगा । अगर कम्प्यूटराइजेशन से बेरोजगारी कम होती तो अपने जवाब में जरूर बता दें कि इससे बेरोजगारी में कैसे कमी पैदा होगी । मैं इसका उत्तर आपसे विशेषकर उस वक्त चाहूंगा। अब एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस समय जो सरकार चल रही है यह पूरी तरह से किसानों की दुश्मन है जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं यह सरकार किसानों को लूट रही है और यह सरकार एंजीपतियों की समर्थक है। इसके जमाने में किसानों को राहत नहीं मिल पा रही है। किसानों की अपनी लागत का पैसा भी नहीं मिल पा रहा है। आपकी सरकार के जमाने में पन्तनगर यूनीवर्सिटी ने जो आंकड़े दिये हैं उसके आधार पर मैं कुछ मुख्य फसलों के लागत मूल्य के और सरकार के द्वारा जो मूल्य निर्धारित किये गये हैं, उनका जिक्र कर रहा हूं :—

फसल	लागत मूल्य प्रति क्विंटल	सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य प्रति क्विंटल
1—धान	225.00	150.00
2—गेहूं	295.00	173.00
3—गन्ना	36.00	27/28.00
4—चना	514.00	290.00
5—सरसों	718.00	430.00

इस तरीके से लागत मूल्य बढ़ा है और आप उसे दे कम रहे हैं, कैसे किसान लूट रहा है ?

श्री वीर बहादुर सिंह–

अगर गन्ना का मूल्य 36 रु0 है तो किसान गन्ना क्यों लगा रहा है? जो आप कह रहे हैं यह सच नहीं है, लागत मूल्य कम है।

श्री सत्यपाल सिंह–

आप मेरे बात का जवाब देने के लिए खड़े हो गये, मैं यही कहने जा रहा था लेकिन आप मेरी बात को मानेंगे नहीं, यह भी मैं जानता हूं। लेकिन यहां पर मैं भारत के सबसे प्रथम आदमी जो भारत के तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति श्री ज्ञानी जैल सिंह जी ने 15 जनवरी, 1986 को भारत सरकार के कृषि मंत्रालय के विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के स्वर्ण जयन्ती समारोह के अवसर पर जो उन्होंने कहा था उसे मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा था कि:—

"किसान को उनकी लागत से 2 रु0 अधिक प्रति क्विन्टल कृषि उत्पादों की कीमत निर्धारित की जाती है। इसमें बीज, रसायनिक खाद, पानी और मजदूरी और बैल का मेहनताना नहीं होता है। क्या बैलों को खिलाने के लिये पैसा खर्च नहीं होता । शायद अर्थशि को यह मालूम है कि किसान अपने घर में नहीं, किसी होटल या रेस्टरां में मुफ्त खाना खाने जाता है।"

सरकार के लागत मूल्य में हल, बैल किसी की मजदूरी नहीं लगती है जहां आपके जैसे किसान हों, ईश्वर करे आप जैसे सारे उत्तर प्रदेश के किसान हो जायं तो शायद आज विधान सभा के अन्दर मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं होती । आपने अपने कार्यकाल में ऐसी खेती पैदा की है पता नहीं वह कौन सा बीज बोया और कौन सी फसल काटी और उसे कौन से बाजार में बेचा कि आपने अपनी किस्मत की ही बदल दिया ? लेकिन आपने किस्मत तो बदल ली, यदि आप ही के जैसा उत्तर प्रदेश का हर किसान कुशल हो जाय तो कोई शिकायत ही न रहे।

आपके पास केवल 35 बीघा जमीन थी लेकिन अब ईश्वर की कृपा से आपका फार्म है। मैं ओछेपन का परिचय नहीं देना चाहता हूं लेकिन आपने अपने कार्यकाल में जैसी अपनी हैसियत बदल ली है कि गोरखपुर में जमीन, मकान, गोलघर में जमीन खरीद ली और फार्म पर फार्मिंग होने लगी । आप सदन को अवगत कराइये कि आपने कौन सी फसल काटी, कौन सा बीज बोया तब पता चलेगा?

(मेजों की थपथपाहट के मध्य)

श्री वीर बहादुर सिंह–

मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैंने अब तक अपनी कोई भी प्रापर्टी नहीं बढ़ायी है। पहले की भांति मेरे पास आज भी एक छोटा फार्म है और मैं आज भी एक छोटा ही किसान हूं।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, मुझे तो खुशी हुई कि आज जो परिचय आपने अपने किसान होने का दिया है, इस कथन के तहत यदि आपकी हैसियत वहां से नहीं बढ़ी है तो यह एक अच्छी बात है, लेकिन लखनऊ के अन्दर आपके नाम पर और पार्टी के नाम पर कितनी कोठियां हैं, किसी कोठी में आपने घोड़ों का अस्तबल बना रखा है तो किसी कोठी में फलां विभाग का सामान रखा है तो किसी कोठी में आपने घर का सामान रख रखा है, लेकिन मान्यवर, मैं भी एक किसान ही हूं, यह जरूर हो सकता है कि मैं आपकी हैसियत का न हूं, लेकिन एक पार्टी के नाते व विरोध पक्ष के लिए भी एकाध ऐसी व्यवस्था उन 8 कोठियों में से यदि कर दिये होते तो मैं समझता...

श्री वीर बहादुर सिंह–

यह गलत बात है, ऐसी स्थिति नहीं है।

श्री सत्यपाल सिंह–

मान्यवर, हेयर विंग के लिए आपके यहां व्यवस्था है मकान की इस प्रकार कुल मिलाकर मान्यवर, सरकारी धन का सरासर दुरुपयोग हो रहा है और जब रैली का प्रसंग आता है तो उसको आप सुनना पसन्द नहीं करते हैं। श्रीमन्, माननीय मंत्री दीपा कौल जी ने हमारे जिले शाहजहांपुर में ही बसों की व्यवस्था जिस प्रकार से पुलिस द्वारा करायी है बगैर कुछ दिए लिये, यह किसी से छिपा नहीं है। इस प्रकार से आपने सरकारी धन एवं शासन का दुरुपयोग खुलकर किया है और प्रदेश के विकास के लिए कोई काम नहीं किया है। बल्कि अपनी-अपनी हैसियत को बढ़ाने पर अधिक जोर दिया जा रहा है और इसी सम्बन्ध में 20 तारीख को वह रैली निकालने का प्रयास था। (शोर)

संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)–

मान्यवर, सुबह से लेकर शाम तक केवल एक ही चर्चा हो रही है कि सत्ता का और धन का दुरुपयोग हो रहा है, आपको याद होगा कि एक रैली 23 दिसम्बर को भी निकाली गयी थी, जिसमें शायद ही कोई बस या ट्रक जिले के, पुलिस बल पर अरेंज न किये गये हों, जबकि हमारे यहां जितनी भी बसें (1900) ली गयी हैं जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया, उन सबों को एडवांस पैसा दिया गया है। (शोर) और यह जिस रैली का जिक्र कर रहे हैं, वह रैली नहीं थी वह तो आदमियों का एक समुन्दर था, जन-मानस की एक बाढ़ थी जो अपने नेता को सुनने के लिये आयी थी।

श्री हरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी जिस बाढ़ की बात कर रहे हैं, यह अपने क्षेत्र की ओर देखकर कह रहे हैं या नहीं, ऐसी बाढ़ को लेकर यह अपने क्षेत्र में कोई मीटिंग करें तो असलियत सामने आ जायेगी।

पर्वतीय विकास राज्य मंत्री (श्री राम अंतार दीक्षित)–

क्या आप लोग यह भी बता पायेंगे कि 23 दिसम्बर को दिल्ली की रैली में कितने ट्रकों का चालान हुआ था? (शोर)

एक सदस्य–

यह दिल्ली वाले बतायेंगे ।

(शोर)

श्री खान गुफरान जाहिदी–

रैली का रेला बर्दाश्त नहीं हो रहा है। (हंसी)

श्री सत्यपाल सिंह–

लेकिन मान्यवर, जो हुकुम सिंह ने कहा कि 23 दिसम्बर की रैली के बारे में, तो मैं कहना चाहता हूं कि उसकी रेलेवेन्सी थी, चौधरी साहेब का जन्म दिन था । आज की इस रैली की कोई रेलेवेन्सी नहीं है । आपकी पार्टी की दिल्ली में रैली हुई थी, लेकिन इसकी कोई रेलेवेन्सी नहीं है और जितना सत्ता का इसमें दुरुपयोग किया गया है, उतना कभी नहीं किया गया ।

मान्यवर, अब मैं यह कहने जा रहा हूं कि जो आपका आलू का किसान है, आप जानते हैं कि फर्रुखाबाद में आलू बहुत पैदा होता है, लेकिन उसके भंडारण के लिये कोई व्यवस्था नहीं है । भण्डारण की कोई व्यवस्था न होने के कारण किसान को सस्ते दाम पर आलू को बेच देना होता है । इसके अलावा इन शीतगृहों के जो मालिक हैं वह किसानों से मनमानी ढंग से रुपया वसूल करते हैं और जब इसकी शिकायत की जाती है तो आप का जो हार्टीकल्चर का अधिकारी है उसका उन पर कोई प्रभाव ही नहीं है । आप जानते हैं कि हलद्वानी से आगे पहाड़ों पर सेव पैदा होता है, दीक्षित जी बैठे हुए हैं, वह जानते हैं कि वहां पर काफी सेब पैदा होता है, लेकिन उसके भन्डारण की कोई व्यवस्था नहीं की गयी है । इसका परिणाम यह होता है कि उन लोगों को सस्ते दाम पर ही सेब को बेच देना होता है और जो वहां के पर्वतीय निवासी हैं, उनकी आमदनी में कोई फर्क नहीं आता है, और वह गरीब के गरीब ही रह जाते हैं ।

श्री राम औतार दीक्षित–

मारकेटिंग की पूरी व्यवस्था कर दी गयी है ।

श्री सत्यपाल सिंह–

उस सेब के लिये वहां का आदमी खून पसीना एक करता है, लेकिन उनका स्तर कहीं पर दिखाई नहीं पड़ता है ।

मान्यवर, हमारी सरकार यह कहती है कि प्रदेश की पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि जो गरीब किसान है उसकी आमदनी ज्यों की त्यों बनी हुई है। मैं कहना चाहता हूं कि गरीब की आमदनी नहीं बढ़ी है, बल्कि जो आमदनी बढ़ी है, वह बड़े लोगों की बढ़ी है, पूंजीपतियों की बढ़ी है । मैं बताना चाहता हूं कि सन् 1947 से पूंजीपतियों की पूंजी बढ़ी है । बिरला की 1947 में 30 करोड़ की पूंजी थी, 1951 में 65 लाख, 1964 में 400 करोड़ और 1976 में 1000 करोड़ हो गयी । तो मान्यवर, इस प्रकार के 95 परिवार हैं, जिनकी आमदनी बढ़ी है और आपके उद्योग मंत्री, भारत सरकार के जो माननीय जे0 वेंगलराव हैं, उनके आंकड़े हैं कि बिड़ला की 1985 में 4111 करोड़ टाटा की 3698 करोड़, थापर

की 1067 करोड़, सिंहानियां की 1057 करोड़, रिलायन्स की 1056 करोड़, मफतलाल की 964 करोड़ और मोदी की 818 करोड़ की पूंजी है । यह मेरे आंकड़े नहीं हैं, आपके ही हैं । आपके उद्योग मंत्री ने 8 दिसम्बर, 1987 को लोक सभा में यह सूचना दी है । आपके किसानों की आमदनी नहीं बढ़ी है, बल्कि बड़े-बड़े पूंजीपतियों की आमदनी बढ़ी है ।

उत्तर प्रदेश का किसान आन्दोलित हो रहा है । महाराष्ट्र का किसान शरद जोशी के नेतृत्व में, पंजाब का किसान अजमेर सिंह के नेतृत्व में और हमारे उत्तर प्रदेश का किसान जिनके पास आप भी हो ही आये हैं, मुख्य मंत्री जी गये ही थे और आप का वहां पर स्वागत हुआ ही होगा ।

श्री वीर बहादुर सिंह–

अब आपका भी स्वागत होने वाला है ।

श्री सत्यपाल सिंह–

लेकिन आपने वाह वाही लूटने का प्रयास किया और सारे उत्तर प्रदेश की नाक कटवा दी । आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था । आप जैसे नेता नंगे पैर बगैर किसी को लेकर चले गये थे और उसने आपको खड़ा कर दिया । इस तरह से आपने उत्तर प्रदेश सरकार की नाक कटवा दी । . . (व्यवधान) । आपसे तो हम नसीहत ले रहे हैं । इसलिये हमारे जाने का प्रश्न ही नहीं होता ।

मैं कहना चाहता हूं कि हमारे आन्दोलन का तो एक ही मुद्दा है कि हमको लाभकारी मूल्य दिया जाय। इस लाभकारी मूल्य को देने के लिये आपने एक कृषि मूल्य आयोग बनाया जिसका सन् 85 में नाम बदलकर कृषि लागत एवं मूल्य आयोग किया। यह आपने दिल्ली में बनाया। इसके द्वारा कीमतें तय होती हैं । उसको किसी पैमाने का पता नहीं है कि किस आधार पर वह कीमतें तय करता है। आया उसको व्यक्ति के श्रम, उसके हल बैल या उसके घर वालों का श्रम भी लगता है या नहीं, यह सब कुछ पता नहीं है । इसलिये वह भी क्लियर नहीं है । इसीलिये किसानों को वह लाभ नहीं मिल पा रहा है । उसका नतीजा यह है कि जिस तरह से महाराष्ट्र और पंजाब में हुआ, उत्तर प्रदेश के अन्दर भी बगैर राजनीतिक पार्टियों के सहयोग के वह फेल हो रहा है ।

मैं कहना चाहता हूं कि अगर किसानों की मजबूरी को नहीं देखा गया, लाभकारी मूल्य उनको नहीं दिया गया तो मैं समझता हूं कि जो छोटी-छोटी यूनियनें हैं जो आपसे अपनी मांगें मनवा लेते हैं तो उत्तर प्रदेश की 80 फीसदी जनता जो किसान है, वह किसी दिन एकत्र हो जायेगी तब आपकी थकाने वाली नीति नहीं चल पायेगी और आप गोरखपुर चले जायेंगे ।

अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं । माननीय हुकुम सिंह जी मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं । मेरठ में अभी जो दंगें हुये थे तो आपने वहां पर लोगों को घरों में बन्द करवा दिया था । उस बीच वहां पर मेरठ विकास प्राधिकरण ने किसानों की सारी जमीन अधिग्रहीत करने की नोटिस दे दी। जो वहां पर बड़े-बड़े कोलोनाइजर्स थे, मेरठ विकास प्राधिकरण के अधिकारियों ने उनसे मिलकर सस्ते में वहां के किसानों

की सारी जमीन खरीदना शुरू कर दिया । यह षडयंत्र है । कोलोनाइजर्स ने किसानों की सारी जमीन सस्ते दामों पर खरीद ली और नोटिस का कहीं अता-पता नहीं रहा । इस तरह से गरीब किसान वहां पर मारा गया। बड़े-बड़े कोलोनाइजर्स ने वहां पर इस तरह से बड़ी सम्पत्ति इकठ्ठा कर ली । मान्यवर, अभी लखनऊ के दुगड्डा के किसानों की जमीन इसी तरह से हड़प ली । इत्तफाक से मैं भी उधर से जा रहा था। चूंकि गाड़ी में नेशनल फ्लैग लगा था । मैंने देखा कि यहां की विधायिका कृष्णा रावत वहां पर पूरी सड़क घेरे खड़ी थीं । जब लोगों ने गाड़ी देखी तो समझा कि कोई कांग्रेसी फंसा । राजीव गांधी और मुख्य मंत्री मुर्दाबाद के नारे लगने लगे । मैं भी गाड़ी से बाहर निकला और मैंने लोगों से पूछा तो मुझे बताया गया कि दुगड्डा में हम लोगों की जो जमीन थी वह ले ली गई है। मैंने कहा कि आप बिल्कुल करिये। आपकी मांग उचित है ।

लेकिन मैंने कहा कि आप सड़क न घेरें । कृष्णा रावत बोलीं कि मैं तो नहीं हटूंगी । जब सब कांग्रेसी कर रहे हैं तो मैं भी कर रही हूं । इसके बाद पुलिस के लोग वहां पर गये, सारे गांव वालों को पीटा, उनको अभी तक कोई उनकी जमीन का कम्पेन्सेशन नहीं दिया । यही हालत बनारस के किसानों की अरबन सीलंग के तहत कर रहे हैं । लखनऊ में फैजाबाद में हर जगह एक बड़ा षडयंत्र वहां पर चल रहा है।

आपके हर विकास प्राधिकरण के द्वारा फर्जी नोटिस किसानों को दिलवाकर और कोलोनाइजर्स से मिलकर, उनसे सांठगांठ करके किसानों की जमीन आधे पौने दामों में खरीद ली और अपनी हैसियत वह बढ़ाते जा रहे हैं । आपकी सरकार पूंजीपतियों की रक्षक और किसानों की भक्षक हो रही है । टाटा फर्टिलाइजर बदायूं की समस्या सदन में आई उसमें आपके माननीय मंत्री अम्मार रिजवी साहब ने आश्वासन दिया था कि इसे देखेंगे कोई गलत काम न होने पाये। लेकिन कुछ नहीं हुआ टाटा ने मजबूर कर दिया आधे पौने दाम पर किसानों की जमीन खरीदने पर । नियम है कि मारकेट रेट पर देंगे लेकिन टाटा बिड़ला ने उन नियमों को ताक पर रख दिया ।

अब मैं ऊसर सुधार पर आता हूं प्रदेश में 17 फीसदी जमीन ऊसर है उसको सुधारने के लिये 1977-78 में योजना बनाई गयी। लेकिन आपने उस पर कोई धन नहीं दिया उसका नतीजा यह है कि सारे प्रदेश में ऊसर सुधार योजना ठप पड़ी है। आपने कई बार आश्वासन दिया कि ऐसी भूमि को गरीबों को, हरिजनों को आवंटित करेंगे, लेकिन वह भी नहीं कर पाये हैं।

आखिर में मैं पुलिस उत्पीड़न पर आता हूं (व्यवधान) साढ़े 8 बजे में समाप्त कर दूंगा। तो पुलिस उत्पीड़न के सम्बन्ध में मैं कह रहा था कि सारे प्रदेश में पुलिस की ज्यादतियां किस कदर बढ़ रही हैं। आपने पिछले साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर एक घोषणा की थी (व्यवधान) चले जाने दीजिये हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है तो मैं कह रहा था कि आपने पिछले साल 26 जनवरी को घोषणा की थी कि प्रदेश की कानून व्यवस्था जितने लम्बे समय से सुधरी है, वह हाल की वर्षों में अपने आप में एक कीर्तिमान है। डाकुओं की गतिविधियों पर रोक लग गयी है, गुण्डा तत्वों को गिरफ्तार कर लिया गया है और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं

है कि इस समय हमारी पुलिस व्यवस्था अत्यंत कारगर ढंग से काम कर रही है। यह आपके शब्द हैं। इसको अगर मैं अपने शब्दों में कहूं तो वह इस प्रकार है कि वह जितने लम्बे समय से बिगड़ी हो वह हाल के वर्षों में अपने आप में एक कीर्तिमान है, डाकुओं की गतिविधियों में कोई रोक नहीं लग पाई है, भले आदमियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि पुलिस बेकार ढंग से काम कर रही है।

आज भी पुलिस की मनोवृत्ति वही है जो ब्रिटिश राज्य के समय थी। पुलिस उस समय इस लिये रखी थी कि वह हम पर नियंत्रण रखे, कब्जे में रखें। आजादी के बाद उस मनोवृत्ति में परिवर्तन आना चाहिये था वह हमारे गरीब और किसानों के साथ अच्छा व्यवहार करती लेकिन उसमें कोई फर्क नहीं आया है। आपको मालूम ही है कि पुलिस ज्यादतियों के संबंध में सदन में मामले आते रहते हैं। वह आये दिन गरीबों उत्पीड़न करती रहती है। उसका अंजाम यह है कि सारी जनता की आस्था पुलिस से उठ गयी है। इस संबंध में एक से एक कमीशन बने पुलिस उत्पीड़न के संबंध में लेकिन उसमें कोई कमी नहीं हुई है। गांव वालों को कोई इन्साफ नहीं मिल पा रहा है। मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूं। आपको मालूम है बागपत का काण्ड हुआ आपने उसे माना। सरकार ने मुकदमा दायर किया पुलिस वालों के खिलाफ कि उन्होंने हत्या की वह मुकदमा दायर हुआ सरकार बनाम पुलिस। इसमें सरकार कामयाब हो गयी, उस जजमेंट के माध्यम से पुलिस वाले दोषी करार दिये गये जिसमें 4 को फांसी और 6 को जन्म कैद की सजा हुई। लेकिन गृह मंत्री का स्टेटमेंट पढ़ा कि इनके संबंध में अपील दायर करेंगे। यह कौन सा नियम है। एक तरफ सजा दिलायें और दूसरी तरफ अपील दायर करें, तो गृह मंत्री उल्टी बात करते हैं। इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती है। मान्यवर, गृह मंत्री उन्नाव जिले के हैं जो छोटी-छोटी बातों में हस्तक्षेप करते हैं क्योंकि वहां की पुलिस के कुछ लोगों ने दो शीशम के पेड़ काटे जिनके विरुद्ध रेलवे विभाग ने एफ0आई0आर0 लिखा दिया, रिपोर्ट लिखने पर तफतीश हो रही है।

पुलिस के लोग मंत्री जी के आदमी हैं इसलिये गृह मंत्री जी जोर लगा रहे हैं कि उन दरोगाओं के खिलाफ चार्जशीट न लगने पाये। तो गृह मंत्री पुलिस वालों को बचाने का कार्य कर रहे हैं और छोटी-छोटी बातों में हस्तक्षेप करते हैं। इसी प्रकार गृह मंत्री बगरमऊ क्षेत्र से चुनकर आते हैं। जिस व्यक्ति को गृहमंत्री ने 76 वोटों से हराया था उस उम्मीदवार को आये दिन वहां का इन्स्पेक्टर परेशान करता है और उसका निकलना भी बंद कर दिया, इसलिये भी वह डरते हैं चूंकि इन्स्पेक्टर गृह मंत्री का आदमी है। मान्यवर, एक तरफ कहते हैं कि निवास के सीमावर्ती क्षेत्र में दरोगाओं को नहीं रहने देंगे लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि देवबंद थाना जिला आजमगढ़ में दरोगा सीमावर्ती क्षेत्र फैजाबाद का रहने वाला है, कहा गया कि नहीं रहने देंगे लेकिन वह वहां है। इसी प्रकार गया प्रसाद दुबे फर्रुखाबाद का है जो सीमावर्ती क्षेत्र में तैनात है उसको वहां से हटाया जाना चाहिए। मान्यवर, नीति बनाते हैं लेकिन उसका अनुपालन नहीं होता है तो वह नीति बेकार है। यदि आप में इच्छा है कि भाई भतीजावाद और पार्टीबाजी हो तो प्रशासन में कामयाबी नहीं मिलेगी।

मान्यवर, 18 तारीख को जिला बदायूं की पुलिस शाहजहांपुर के एक गांव में घुस गयी। पुलिस शराब पिये थी। गांव वालों ने पुलिस वालों को डाकू समझा और दो सिपाहियों एवं 3 दरोगाओं को बंद कर दिया उनके हथियार छीन लिये और इमानदारी के साथ शाहजहांपुर में जमा कर दिया। लेकिन बाद में असलियत मालूम होने पर पुलिस ने उन लोगों के खिलाफ धारा 95, 97 का मुकदमा दायर कर दिया और उनको पकड़ कर बंद कर दिया। इसी प्रकार अदलहाट का खिडौरी कांड में डेढ़ महीना बीत गया लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। जबकि गृह मंत्री ने कहा था कि सी0आई0डी0 जांच करायेंगे और दोषी पुलिस वालों को हटायेंगे किन्तु आपके कार्यकाल में न रिपोर्ट लिखी गयी और न सी0आई0डी0 जांच ही शुरू हुई है। जबकि एक आदमी मारा गया, कई आदमी घायल हुए वहां पर खुले आम डकैती डाली गई। लेकिन आपकी पुलिस को इतना संरक्षण मिला हुआ है कि पुलिस के लोग कोई भी जनता के साथ कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। जब मैं फैजाबाद जिले में गया, वहां पर एक गांव थाना सम्मनपुर में है, वहां पर पुलिस के लोगों ने जो बहादुरी दिखाई वह आप सुन लीजिए। वहां पर एक आदमी डकैती में मारा गया, कई आदमी घायल हुए, तो मैं देखने गया था। वहां पर हमें गांव वालों ने बताया कि हमारे गांव में कोई भी असलहा नहीं है, तो डकैत लोग जब गांव में डकैती डालने लगे तो उन्होंने पत्थर ईंटों से उनका सामना किया। संयोग से उस दिन गांव में दो सिपाही रूके हुए थे। जब डकैती पड़ रही थी, कुछ गांव वाले भागकर उनके पास गये और उनसे कहा कि हमें बचाओ चल कर टाकुओं से।

तो सुन लीजिए उन्होंने उनसे क्या कहा, जिन्होंने उन्हें खाना खाकर अभी सुलाया था। दोनो सिपाही डरकर खटिया के नीचे घुस गये। उनको धक्का दे देकर किसी तरह डकैतों के पास जाने के लिये खड़ा किया गया और उनसे डकैतों को मारने के लिये कहा गया तो सिपाही क्या कहते हैं इसे आप सुनिए। वह सिपाही कहते हैं कि हमारे पास कोई कारतूस नहीं है। यह आप की पुलिस का हाल है। यह है कि दूसरे दिन एस0 पी0 ने इन दोनो सिपाहियों को निलम्बित कर दिया। तो आपके सिपाही जहां बहादुरी की जरूरत है, खटिया के नीचे घुसकर दुबक जाते हैं और जहां पर जनता की रक्षा करने को संरक्षण देने की जरूरत है, वह हठधर्मी करके जनता पर तरह तरह का अत्याचार करते हैं। उनके साथ तमाम तरह की लूटपाट करते हैं और उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करते हैं।

आपने यह कीर्तिमान किया है कि 87-88 में जुर्म बहुत कम है, यह प्रतिशत घटा है। किन्तु इस संबंध में आप पर मेरा यह स्पष्ट आरोप है और आपको उसको मानना चाहिए कि आज प्रदेश में थानों पर रपट नहीं लिखी जा रही है। हमारे पास बहुत से लोग जगह जगह से आकर पहुंचते हैं और वह यह हमें बताते हैं कि उनकी रपटें नहीं लिखी जा रही हैं। केवल कत्ल ऐसा अपराध है जिसकी रपट लिखी जा रही है। उसमें एक प्रतिशत कमी दिखाई जा रही है और बाकी अपराधों में कई प्रतिशत कमियां आप दिखा रहे हैं जिनके बिना पर आप कीर्तिमान स्थापित करने की बात करते हैं। वह आपका

कीर्तिमान बिल्कुल कागजी है, सच्चाई से बिल्कुल परे है । वास्तव में अपराधों में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि अपराध बराबर बढ़े हैं । केवल कमी आई है तो रपटों को लिखने में कमी आयी है, जिसकी ओर बार बार आपका ध्यान इधर से दिलाया गया है । लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है ।

रायल होटल में हुए कांड की बात आप के सामने है। वहां पर पुलिस वालों द्वारा विधायकों के साथ अपमान जनक व्यवहार किया गया । जिस पर गृह मंत्री ने कहा है कि डेढ़ महीने हो गये मैं मौके पर नहीं पहुंच पाया, जो मंत्री डेढ़ महीने में अपने निवास से रायल होटल नहीं पहुंच पाया , वह गृह मंत्री विधायकों को कोई राहत दे पायेगा, उनकी रक्षा कर पायेगा, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती है । आप पहले विधायक हैं, फिर मंत्री, गृह मंत्री या मुख्य मंत्री हैं। यदि आप विधायकों की ही रक्षा नहीं कर सकते हैं तो आप जनता को रक्षा कैसे प्रदान कर सकते हैं । इससे पुलिस का मनोबल बढ़ जायेगा । वह सोचेगी कि जब विधायकों के साथ दुर्व्यवहार करने पर और मार पीट करने पर उसके साथ कोई एक्शन नही हुआ तो जनता के साथ सब कुछ करने की तो हमको पूरी छूट ही है ।

जब से दुधुआ की वारदात हो रही है, उसके पीछे काफी पुलिस लगी थी । करोड़ों रुपया आपका उस पर खर्च हो रहा है कि दुधुआ मार दिया जाय किसी तरह। पर आपको और आपकी पुलिस का उस पर कोई बश नही है, उसने 20 लाख की फिरौती फिर मांगी है , जो उसने पांच-पांच आदमियों का अपहरण कर लिया है । क्योंकि 22 दिसम्बर, 1987 को पांच आदमियों का अपहरण दुधुआ ने कर लिया है और बीस लाख रुपये फिरौती मांग रहा है वह आज भी सक्रिय है । आपकी पुलिस दुधुआ का मुकाबला नही कर पा रही है, लेकिन जब हम लोग धरना देते हैं तो चारों तरफ से घेर दिए जाते हैं सारी पुलिस आ जाती है ।

श्री नेक चन्द्र पाण्डेय–

राजू भटनागर के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री सत्यपाल सिंह–

उसको आप जानते ही होंगे क्यों कि वह आपकी तरफ से ही पैदा हुआ होगा ? मान्यवर, बस्ती के बारे में मैंने आपको बता दिया । अब आपके जिले गोरखपुर के बारे में कहना चाहता हूं । गोरखपुर में एक गांव गुलरिहा है वहां एक रघुटला है, मुख्य मंत्री तो वहां कभी गये नहीं होंगे मैं वहां गया था । वहां के जो गरीब बस्ती के लोग थे वह खपरैल के अन्दर रहते थे । जहां मालूम नहीं होता कि कोई पढ़ा-लिखा भी है । वहां जिस तरह से दुर्व्यवहार किया गया महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया उनको न्याय शासन नहीं दिला पाया है । मान्यवर, लखनऊ के अन्दर चोरियां कितनी बढ़ रही हैं । काशीनाथ बैंक में इसी 31 अगस्त को 40 लाख की चोरी हो गई ।

विजया बैंक में 96 हजार की चोरी हो गयी । काली जी के मन्दिर में चोरी हो गई । 19 अक्टूबर से 15 सितम्बर तक आंकड़े जो हैं उसमें डकैती में 6.88 कमी हुई । लूट में 7.69 कमी आई है । कत्ल में एक फीसदी कमी आई है और राइट्स में 9.401 कत्ल में क्योंकि कुछ नहीं किया जा सकता है उसमें इनकी मजबूरी

है । अपराधों में कोई कमी नहीं आई है । मान्यवर, जवाहर भवन में एक कम्प्यूटर इन्होंने लगाया है जिसको हिन्दी में संगणक कहते हैं और 10 लाख रुपये खर्च करके एयरकंडीशन लगाया गया है । इसमें था कि उसको सारा लेखा-जोखा दे दिया जाएगा, जो अपराधों के विषय में जानकारी देगा, लेकिन सब योजना ठप पड़ी है । एक पायलेट योजना थी वह भी ठप पड़ी है उसमें लगभग 80 लाख रुपया खर्च हुआ । मान्यवर, अब इस कम्प्यूटर को रिटायर्ड दरोगा की पेंशन बनाने के काम में लाया जा रहा है । मान्यवर, जनपद आगरा के अन्दर अचनेरा एक जगह है वहां एक सज्जन अपनी पत्नी के साथ जा रहे थे डाकुओं ने उन पर हमला बोल दिया और महिला के साथ बलात्कार करने की कोशिश की उसको चाकू दिखाकर बलात्कार करने के लिए धमकाया गया, तो उस महिला ने उस चाकू को पकड़ लिया । चाकू से उसकी अंगुलियां कट गईं । वह महिला बलात्कार के लिए तैयार नहीं हुई तो उसके हसबैंड को जान से मार दिया गया लेकिन ऐसे मामलों में जहां पर पुलिस को प्रशासनिक कार्यवाही करनी चाहिए वह नहीं की जा रही है उस महिला ने अपनी वीरता का परिचय दिया लेकिन इस केस को दबाने के लिए कोशिश की जा रही है क्योंकि बड़े-बड़े लोगों का इसमें हाथ है ।

आज तक इसके मुल्जिमों को पकड़ा नहीं गया है, प्रदेश के अन्दर आज कानून व्यवस्था की यह हालत है। प्रधान मंत्री जी बुलेट प्रूफ जैकेट पहन कर बुलेटप्रूफ शीशे के कटघरे में खड़े होकर कहते हैं कि देश की और प्रदेश की कानून व्यवस्था की हालत ठीक है। मैं कहना चाहता हूं कि देश और प्रदेश की कानून और व्यवस्था की हालत बहुत शर्मनाक, लज्जाजनक है और किसी का जीवन आज सुरक्षित नहीं रह गया है। माननीय हरगोविन्द वर्मा जो मा0 राम आंतार दीक्षित जी के पड़ोसी जिले के थे भूतपूर्व विधायक और एम0 पी0 थे उनकी हत्या किस तरह बर्बरतापूर्वक कर दी गयी । इसमें कुछ लोग डायरेक्टली इन्वाल्व थे जो उनकी लोकप्रियता से जलते थे । हरगोविन्द वर्मा जी की तरह से आज किसी की भी हत्या हो सकती है। वह अकेले जा रहे थे अगर उनकी किसी से दुश्मनी होती तो अकेले न जाते और साथ में 2-4 लोग अवश्य होते । वह अकेले जा रहे थे इससे साबित होता है कि उनकी किसी से दुश्मनी नहीं थी लेकिन उनकी लोकप्रियता उनके लिये घातक सिद्ध हुई और उनकी हत्या कर दी गयी । उनके जो राजनीतिक प्रतिद्वन्दी हैं उनका इस हत्या में बहुत बड़ा हाथ है।

मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि हरगोविंद वर्मा जी की हत्या के संबंध में आप पुलिस अधिकारियों से पूछें और इसकी जांच करायें और जो भी दोषी हों उसको सजा दिलवाने का पूरा प्रयास करें । इसी तरह से बनारस और मिर्जापुर में जो घटनायें हुई हैं, किस तरह से वहां पर हरिजनों, गरीबों, पिछड़े वर्ग के लोगों पर अत्याचार हुए हैं उसकी भी जांच की आवश्यकता है। मान्यवर, बहुत सी जगहों पर फर्जी इनकाउंटर किये जा रहे हैं। अगर मैं सूची पेश करूंगा तो वाकया बहुत लम्बा हो जायगा । इनकाउंटरों की जांच कराये जाने की आवश्यकता है। इसी तरह से गढ़मुक्तेश्वर में 51 गायों को काटने की एक घटना हुई थी जिसकी वहां के विधायक करन सिंह ने सूचना भेजी थी उनकी मांग थी कि एस0 डी0 एम0 से जांच करायी जाय लेकिन उनकी मांग को आपने नहीं सुना । यह जो बकाया था

यह सही था लेकिन कोई जांच नहीं करायी गयी। इसी तरह से गाजियाबाद में 20 आदमियों की मौत जहरीली शराब पीने से हो गयी लेकिन उसकी जांच को नहीं माना गया । जो भी जायज बातों की मांग की जाती है उसकी भी जांच आप नहीं कराते हैं। अगर पुलिस का संरक्षण न होता तो वहां पर जहरीली शराब बिक ही नहीं सकती थी। लेकिन आपने इसकी जांच नहीं करायी और दोषी लोगों को दण्डित नहीं किया ।

मान्यवर, ग्वालटोली, कानपुर में एक नौजवान को थाने में ले जाकर इतना पीटा गया कि उसकी मौत हो गयी। उस लड़के का नाम अखलाख अहमद उर्फ बच्चू था । उसके ऊपर कोई जुर्म नहीं था। संयोग की बात है कि मैं कानपुर गया था इसलिए मैंने देखा । उसकी पुलिस से कहासुनी हो गयी, सिपाही ने उससे झगड़ा किया और बिना वजह उसको थाने में ले जाकर मारा जिससे उसकी मौत हो गयी । पुलिस आज इसी तरह से लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रही है। चन्द्र पाल जिला बांदा में थाना कमासिन का रहने वाला था उसको घर में से पुलिस पकड़ कर ले गयी और इनकाउंटर कर दिया । मैं चाहता हूं कि ऐसी जो मिसालें हैं उनकी आप जांच करायें जिससे पुलिस जो जुल्म कर रही है, पुलिस की जो साजिश है वह जाहिर हो सके ।

इसी तरह से पट्टी जिला प्रतापगढ़ में 4 आदमी पुलिस की गोली से मारे गये। वहां पर चोरियां हो रही थीं, लोगों ने वहां के चौकीदार को पकड़कर बांध दिया, जब चौकीदार छूटा तो उसने थाने जाकर खबर दी कि चोरों ने उसको बांधा है। बजाय इसके कि पुलिस चोरों को पकड़ती पुलिस ने बहादुरी दिखायी और जनता जो विरोध कर रही थी उसके ऊपर गोलियां चलायीं जिसमें 4 लोगों की मृत्यु हो गयी । मैं समझता हूं कि इस तरह के दुर्व्यवहार को रोकने के लिए ऐसे पुलिस के अधिकारियों को आपको चाहिए कि अधिक से अधिक सजा दिलाने की कृपा करें और अगर सजा नहीं दिलायी जाती है, तो पुलिस की यह प्रवृत्ति चलती रहेगी । इसी तरह से देवरिया में नर-तांडव हुआ, वहां पर लूट-पाट हुई, उसको आप रोक नहीं पाये हैं। पुलिस का दुर्व्यवहार आये दिन बढ़ता चला जा रहा है, मुझे खास करके इस सम्बन्ध में आप से कहना है, आप इस पर विचार करें। आपने एक गुण्डा एक्ट पास किया था, उस वक्त मैंने कहा था कि इसका दुरुपयोग किया जायगा, आपने कहा था कि नहीं-नहीं, किसी तरह से दुरुपयोग नहीं किया जायगा । जनपद फतेहपुर के थाना हथगांव के अन्तर्गत ग्राम केसरुवा में एक दस्यु सुमेर सिंह उर्फ बाबू सिंह थे, जिनका आतंक फतेहपुर जनपद में ही नहीं वरन् रायबरेली, फैजाबाद, बस्ती, सुल्तानपुर, कानपुर आदि अनेक जनपदों में व्याप्त था। अनेकों बार आजीवन कारावास की सजा हुई।

इस सम्बन्ध में हमारे दल के श्री मजहर हैदर नकवी ने उच्च अधिकारियों को उक्त अपराधी की गतिविधियों के बारे में प्रार्थना-पत्र दिये और समाचार पत्रों के माध्यम से भी अवगत कराते रहे। यहां तक कि मजहर हैदर नकवी ने दिनांक 26-3-82 को माननीय न्यायमूर्ति श्री जगमोहन सिन्हा के समक्ष उच्च न्यायालय में प्रस्तुत होकर उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये पूर्व आदेशों का पुलिस अधिकारियों

द्वारा पालन न किये जाने की शिकायत की और 24 वर्षों बाद पुनः दबे हुए कागजों की जांच और गिरफ्तारी के वारन्ट के आदेश दिये गये, परन्तु पुलिस अधिकारियों ने कुछ राजनैतिक व्यक्तियों के दबाव में उक्त अपराधी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की । मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या पुलिस ने अपने हाथ में कानून ले रखा है या वह जिसे चाहे उसे बन्द कर दे । यह गुण्डा एक्ट का दुरुपयोग किया गया, उसके अनुसार 16 नवम्बर, 1987 को जो अपराध की स्थिति है, वह उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अपराध हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 53,498, महाराष्ट्र में 44,607, मध्य प्रदेश में 43,446, बिहार में 29,393, तमिलनाडु में 26,583, कर्नाटक में 20,793, आन्ध्र प्रदेश में 18,239, पश्चिमी बंगाल में 17,547, गुजरात में 21,220 । इस तरीके से आपके इस प्रदेश के अन्दर सबसे ज्यादा अपराध हुए हैं । इसी तरह से बलात्कार के केसेज मध्य प्रदेश में 366, उत्तर प्रदेश में 345, महाराष्ट्र में 206, राजस्थान में 177, पश्चिमी बंगाल में 153 हुए हैं।

श्री वीर बहादुर सिंह–

रहने दीजिए, अब बहुत हो गया ।

श्री सत्यपाल सिंह–

तो फिर कल के लिए रख लें ।

वर्ष 1985, 1986 एवं 1987 में दहेज हत्याओं की संख्या के बारे में बताना चाहता हूं। 1985 में दहेज हत्यायें 323 हुई हैं, 1986 में दहेज हत्यायें 601 हुई हैं, 1987 में दहेज हत्यायें 703 हुई हैं। इस तरह से दहेज हत्यायें बढ़ती ही जा रही हैं, जिसे आप रोक नहीं पा रहे हैं। मैं दूसरी चीज जो कहना चाहता हूं वह साम्प्रदायिक सद्भाव के विषय में कहना चाहूंगा । आपके प्रदेश की सरकार साम्प्रदायिक सद्भाव कायम रखने में पूर्ण रूप से विफल रही है। आपकी सरकार महंगाई नहीं रोक पायी, बेरोजगारी नहीं रोक पायी, भ्रष्टाचार नहीं रोक पायी। भ्रष्टाचार में तो आपकी सरकार ने रिकार्ड ही तोड़ दिया । भ्रष्टाचार में तो कोई कोर-कसर रखी ही नहीं गयी ।

अगर हम किसी विधायक से यह कह दें कि तुमने 500 रु0 ले लिया, तो वह यह नहीं कहते हैं कि हमने गलती किया, बल्कि वह यह कहते हैं कि महाजनो येन गतः सपंथाः, बड़े लोग जिधर चलते हैं, छोटे लोग भी उधर ही चलते हैं। आज उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा आदमी कौन है यह अगर पूछा जाय, तो यह किसी पूंजीपति का नाम नहीं लेगा, बल्कि मान्यवर, आपका नाम लेगा, जिसके पास सबसे बड़ा पालिटिकल पद हो, जो ऊंचे स्थान पर होगा, उसी के पास ताकत होगी । उसी प्रकार से चौधरी साहब ने कहा था कि जहां पर भी, जिसके पास पोलिटिकल पावर होगी, वह जिस तरह से आचरण करेगा, के सारा व्यक्ति उसी तरह का आचरण करेंगे ।

आज जो हमारी नौकरशाही है, उसका भी आचरण बहुत गिरा है, उसमें भी गिरावट आयी है। ये जो बड़े-बड़े आई0 ए0 एस0, आई0 पी0 एस0 अधिकारी हैं, इन्होंने अपनी कितनी बड़ी हैसियत बढ़ा ली है, इसका आपने कभी अंदाजा किया

हैं। आप भ्रष्टाचार को रोकने में कहीं पर भी सफल नहीं हो पाये हैं। और जब सफल नहीं हुए तो भ्रष्टाचार आये दिन बढ़ता चला जा रहा है। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि तीन चीजें थीं महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार इसको आप दूर नहीं कर पाये हैं। आपके मेरठ के अन्दर जो कुछ हुआ है वह बहुत ही शर्मनाक है आप कहेंगे कि पुलिस और पी0 ए0 सी0 दोषी नहीं है लेकिन आपकी एमनेस्टी इंटरनेशनल रिपोर्ट, ज्ञान प्रकाश की रिपोर्ट है। उत्तर प्रदेश का प्रशासन और पी0 ए0 सी0 ने मलयाना में जो कत्लेआम किया 3 साल व्यतीत हो गये लेकिन हाशिमपुर और मलयाना का कत्लेआम पी0 ए0 सी0 और पुलिस ने...

श्री वीर बहादुर सिंह–

जांच हो रही है।

श्री सत्यपाल सिंह–

जांच तो हर चीज की हो रही है, जांच का आलम यह है कि उदाहरण के तौर पर यह जो आपका सेतु निगम है इस सेतु निगम के अन्दर जो फाइनेन्शयल फ्रा था उसमें सारा निगम फंसा है पिछले वर्ष उस सेतु निगम के अधिकारियों के खिलाफ मैंने जांच के लिए दिया था। उसकी जांच आपने सी0 बी0 आई0 को सौंपी थी जब अधिकारी घर पहुंच गये तब जांच शुरू हुई। मेरा आरोप था कि ईराक के अन्दर ठेके पर काम लिया जाता लेकिन बगैर कोई संविदा किये वहां पर सेतु बना दिया। ईराक की गवर्नमेंट ने मना कर दिया कि हम कोई व्यवस्था नहीं करेंगे। बगैर शासन की अनुमति के यह लोग विदेशों में सामान खरीदते हैं, मटरगस्ती करते हैं, अफरातफरी कर रहे हैं। लेकिन आपका कोई अंकुश नहीं है।

माननीय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि 26 आई0 ए0 एस0 अधिकारियों के खिलाफ लोकायुक्त में मसला था मैंने उसका जजमेन्ट पढ़ा उसमें लिखा था "कोई भी आरोप साबित नहीं होता है लेकिन फिर भी कोई सबूत हो तो दे दिया जाय" मैंने पहली बार जजमेन्ट में यह पढ़ा है कि सबूत हो तो दे दिया जाय। यह जजमेन्ट है। इनके लोकायुक्त के विषय में प्राविधान है कि उनके कार्यकाल को नहीं बढ़ाया जायेगा उनको दूसरी सेवा में नहीं लिया जायेगा। लेकिन उसका कार्यकाल बढ़ाया गया।

श्री वीर बहादुर सिंह–

जब लोकायुक्त के बारे में आप विश्वास खत्म कर देंगे। यह कहा गया कि लोकायुक्त के बारे में सबकी आस्था रहनी चाहिए। लोकायुक्त इसलिए बनाया गया कि सबका विश्वास था कि लोकायुक्त बनाये जायेंगे तो वह सही मायने में जो शिकायत होगी उसका निपटारा करेंगे। आप उसके ऊपर शक कर रहे हैं तो यह शक का कोई जवाब नहीं है। आप कहते हैं कि उनका कार्यकाल बढ़ाया गया। कार्यकाल उस व्यक्ति का बढ़ाया जाता है जिसको समझा जाता है कि अच्छा कार्य कर रहा है, जिसके रहने से अच्छा काम होगा। अब उसको कोई शंका की निगाह से देखता है यह अच्छा काम नहीं है, नहीं करना चाहिए।

श्री सत्यपाल सिंह–

जज का या न्यायालय की आलोचना करने का अधिकार हमें नहीं है लेकिन इंसाफ तो वह है जो दिखायी दे । इसका एप्वाइन्ट नेता विरोधी दल और मुख्य मंत्री को मिलकर करना चाहिए लेकिन मुख्य मंत्री ने खुद कर दिया नेता विरोधी दल से पूछा भी नहीं गया । यह आपकी तानाशाही नहीं तो और क्या है ? यही एक पद था जिसमें नेता विरोधी दल से पूछना चाहिए था और आप हमारी जुबान बन्द कर रहे हैं कि हम यह भी नहीं कह सकते हैं। आपने अपराधों को रोकने के लिए एक बहुत बड़ी प्रक्रिया अपना ली है कि पैरोल बन्द कर दिया इसके बन्द करने से अपराध कम हो जायेगा ? फतेहगढ़ जेल के अन्दर जब मैं गया हूं तो देखता हूं कि वहां पर लगभग 30 बन्दी ऐसे हैं जो 70 से लेकर 90 साल की उम्र तक के हैं और 20 से लेकर 30 साल की सजा काट चुके हैं। मुख्य मंत्री जी आप समझ लें 20 से लेकर 35 साल की सजा काट चुके हैं और 70 से 90 साल की उम्र है, ऐसे कैदी अपंग हैं, अंधे हैं, दीवार के सहारे चलते हैं, मैं सुझाव देता हूं, सारे के सारे लोग कह रहे हैं कि यह आपका पहला कार्यकाल है कि यहीं पर सारे बन्दी क्रिमिनल हो जायेंगे । जो लोग अपराध करने की हैसियत नहीं रखते हैं, उनको बिना वजह आप बन्दी बनाये हैं और उन पर आपका पैसा खर्च हो रहा है, उनको खिला रहे हैं। बंदियों के सुधार के बारे में सरकार की नीति है। उनको सुधारात्मक सजा दी जानी चाहिए । जो भी 2-4-10 साल की सजा काट लेते हैं, वह समझ लेते हैं कि लाख ठोकरें खा लेंगे लेकिन ऐसा काम नहीं करेंगे कि जेल में फिर आना पड़े । तमाम बंदी असहाय हैं, वृद्ध हैं, आप उनके पैरोल की व्यवस्था करावें ताकि उनका अन्तिम संस्कार उनके घर वालों को करने को मिल जाय । मैं केवल एक सुझाव दे रहा हूं, वरना उन बन्दियों से मेरा कोई मतलब नहीं है।

श्री वीर बहादुर सिंह–

आप सही सुझाव दे रहे हैं।

श्री सत्यपाल सिंह–

जितने बंदी हैं, हमारे देश को कानून और व्यवस्था इतनी गलत है, जिसके तहत 70-71 परसेंट आदमी बेकसूर बन्द हैं, और सजा काट रहा है । कत्ल किसी और ने किया, रपट में लिखायेंगे दीक्षित जी, हुकुम सिंह जी और सब का नाम लिखा देंगे। कत्ल एक करता है, रपट में और तमाम बेकसूर को फंसा दिया जाता है। हरदोई, शाहजहांपुर में यह सब है। सारे के सारे परिवार बन्द हैं।

श्री वीर बहादुर सिंह–

आपने जो सुझाव दिये, उनमें यही एक सुझाव सही है, उसको मैं मान लूंगा ।

श्री सत्यपाल सिंह–

एक ही सुझाव सही दिया और बाकी का सारा बोलना चालना बेकार । मान्यवर, इसमें मुझे कहना है कि इस ओर भी ध्यान दें, गंगा की खुदाई हो रही है। कानपुर के लोगों की मंशा है कि गंगा कानपुर में घाटों के पास ले आयी जाय । वहां पर

नरेन्द्र सिंह जी गये भी थे। आपने कह दिया कि यह राजनीति प्रेरित है। वहां पर गंगा की खुदाई के लिये तमाम स्वयंसेवी संस्थायें लगी हुई हैं, लेकिन आप यह कह कर टालते हैं कि राजनीति से प्रेरित है। मैं चाहता हूं कि आप वहां की जनभावनाओं को ध्यान में रखें।

श्री वीर बहादुर सिंह–

ऐसा नहीं है।

श्री सत्य पाल सिंह–

यह भी सुझाव आशा है कि आप मानेंगे। वहां पर खुदाई का काम अपने हाथ में लें। यह सरकार थकाऊ नीति पर चल रही है।

एक सदस्य–

आज आप थका रहे हैं।

श्री सत्यपाल सिंह–

आप नहीं देख रहे हैं कि रोडवेज के कर्मचारी 15 मार्च से हड़ताल पर जा रहे हैं। बेहतर यह होता कि परिवहन मंत्री समझौते से बात को सुलझाते। लेकिन आप सहानुभूति से कोई बात नहीं सुलझाते और फिर हड़ताल होती है और आप प्रदेश को घाटा करा देते हैं। मेरा आपसे कहना है कि रोडवेज के कर्मचारियों की होने वाली हड़ताल को समाप्त करावें। रायबरेली की सूत मिल हड़ताल, लोहिया मशीन बन्द पड़ी है, उनके कर्मचारियों की फाइल आपके यहां लम्बित है, कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा है।

मैं चाहता हूं कि लोहिया मशीनरी के कर्मचारियों की समस्याओं को आप देख लीजिये। इसके अलावा कानपुर और लखनऊ में जो छात्रों की समस्यायें हैं उनको देखें और लखनऊ एवं कानपुर में जो छात्रावास बन्द पड़े हुए हैं उनको खुलवायें। स्कूटर इण्डिया लि0 आप प्राइवेट हाथों में देने जा रहे हैं वहां के कर्मचारी इस सम्बन्ध में आये दिन हड़ताल कर रहे हैं इस सम्बन्ध में भी विचार करें और साथ ही साथ विचार करके सहानुभूतिपूर्वक उनके मामले को निपटाने की कोशिश करें। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि खासतौर से पिछड़े वर्गों के सम्बन्ध में आपका काफी विरोधी रुख रहा है। पिछड़े वर्ग को वर्ष 1978 में 15 फीसदी प्रोन्नतियों में आरक्षण दिया गया था। जो प्रोन्नतियों में आरक्षण दिया गया था उसको 30 सितम्बर, 1981 को समाप्त कर दिया गया। लेकिन अनुसूचित जाति के लोगों का जो आरक्षण था प्रोन्नतियों में वह उसी शासनादेश में जारी रहा।

अनुसूचित जाति का जारी रहा और पिछड़े वर्ग का आपने समाप्त कर दिया, इस पर आप ध्यान दें। पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ इस तरह से बड़ा अन्याय हुआ है उनका भी प्रोन्नतियों में आरक्षण बरकरार रहना चाहिये। छोटे लाल पाण्डेय का केस था, आपको मालूम होगा, 1978 में यह हाईकोर्ट में गया था। यह बात आयी थी कि कोई कमीशन यहां ऐसा नहीं बना जिसमें यह क्लियर हो जाय कि कौन-कौन सी जातियां पिछड़े वर्ग की हैं, फिर वह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है आपका सरकारी वकील वहां यह कहता है कि वर्ष 1978 के बाद एक कमीशन

बनाया गया, उसका उन्होंने नाम लिया नहीं लेकिन उनका इशारा मण्डल कमीशन की ओर था, जिसने पिछड़े वर्ग की जातियों के सम्बन्ध में रिपोर्ट कर दिया । यह मसाला उत्तर प्रदेश सरकार का था 15 प्रतिशत रिजर्वेशन का । मण्डल कमीशन केन्द्र सरकार का है। जब मण्डल कमीशन की बात पूरी-पूरी स्वीकार की जायेगी तब आप पर वह लागू होगा ।

52 फीसदी इन पिछड़े वर्ग के हितों के लिये, उनके हितों की रक्षा के लिए उस मण्डल कमीशन में जातियां दी गयीं या काका कालेकर रिपोर्ट में जातियां दी इन सबके सम्बन्ध में महीने दो महीने में आप किसी व्यक्ति के द्वारा रिपोर्ट मंगा लें और आप उसे कैबिनेट से पास करा दें कि इन पिछड़े वर्गों को आरक्षण दिया है। क्योंकि यह आपके कार्यकाल में हुआ है। आपके सरकारी वकील की लापरवाही की वजह से हुआ है । पिछड़े वर्ग के लोग इसे बड़ी ही गम्भीरता से ले रहे हैं । उनके हितों को आप देखिए । अगर आप उनकी ओर नहीं देखते हैं तो यह वर्ग आपसे बिल्कुल सहमत नहीं होगा । आपने सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग को कतई कतई नकार दिया है और उनके लिए कोई भी जगह नहीं मिल पा रही है । इसके अतिरिक्त अब मैं आपका ध्यान खाद प्रणाली की वितरण व्यवस्था की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा । जितने कोटे हैं सस्ते गल्ले के यह सारे कोटे आपकी पार्टी के लोगों ने लेकर रखे हुए हैं । शक्कर देहातों तक जा ही नहीं पाती है । जितनी चीजों से पैसा पैदा किया जा सकता है, उसमें गड़बड़ी की जा रही है ।

उत्तर प्रदेश के अनेक जिलों की बात मैं बता रहा हूं जहां इस वितरण व्यवस्था के माध्यम से लोगों के पास सामान नहीं पहुंच पा रहा है । इस व्यवस्था के पीछे जो आपकी मंशा थी कि आवश्यक सामान गरीब जन तक पहुंच जाय, वह पहुंच नहीं पा रहा है । मैं चाहता हूं कि इस कोटे के विषय में कुछ आमूल चूल परिवर्तन नीति में किया जाय । यह भी करें कि जिन प्रधानों के पास कोटा अगर होगा, और वह गड़बड़ी करते हैं तो उस प्रधान का कोटा ही समाप्त नहीं कर देंगे बल्कि उसे निलम्बित भी कर देंगे । आपके भण्डारागारों में लाखों टन गल्ला पड़ा है, आपकी दुकानों तक सामान पहुंचने के बावजूद भी वह उन गरीबजनों को नहीं मिल पा रहा है इसको देखने की जरूरत है । इस वितरण प्रणाली में विशेषकर ध्यान दें ताकि सामान गरीबजन तक पहुंच सके और इसमें जो खामियां हैं उसमें आवश्यक सुधार लाने की भी जरूरत है उस पर भी आप विचार करें ।

(इस समय 7 बजकर 40 मिनट पर, अधिष्ठाता श्री खान गुफरान जाहिदी पीठासीन हुए)

मान्यवर, जो बरेली मण्डल है, वहां की चावल मिल के जो मिल ओनर्स हैं, उन्होंने अब धान खरीदना बन्द कर दिया है । जो भी लेवी का चावल था, वह तो उन्होंने दे दिया सारे उत्तर प्रदेश में । मुख्य मंत्री जी आप मेरी बात को जरा ध्यान से समझिये । लेवी का चावल देने के बाद बाकी चावल को उत्तर प्रदेश के बाहर भेजने का पूरा अधिकार उन मिलओनर्स को है । लेकिन मान्यवर, आपकी जो मंत्री दीना कौल जी हैं, उन्होंने वहां पर ओरल आदेश दे दिया । जबकि अदालत का आदेश था और हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद भी बरेली मण्डल के मिलओनर्स अपने उत्तर प्रदेश

के बाहर चावल को नहीं भेज रहे हैं क्योंकि आपकी मंत्री जी ने ओरल (मौखिक) आदेश दे दिया था । जिसका अन्जाम यह हुआ कि उन मिल वालों ने धान खरीदना किसानों से बन्द कर दिया, जिससे उनके आगे भुखमरी की स्थिति पैदा हो गई है, इस तरह भी आप कुछ ध्यान दे दें, जिससे उनको कुछ राहत हो सके ।

मान्यवर, मैं एक बात और कहना चाहता हूं वह ऐसी अनोखी बात है जो उत्तर प्रदेश के अलावा कहीं और नहीं होगी । एक इन्फेनट मिल्क फूड फैक्टरी है वहां पर 3 करोड़ 95 लाख का घाटा है । जनवरी, 1987 से लेकर अक्टूबर, 1987 तक के केवल 10 महीनों में वहां इतना घाटा हुआ है । वहां के जो मैनेजर हैं, वह केवल हाईस्कूल पास है और उनका नाम ओ0 पी0 यादव है । मान्यवर, इस फैक्टरी के अन्दर प्रतिवर्ष घाटा हो रहा है और जबकि वहां पर केवल दूध का पाउडर ही बनाया जाता है । मुरादाबाद के अन्दर, दलपतपुर में इस तरह का निगम बना हुआ है । इससे वहां पर बड़ा भारी नुकसान हो रहा है । एक बात और मान्यवर, वह यह कि मुरादाबाद में ही सैदपुर में जहां गंगा नदी और रामगंगा नदी मिलती हैं, वहां पर 3 हजार रुपये सन् 1982 में उसके गैप को पूरा करने के लिये खर्च किये गये । लेकिन जब मान्यवर, उसके बाद उनके रिपेयर का प्रश्न आया, तो सन् 83-84 में 3 हजार की जगह 84 हजार रुपये खर्च किये गये और उसके बाद उसी काम पर वर्ष 84-85 में 5 लाख 56 हजार रुपये खर्च हुये । इस तरह से 10 लाख 56 हजार रुपये बरबाद किये गये और यह रुपया वहां के अधिकारियों ने अपनी जेबों में भर लिया । चाहे वह पी0 डब्लू0 डी0 के इंजीनियर हो या फिर और कोई इंजीनियर हों । पहले वह जिस कमीशन को 15 से 20 फीसदी लिया करते थे, उसको आपके जमाने में 50 फीसदी तक लिया जा रहा है और उसका अंजाम यह है कि सड़कों के नाम पर, अन्य कामों के नाम पर केवल कागज में ही पैसा दिखाया जा रहा है । यह कमीशन आज 50 से 60 फीसदी तक वसूला जा रहा है । चाहे एन0 आर0 ई0 पी0 हो, चाहे आर0 एल0 जी0 पी0 हो, इसमें भी डी0 एम0 और ए0 डी0 एम0 5 से 10 फीसदी तक पैसा ले रहे हैं । कमीशन-बाजी पिछले कुछ दिनों से बहुत बढ़ती जा रही है, इस बात को आप भी समझते होंगे ।

आप कितना ही पैसा दे दें, कितने ही अच्छे प्रोग्राम और स्कीमें बना दें, लेकिन जब तक आप इस कमीशनबाजी को नहीं रोकेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। एक बात और मैं कहना चाहता हूं कि आपने नगरपालिकाओं के चुनाव वर्षों से नहीं कराये हैं । आपने वायदा किया है कि हम इस जून के अन्त तक करा देंगे । मुझे आपसे कहना यह है कि जो हाउस टैक्स वाटर टैक्स जो उन लोगों द्वारा निर्धारित कर दिये गये हैं, जो इसको निर्धारित करने के लिये कम्पीटेंट नहीं थे जैसे चपरासी, क्लर्कों द्वारा । तो मान्यवर, आज जो यह टैक्स लगाया गया है, उसका अंजाम यह हुआ है कि गरीबों पर बहुत ज्यादा यह टैक्स लगा दिया गया है और रईसों पर बहुत कम लगाया गया है । क्योंकि अमीरों ने उन कर्मचारियों की जेबें भर दीं यह जो टैक्स लगाया गया है, सही रूप से नहीं लगाया गया है । अगर आप जून तक चुनाव कराने जा ही रहे हैं तो आप चुनाव तक इस टैक्स को वसूलने की मेहरबानी

न करें, इसे खेद दें । इसे आप नोट कर लें इससे प्रदेश के गरीब और शहरी नागरिक का हित होगा । अभी मान्यवर, ओलावृष्टि हुई । लखनऊ के 50 मील के परिधि में यह ओलावृष्टि हुई । हम तो माननीय मुख्य मंत्री जी आपके सामने ही बैठे थे । लेकिन इस संबंध में आपकी तरह से कोई स्टेटमेन्ट नहीं दिया गया कि ओलावृष्टि से प्रभावित लोगों को हम कोई राहत देने जा रहे हैं । आप इस तरफ ध्यान दें । खरीफ की फसल का तो नुकसान हो ही गया था, अब इस ओलावृष्टि से रबी की फसल का नुकसान भी हो गया है, इसलिए इससे प्रभावित किसानों के बच्चों के स्कूल की फीस, उनका रेवेन्यू, सिंचाई का जो कर्जा है और जो उन्होंने लोन लिया है, उसे माफ आप कर दें । साथ में जिस तकावी व अनुदान की वह मांग करते हैं, उसकी व्यवस्था आप उनके लिए करें ।

दूसरी बात मैं स्वास्थ्य विभाग के बारे में कहना चाहता हूं । माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी व स्वास्थ्य सचिव की बीच में अन्तर्द्वन्द चल रहा है । जैसे आपके व विरोधी दल के बीच में चल रहा है । मैं आपको स्पष्ट उदाहरण देना चाहता हूं ।

श्री वीर बहादुर सिंह–

माननीय श्री हुकुम सिंह जी कह रहे हैं कि जैसे आपके व श्री मुलायम सिंह जी के बीच चल रहा है ।

श्री सत्यपाल सिंह–

हम एक दूसरे को निकाल नहीं रहे हैं । आपने कहा कि 6 हजार तक की आमदनी वाले को मुफ्त चिकित्सा दी जा रही है । पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 1987-88 में प्रत्येक जिले को दवाईयों हेतु पैसा कम दिया गया है । आपका जो प्लास्टर है, एक्स-रे है, चाहे ब्लड व यूरीन की जांच हो, इन सारी चीजों पर पैसा लिया जा रहा है । 20 फीसदी लोगों को आप मुफ्त खाना दे रहे हैं, जो कि पहले सभी डेस्टीट्यूट लोगों को दिया जाता था । ऐसा विचार तो आपका कल्याणकारी राज्य के लिए रहता है । अस्पताल का खाना कोई भला आदमी खाना नहीं चाहता, केवल डेस्टीट्यूट ही मजदूरीवश उसे खाता है, इसलिए आप इसे पुनः शुरू कराईये, दवाइयों के लिए जो कम बजट दिया गया है, उसे दवाईयों जांच आदि पर फीस लगाई गई है उसे माफ किया जाय । आपकी सरकार तो पूंजीपतियों की सरकार है ।

श्री वीर बहादुर सिंह–

पूंजीपति तो वहां बैठते हैं ।

श्री सत्यपाल सिंह–

दवाईयों के नाम पर बजट कम कर दिया गया । पूरी की पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था गड़बड़ हो रही है । राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में कहा कि सन् 2000 तक सारे प्रदेश के अन्दर स्वास्थ्य की आवश्यकतायें पूरी कर दी जायेंगी । इसलिए आप कल्याणकारी राज्य के बारे में पुनः विचार करें । देहाती जीवन को सुधारने के लिए मेरी 6 चीजों के फारमूले की तरफ आप ध्यान दें, भले ही आप लागू करें या न करें । जब हम वहां बैठेंगे, तब हम लागू करेंगे । ये 6 चीजें हैं–सड़कें, सुरक्षा, सिंचाई, सुरक्षा, बिजली और दवाई । यदि आप अपने कार्यकाल से इन चीजों को

मुहैय्या करवा देते हैं तो यह माना जायेगा कि आप प्रदेश के किसानों और गरीबों के हमदर्द हैं ।

जो अन्तर्कलह चल रही है, उसके सम्बन्ध में एक बात बताना चाहूंगा । एक आदेश स्वास्थ्य मंत्री का है कि जितने माह दिसम्बर, से अब तक के आदेश गये हैं, वह निरस्त कर दिये जायं, न लागू किये जायं । लेकिन उन्होंने फिर भी लागू कर दिया । तब 1 दिसम्बर, 1987 को माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी स्वास्थ्य सचिव को आदेश देते हैं कि 1 दिसम्बर, 1987 के बाद जो भी शासनादेश निदेशालय को गये हों, उनका कार्यान्वयन तत्काल स्थगित कर दिया जाय, इन समस्त शासनादेशों की प्रतियां तुरन्त उपलब्ध करायें, 1-1-88 को आदेश देते हैं, यह इस बात का प्रतीक है कि दोनों के बीच में झगड़ा चल रहा है, इससे जो प्रदेश का स्वास्थ्य का लक्ष्य है, पूरा नहीं हो सकता ।

माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने बंदिश लगा दी कि जो भी डाक्टर एम0बी0बी0एस0 या बी0 एम0 एस0 करके आयेंगे, उन्हें 5 सालों तक अस्पतालों में काम करना पड़ेगा । आप फौज तो खड़ी कर रहे हैं, लेकिन डाक्टरों की कमी अभी भी उत्तर प्रदेश में है । सरकार ने पिछले दिनों में विज्ञप्ति जारी की, जगहें निकालीं, 4000 जगहें थीं, 2700 दरखास्तें आयीं । आपने सभी को सेलेक्ट कर लिया, उनमें से 1200 नियुक्ति पत्र लेने आये, पता चला है कि 700 ने ज्वाइन किया है । मेरा कहना यह है कि जब डाक्टर इन्जीनियर्स डिप्लोमा होलडर्स तक नहीं हैं तो क्यों नहीं बल देते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में अधिक से अधिक लोग डाक्टरी की डिग्रियां लेकर आयें ताकि कमी को पूरा किया जा सके । इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं बल्कि बेरोजगारों की फौज जमा कर रहे हैं ।

अब बहुत संक्षेप में कहता हूं शत्रु सम्पत्ति की बात थी कानपुर में, उस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहूंगा ।

एक बात यह कहना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल ने अपने अभिभाषण में इस बात का जिक्र नहीं किया कि आप अकेले ऐसे मुख्य मंत्री हैं, जिनकी कार्यकाल में सारे महत्वपूर्ण डिपार्टमेण्ट्स पर आप कुण्डली मारे बैठे हैं . . .

(व्यवधान)

श्री वीर बहादुर सिंह–

आपके लिये जगह है, आप आ सकते हैं ।

(हंसी)

श्री सत्यपाल सिंह–

इसका परिणाम यह है कि कार्य क्षमता नहीं बढ़ पा रही है, 60 विभाग जिस मुख्य मंत्री के पास होंगे, वह क्या कर पायेगा ? अच्छे अच्छे लोगों को कैबीनेट में लीजिये और उनको विभाग दीजिये । हर बार चारा फेंक देते हैं कि सदन के इस सत्र के बाद मंत्रिमण्डल बढ़ायेंगे । बहुत दिन हो गये बहकाते-बहकाते, पता नहीं कभी संगम होगा या नहीं, आपके कार्यकाल में । महामहिम राज्यपाल महोदय ने जिक्र नहीं किया, कि आप अपने पद की व्यवस्था के अतिरिक्त इतने सारे विभागों को एक साथ देख सकते हैं ।

दूसरी बात, जो आपकी विधान परिषद् है इसकी अन्दर 108 सदस्य होने चाहिये, 12 सदस्यों का मनोनयन होना है, वह नहीं हो पाया । लोकल बाडीज की 39 सीटें थीं, वह भी नहीं भर पायीं । विधान परिषद् डिफक्ट (निष्क्रिय) है, वहां का कार्य प्रभावी रूप से नहीं हो पा रहा है । इसलिये चाहूंगा कि विधान परिषद् के अन्दर लोकल बाडीज से चुनाव जल्द से जल्द करायें और 12 सीटों का मनोनयन करें ताकि सही तरीके से काम हो सके । दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि आपके कार्यकाल में विधायकों का सम्मान और इज्जत जो कि उन्हें मिलनी चाहिये, वह नहीं मिल पा रही है क्योंकि पुलिस के लोग, आपके कलेक्टर और कप्तान उनके साथ सम्मान-जनक व्यवहार नहीं करते हैं । जो आपके प्रोटोकाल के आदेश हैं उनका पालन वे लोग नहीं कर रहे हैं । आप सेक्रेटरी से कहिये कि प्रोटोकाल के तहत वे लोग विधायकों का सम्मान करें । यदि आप अपने कार्यकाल में यह नहीं कर पा रहे हैं तो यह बात आपकी विफलता की परिचायक है ।

एक चिट्ठी मुझे मिली थी उसमें किसी ने मुझे धमकी दी थी मैंने उसे अध्यक्ष जी को दिखलाया था । इस बात को दो महीने हो गये जब हर गोविन्द वर्मा जी का कत्ल हुआ तभी यह मुझे मिली थी । मुझसे एस0 पी0 महोदय ने पूछा कि क्या किया जाय? मैंने कहा कि मुझे केवल एक गनर दे दीजिये, मैं कोई मुख्य मंत्री तो हूं नहीं कि मेरे साथ स्कार्ट लगेगी, मैं तो नेता विरोधी दल हूं और जनता के बीच ऐसे ही घूमता हूं । कहीं-कहीं तो रात में अकेले भी जाना पड़ता है और चक्कर लगाना पड़ता है । आपके साथ तो पूरी सत्ता है, बहुमत है, मैं मंत्रिमण्डल है, मैं ऐसे ही अकेले आपकी बराबरी करता हूं । मेरे साथ ही राम नरेश यादव जी को भी धमकी दी गयी थी, उनके लिये भी आप कोई व्यवस्था करा दें । मैंने तो अपने लिये केवल गनर के लिये ही कहा था लेकिन अभी तक वह भी मुझे नहीं दिया गया है ।

मुझे यह भी कहना है कि आग्नेय शस्त्रों के आपने बहुत दिनों से लाईसेन्स बन्द कर रखे हैं । यहां कानून व्यवस्था ऐसी है कि राहजनी, डकैतियां बराबर हो रही हैं । आप जांच करा करके सुपात्र को जिनकी जीवन को खतरा है उनको लाईसेन्स दिलाने की कृपा करें । आपके पीछे तो घोड़ा-गाड़ी हो जायेगी परन्तु जो बिचारा अकेला नागरिक है उसको अपने अस्त्र का ही सहारा है । आप उसका वेरीफिकेशन करा लें और उसे लाईसेन्स दिलाने की कृपा करें ।

आज पुलिस से ज्यादा लोगों को सी0 आई0 डी0 पर भरोसा हो गया है, उसको पुलिस पर भरोसा नहीं है । मैं चाहूंगा कि आप इस सन्दर्भ में इनवेस्टीगेशन करायें और वह निष्पक्ष हो । जब पुलिस के लोग दण्डित होंगे तभी सी0 आई0 डी0 पर जो लोगों का भरोसा है, वह कम होगा ।

श्री अधिष्ठाता–

साढ़े आठ बज गया है ।

श्री सत्यपाल सिंह–

मैं बस समाप्त ही कर रहा हूं । मैं कहना चाहता हूं कि यथा नाम तथा गुण क्योंकि आप आश्वासनों के वीर हैं और आप अपनी कुर्सी बचाने में बहादुर हैं और इसमें आप सफल भी हुए हैं इसके लिये मैं आपको बधाई देता हूं, लोकतंत्र का गला घोंटने में आपने सारी पिछली पद्धतियों को पीछे छोड़ दिया है । पिछली बार हम लोगों

ने धरना दिया तो आपने निष्कासित कर दिया । संजय सिंह को फतेहगढ़ की जेल में भेज दिया यह सब बातें आपके बदला लेने की प्रतीक हैं । आप भी हमेशा कुर्सी पर नहीं रहेंगे । आपने संजय सिंह को फतेहगढ़ भेज दिया, क्या वे इस बात को भूलेंगे ?

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उस पर मैं घोर विरोध प्रकट करता हूं और पूरी तरह से मैं इसका विरोध करता हूं क्योंकि इसमें कोई नीति प्रदेश के लिये, कोई प्रकाश पुंज दिखायी नहीं देता है जिससे कि प्रदेश की प्रगति हो सके । मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने भाषण को समाप्त करता हूं ।

श्री वीर बहादुर सिंह–

आपने आशा के अनुकूल भाषण दिया है विरोध करके अपने कर्तव्य का पालन किया है । विरोध पक्ष में होने के नाते जो आपसे आशा थी, वही आपने किया भी है ।

(हंसी)

नियम 51 की अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं

श्री अधिष्ठाता–

आज नियम 51 के अन्तर्गत 13 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जिसमें से केवल एक सूचना सर्वश्री हरेन्द्र सिंह व राम शरण दास की जो निर्वाचन क्षेत्र खतौली, जिला-मुजफ्फरनगर के किसानों के समक्ष गन्ना आपूर्ति की गम्भीर समस्या के संबंध में है, स्वीकार हुई है, शेष सभी सूचनाएं अस्वीकार हुई हैं ।

अब हम उठते हैं कल 11.00 बजे पूर्वाह्न में फिर मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन 8 बजकर 33 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

लखनऊ :

25 फरवरी, 1988

भाल चन्द्र शुक्ल,

सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

आवश्यक/प्राथमिकता

(देखिए ता0प्र0सं0–11 का उत्तर पीछे पृष्ठ 29 पर)

प्रेषक,

निदेशक,
परिवार कल्याण एवं
राज्य परिवार कल्याण अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

सेवा में,

1––समस्त क्षेत्रीय अपर निदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 ।

2––समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उ0प्र0 ।

सं0प0क0/(2) अति0नि0(कैम्प)/नीति/86–87/5570-69

दिनांक, सितम्बर 19, 1986

विषय––परिवार कल्याण कार्यक्रम हेतु वर्ष 1986-87 के व्यक्तिगत लक्ष्यों का निर्धारण ।

महोदय,,

वर्ष 1985–86 में परिवार कल्याण कार्यक्रम के व्यक्तिगत लक्ष्य विभिन्न श्रेणी के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को अनेक शासनादेशों द्वारा आवंटित किए गए थे । उक्त लक्ष्य इस वर्ष भी निर्धारित रहेंगे। व्यक्तिगत लक्ष्यों का विवरण निम्न प्रकार से दिया जा रहा है:

(अ) नसबन्दी

1––पुरुष स्वास्थ्य पर्यवेक्षक	दो प्रति माह
2––महिला स्वा0 पर्यवेक्षक (लेडी हेल्थ विजीटर)	दो प्रति माह
3––पुरुष बहुधंधी कायकर्ता	दो प्रति माह
4––महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता (ए0एन0एम0/प0का0कायकर्ता)	तीन प्रति माह
5––नगरीय क्षेत्रों में एवं नगरीय परिवार कल्याण केन्द्रों में नियुक्त मेल सोशल वर्कर, लेडी सोशल वर्कर, लेडी हेल्थ विजीटर तथा ए0एन0एम0	पांच प्रति माह
6––खण्ड प्रसार शिक्षक, जिला प्रसार शिक्षक जिला लेडी हेल्थ विजीटर	एक प्रति माह
7––चिकित्सालय व औषधालयों में नियुक्त अधीक्षक व वरिष्ठ अधीक्षक को छोड़ कर समस्त पुरुष चिकित्सा अधिकारी जिनमें एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, होम्योपैथी, पुरुष एस0ए0डी0 चिकित्सालय भी सम्मिलित है। इसमें प्रा0स्वा0 केन्द्रों के चिकित्साधिकारी सम्मिलित नहीं होंगे क्योंकि सम्पूर्ण प्रा0स्वा0 केन्द्रों के लक्ष्य उनके लक्ष्य हैं	एक प्रति माह
8––जिला चिकित्सालय व इन चिकित्सालयों में नियुक्त महिला चिकित्सा अधिकारी जहां प्रसव का कार्य होता है	तीन प्रति माह
9––शेष चिकित्सालयों जैसे स्टेट एलोपैथिक डिस्पेंसरी आदि में नियुक्त महिला चिकित्साधिकारी, जहां शैय्यायें नहीं हैं।	एक प्रति माह

10--समस्त चिकित्सालयों में नियुक्त स्टाफ नर्स, सिस्टर, फार्मेसिस्ट (फार्मासिस्ट के लिए 6 नसबन्दी वार्षिक का लक्ष्य निर्धारित है)	एक प्रति माह
11--चिकित्सालयों में नियुक्त वार्ड ब्वाय सफाई कर्मचारी	छः प्रति वर्ष

(ब) लूप निवेशन

लूप निवेशन के लक्ष्यों का वितरण निम्नवत् है--

1--लेडी हेल्थ विजीटर	आठ प्रति माह
2--ए0एन0एम0/प0क0 कार्यकर्ता	आठ प्रति माह
3--ए0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्र	300 प्रति केन्द्र प्रति माह
4--महिला चिकित्सालयों में कार्यरत चिकित्सा अधिकारी इसमें महिला एस0ए0डी0 भी सम्मिलित है।	पांच प्रति माह
5--पुरुष स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पुरुष स्वास्थ्य कार्यकर्ता	एक प्रति माह
6--भारतीय परिवार कल्याण केन्द्रों में तथा प्रसवोत्तर केन्द्रों में नियुक्त लेडी हेल्थ विजीटर, मेल सोशल वर्कर, महिला सोशल वर्कर तथा ए0एन0एम0	आठ प्रति माह
7--महिला चिकित्सालयों में नियुक्त स्टाफ नर्स सिस्टर	दो प्रति माह
8--महिला चिकित्सालय में नियुक्त आया, सफाई कर्मचारी	एक प्रति माह

(स) अन्य विधियों के लक्ष्य

परिवार कल्याण कार्यक्रम की अन्य विधियों के लक्ष्य को भी विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों में विभाजित करके तदनुसार सूचित करें।

उपरोक्त लक्ष्यों को प्रत्येक वर्ग के अधिकारियों व कर्मचारियों को वर्ष 1986-87 हेतु लिखित रूप में आवंटित कर दें तथा माहवार समीक्षा प्रत्येक स्तर पर सुनिश्चित करें।

प्रत्येक त्रैमास समस्त मंडलीय अपर निदेशक पूर्व में दिए गए पर जनपदवार प्रत्येक वर्ग द्वारा की गयी उपलब्धियों को वर्गीकृत रिपोर्ट अधोहस्ताक्षरी की अवलोकनार्थ अपने द्वारा कृत कार्यवाही के विवरण सहित भेजेंगे।

शासनादेश में निहित निर्देशानुसार समस्त अधिकारी व पर्यवेक्षक अपने-अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को पूर्ति के प्रति उत्तरदायी होंगे तथा वर्ष के अन्त में कार्य का मूल्यांकन वार्षिक प्रविष्टि में अनिवार्य रूप से किया जाय तथा अच्छे व असन्तोषजनक कार्य का तदनुसार अंकन किया जाय।

उपलब्धियों की गणना तुल्य नसबन्दी के आधार पर न की जाय। प्रत्येक विधि हेतु अलग-अलग मूल्यांकन किया जाय।

परिवार कल्याण लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति करने हेतु व्यापक कार्यवाही एवं समय-समय पर मूल्यांकन यथाशीघ्र आरम्भ कर दें। यह भी ध्यान में रखा जाय कि उपलब्धियों स्वैच्छिक आधार पर प्राप्त की जायें। जिसके लिए व्यापक प्रचार-प्रसार व क्रमागत अभिप्रेरण पर बल दिया जाय।

मुझे विश्वास है कि अगर आप उपर्युक्त सन्दर्भित शासनादेश के आदेशों/निर्देशों के अनुसार कार्य सुनिश्चित कर लें एवं अपने अधीनस्थ अधिकारियों/कमचारियों को कुशल नेतृत्व प्रदान

करें तो आप मण्डल/जनपद को दिए गए वार्षिक लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति अवश्य कर लेंगे। यहां यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि स्टरलाईजेशन के अतिरिक्त परिवार कल्याण के अन्य विधियों (स्पेसिंग मेथेड) पर भी यथोचित जोर दिए जायं।

भवदीय,

(ए0एस0 गुप्ता)

अपर निदेशक (परिवार कल्याण),

परिवार कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश,

लखनऊ ।

संख्या प0क0(2)अति0नि0(कैम्प) नीति 5634-266 दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित--

1--समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0 ।

2--समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 ।

3--निदेशक, होम्योपैथी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

4--निदेशक, आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ ।

5--समस्त मुख्य/वरिष्ठ/चिकित्सा अधीक्षक, महिला एवं पुरुष चिकित्सालय, उत्तर प्रदेश ।

6--समस्त प्रधानाचार्य, क्षेत्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रशिक्षण केन्द्र पी0 एच0एन0/ए0एन0एम0 प्रशिक्षण केन्द्र, उ0प्र0 ।

7--परिवार कल्याण एवं मातृ शिशु कल्याण निदेशालय के समस्त अधिकारीगण ।

ए0एस0 गुप्ता,

अपर निदेशक, (परिवार कल्याण);

परिवार कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश;

लखनऊ।

नत्थी 'ख'

(देखिए अता0प्र0सं0 62 का उत्तर पीछे पृष्ठ 54 पर)

'जनपद हरदोई के विकास खण्ड बिलग्राम के ग्राम जिनमें पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं है-

तरिया, जटपुर, उमरौली खास, पिन्डसी, सहीरा, रामापुर, परसापुर, भीखपुर, कुनोराली, सादीपुर, डाभा, लालपुर, कमरी रडेना हबीब नगर, हैबतपुर, गुरौली, तरौली, बेहटा बुजर्ग, नकपुर हातीमपुर, हसौलिया, छीछपुर, मरौली, मस्दपुर, दुर्गागंज, आलापुर, हुसेपुर, चौधरीयांपुर, कुवेरपुर, सरबेरा, मितमितपुर, भटौली, सहजना, काईमऊ, कोनरीयामऊ, हसनापुर, संजलपुर, सिराईचमऊ, बम्हरौली अजमतनगर रैयपुरा जरौली कलां नेकपुर नेवादा धन्धामऊ रामपुर मझियारा सरिहापुर कटरी निलूही बिरईयामऊ पसेन्ह नफरीया बसहर बलेन्दा अकबरपुर असनामऊ बिनधौरी कुतुबापुर जरौली शेरपुर कुतुलपुर अखलियारपुर पिनौरी पनेऊरा धनसरी कचना तेरवा चान्दपुर भगौतापुर अतछांखुर्द अतछां बुजुर्ग बिरनी इटौली अलीगढ़ महमूद नगर ककरा खेड़ा कोलहरा अलियापुर कोई दिवाली जलालपुर हथौरा परचल रसूलपुर गुजराई बिरौरी बेहरी खुर्द नाबीपुर बरगांवां बरबवा निजामपुर चान्दपुर बान्ड करेछका चौलीयापुर पैंदापुर मेबरा कटरी अरसेनामऊ नौरंगपुर कटरी महदेवा छिबरामऊ कटरी सापखेड़ा महसेनामऊ कटरी जफरपुर कटरी असमतपुर कटरी बछईया रछुला गनीपुर बछियाई पैंजपुर कैम्पू बीचनपुर साहपुर हरैयापुर परसोला कटरी परसोला।

'जनपद हरदोई के विकास खण्ड माधोगंज के ग्राम जिनमे पेयजल सुविधा उपलब्ध नहीं है--

बरहानपुर सर्दारियापुर ख्वाजापुर कहारपुर नवगाली कपूर रोशनपुर सदरपुर महमूदपुर जुजबामऊ फतेहपुर मनेडरा खनडरिया खान जहांपुर शेखनपुर घीरनी सरईया मऊ गुलापुर गैसी खेड़ा शक्लापुर भगत डसरहा बिरहांस बिलाखनी द्युतेरहिया रोहेया, फिरोजपुर, दौलतमारपुर, सहजना, बछौरा, सोनहाट, अठवा अलीमरदानपुर, कुरसठ् बुजर्ग, कुरसठ् खुर्द, समोरखा, डिकौली, सरइया बेलवर, खुरमपुर, सजलपुर, पिपरावां, सरफद्दीनपुर, रकवापुर, भिठौंई, चन्दीपुर, रसूलपुर, काजीपुर, फरहेतनगर, ऊचा गांव, खरवा, सूबापुर, काजीपुर नईवाली, मोहीऊद्दीनपुर साहपुर, बासदेव, जोहनदीपुर, निमामऊ, हसनपुर जेबली, सरायऊद, इन्दलापुर, काल्हामऊ, फतेपुर चोचवां, उकसाई, भवईयां, तकुल्लानगर, तेरवाकुल्ली, बलेहरा कमालपुर, हरीपुर, नरायनमऊ, टरिया जाहिरपुर।

नत्थी 'ग'

(देखिए अता0प्र0स0 90 का उत्तर पीछ पृष्ठ 65 पर)

सूची मालियान

क्रम-स0	नाम कर्मचारी	पदनाम	कार्य स्थल
1	2	3	4
1	श्री गजराज सिंह	हेड माली	गांधी उद्यान में अन्य मालियों का सुपरवीजन करते हैं तथा पार्क सम्बन्धित सभी कार्य करते हैं।
2	श्री नन्हें लाल	माली	गांधी उद्यान में लगे पेड़ पौधों की निरांई-गुड़ाई का कार्य करते है तथा सामान का रख-रखाव का कार्य करते हैं।
3	श्री प्रीतम लाल	,,	तदैव
4	श्री श्रीपाल	,,	तदैव
5	श्री राम सहाय द्वितीय	,,	तदैव
6	श्री मंगली	,,	तदैव
7	श्री राम लाल	,,	तदैव
8	श्री भोले	,,	तदैव
9	श्री बाबू लाल	,,	तदैव
10	श्री बिहारी लाल	,,	तदैव
11	श्री बुन्दा खां	,,	तदैव
12	श्री टीका राम	,,	तदैव
13	श्री श्रीराम	,,	तदैव
14	श्री हर प्रसाद	,,	तदैव
15	हेम राम	,,	तदैव
16	श्री राम चन्द्र	,,	तदैव
17	श्री उगा राम	,,	तदैव
18	श्री मुन्ना लाल	,,	तदैव
19	श्री बुद्धी	,,	तदैव
20	श्री नन्हें वक्श	,,	तदैव
21	श्री राधेश्याम	,,	तदैव
22	श्री बब्बन	,,	तदैव
23	श्री प्यारे लाल	,,	तदैव
24	श्री ओम प्रकाश	,,	तदैव
25	श्री राहत अली	माली	सी0आई0आर्क में लगे पेड़ पौधों की निराई-गुड़ाई करते है।
26	श्री घासी राम	,,	तदैव
27	श्री बेनी राम	,,	तदैव
28	श्री राजेन्द्र	,,	तदैव

1	2	3	4
29	श्री घनश्याम	माली	तदैव
30	श्री प्रेम दास	,,	तदैव
31	श्री सुधीर कुमार	,,	आयुक्त कार्यालय स्थित (तिकुनिया) पार्क की देख-रेख करते है तथा निराई-गुड़ाई का कार्य करते हैं।
32	श्री कल्लू	,,	कार्यालय पार्क में लगे पेड़ पौधों की देख-रेख सफाई, निराई-गुड़ाई का कार्य करते हैं।
33	श्री मोईनउद्दीन	,,	तदैव
34	श्री चुन्नी लाल	,,	तदैव
35	श्री दर्शन सिंह	,,	तदैव
36	श्री राम औतार प्रथम	,,	गांधी मूर्ति स्थित तिकुनिया (पार्क) की देख-रेख, पेड़ पौधों की निराई-गुड़ाई घास की छटाई, सफाई इत्यादि का कार्य करते हैं।
37	श्री गुलाबी	,,	आयुक्त कार्यालय से लेकर स्टेशन रोड तक तथा हेड पोस्ट आफिस से सर्किट हाउस चौराहे तक एवं सर्किट हाउस चौराहे से रफीक अहमद विधायक के रोड पर लगे सभी वृक्षों की देख-रेख सफाई रख रखाव इत्यादि का कार्य करते हैं।
38	श्री राजा राम	,,	आयुक्त निवास के सामने स्थित नेहरु पार्क की देख-रेख तथा पेड़ पौधे के रख रखाव का कार्य करते हैं।
39	श्री शरीफ मियां	,,	शिवपुरी पार्क (तिकुनिया) की देख-रेख तथा पार्क सम्बन्धित सभी आवश्यक कार्य करतेहैं।
40	श्री तारा चन्द्र	,,	गौतम बुद्ध उद्यान में कार्य करते हैं।
41	श्री मो0 यासीन	,,	सेठ दामोदर स्वरूप पार्क (तिकुनिया) में कार्य करते हैं।
42	श्री हरदयाल	,,	सेठ काशी नाथ पार्क स्थित आयुक्त कार्यालय के निकट (तिकुनिया) पर कार्य करते है।
43	श्री खेम करन	हेड माली	मी0आई0 पार्क के सभी कर्मचारियों का सुपर वीजन करते हैं तथा पेड़ पौधों का रख-रखाव तथा देख-रेख करते हैं।
44	श्री राम औतार 2	माली	कर विभाग में चपरासी का कार्य कर रहे हैं।
45	श्री प्रेम पाल	,,	कार्यालय स्थित पार्क में सुरक्षा की दृष्टि से चौकीदारी का कार्य करते हैं।
46	श्री शर मोहम्मद	,,	डा0 दिनेश जौहरी, विधायक के निवास के पीछे स्थित पार्क की देख-रेख पेड़ पौधों का रख-रखाव सफाई, निराई, गुड़ाई इत्यादि करते हैं।
47	श्री प्रेम नरायन	,,	जगजीवन पार्क की रेख-रेख पेड़ों का रख-रखाव तथा पार्क सम्बन्धी समी कार्य करते हैं।

1	2	3	4
48	श्री विजयसागर	माली	बाल्मीकि पार्क की देख-रेख तथा पार्क सम्बन्धी सभी कार्य करते हैं ।
49	श्री साधू राम	,,	आवास-विकास कालोनी स्थित चिरजीव लाल गुप्ता पार्क की देख-रेख पेड़ पौधों का रख-रखाव तथा अन्य सभी कार्य करते हैं ।
50	श्री भगवान दास	,,	शाहमतगंज स्थित जवाहर लाल मूर्ति पार्क की देख-रेख तथा सम्बन्धित सभी कार्य करते हैं ।
51	श्री शिव लाल	,,	गांधी उद्यान में सभी कार्य करते हैं ।

नत्थी 'घ'

(देखिए अता0प्र0सं0 92 का उत्तर पीछे पृष्ठ 66 पर)

संलग्नक-1

वर्ष 87-88 के सूखा राहत कार्यक्रम में अधिष्ठापित इंडिया मार्क-2 पम्पों के कार्य-स्थल का विवरण

विकास खण्ड	क्रमांक	ग्राम का नाम	हैण्ड पम्प की संख्या	हैण्ड पम्प का स्थल
1	2		3	4 5
सरोजनी नगर	1--फलन्दहा		1	श्री गरीबे के घर के पास
	2--लोनहां		1	श्री प्रताप के घर के पास हरिजन बस्ती।
,,	3--नदकुर		1	जू0 बेसिक विद्यालय के पास, हरिजन बस्ती।
,,	4--जहानाबाद		1	श्री राम भरोसे के मकान के सामने, हरिजन बस्ती।
	5--भदोई		1	श्री भोलानाथ मौर्या के मकान के सामने हरिजन बस्ती।
	6--परखर पश्चिम		1	कन्या पाठशाला के पास में, हरिजन बस्ती।
	7--अमौसी		1	ब्लाक मुख्यालय पर।
काकोरी	1--दशहरी		1	श्री मिश्री व रामपाल हरिजन, हरिजन बस्ती।
	2--भालिया		1	श्री कल्लू रावत के घर के पास, हरिजन बस्ती।
	3--रनियामऊ		1	श्री रामचन्द्र रावत हरिजन, हरिजन बस्ती
	4--दोना		1	श्री शिव राम सिंह, हरिजन बस्ती।
	5--बराबन खुर्द		1	पंचायत घर व मन्दिर के बीच में।
मोहनलाल गंज	1--मऊ		1	तहसील के सामने।
	2--निगोहां		1	सहकारी खाद स्टोर के सामने।
	3--कुनडरा रायपुर		1	प्रधान के घर के सामने, हरिजन बस्ती।
	4--गढ़ी		1	श्री राम के घर के सामने, हरिजन बस्ती।
	5--कुसमौरा		1	श्री राम प्रसाद के घर के सामने।

सलग्नक–2

शासनादेश सं0 5713/9–10–87 दिनांक 18-11-87 के अन्तर्गत वर्ष 87–88 में सूखा राहत कार्यक्रम में भविष्य में लगाए जाने वाले इंडिया मार्क–11 हैन्डपम्पों की सूची

विकास खण्ड	क्रमांक	ग्राम का नाम	कार्य-स्थल
1	2	3	4
सरोजनीनगर	1–	कल्ली पश्चिम	अमोला मंजरा हरिजन बस्ती
	2–	परवर पूरब	हरिजन बस्ती
	3–	परवर पश्चिम	गढ़ी मजरा हरिजन बस्ती
	4–	बनी	हरिजन बस्ती
	5–	गढ़ी चुनौती	दरियापुर हरिजन बस्ती
	6–	लतीफ नगर	हरिजन बस्ती
	7–	रहिनगर पडियाना	हरिजन बस्ती
	8–	खांडदेव	हरिजन बस्ती
	9–	बेती	हरिजन बस्ती
	10–	बरौली खलीलाबाद	हरिजन बस्ती
काकोरी	1–	बशीगढ़ी	भटखेरवा हरिजन बस्ती
	2–	गोपरामऊ	हरिजन बस्ती
	3–	मौरा खेड़ा	मौरा खेड़ा हरिजन बस्ती
	4–	हरदोइया लालनगर	हरिजन बस्ती
	5–	सरोसा भरोंसा	भरोसा हरिजन बस्ती
	6–	दशहरी	बल्लन खेड़ा हरिजन बस्ती
	7–	महिपट मऊ	चमरहा गांव
	8–	गहलवारा	हरिजन बस्ती
	9–	मालिया	हरिजन बस्ती
	10–	जालियामऊ	हरिजन बस्ती
	11–	बहरवा	हरिजन बस्ती
	12–	लालनगर	हरिजन बस्ती
मोहनलालगंज	1–	खुजौली	पूरब हरिजन बस्ती (पासी लोग)
	2–	पुरसैनी	गोपाल खेड़ा के आगे रेलवे लाइन के पास हरिजन बस्ती।
	3–	कनकहा	हरिजन बस्ती
	4–	गढ़ी	गांव के पूरब की ओर हरिजन बस्ती
	5–	हुलास खेड़ा	बाज खेड़ा
	6–	मऊ	बकुल खेड़ा के आगे हरिजन बस्ती
	7–	निगोहा	दक्षिण को ओर हरिजन बस्ती
	8–	सिसेडी	हरी खेड़ा
	9–	इमलिहा खेड़ा	प्राइमरी स्कूल के पास
	10–	मीरनखेड़ा	प्राइमरी स्कूल के पास
	11–	सुल्तामऊ	प्राइमरी स्कूल के पास
	12–	गोविन्दपुर	प्राइमरी स्कूल के पास हरिजन बस्ती
	13–	बरवलिया	प्राइमरी स्कूल के पास
	14–	डेवरिफ भरसवा	भरोसवा स्कूल के पास हरिजन बस्ती
	15–	भावा खेड़ा	हरिजन आबादी
	16–	नरौली	हरिजन आबादी

पी0एस0यू0पी0–एल0 341 वि0सभा (15)–1988–8131